

आधुनिक भारत के निर्माता

BUILDERS OF MODERN INDIA

अ
त
्
ु


था
ता
पा
मा
र

डा. केशव बलिराम
हेडगेवार

आधुनिक भारत के निर्माता

आधुनिक भारत के निर्माता

नव-भारत के निर्माता
नवपारात्मक शिल्पीकरण
नवाचार निर्माता क्षेत्र
नव भारत निर्माता क्षेत्र
جید ہندوستان کے معمار



डा. केशव बलिराम हेडगेवार

राकेश सिन्हा



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

प्रथम संस्करण : शक 1925 (2003)

पुनर्मुद्रण : शक 1925 (2003)

© प्रकाशन विभाग

ISBN : 81-230-1076-1

मूल्य : 95.00 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110 001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केंद्र ● प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110 001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सकेस, नई दिल्ली-110 001
- कामरस हाउस, करोड़भाई रोड, बालाई पायर, मुंबई-400 038
- 8, एस्प्रेसेंड इंस्ट, कोलकाता-700 069
- राजाजी भवन, बेसेट नगर, चेन्नई-600 090
- विहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800 004
- प्रेस रोड, तिरुमन्तपुरम-695 001
- प्रथम तल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगल, बंगलौर-560 034
- 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226 001
- खालक नं. 4, प्रथम मंजिल, गृहकर्त्ता काम्लैक्स, एम. जे. रोड,
हैदराबाद-500 014
- अम्बिका काम्लैक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380 007
- योड्मा (असमिया), नौजान रोड, तजान बाजार, गुवाहाटी-781 001

विक्रय कार्डटर ● पत्र सूचना कार्यालय

- 80, मालवीय नगर, भोपाल-462 003 (म.प्र.)
- सी.जी.ओ. काम्लैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.)
- बी-7/बी, भवानी सिंह मार्ग, बद्रपुर-302 001 (गोपन्यान)

टाइप मैटर : विवक प्रिन्टर्स, नारायण, नई दिल्ली-110 028

मुद्रक : धीरा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला फेस-II, नई दिल्ली-11002

फोन : 51611300 फैक्स : 26386500

अनुक्रम

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. तेजस्वी बालक | 1 |
| 2. देशभक्ति की पहली किरण | 6 |
| 3. क्रांतिकारी जीवन | 14 |
| 4. प्रथम विश्वयुद्ध और डा. हेडगेवार | 20 |
| 5. आत्मदर्शन | 26 |
| 6. कॉर्गेस में प्रवेश | 32 |
| 7. असहयोग आंदोलन | 39 |
| 8. 'राजद्रोह' का मुकदमा | 45 |
| 9. सत्यनिष्ठ हेडगेवार | 58 |
| 10. 'स्वातंत्र्य' का संपादन | 67 |
| 11. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ | 72 |
| 12. स्वतंत्रता आंदोलन और डा. हेडगेवार | 88 |
| 13. दूसरा कारावास | 101 |
| 14. हिंदू महासभा, कांग्रेस और संघ | 106 |
| 15. दमनचक्र के बीच संघ का विकास | 127 |
| 16. ऐतिहासिक बहस | 138 |
| 17. संघ बनाम सशास्त्रवाद | 150 |
| 18. डा. हेडगेवार और महात्मा गांधी | 167 |
| 19. कर्मयोगी | 184 |
| 20. सामाजिक दर्शन | 197 |
| 21. तत्त्वरूपी हेडगेवार | 212 |

मां श्रीमती द्वौपदी देवी
एवं
पिताजी श्री बंगाली सिंह
को
सादर समर्पित

प्राक्कथन

भारतीय राजनीति परं शैक्षणिक जगत में गव्यीय स्वयंसेवक संघ एवं इसका सैद्धांतिक पक्ष आजादी के बाद से ही बहस के केंद्र में रहा है। किसी भी संस्था के सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दृष्टिकोण, संगठनात्मक संस्कृति को समझने के लिए उसके संस्थापक के जीवन क्रम एवं वैचारिक पक्ष को जानना आवश्यक होता है। संघ और उसके संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार एक दूसरे के पर्याय हैं। संघ अपने समकालीन हिंदू संगठनों से कैसे भिन्न था, इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि और वैश्विक दृष्टिकोण के रूप को डा. हेडगेवार के जीवन प्रसंगों और दृष्टिकोण को जाने चिना समझना कठिन कार्य है। किसी संस्था के वैनारिक पक्ष से महमति अथवा असहमति होना लोकतंत्र में स्थाभाविक है, परन्तु जिस संस्था का प्रभाव एवं विस्तार जीवन के हर क्षेत्र में हो, उसके संस्थापक के जीवन एवं विचारों से अज्ञानता अनेक भ्रातियों को जन्म देती है। इसके कारण वैचारिक आंदोलन का मही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। डा. हेडगेवार के संबंध में भी अनेक प्रकार की भ्रातियां उत्पन्न हुईं। इनमें एक उनके स्वतंत्रता आंदोलन से अलिप्त रहने के बारे में है। यह तथ्य एवं सच्चाई से कितनी दूर है, इसका अनुमान निम्न लातों से लगाया जा सकता है।

सन् 1921 में मध्यप्रांत की राजधानी नागपुर में ब्रिटिश सरकार ने उन पर 'राजद्रोह' का मुकादमा चलाया था। मुकादमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने उपनिवेशवाद को अमानवीय, अनैतिक, अवैधानिक एवं कूर शासन की संज्ञा देते हुए ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन एवं राजसत्ता के खिलाफ सभी प्रकार के विरोधों का समर्थन किया। तब उत्सवित न्यायाधीश ने उनकी दलीलों को ध्याले के भाषणों से भी अधिक 'राजद्रोही' घोषित किया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण सात वर्ष पूर्व ही औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें 'संभावित खतरनाक राजनीतिक अपाधी' की सूची में शामिल कर लिया था। इससे छह वर्ष पूर्व (1909 में) उन पर लोगों को सरकार के खिलाफ उकसाने एवं पुलिस बौकी पर बम फैकने का आरोप लगाया जा चुका था। और इससे पूर्व वह नागपुर के एक स्कूल से 'वंदे मतारम्' की उद्घोषणा करने एवं उसके लिए माफी न मांगने के कारण निष्कारित

किए जा चुके थे। असहयोग आंदोलन के बाद देश के दूसरे महत्वपूर्ण आंदोलन—‘सत्यनय अवज्ञा आंदोलन’ में सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए वह गिरफ्तार हुए और उन्हें नौ महीने के सश्रम कारबाह की सजा मिली थी। उनकी मृत्यु 1940 में हुई, जब अनेक क्रांतिकारी जिनमें सुभाष चंद्र बोस एवं फ्रेलीचनाथ चक्रवर्ती के नाम उल्लेखनीय हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान क्रांति की आशा एवं योजना के साथ उनकी तरफ आकृष्ट हो रहे थे। उनकी मृत्यु से एक दिन पूर्व ही सुभाष चंद्र बोस उनसे उनके कर्तृत्व, देशभक्ति, संगठन कौशल एवं क्रांतिकारी पुष्टभूमि के कारण पिलने आए थे। तब उन्हें डा. हेडगेलर को मृत्यु शीया पर देखकर कितनी हताशा हुई होगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है।

स्वाधीनता आंदोलन में डा. हेडगेलर की भागीदारी के अनेक रूप एवं पटनाएँ हैं, परंतु उनकी गतिविधियाँ एवं चिंतन राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रश्न तक सीमित नहीं थीं। एक प्राचीन भारतीय राष्ट्र का पराभव क्यों हुआ? और इसे सबल एवं संगठित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है—इन प्रश्नों का समाधान एक स्वभन्दप्रयत्न के रूप में वह जीवनपर्यंत ढूँढते रहे तथा उनका निष्कर्ष था कि राष्ट्र के हित, पुनर्निर्माण एवं संगठन के लिए किया गया कार्य ‘ईश्वरीय कार्य’ होता है। उन्होंने 1925 में इसी ध्येय को अपने समझ रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ की स्थापना उन्होंने नागपुर की बाबान, बंजर एवं उपेक्षित भूमि मोहितेवाड़ा से की थी और देखते-देखते संघ सभी प्रांतों में फैल गया। उन्होंने संगठन, समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र के बीच जीवन संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि संघ की स्थापना, विस्तार एवं प्रभाव के पीछे प्रेरणा-पुरुष होते हुए भी वह सदैव सामने आने में संकोच करते रहते थे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं स्वार्थ से मुक्त रहकर सार्वजनिक जीवन जीने का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था।

प्रथार, प्रसिद्धि एवं लेय लेने की प्रवृत्तियों से वह कितने मुक्त थे, इसका प्रमाण यह है कि संघ की स्थापना के एक दशक बाद तक मध्यप्रांत की सरकार उनके मित्र डा. बालकृष्ण मुंजे को संघ का संभापक मण्ड़िने की भूल करती रही। उन्होंने अपने जीवन काल में जीवन चरित्र लिखने के प्रयासों को हतोत्साहित किया। दामोदर पंत भट द्वारा लगातार आश्रह को दुकराते हुए उन्होंने लिखा था-

‘आपके मन में मेरे एवं संघ के लिए जो प्रेम एवं आदर है, उसके लिए

मैं आपका हृदय में आभारी हूं। आपकी इच्छा मेरा जीवन चरित्र प्रकाशित करने की है। परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भावन हूं या मेरे जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जिनको प्रकाशित किया जाए। उसी प्रकार मेरे अध्यक्ष मंघ के कार्यक्रमों की तस्वीरें भी उपलब्ध नहीं हैं। संक्षेप में, मैं यही कहूंगा कि जीवन चरित्रों की भूम्हला में मेरा चरित्र तानिक भी उपस्थित नहीं थैठता। आपके द्वारा ऐसा न करने से मैं उपकृत होकरगा।'

उनके संबंध में पहली छोटी पुस्तक का प्रकाशन उनको मूल्य के पश्चात व. ण. शेड ने 1941 में किया था। उसके दो दशक बाद नाशयण हरि पालकर ने उनका जीवन चरित्र लिखा। उनके संबंध में अनेक लेख, संम्मान एवं उनके भाषण मध्यप्रांत के अखबारों में प्रकाशित हुए थे जिनका अध्ययन न होने के कारण उनके जीवन के अनेक प्रसंग एवं घटनाएँ और उनके सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण अवर्णित रहे। विशेषकर संघ की विचारधारा पर राजनीतिक एवं शैक्षणिक जगत में बहस का भी प्रभाव डा. हेडगेवार के जीवन के मूल्यांकन पर पड़ता रहा। स्वतंत्रता अंदोलन में उनकी भागीदारी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा पर भी प्रश्न खड़े किए गए।

मैंने 1988-89 में 'Political Ideas of Dr. K.B. Hedgewar' विषय पर पहला कार्य टिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के छात्र के रूप में शोध निबंध लिखकर किया था। तब से मैंने संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी एवं डा. हेडगेवार के जीवन पर अपना शोधकार्य जारी रखा। इसी बीच मुझे प्रकाशन विभाग को तरफ से डा. हेडगेवार के जीवन पर लिखने का अनुरोध हुआ। इस पुस्तक में मैंने उनके जीवन के जाने-अनजाने प्रसंगों, उनके दृष्टिकोण और वैचारिक पक्ष को रखने का प्रयास किया है। संभव है, इसमें अनेक त्रुटियाँ एवं न्यूनताएँ रह वई हों। मेरा मानना है कि जो महापुरुष इतिहास के अंग बनकर रह जाते हैं, उनका मूल्यांकन करना कठिन कार्य नहीं है, परंतु जो अपने जीवन काल के बाद पीढ़ियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तथा वर्तमान एवं भवित्व के घटनाक्रम में प्रासंगिक एवं प्रग्नात बने रहते हैं, वैसे अमाभान्य चरित्र का मूल्यांकन भवित्व का इतिहास ही कर सकता है। डा. हेडगेवार का जीवन चरित्र इसी त्रेणी में आता है।

अतः उनके जीवन एवं वैचारिक गहर पर शोध पर विराम नहीं दिया जा सकता है। इस पुस्तक के लिखने एवं शोधकार्य में कुण्ठ, सी. सुदर्शन, दत्तोपंत

ठेगडो, एच. चौ. रोपाडि, के सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। राहहरि सूर्यनारायण राव एवं मदन दास देवी के रचनात्मक मुद्दाओं के कारण मैं अनेक चुटियों को दूर कर पाया। शोधकार्य के आरंभिक वर्षों में वा. हेडोवर के संबंध में अनेक दस्तावेजों एवं पुस्तकों के प्रति म्ब. एन. चौ. लेले (लेखक व एत्रकार) एवं भानुप्रत्यप शुक्ल तथा देवेंद्र म्बरुप (दोनों एवं संपादक 'योचनन्य') ने मेरा ध्यान आकृष्ट कराया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रो. एन. डॉ. मिराजकर एवं यूनीवरिटी के प्रब्रकार प्रमोद मुजुमदार ने मराठी सोखों एवं दस्तावेजों के अनुवाद में समय-समय पर मेरी सहायता की है। मैं इन सबका एवं उन अनेक लोगों का—जिनकी प्रत्यक्ष अध्यया अप्रत्यक्ष सहायता एवं प्रोत्साहन मिलता रहा—कृतज्ञ हूँ।

नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, पटना एवं अन्य प्रांतों के अभिलेखागारों, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय (नई दिल्ली), तिलक स्मृति संग्रहालय (पूना), रत्न टाटा लाइब्रेरी, सप्रू. हाउस लाइब्रेरी के माध्य-साध सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा प्रकाशन विभाग के मिनिस्टर और संपादक बैंडल के स्क्रिय सहयोग हेतु मैं उनका जापारी हूँ।

किसी पुस्तक का वास्तविक भूत्याक्तन तो पाठकवर्ग ही करता है। मुझे विश्वास है कि पाठकों का रचनात्मक मुद्दाव मिलता रहेगा, जिसके आधार पर मैं इस पुस्तक के अगले संस्करण को और भी उपयोगी बनाने में सक्षम हो पाऊगा।

- राकेश सिन्हा

तेजस्वी बालक

सन 1889 की 1 अप्रैल प्रतिपदा का दिन था। परंपरागत हुंग से हिंदू घरों में भगवा अबज फहराया जा रहा था। वर्ष प्रतिपदा को महाराष्ट्र में 'गुदीपाड़ा' के नाम से जाना जाता है। यह दिन हिंदू मन, हृदय और विवेक को भारत के इतिहास के चटनाचक्र, राष्ट्र की वरिसता, सांस्कृतिक परंपराओं एवं वौर तथा वैभवशाली पूर्वजों की विदासत का यशस्वी बोध कराता है। यदि किसी पर में इस शुभ दिन को शुभ्र वेला में किसी बालक का जन्म हो तो उसे प्रकृति को महान कृपा ही कहा जाएगा। ऐसा ही खुशी का अवसर इस दिन नागपुर के गरीब ब्राह्मण बलिग्राम पंत हेडगेवार के परिवार में था। उनके सबसे छोटे (तीसरे) पुत्र एवं पांचवीं संतान का जन्म हुआ था। इस महज संयोग को उस बालक ने अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व, संकल्प, साधना एवं मंस्कार, शुद्ध चरित्र एवं मौलिक चिंतन से बधार्थ में बदल दिया—इस दिन को केशव के जन्म से सचमुच में नया मंस्करण मिल गया। बचपन का केशव आधुनिक भारत के निर्माण की संकेत-रेखा था, जो आगे चलकर डा. केशव बलिग्राम हेडगेवार के रूप में यशस्वी हुआ। व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों से उसे यश मिलता है और मृत्युपरांत उसकी पशोगाथा इतिहास के पत्रों में सिनेटकर रह जाती है। परंतु हेडगेवार बत्तमान एवं भविष्य के साथ जुड़े हैं। यही कारण है कि उनकी प्रसिद्धि जीवन काल में अधिक मृत्युपरांत हुई। आदर्श ग्रन्थावाद एवं कर्मविद्या को अमृत से मृत बनाने का जो काम उन्होंने किया, वह संभवतः भारतीय राष्ट्र के भाग्य की योजना ही कहा जा सकता है। राष्ट्र के नव सुनन, नव संगठन, नव रचना का उनका संदेश जितना कल प्रासांगिक था, उतना ही आज प्रवल है और भविष्य में भी उत्तरोत्तर प्रधानकारी एवं प्रासांगिक होता जाएगा।

इस इतिहास पुरुष का शैशव, पारिवारिक रचना, वैश एवं सामाजिक-आर्थिक अवस्था एवं दिल दहलाने वाले प्रसंगों से भरी पड़ी है।

हेडगेवार कुल का इतिहास

बलिग्राम पंत का परिवार मूलतः आंध्र प्रदेश में निजामाबाद निले की बोधन

तहसील में कंदकुती नामक गांव से संबद्ध था। यह गांव गोदावरी, बंगरा एवं हरिद्रा—तीन नदियों के मिश्रण पर स्थित है। पूर्वजों का रिकार्ड रखने की परंपरा से केशव के पूर्वजों में भी पीढ़ियों तक की जानकारी उपलब्ध है। वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन कुल को परंपरा थी। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व आद्य रांकराचार्य ने इस कुल के व्यक्ति को 'धर्म संरक्षक' नियुक्त किया था। हैदराबाद में निजाम का शासन था। उसकी धार्मिक धेदभाव को नीति लब हद पार कर गई तो बलिग्राम पंत के परदादा नरहर शास्त्री अपनी धर्म एवं शास्त्र अध्ययन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए कंदकुती छोड़कर भौमला शासित नागपुर में दो-हाई मीट वर्ष पूर्व आकर बस गए। हेडगेवार कुल को यहाँ सामाजिक सम्मान एवं गण्य का संरक्षण दोनों प्राप्त हुए। परंतु उत्तीर्णवी शताब्दी के मध्य से परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि सन 1853 में नागपुर राज्य पर भौमला शासन का अंत करके अंग्रेजी राज स्थापित हो गया और हेडगेवार कुल को मिलने वाला संरक्षण भी उसके साथ ही समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में परिवार के पास एक ही विकल्प था—पीढ़ीहित्य का कार्य। उनके पास एक पुश्टैनी घर के अतिरिक्त कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि मध्यप्रांत में अकाल की पुनरावृत्ति ने लोगों की आर्थिक स्थिति को बदतर बना दिया। एक बड़ी विंडबना यह कि अंग्रेजी राज इन सबके प्रति पूरी तरह से उदासीन था। निश्चित रूप से इसका प्रभाव हेडगेवार परिवार के धनोपार्जन पर भी पड़ा।

परीक्षा की घड़ी

बलिग्राम पंत का परिवार बड़ा था। उनकी छह संतानों में तीन पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं। केशव के दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं का नाम महादेव शास्त्री एवं सीताराम पंत था। सरु, सजू एवं रंगू तीन बहनें थीं। उनमें रंगू उनसे उम्र में छोटी थी। उनकी माँ रेवती बाई अपनी धर्मानुष्ठान एवं शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। माता-पिता के घ्यार ने बच्चों को गरीबी का अनुभव नहीं होने दिया। बलिग्राम पंत स्वयं अधक मेहनत करके परिवार की गाड़ी चला रहे थे और अपने जीवन-काल में उन्होंने बच्चों को पीढ़ीहित्य के कार्य से नहीं जुँड़ने दिया। आर्थिक संकट के जावजूद उन्होंने परिवार में वेद अध्ययन की परंपरा को बनाए रखा। अपने दोनों ज्येष्ठ पुत्रों को वेद अध्ययन के लिए प्रेरित किया। केशव का भी नाम संस्कृत शातशाला में लिखाया। बलिग्राम पंत परंपरागत मूर्त्यों, धार्मिक रोति-रिकाजों एवं कर्मकांड को अतिशय महत्व देते थे।

परंतु इस परंपरावाद पर उनके छोटे पुत्र ने प्रग्न खड़े करने का सफल कार्य किया। केशव की मानविक संरचना अमाधारण थी। उनकी कुशाप चुट्ठि, चंचलता और प्रतिभा ने उन्हें आधुनिक शिक्षा के लिए प्रवृत्ति किया एवं माता-पिता ने लीक से हटकर, पारिवारिक परंपरा के प्रतिकूल उनका नाम पूरे मध्यप्रातः में प्रसिद्ध नागपुर के नील सिटी स्कूल में दर्ज कराया। केशव के लिए यह निरचय ही एक बड़ी उपलब्धि थी। परंतु नियति ने केशव की खुशी पर पानी फेर दिया। सन 1902 में नागपुर में प्लेग का प्रकोप हुआ। बलिराम पंत मृत लोगों के दाह संस्कार में बढ़-चढ़कर महायता करते थे। पति-पत्नी दोनों ने अद्भुत सामाजिकता एवं त्याग का परिचय दिया। केशव के जीवन पर माता-पिता के इस सामाजिक भाव का प्रभाव पहुंचा, जो उनके बाद के जीवन में परिलक्षित होता रहा। पर इस बीच वे दोनों स्वयं भी इस महामारी के शिकार हो गए और एक ही दिन चल आसे। तेरह वर्षीय केशव ने पूरे होशै-हवास में अपने माता-पिता को एक ही दिन एक ही चिता में जलते देखा।

इस चालाशात की पीड़ा और भी असहनीय बन गई क्योंकि केशव के परिवार के पास जाय का कोई स्थायी लौंग नहीं था। वेद अध्ययन पूरा करने के बाद महादेव शास्त्री पर एकाएक परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी। महादेव ने पिता को इच्छा के अनुकूल दूसरे भाई सीतराम पंत को वेद अध्ययन के लिए इंदौर भेज दिया। केशव को शिक्षा नील सिटी स्कूल में शिक्षा जारी रही, परंतु महादेव शास्त्री की उनसे पीरोहित्य के कार्य में सहयोग की अपेक्षा रहने लगी। किंतु केशव का मन और मस्तिष्क समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें एक शाम का भोजन, फटे-पुराने वस्त्र और बड़े भाई की दुल्कर व जब-तब पिटाई तो स्वीकार थी, परंतु सामाजिक-शाजीतिक हलचल के प्रति अपने रुद्धान को कम करना मंजूर नहीं था। जो कार्य उन्हें पसंद नहीं था, वह उसे बेहिचक अस्वीकार कर देते थे। ऐसी ही एक मटना तब घटी जब उन्होंने बड़े भाई द्वारा घर में भाँग घोटने के आदेश को नहीं पाना। उनकी जमकर पिटाई हुई, परंतु वह अपनी बात पर अड़े रहे। बाल्यकाल की यह दृढ़ता, संकल्प-शक्ति एवं विवेक के आधार पर कार्य करने की प्रवृत्ति उनके जीवन में हमेशा दिखाई पड़ती रही। केशव ने कच्ची उम्र में प्रकृति, परिवार एवं परंपराओं द्वारा आरोपित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया।

देशभक्ति का भाव

केशव के बाल्यकाल की अनेक घटनाएं मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन का विषय हैं। पहली घटना तब की है जब उनकी उम्र सिर्फ़ आठ वर्ष की थी। यह घटना 22 जून 1897 की है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के साथ सूरे होने पर भारत में जश्न मनाया जा रहा था। केशव के स्कूल में भी मिठाई बाटी गई। परंतु उन्होंने अपने हिस्से की मिठाई फेंकते हुए सहसा कहा—“तेकिन वह हमारी महारानी तो नहों है।” देशभक्ति की उपजी भावना आने चाहे बच्चों में और प्रस्फुटित होने लगी। दूसरी घटना 1901 की है। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अवसर पर राजनिष्ठ लोगों द्वारा नागपुर में आकर्षक आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। केशव ने बाल मित्रों को उसे देखने से रोका। उन्होंने उन सबको समझाया कि ‘विदेशी राजा का राज्यारोहण उत्सव मनाना हमारे लिए शर्म की चात है।’

महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की बीरता की गाथा पर-घर में सुनी-सुनाई जाती थी। विद्यालय के देशभक्त शिक्षक भी विद्यार्थियों को उनके जीवन की घटनाएं एवं सौर्य के प्रसंग योचक दंग से सुनाते थे। केशव के जीवन पर भी शिवाजी की बीरता, संकल्प-शक्ति एवं राष्ट्रीय भाव का अटूट प्रभाव था। तभी नागपुर के सीताबड़ों के किले के ऊपर इंग्लैंड के ध्वज ‘यूनियन जैक’ का फहरना उनके बाल मन को कचोटता रहता था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मित्रों के साथ शिवाजी को गुरिल्ला पद्धति की आजमाइश करने वाली योजना बनाई। अपने मित्रों के साथ वज्रे गुरुजी के घर से सुरंग खुलाई का काम शुरू किया। उस उम्र के बच्चों के लिए लगभग दो किलोमीटर लंबी मुरंग खोदना एक असंभव कार्य था। बात खुली तो बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को डॉट-फटकर लगाई। उनके चाचा मोरेश्वर (उर्फ़ आबा जी) हेडगेवर ने अपने संस्मरण में लिखा है—

‘जिस आगु में अन्यान्य बालक खोलने-कृदने में मस्त रहते हैं, उसी आगु में अप्रेजों को निकाल बाहर करने का यह उद्देश्य पूर्ण होने से पूर्व ही ‘सेनापति’ अपने होटे-से गुहिले दल के साथ पर बालों द्वारा बंदी बना लिया गया।’

जहाँ एक और उनका बाल्यकाल संकटों से घिरा रहा बही दूसरी ओर उनका व्यवहार साहस और आत्मविश्वास से मंडित था। केशव के परिवार का

राजनीतिक गतिविधियों से दूर-दूर का कोई संबंध नहीं था, न ही नागपुर के तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक वातावरण में ब्रिटेन विरोधी लहर का संचार था; फिर देशभक्ति की प्रेरणा कैसे उपजी? विदेशी गवर्नर्स के प्रति धृणा एवं विद्रोह का चरित्र कैसे पनपा? संभवतः इन प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक ही दे सकता है।

देशभक्ति की पहली किरण

के शब्द को छोटी उम्र में ही परिपक्व बातें एवं राष्ट्रवादी आकांक्षाएं आस-पड़ोम के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। महादेव शास्त्री को उनकी गतिविधियों फिजूल की बातें लगती थीं। वह कहते थे कि 'ये सब बातें गरीब परिवार के लोगों के लिए, ऐसे पर कुल्हाड़ी मारने के ममान हैं।' परंतु केशव की उम्र जैसे-जैसे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे कुछ कर दिखाने की बैचेमी भी बढ़ती जा रही थी। अपनी इस कियाशील देशभक्ति के कारण अपने से अधिक उम्र के राष्ट्रवादी नीजवानों के बीच वह आसानी से झुल-मिल जाते थे।

अनेक बड़े क्रांतिकारियों को तरह उनकी भी देशभक्ति की यात्रा अखाड़े से शुरू हुई। नागपुर में शिवाम गुरु का भखाड़ा राष्ट्रवादी सोच रखने वालों के बीच अल्पत ही लोकप्रिय था। वह अखाड़े के साथ-साथ राष्ट्रवादी नीजवानों का केंद्र भी था। केशव अपने अन्य बड़े साधियों के साथ, जिनमें मोरु उभ्यंकर, गणू जोशी एवं हनुमत नायडू के नाम उल्लेखनीय हैं, इस अखाड़े में नियमित रूप से आते थे। यही मन 1904 में केशव या हा बी एस मुंजे की दृष्टि पड़ी। डा. मुंजे क्रांतिकारी विचारधारा के प्रबल समर्थक एवं तिलक के प्रमुख अनुयाइयों में से एक थे। केशव की प्रवृत्ति एवं प्रतिवद्धता मुंजे को पसंद आई, तो केशव को मुंजे की सहदेयता एवं निःस्वार्थ देशभक्ति की भावना रास आई। यही से शुरू होता है केशव का सावंजनिक जीवन। मध्यप्रांत में तिलक गुग का आरंभिक चरण था। तिलक पहली बार 1891 में नागपुर आए थे। उनके द्वारा प्रकाशित दो समाचार-पत्र 'केसरी' एवं 'मराठा' मध्यप्रांत में और विशेषकर नागपुर में लोकप्रिय थे। राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसाप में इन दोनों समाचार-पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान था। तिलक ने दूसरी बार 1902 में नागपुर का दौरा किया। तब केशव को भी उनका भाषण मूलने एवं उनके प्रत्यक्ष देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 'केसरी' का कच्ची उम्र से ही नियमित पाठक होने के कारण उनके मन में तिलक के प्रति अदृष्ट श्रद्धा एवं सम्मान का भाव था। अभावती में बी. जी. खापड़े एवं नागपुर में डा. मुंजे तिलक की विचारधारा के मुख्य प्रवक्ता थे।

तिलक युग से पूर्व अशोत उत्त्रोमर्वा शतब्दी के अंत तक नागपुर के बायुमंडल में राष्ट्रधर्मित मुष्प्रसावस्था में थी और राजभक्ति मुखर थी। जब मध्यप्रांत भीषण अकाल को चपेट में था तब नागपुर के राष्ट्रवाहादुरों एवं अन्य राजभक्तों के द्वारा विदेशी महारानी और महाराजा के राज्याभिषेक का झूठा जश्न मनाया जा रहा था। अंग्रेजी शासन का अमानवीय रूप तब सामने आया जब अकाल की भीषण मार के बावजूद मध्यप्रांत में 1897 में करों की रिकार्ड बमूली की गई। इस वर्ष 97,32,000 रुपये राजम्य के रूप में इकट्ठे किए गए जो 1893-94 की तुलना में 22,04,000 रुपये अधिक थे।¹

नागपुर की राजनीति पर साजभक्त परिवारों का, जिनमें चिटनवीस एवं बोस परिवारों का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है, आधिपत्य था। कांगोस के दूसरे अधिल भारतीय अधिवेशन के बाद 1886 में पहली बार किसी राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इसका नाम था 'लोकसभा'। इसकी स्थापना 'पूना मार्चजनिक सभा' की तर्जे पर की गई थी। परंतु यह संस्था उदारवादी एवं संवैधानिक चरित्र को प्रतिविवित करती थी।

इस प्रकार ओमर्वा शतब्दी के मृत्युदण के साथ-साथ जब तिलक युग का भी उदय हुआ तब राष्ट्रवाहादुरों की राजनीति का भी अवसान शुरू हुआ। दोनों ही क्रियाएं दूत गति से हुईं और नागपुर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मानचित्र पर चमकते मिलाएं की तरह उभरकर सामने आया।

महाराष्ट्र के छोटे-बड़े सभी आयु वर्ग के लोगों को छत्रपति शिवाजी की चौरता एवं राष्ट्रवाद की वशोगाढ़ा प्रभावित करती थी। केशव भी इस मौखिक इतिहास के जिज्ञासु श्रेता थे। शिवाजी के चरित्र ने उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी तो समर्थ रामदास म्वामी के शिक्षाप्रद एवं च्यावाणीक उपदेशों ने उनके चिंतन की प्रक्रिया जो उत्तरोत्तर राष्ट्रोन्मुखी बनाने का काम किया। समर्थ रामदास के मनोबोध के फ्लोक उन्हें इनने पसंद ये कि उन्होंने उन्हें कंटरस्थ कर लिया था।

मुजे के साक्षिध्य में केशव के मन में क्रांतिकारी आंदोलन की प्रवृत्ति का विकास होने लगा। सन् 1904 में अन्य साधियों के साथ उन्होंने ब्रम बनाने का

1. मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भंगारक : डॉ. गी. मिशा, पृ. 198

तरीका सीखा था। यह सब डा. मुंजे के घर पर होता था। सन् 1905 में बंगाल विभाजन की खबरि नागपुर में भी सुनाई गई। इसी वर्ष मुंजे ने 'विद्याधी समाज' नामक संगठन की स्थापना की और केशव को रकूसी छात्रों को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई। भवानीशंकर नियोगी को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था। सार्वजनिक गतिविधियों में उत्साही मन और निःस्वार्थ कर्म के कारण केशव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। अपनी उम्र के वह अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने 'तिलक पैसा फंड' के लिए सफलतापूर्वक धन की डगाहो की थी। इस फंड का निर्माण स्वदेशी विचारधारा एवं डॉग को बढ़ाने के लिए किया गया था। नागपुर में स्वेदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए 'आर्य बांधव वीथिका' की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापकों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी पी. एस. खानखोजे थे। केशव इसकी माफत स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए विभिन्न विद्यालयों में जाया करते थे।

बांधव समाज

गोलह वर्ष की आयु में उन्होंने एक चर्चा मंडल की शुरूआत की। इसका उद्देश्य समवयस्कों में राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा एवं उनमें क्रांतिकारी गुणों का विकास करना था। इसका नाम 'देशबंधु समाज' था।¹ इस कार्य में भाकंडी कावरे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्धा में 'बांधव समाज' नामक मंस्ता खानखोजे के नेतृत्व में चल रही थी। जब वह नागपुर नील सिटी स्कूल में पढ़ने आए तो बांधव समाज की एक शाखा यहाँ भी खुली। तब 'देशबंधु समाज' ने उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। केशव व्यवहार बांधव समाज में जुड़ गए थे। इसकी दो शाखाएँ थीं। एक शाखा गोपनीय थी, दूसरी सबके लिए खुली हुई थी।

पोरीपंत अध्यक्ष, जमनालाल बजाज एवं भवानीशंकर नियोगी खुली शाखा के सक्रिय सदस्य थे तो खानखोजे और केशव गोपनीय शाखा के नेता थे। इस शाखा को 'समर्थ शिवाजी समाज' के नाम से जाना जाता था। इसका कार्य शस्त्र इकट्ठे करना और प्रांत के विभिन्न भागों में फैले क्रांतिकारी विचार वाले नीजवालों में समन्वय स्थापित करना था। इसके सदस्यों को भराठी में प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी:

* 1. बालगलालको हस्ताक्ष, भारद्व यूगल फॉर्म प्रोड्यूस, पृष्ठ 372.

'करिलो सन्मित्र हो निश्चये
आपल्या पुढे या पणा।
आईणी देहास देशकाऱ्यी मी
जे रुचे आपणा।'

(ते मेरे मित्र! मैं आपको गवाह मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी प्रिय मातृभूमि की सेवा में मैं अपने शरीर एवं आत्मा को अप्ति करता हूँ।)

इस समाज की लोकप्रियता एवं कार्यक्षेत्र मध्यप्रांत से बाहर भी फैला हुआ था।

बंदे मातरम् आंदोलन

मन 1907 का वर्ष नागपुर और केशव दोर्नी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष अंग्रेजी राज के छिलाफ इस फ़ाहर में संगठित छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई और इस कार्य की पोजना एवं क्रियान्वयन केशव के हारा ही हुआ।

बंग विभाजन के बाद सरकारी दमनघङ्क की तीव्रता पूरे देश में बढ़ती जा रही थी। बंगाल में, राजनीतिक आंदोलन में विद्यार्थियों की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने एक नोटिस जारी किया। इसके द्वारा विद्यार्थियों के राजनीतिक गतिविधियों अथवा आंदोलनों में भाग लेने पर प्रतिक्रिया लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त 'बंदे मातरम्' एवं 'तिलक महाराज की जब' जैसे नारे लगाने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यह नोटिस 'रिस्ले सकूलर' के नाम से प्रसिद्ध था। इसके पूर्व बंगाल में सरकार ने ऐसा ही एक 'कालाइल सकूलर' निकाला था। महर्षि अरबिंद घोष ने 'बंदे मातरम्' समाचार-पत्र में 'ट्रमीनिंग ऑफ रिस्ले सकूलर' नामक लेख लिखकर साधारणवादी सरकार पर आगेप लगाया कि वह छात्रों एवं युवाओं को देशभक्ति की धारा, भाष्य एवं कार्यक्रमों से विचित करके बौद्धिक जगत से दूर करना चाहती है; इसका वास्तविक उद्देश्य साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन को कमज़ोर करना है।

इस सकूलर का मध्यप्रांत में विरोध नागपुर से शुरू हुआ। मन 1907 के मध्य में विद्यालय निरीक्षक प्रतिवर्ष की भाँति स्कूल का पर्यवेक्षण करने नीचे सिटी स्कूल आए थे। जैसे ही निरीक्षक केशव की कक्षा में गए, सभी छात्रों ने उठकर एक साथ 'बंदे मातरम्' की जोरदार घोषणा से उनका स्वागत किया

और प्रत्येक कक्षा में इसकी मुनाफ़ावृत्त होती रही। केशव के सहपाठी गोविंद गणेश आवटे ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा —

'गुस्से मे लाल-पीले होकर विद्यालय निरीक्षक प्रधानाध्यापक जनार्दन विनायक ओक के कमरे मे गए और बिना बात किए अपनी होपी (hat) सेकर सीधे चले गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने विद्यालय प्रबंध समिति के चेयरमैन सर विपिन कृष्ण बोस को पत्र लिखकर दोषी छात्रों को 'अनुशासनहीनता' के लिए अवितंव सजा देने की मांग की।'

नागपुर के बरिष्ठ राष्ट्रवादी नेताओं को, जिनमें डा. मुंजे भी शामिल थे, इस घटना का पता पहले से नहीं था। नागपुर में हलचल मची, किन्तु किसी को यह आशा नहीं थी कि केशव के द्वारा ऐसी गई एक मार्गिष्ठ की तीली पूरे प्रांत में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को ज्वाला पैदा कर देगी। सर बोस ने अगले दिन स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें माफी मांगने की हिदायत दी। उन्होंने कहा — 'मैं स्वयं रात जो सोने से पहले प्रतिदिन बदे मातरम् गाता हूँ सेकिन स्कूल यह गाने के लिए उचित स्थान नहीं है। अतः आप सब अपनी गलती मानकर माफी मांग लें।' जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, सभी छात्रों ने केशव की अगुआई में और भी तेज स्वर में 'बदे मातरम्' की घोषणा की और क्रोधित बोस ने केशव की कक्षा के सभी छात्रों को निष्कासित करने के लिए पत्र जारी कर दिया।

स्कूल के अधिकारियों को इसका तनिक भी भान नहीं था कि छात्रों के बीच जबर्दस्त राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका है। केशव ने आंध्र से अंत तक की गोजना अलंकृत ही गोपनीय लिखे थे जबना रखी थी। विद्यालय प्रबंध समिति के निर्णय के विरुद्ध स्कूल के सभी दो हजार छात्र अनिश्चितकालीन हड्डताल पर चले गए। हड्डताल दो महीने तक चलती रही।¹ इस हड्डताल में नागपुर का मारिस कालेज भी शामिल हो गया। केशव के नेतृत्व में जुलूस, प्रभात-फेरी इत्यादि आम बात बन गई। अंततः अच्युतराव कोलहटकर की मच्यस्थता से स्कूल खुला। छात्रों ने समझाने-बुझाने तथा अपने माता-पिता एवं शिक्षकों के

1. गोविंद गणेश भावदे, महाराष्ट्र, 28 जुलाई, 1940, प. 12.

2. वही

3. वही

दबाव में माफी मांग लो। परंतु अकेले केशव ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने भरी सच्चा में कहा :

'अगर मातृभूमि की आराधना अपराध है तो मैं यह अपराध एक नहीं, अनश्चिन्त बार करूँगा और इसके लिए मिलने वाली सजा को भी सहर्ष स्वीकार करूँगा।'

फलतः सितंबर माह में केशव को विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया।¹ केशव ने इसे देशभक्ति वा प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। नागपुर में वह लोकप्रिय युवा नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नागपुर में इस घटना के बिरोध में छात्रों ने छिटपुट रूप से सरकारी अधिकारियों, यूरोपीय लोगों एवं राजभक्तों को 'बंदे मातरम्' की ध्वनिया से चिढ़ाना एवं फक्तियाँ कसना शुरू किया। मध्यप्रांत के मुख्य आयुक्त सर रेजिनलैंड क्राडोक ने पुलिस महानिरीक्षक सौ, आर, क्लीवलैंड को पढ़ लिखकर नागपुर की स्थिति पर अपनी चिंता जताई। उसने लिखा — 'पुलिस नागपुर में छात्रों की गुंडागर्दी से जिस प्रकार निपट रही है, उससे मैं एकदम संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सभी सम्मानीय लोग भयभीत होकर नागपुर से भाग जाएंगे।'²

पहली गिरफ्तारी

केशव के अध्ययन में एक वर्ष का व्यवधान उत्पन्न हुआ। परंतु उनको असली पढ़ाई तो क्रांति की भाषा एवं कार्रवाई थी। नागपुर से वह अपने चाचा आबाजी हेडमेनेर के पास रामपायली जाया करते थे। वह वहां रिवेन्यू इम्प्रेक्टर थे। केशव में समवयस्कों को प्रभावित एवं संगठित कर लेने को अद्भुत क्षमता थी। रामपायली में केशव के सहयोगियों का एक अच्छा दल-बल था। घटना 1908 की है। केशव ने अगस्त बाहर में पुलिस चौकी के ऊपर बम फेंका, जो निकट के तालाब के पास फटा।³ परंतु कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण उन पर

1. गोपींद गोपीनाथ आचार्य, महाराष्ट्र, 28 जुलाई, 1940 पृ. 12

2. पालिटिकल क्रिमिनल हूँज ह, द आफिस ऑफ द डार्कर्कर क्रिमिनल ईटीलिंडेस, जनवरी 1914, पृ. 97, ईडिशन हाइम, संदेश, स. व. पहाड़पे, 'डा. हेडमेनेर चाचा विहंग व बद्दी', केसी, दुनर्व 5, 1940, पृ. 5

3. मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, पृ. 214-215

4. पालिटिकल क्रिमिनल हूँज ह, वही, पृ. 97

मुकदमा नहीं चलाया गया। फिर दो महीने बाद दशहरे का उत्सव था। इस अवसर पर गंडव की सीमा के बाहर सीमोल्लंघन का कार्यक्रम होता था जिसमें बात-बढ़, स्त्री-पुरुष सभी इकट्ठे होते थे। इसमें राष्ट्रण का प्रतिष्ठा जलाया जाता था। परंतु इस वर्ष के सीमोल्लंघन का चरित्र कुछ और ही था। केशव के साथी पूरे कार्यक्रम पर हाली थे। उन्होंने केशव से एकत्रित विशाल जनग्रामनस को संबोधित करने का आग्रह किया। फिर क्या था? केशव ने धार्मिक अवसर का उपयोग राजनीतिक बेतना जाग्रत करने के लिए किया। अपने उग्र राष्ट्रवादी भाषण से उन्होंने पूरे बातावरण को गर्म कर दिया। उन्होंने लोगों को सीमोल्लंघन का अर्थ तब के संदर्भ में समझाया :

'आज हम अनेक प्रकार की भीमाओं से बचे हैं। उन्हें पार करना हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी भीड़ादायक और शर्मनाक बात हमारा परतंत्र होना है। परतंत्र रहना सबसे बड़ा अधर्म है। पापियों एवं परायीं का अन्याय सहना भी पाप है। अतः आज विदेशी दासता के विरुद्ध उठ गई होना, अंगेजों को मात समुद्र पार भेज देना ही सीमोल्लंघन का वास्तविक अर्थ होना। राष्ट्र-वध का आज तात्पर्य अंगेजी राज का अंत करना है।'

पूरे बातावरण में 'बंदे मातरम्' गूँजने लगा। प्रशासन एवं पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, वे सक्रिय हो गए। यह घटना आगे न बढ़े, इसलिए दमनकारी कार्रवाई शुरू की गई। केशव के दो साथियों—इबोर एवं भगोर को स्थानीय स्कूल से निकाल दिया गया और केशव पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 108 के तहत 'राजद्रोही भाषण' देने के लिए मुकदमा चलाया गया। नवंबर महीने में उनकी गिरफ्तारी की गई। परंतु भंडारा जिले के उदारवादी राष्ट्रवादियों, जिनमें प्रतिष्ठित बकौल पुरुषोंम सीताराम देव भी सम्मिलित थे, की पहल पर उन पर से मुकदमा बापस तो लिया गया परंतु रामपायली में भाषण देने पर एक साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

सफल विद्यार्थी

केशव ने अपनी लागत, ईमानदारी एवं मेहनत से प्रमाणित कर दिया कि एक सफल क्रांतिकारी सफल विद्यार्थी भी हो सकता है। नागपुर के चरिष्ठ राष्ट्रवादियों ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था लोकनायक एम. एस. अणे द्वारा संचालित

यवतमाल की राष्ट्रीय शाला में की। केशव वहाँ लोकनायक अपने की छत्रछाया में रहने लगे। उनके भोजन की व्यवस्था भी उनके ही घर पर थी। केशव के यहाँ आने के साथ ही 'बांधव समाज' की भी शाखा खुल गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दत्तात्रेय विष्णु आपटे थे। विद्यालय के शिक्षकों का भी रुक्षान क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति होना स्वाभाविक ही था। केशव ने विद्यार्थियों के बीच क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दीं। सन् 1909 में केशव के नामांकन के कुछ ही दिनों बाद यवतमाल की पुलिस चौकी के पास बम फटा। प्रशासन को इसमें इसी विद्यालय के छात्रों के हाथ होने का संदेह था, पर उनके पास प्रमाण नहीं था। विद्यार्थियों पर नजर रखने के लिए स्कूल के पास ही पुलिस चौकी बैठा दी गई। लेकिन इससे केशव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने लोकमान्य डिलक के राष्ट्रवादी तौर-तरीकों को यहाँ भी लागू किया। छात्रों ने 5 अप्रैल 1909 को हनुमान जयंती मनाई। इस जयंती के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया गया। स्वयं अणे ने अपने भाषण में उग्र राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त किया। उनके भाषण को आधार बनाकर उनका अधिवक्ता का लाइसेंस 31 मार्च 1910 तक निलंबित कर दिया गया¹ और कुछ दिनों के बाद राष्ट्रशाला को 1908 के अधिनियम 16 के अंतर्गत गैर कानूनी घोषित करके बंद कर दिया गया²।

तब केशव को पूना के समर्थ विद्यालय में भेजा गया और उन्होंने परीक्षा अमरावती के राष्ट्रीय विद्यालय से दी। दिसंबर 1909 में उनका परीक्षाफल घोषित हुआ और वह उच्च अंकों के साथ द्वितीय लेणी से उत्तीर्ण हुए। नेशनल कॉंसिल आफ एजुकेशन ने उन्हें प्रमाणपत्र जारी किया, जिस पर इसके अध्यक्ष राम विहारी बोस के हस्ताक्षर थे।

केशव की प्रबल इच्छाशक्ति के सामने पारिवारिक अड्डचर्ने, गरीबों और सम्यक का दमन सब पीछे छूट गया।

1. प्रोसिडेंस, काश्ल नं. 162-64. यह राजनीतिक 'ए' पृष्ठ 7, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

2. फायल नं. 26-41 यह राजनीतिक पार 'ए', जून 1910, पृ. 19, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

क्रांतिकारी जीवन

सन 1909-10 तक बंगाल एवं मध्यप्रांत के क्रांतिकारियों के बीच संवैध गहराने लगा था। क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल सबसे बड़ा था और मध्यप्रांत के राष्ट्रवादी नेता अपने प्रांत में आंदोलन को सबल बनाने के लिए बंगाल की ओर ही देख रहे थे। इस बीच दोनों प्रांतों में क्रांतिकारियों का आनाजाना भी शुरू हो गया था। माध्यमिक परीक्षा के बाद हेडरेलार का संपूर्ण समय क्रांतिकारियों के बीच ही बीतने लगा था। जब बंगाल से एक क्रांतिकारी माध्यवदास संन्यासी नागपुर आए, तब केशव को ही उन्हें भूमिगत रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह छह महीने तक नागपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में रहकर बाद में जापान गए थे। अतीपुर बम केस में फैसे क्रांतिकारियों के बचाव के लिए भी मध्यप्रांत में धन-संग्रह हुआ था और केशव पर नागपुर की जिम्मेदारी थी। इस घटयंत्र में अरविंद घोष का भी नाम शामिल था।

कलकत्ता देश के क्रांतिकारियों के लिए काशी के समान था। केशव के घन में भी कलकत्ता जाकर क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ने की अभिलाषा थी। उन पर सी. आई. डी. एवं पुलिस की निरंतर निगरानी थी। अतः अध्ययन की आड़ में हो वह जाते। सौभाग्य से माध्यमिक परीक्षा में वह अपेक्षित अंक प्राप्त करके द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। पद्धाई में उनकी सूचि विज्ञान के क्षेत्र में थी। माध्यमिक परीक्षा के बाद केशव ने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का काम करके धनोपार्जन अवश्य किया था, परंतु कलकत्ता जैसे महंगे शहर में रहने के लिए इससे कहाँ अधिक धन की आवश्यकता थी। उनकी निष्ठा एवं श्रेष्ठता ने प्रांत के तिलकवादी नेताओं का दिल जीत लिया था। वे भव उनके भविष्य के बारे में विचार मंथन में स्वतः ही लगे थे। केशव ने बचपन से अब तक अपनी किसी इच्छा, कठिनाई अश्वा कह के बारे में कभी मुह नहीं खोला था। डा. मुजे एवं उनके सहयोगी उनके इस स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। सबने मिलकर कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कालेज में उनका नाम लिखाने और वही लॉज में रहकर अध्ययन एवं अपेक्षित क्रांतिकारी गतिविधियों करने की व्यवस्था की। रामलाल वाजपेयी ने अपने जीवन चरित्र में इस घटना का उल्लेख

करते हुए लिखा है कि उनको कलकत्ता भेजने का अमली मकसद क्रांतिकारी संगठन संबंधी जामकारी प्राप्त करना एवं मध्यपांत और बंगाल के बीच सेना का काम करना था। उन्होंने लिखा है— 'श्री केशव हेडगेवर, आर. एस. एस. के संस्थापक, को श्री दादोसाहब बृटी को कुछ आर्थिक मदद दिलाकर शिशा की अपेक्षा पूलिन बिहारी दास (कलकत्ता के क्रांतिकारी) के हाथ के नीचे क्रांति एवं संगठन करने के लिए भेजा गया।' उनके रहने की व्यवस्था कलकत्ता के प्रेम गुजराल मार्ग पर स्थित 'शहत निकेतन' में की गई। स्थान की उपलब्धता न होने के कारण वह एक छोटे-से कमरे में दो अन्य छात्रों के साथ रहने लगे। इनमें एक अमरचत्ती के दादासाहब खापड़े के मुपुत्र अण्णासाहब खापड़े एवं दूसरे शंकरराव नाईक थे। रहने और खाने का मुख तो केशव को न तो बचपन में मिला, न ही अब। आगे के जीवन में भी उन्होंने अपने आप को इस भौतिक मुख से वंचित रखने में आनंद का ही अनुभव किया।

नेशनल मेडिकल कालेज की स्थापना डा. एस. के. मलिलक एवं महाराजा योनिंदा चंद्र नंदो एवं दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं की मदद से की गई थी। इस संस्था में देश भर के उन छात्रों को नामांकन दिया जाता था, जिन्होंने 'नेशनल कॉमिल आफ एजुकेशन' के तहत पढ़ाई की थी व्योकि उन छात्रों का सरकारी मेडिकल कालेज में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था। नेशनल मेडिकल कालेज में देश भर से छात्र आते थे और इसका अधिकार भारतीय चरित्र था। केशव के साथ अनेक मराठा छात्र वहाँ पढ़ने गए। चाई, एस. अणे, नारायणराव सावरकर, आठवले इत्यादि केशव के मित्रों में से थे।

जब वह कलकत्ता पहुंचे थे तब उस दौरान क्रांतिकारियों पर अंग्रेजी दमन का दौर चल रहा था। सरकार राष्ट्रद्रोही सभा अधिनियम, 1907, आपाधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट, 1910 के द्वारा क्रांतिकारी पत्रों, संगठनों एवं व्यक्तियों को दंडित करने, प्रतिबंधित करने एवं उन पर मुकदमा चलाने का काम कर रही थी। क्रांतिकारी संगठनों को, जिनमें बंगला बत्ती, अनुशीलन साधना समिति, आत्मोन्नति समिति प्रमुख थे, गैर कानूनी प्रोप्रिएट करके सरकार इनके संचालकों एवं कार्यकर्ताओं को धर-पकड़ कर रही थी। ऐसे प्रतिबंधित संगठनों की संख्या एकास ही। अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी, पूरे बंगाल में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं संगठित क्रांतिकारी संस्था थी। इसके संस्थापक पी. मित्रा थे। बंगाल के सभी प्रमिद-

क्रांतिकारी इसमें जुड़े हुए थे। इनमें अरविंद धोप, विपिनचंद्र पाल, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, नलिनीकिशोर गुह, प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्र चटजी आदि के नाम ढल्लेखुनोय हैं।

प्रतिबंध के बाद समिति एक गुप्त संमिति के रूप में परिवर्तित हो गई और इसके प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद समिति का नेतृत्व स्कूल एवं कालेजों के नौजवानों के हाथों में आ गया। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती ने अपनी जात्मकथा 'जेल में तीस वर्ष' में लिखा है कि समिति के सदस्यों में आपसी प्रेम, त्याग की क्षमता एवं गोपनीयता भरताने की आदत के कारण समिति की गतिविधियां मरकारी दमन के बाबजूद चलती रहीं।

हेडगेवार कलकाता पहुंचते ही अनुशीलन समिति में जुड़े गए। चक्रवर्ती ने लिखा है- 'जब हेडगेवार नेशनल मेडिकल के छात्र थे, तब बंगला में लिखो गई प्रथिदृ पुस्तक 'बंगलार विलयवाद' के लेखक नलिनीकिशोर गुह भी वहाँ पहुंच रहे थे। गुह ने ही हेडगेवार, नारायणराव सावरकर एवं जन्य छात्रों को समिति में प्रवेश दिलाया था।'

हेडगेवार ने जल्दी ही समिति में अपना विश्वसनीय स्थान बना लिया था। उनका लौंग धीरे-धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। भूमिगत अवस्था में श्यामसुंदर चक्रवर्ती यहाँ बदा-कदा आवा करते थे तो नलिनीकिशोर गुह महिल अनेक क्रांतिकारियों के ठहरने, छिपने, शस्त्रों को सुरक्षित रखने का म्यान भी बन गया था।

गुह ने उनकी भूमिका पर प्रकाश ढालते हुए लिखा है- 'हेडगेवार सब्द अर्थों में आदर्श क्रांतिकारी थे। समिति के सदस्यों के बीच वह रघनात्मक सोच एवं काम के लिए जाने जाते थे।' क्रांतिकारियों के बीच हेडगेवार का छद्म नाम 'कॉकेन' था और वे शस्त्रों के लिए 'एनाटोमा' शब्द का प्रयोग करते थे। समिति की प्रतिज्ञा भी कि समिति के अंदर कोई आतंक को इसके सदस्य कभी भी किसी को प्रकट नहीं करेंगे। अति गोपनीयता ऐसे कामों का आधार होता था। हेडगेवार की समिति के अंदर क्या भूमिका थी, इस पर ठोस सामग्री का अभाव है। परंतु इस समिति से जुड़े सभी प्रमुख क्रांतिकारियों ने उनकी भूमिका

1. त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, घटी इयर्स इन फ्रिजन, पृ. 277-78, अस्का बीटा पब्लिकेशन, कलकत्ता, 1963.

को सम्माननीय एवं उच्च स्तर का बताया है। जेल में 24 वर्ष व्यतीत करने वाले जोगेश चंद्र चट्टर्जी ने भी अपनी पुस्तक में उनकी अहम भूमिका खीकार की है।¹

अपने बीच वर्षों के कलकत्ता प्रवास में हेडगेवार वहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं एवं क्रांतिकारियों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आए थे।

श्यामरामदर चक्रवर्ती का उनके प्रति अग्रभूत प्रेम था। हेडगेवार का उनके भर आना-जाना लगा रहता था। अन्य क्रांतिकारियों की तरह ही चक्रवर्ती की आधिक हालत दयनीय थी। उनकी पुरी के विवाह में उत्पन्न आधिक संकट को दूर करने में हेडगेवार ने काफी तत्परता दिखाई। उन्होंने धन-संग्रह करके उन्हें अर्पित किया था। दूसरे प्रमुख राष्ट्रवादी मौलियी लियाकत हुसैन द्वारा आरोजित मभाओं, प्रभात-फैरिया में हेडगेवार अवश्य जाते थे। दोनों के बीच प्रगाढ़ा का हो परिणाम था कि हेडगेवार के निवेदन पर हुसैन ने 'फैज कैप' पहनना बंद करके गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया था।²

हेडगेवार मोतीलाल पोष, डा. आशुतोष मुख्यजी जैसे लोगों के निकट रहे और रामबिहारी चोपड़ा तथा विपिनचंद्र पाल से भी उनका पारचय हुआ। हरदास ने उनके चरित्र पर प्रकाश ढालते हुए लिखा है कि 'हेडगेवार ने अपने साम्बिक चरित्र, प्रतिबद्धता और अस्वाधारण संगठन कौशल से नीजबान क्रांतिकारियों का दिल जीत लिया था और उनके प्रति भक्तिभाव रखने वाले देशभक्तों की एक बड़ी जमात थी।'³

हेडगेवार बंगाल एवं मध्यप्रांत को क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच कड़ी का भी काम कर रहे थे। मन् 1910 से 1915 के बीच बड़ी मात्रा में पिस्तौल एवं अन्य शस्त्र बंगाल से मध्यप्रांत भेजे गए थे। हेडगेवार जब भी नागपुर आते थे तब अपने साथ छिपाकर शस्त्र लाया करते थे।⁴

1. जोगेश चंद्र चट्टर्जी, इन सच्च शीर्ष प्रौढ़म्, पृ. 27

2. गत्तुल्य रम शेष, माझने रिल्यू, मार्च 1941

3. बालकान्ती हरदास, आर्थ स्ट्रेल परी प्रौढ़म्, पृ. 373

4. डॉ. चो. केनकर, रणजुगाकर, गो. सी खानखोजेधारा चरित्र, पृ. 12

मध्यप्रांत की सरकार ने 1912 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि नागपुर के आंदोलनकारी बंगाल के क्रांतिकारियों से जुड़े हुए हैं। हेडगेवार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए गोपाल वासुदेव केतकर को मध्यप्रांत से कलकत्ता भेजा गया था। वह मरकारी जामूस था और नेशनल मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने में सफल हो गया था। परंतु बल्दौ ही इस पर से पर्दा उठ गया और चेतकर को उपहास एवं शारीरिक प्रताङ्गन का सामना करना पड़ा था। नागपुर में पुलिस ने हेडगेवार एवं डा. मुजे के घरों की दो बार तलाशी ली थी परंतु उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। इस प्रकार सरकार हेडगेवार के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी।

क्रांतिकारी आंदोलनों में अपनी भूमिका के साथ-साथ उन्होंने बंगाल के दो जन-आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। सन् 1911 में दिल्ली दरबार के बहिष्कार आंदोलन में वह शारीरिक हुए थे तो 1914 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय मेडिकल कालेजों की डिशी न जानने के खिलाफ जबर्दस्त जनभत तैयार करके आंदोलन चलाया था।

सरकार के निर्णय के पीछे नेशनल मेडिकल कालेजों के छात्रों की क्रांतिकारी प्रवृत्ति मुख्य कारण थी। 'आनंद बाजार पत्रिका' ने 16 नवंबर 1915 को संपादकीय लिखकर इस कानून का विरोध किया। पत्रिका के संपादक नौसेलाल धोष ने हेडगेवार को हर तरह की मदद देकर आंदोलन को मजबूत स्वरूप प्रदान किया। मुरेदनाथ बनजी भी आंदोलन से जुड़ गए एवं कलकत्ता में विशाल जनसभा आयोजित की गई।

हेडगेवार ने नागपुर पहुंचकर इस आंदोलन के समर्थन में सभा का आयोजन किया और इसमें बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।¹ अंततः सरकार को 1916 में ही इस काले कानून को वापस लेना पड़ा।

इन सब गतिविधियों के बावजूद उनकी प्रतिभा परोक्षाओं में चमकती रही। उन्होंने मित्तेवर 1914 में 70.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करके मेडिकल की डिशी हासिल की। वह हर वर्ष की परीक्षा में अपने उत्तम स्तर का परिचय देते रहे। सन् 1911-12 में उन्हें फिजियोलॉजी में विशेष योग्यता मिली और 1912-13

1. जितवार, 12 फरवरी 1916, पृष्ठ 7

में उन्हें पुनः यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने व्यावहारिक चिकित्सक का कार्य करने के बाद 1915 के मध्य में दो महीने तक कालकाता के विक्टर अस्पताल में प्रशिक्षण हेतु कार्य किया था। जन 1914-15 तक बंगल में क्रांतिकारी अंदीलन कमज़ोर पड़ चुका था। इसका कारण सरकारी दमन के साथ-साथ क्रांतिकारियों में महाभेद, आपसों फूट और हतशा थी। हेडगेवर डॉक्टर के रूप में नामापुर लैटकर आए। प्रथम विश्वयुद्ध सूख हो चुका था और भारतीय राष्ट्रवाद को परीक्षा की शहड़ी लथा राष्ट्रवादियों की दूरदृष्टि को परेख भी शुरू हो गई थी।

प्रथम विश्वयुद्ध और डा. हेडगेवार

जनवंबर 1914 में भारत सरकार के क्रिमिनल ईंटेलिजेंस अफिस ने 'भारत के राजनीतिक अपराधियों' को एक पुस्तका प्रकाशित की। इसमें सिर्फ उन लोगों को शामिल किया गया था 'जो क्रांतिकारी संगठनों और गतिविधियों गे जुड़े थे' और 'जिन्हें बग और दूसरे विस्फोटक बनाने आते थे'। यह पुस्तक एवं ईंटेलिजेंस के बीच 'बुक 1914' के रूप में जानी जाती थी। इसमें मध्यप्रांत से डा. हेडगेवार का नाम शामिल था और उनकी शारीरिक संत्वना एवं नील सिटी स्कूल से लेकर अनुशोलन समिति तक की उनकी सभी गतिविधियों को जानकारी दपलख्य कराई गई थी।

यही कारण है कि प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद जब उन्होंने 1915 में ब्रिटिश सेना की चिकित्सा मेवा के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए लौटा दिया गया था। उस वक्त मायाज्वादी सरकार की सेना के चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों की मरुत आवश्यकता थी। डा. हेडगेवार ने कलकत्ता में अपने माधियों के साथ योजना बनाई थी कि सेना में घुसकर 1857 की तर्ज पर विद्रोह किया जाए। यह उनके प्रथम विश्वयुद्ध के प्रति दृष्टिकोण को साफ तीर पर प्रतिविवित करने वाली घटना है।

सन् 1915 के अंत में यह नागपुर वापस आए। मध्यप्रांत के राष्ट्रज्वादी नेता भी देश के अन्य राष्ट्रज्वादियों की तरह सामाज्यवादी झांसे के शिकार थे। इस बात का धम पैदा किया गया था कि ब्रिटेन विश्वयुद्ध में जीतने के बाद भारत को 'डोमिनियन स्टेट्स' प्रदान कर देंगा।

महात्मा गांधी एवं बाल गंगाधर तिलक तथा उनके समर्थक दोनों ही युद्ध में ब्रिटेन की महायता के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे थे। मध्यप्रांत की तो हालत ही कुछ दूसरी थी। मायाज्वादी युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से सहने के लिए नीजवानों को प्रेरित किया जा रहा था और इसके लिए 'प्रोतीय चयन भारीमति' में प्रांत के सभी प्रमुख लिलकवादी नेता शामिल थे। जी.एम. खापड़े इसके अध्यक्ष थे तो डा. मुंजे और नीलकंठराव उधोजी क्रमशः सचिव

एवं उपाध्यक्ष थे। लोगों में इस बात की प्रतिक्रियाएँ थीं कि जौन कितने लोगों का चयन करने में सफल होता है। डा. मुजे ने सरकार को पत्र लिखकर यहां तक कहा था कि 'मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हमारा प्रांत अकेले ही सुप्रिसित एवं पढ़े-लिखे, तेज एवं गठीसे बदन वाले पचास हजार से एक लाख नौजवानों को सेना में क्यों नहीं भर्ती करा सकता है।'¹

डा. हेडगेवार इससे क्षुध्य थे, परंतु उनके अल्पविद्यालय एवं उत्तराह में लेश-मात्र भी कमी नहीं आई। वह अपने मत पर कायम थे कि 'ब्रिटेन का मंकट भारत के लिए सुअवसर है।' वह चाहते थे कि ब्रिटेन की सैन्य कमज़ोरी का लाभ उठाकर देश को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए मंगठित प्रयास होना चाहिए। उन्होंने प्रांत के राष्ट्रवादी नेताओं से संवाद शुरू किया। 'एकला चलो रे' के सिद्धांत को आत्मसात करके डा. हेडगेवार 'सहयोग की जगह विद्रोह' का ध्येय लेकर निःसंकोच एवं विभेदता के साथ सक्रिय थे। उनके प्रयास से नीलकंतराव उधोजी, एम.आर. चोलकर, भवानीशंकर नियोगी, ल. वा. परांगपे एवं नारायणराव अलेक्हर ने सरकार की भर्ती प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर दिया।²

जहां प्रांत के अधिकारी राष्ट्रवादी नेता ब्रिटेन की सफलता के लिए जन एवं भन इकट्ठा करने में लगे हुए थे, वहीं डा. हेडगेवार ने भारत की स्वतंत्रता का साथ सामने रखकर फरवरी-मार्च 1916 से क्रांतिकारियों एवं साधनों को मंगठित करने का महत्वाकांक्षी प्रयास शुरू कर दिया। इस बीच वह तिलक के होम रूल आंदोलन से भी थोड़े समय के लिए जुँड़े। परंतु इसके मंचों से उनके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के उत्तरीके से प्रतिष्ठान पर स्थानीय होम रूल नेताओं ने आपलियां उठानी शुरू कर दी। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने जाप को इससे अलग कर लिया।

विद्रोह की योजना

मध्यप्रांत में सशस्त्र विद्रोह के लिए क्रांतिकारी दल के गठन में उन्हें अपने

1. भूमि पेपर्स, फरवरी ३, १९१८-१९, मैट्टल इम्प्रिंट हायरहाल्ट एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

2. भूमि पेपर्स, वही

3. हिलवाद, 29 जून, 1918, प. 7

बचपन के साथी भाऊजी कावरे का सहयोग मिला। वे दोनों एक-दूसरे को 1908 से जानते थे और एक-दूसरे पर भरोसा करते थे। उनके दृष्टिकोणों में भी समानता थी। उन दोनों ने प्रोत का तूफानी एवं ज्यापक दौरा सुरु किया। पुस्तिका को ध्वनि करने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक मंच का गठन किया जिसका नाम था 'नरेंद्र मंडल'। इसी के तहत बैठकों का आयोजन किया जाता था। इसके अतिरिक्त विवाह एवं अन्य सामाजिक अवसरों पर भी धन संग्रह का काम किया जाता था।

नागपुर एवं वर्धा में क्रांतिकारियों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए व्यायामशालाओं एवं वाचनालयों की स्थापना की गई। नागपुर में आण्णा छोत एवं वर्धा में हरेकृष्ण जीजी ने इस काम में डॉ. हेडगेवार की महाव्यता की। लरुणों के चयन में उनके ज्ञात्पविष्ट्वास, उनकी त्याग-क्षमता, साहस और आदेश मानकर काम संपन्न करने की इच्छाशक्ति इत्यादि बारें देखी जाती थीं। एक बार तो तीन लरुणों को कुएं में कृदने का आदेश दिया गया। उनमें से एक तैयार हुआ और दो ढर गए। उन्हें मैजिनी एवं जौन आळ आर्क की जौखनी, शिवाजी की यशोगाथा, सावरकर द्वारा रचित 'ईंडियन बार ऑफ ईंडिपेंडेंस', बंगाल के क्रांतिकारियों की कहानियां इत्यादि साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाता था। इस प्रकार डॉ. हेडगेवार राष्ट्रीय भावना से प्रेरित तरुणों को राष्ट्रवाद के सभी आधारों से परिचित कराकर प्रबल इच्छाशक्ति युक्त क्रांतिकारी बनाना चाहते थे। उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को नजदीक से देखा था। यिन्हें भावना के उफान में इससे गुड़ने वाले क्रांतिकारी थोड़े दमन अथवा क्षणिक असफलता या किसी सहयोगी से मतभेद के बाद क्रांतिकारी छोड़ जाते थे। उन्होंने मध्यप्रांत में सभी कस्टियों पर खरे उत्तरे 150 क्रांतिकारियों का दल खड़ा किया। नानासाहब टालादुले निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे तो भर्माधिकारी को गोला एवं अन्य स्थानों से शस्त्र लाने के लिए खेजा जाता था। गंगा प्रसाद पांडे एवं वामनराव भर्माधिकारी क्रांतिकारी के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्हें डॉ. हेडगेवार विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया करते थे।

नानासाहब टालादुले निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे तो भर्माधिकारी को गोला एवं अन्य स्थानों से शस्त्र लाने के लिए खेजा जाता था। गंगा प्रसाद पांडे को बीस तरुण क्रांतिकारियों के साथ उत्तर भरत भेजा गया। पांडे ने राजस्थान में अजमेर को अपना केंद्र बनाया। वहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चांद करण शारदा ने पांडे को भरपुर सहयोग दिया। नागपुर के वरिष्ठ चकोल

चौं, चौं, केलकर भी इस दल से जुड़े थे। बालाजौ हुद्दार को उस क्रांति दल से उन्होंने ही जोड़ा था। हुद्दार ने इसे 'गुप्त फड़संभिकारी दल' की संज्ञा दी है।¹ बधी के नानाजी पुराणिक एवं बछूराव पुराणिक प्रांत में दौरा करके नए तरुणों से संपर्क स्थापित करने का कार्य करते थे। डा. हेडगेवार एवं भाकली कास्वरे प्रशिक्षित तरुणों को शिक्षाजी पर्व समर्थ यामदास के नाम पर देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्योडावर करने की शपथ दिलाया करते थे।

क्रांतिकारी तरुणों की बैठकें नागपुर में तुलसी बाग, कर्नल बाग, मंहितेवाडा एवं मंटिरों में हुआ करती थीं। शस्त्र एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए थे। वामनराव धर्माधिकारी एवं तेलंग को गोदा में 1917 के अंत में प्रिसौल खरीदने के लिए भेजा गया था। सन् 1918 के अरंभ में क्रांतिदल के तरुणों ने सैनिक वेश धारण करके नागपुर से जाने वाली गोला-बालूद को पेटियों को ट्रेन में उतार लिया था। डा. हेडगेवार ने कुछ तरुणों का विशेष रूप में चयन करके उन्हें स्त्री वेश धारण करवाकर वह बार शस्त्रों की चोरी कराई।

डा. हेडगेवार ने पंजाब, राजस्थान एवं कुछ अन्य भागों में क्रांतिकारियों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया था। घंगाल में अनुशोलन सभिति के अनेक सदस्य उनके संपर्क में थे। नागपुर में एकत्रित शस्त्रों एवं धन को जरूरत के अनुसार बाहर के केंद्रों पर भेजा जाता था।

उधर विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति जर्मनी के बाद सुदूर हो गई एवं ब्रिटिश पुलिस का ध्यान भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने पर केंद्रित होता जा रहा था। डा. हेडगेवार को तिलक से सहयोग की अपेक्षा थी। वह डा. मुंजे का पत्र सेन्कर उनसे प्रिलिने पूता गए। दो दिनों तक वह उनके साथ रहे हैं वह चाहते थे कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा देश में क्रांति करने के साथ-साथ विश्व के अनेक हिस्सों में की जाए। इस बात का कोई तथ्य विद्यमान नहीं है कि डा. हेडगेवार का विदेशों में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों से कोई संपर्क था जा नहीं। परंतु पी.एस. खानखोजे के जरिए उन्होंने गवर गार्टी

1. बालाजौ हुद्दार, द आर. एस. एंड नेताजी, द इलम्स्ट्रेटेड चॉकली आफ हिंडिया, 7-13 अक्टूबर, 1979, पृ. 23

2. द गणराज आफ महाराष्ट्र स्टेट नागपुर डिवीजन, 1966, पृ. 113

मेरे संभवतः संपर्क बनाया हो। तिलक ने डा. हेडगेवर के प्रस्ताव को अध्यावहारिक बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

दूसरी तरफ अनेक माध्यधानियों के बावजूद कुछ क्रांतिकारियों के अध्यावहार एवं चाल-चलन पर डा. हेडगेवर को संदेह होने लगा। बालाजी हुदार के अनुसार क्रांतिदल में महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव होने लगा था और क्रांतिकारियों में दो दल बनते जा रहे थे।

इ. हेडगेवर ने, इसके पूर्व कि क्रांति की योजना की मुख्या एवं प्रमाण पुस्तिकारण के तात्पर्य लाने और निर्दोष देशभक्तों पर साम्राज्यवादी जूल्प होने, सभी साक्ष्यों को मिटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले क्रांतिकारियों को विभिन्न केंद्रों से बापस बुलाया गया, फिर शहरों को नष्ट किया गया। इस कार्य में आप्पाजी जोशी एवं उनके दूसरे विश्वासापात्रों ने मदद की। उनकी व्यानसिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है जब उन्हें अपने ही हाथों से अपने द्वारा तीन साल के अध्यक परिक्रम से तैयार योजना, शहरों एवं क्रांतिदल को नष्ट करना पड़ा। लेकिन इस दुखदायी क्षण में भी उनका संतुलन बना रहा।

डा. हेडगेवर साम्राज्यवाद से ममझीता या उसके प्रति नाम रुख को राष्ट्रव्याद के प्रति अन्याय मानते थे। किसी नेता, संगठन अधिका व्यक्ति के प्रति ब्रह्मा की उनकी एक ही कसीटी थी— उसके द्वारा मानवभूमि के लिए त्याग, पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन और निःस्वार्थ भाव से देश-सेवा। अतः तिलक के प्रति उनके मन में असीम ब्रह्मा एवं आदर का भाव होना स्वाभाविक हो था। जब तिलक मांडले जेल में थे, तब उनके कारावास के दौरान डा. हेडगेवर ने उनकी भंगलकामना के लिए एकादशी का व्रत रखा था। वह तिलक की आलोचना बदायत नहीं कर पाते थे।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उन्होंने यह सांवित कर दिया कि वह व्यक्ति नहीं, उसके कर्मों की पूजा करते हैं एवं उनकी किसी व्यक्ति के प्रति ब्रह्मा भी उसके अच्छे कर्मों के अनुपात में होती है। इस संबंध में डा. हेडगेवर एवं उनके बालमित्र गोविंद गणेश आवदे का संवाद उनके जीवन-मूल्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। आवदे तिलक की प्रेरणा से ब्रिटेन की सेना में भर्ती हुए थे। हेडगेवर ने इस पर उनसे कहा :

“तुमने यह प्रशिक्षण ब्रिटेन के लिए सुदृढ़ लड़ने के लिए लिया। तुम्हारे

इस सैन्य प्रशिक्षण में देशहित का कुछ लेना-देना नहीं है। अगर तूम युद्ध लड़ने मोर्चे पर गए होते और दुर्भाग्य से मारे जाते तो तुम्हारी मूल्य को सामाज्यवाद को मजबूत करने वाला अपवित्र कार्य माना जाता।”¹

आवदे ने जब प्रत्युत्तर में यह कहा कि उन्होंने ‘अपने पूर्ण नेता लोकमान्य तिलक की लेखनी से प्रभावित होकर ऐसा किया था’ तब डा. हेडगेवर ने उन्हे समझाते हुए कहा — ‘लोकमान्य के द्वारा दिए गए सुझाव को भी सोच-विचार कर ही अपनाना चाहिए।’

प्रथम विश्वयुद्ध के प्रति तिलक के दृष्टिकोण से डा. हेडगेवर को असंतुष्ट थी तभी तो ‘उनके मन में तिलक के प्रति जो लंबे समय से आदर का भाव था उसमें थोड़ी कमी आ गई।’²

डा. हेडगेवर की सशस्त्र क्रांति वो योजना भले ही असफल रही, परंतु सामाज्यवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण एवं सामाज्यवादी युद्ध का उनका मूल्यांकन सत्य साचित हुआ। डा. हेडगेवर शुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर सभी प्रकार के समझौतावादी तीर-तरीकों एवं नेतृत्व को आजीवन अस्वीकार करते रहे।

1. गोविंद गोप्ता आवदे, महायज्ञ, 28 जुलाई 1940, पृष्ठ 12.

2. डॉ. वी. केलकर, ‘द अमेरिकन एम.’ इकॉनॉमिक वीकलो, 8 फरवरी, 1948.

आत्मदर्शन

क

लकड़ा में अध्ययन पूरा करके डा. हेडगेवार 1915 के अंत में जब नागपुर वापस आए तब उनके परिवार में आगा एवं खुशी की लहर का कोई ठिकाना नहीं था। उह वर्ष पूर्व वह अपने परिवार को जिस रूप में छोड़कर गए थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी ही थी। जीविकोपार्जन का साधन बीरोहित्य का ही कार्य था। सीताराम पंत परिवार की गाही को किसी तरह छाँच रहे थे। अतः परिवार के सदस्य का चिकित्सक बन जाना स्वाभाविक रूप से निर्भर परिवार के लिए खुशी की बात थी।

पूरे मध्यप्राति में उस समय भाजे 75 चिकित्सक थे। प्रांत की इतनी छड़ी जनसंख्या के लिए यह संख्या बहुत ही कम थी। अतः किसी नए चिकित्सक के लिए अपने व्यवसाय में सफल होना कोई कठिन कार्य नहीं था। परंतु डा. हेडगेवार परिवार को आर्थिक हालत, स्वजनों एवं भिन्नों की अपेक्षाओं ने तनिक भी विचिलित नहीं हुए। किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह कितना कठिन निर्णय है कि वह अपने प्रियजनों एवं परिवार को मंडप में देखाकर भी अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय का उपयोग धोनोपार्जन में न करके समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हितों में करता है। निश्चय ही उसके अंदर अध्यात्मजनित देशभक्ति की भावना ग्रबल रूप में विद्यमान रहती है। डा. हेडगेवार अपने परिवार से कटे नहों, और भी जुड़ गए। सीताराम पंत एवं उनकी पत्नी ने उन्हें आदर एवं सम्मान का स्थान दिया। आग्रेन्ड ने लिखा है कि 'भौतिक मंपदाओं की कमी की पूर्ति तुदय की विशालता से हुई।'

व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा एवं परिचर साक्षात्कार स्वर्य से साक्षात्कार होता है। इसे आमतौर पर एवं आत्मदर्शन कह सकते हैं। व्यक्ति अपने 'स्व' को समझाकर अपना मूलहंकरन करता है तो उसे भौतिकता आकृष्ट नहीं कर पाती है। आध्यात्मिक मन एवं शुद्ध चित्त से वह अपनी भूमिका निश्चित कर पाता

है। डा. हेडगेवार ने भी आन्ध्रमासाल्कर किया था तभी तो उनका निर्णय स्वबोध, स्व-प्रियेक एवं स्वेच्छा से हुआ करता था। किसी मठ अथवा गुरु की शरण में जाकर उन्होंने अध्यात्म को शिक्षा नहीं ली थी। परंतु जो मौलिक चिंतक, उच्च आदर्शों एवं असाधारण दृच्छाभक्ति का व्यक्ति होता है वह तो आत्ममंथन की प्रक्रिया से ही आपने उए गए, नई भूमिका एवं नए दर्शन की खोज कर लेता है।

डा. हेडगेवार ने ब्रह्मचर्य का पालन करके परिवारिक जीवन से दूर रहकर राष्ट्र-आवाधन का ब्रत लिया जिसने उनके परिवार, भिन्ने एवं शुभचिंतकों को चिंता एवं आश्रय में ढुको दिया। डा. हेडगेवार के विवाह के लिए चौतरफा दबाव पढ़ रहा था, परंतु वह तो अपना मार्ग पहने ही निर्भरित कर चुके थे। उनके द्वितीय जपने निर्णय से अवगत करने पर उन्होंने समझाने-कुञ्जने का चिलिंगिला शुरू हो गया। डा. मूर्जे से लेकर उनके 'लीर्थस्वरूप'¹ आचारा आवाजी हेडगेवार ने अपना पूरा जीव लागा लिया, परंतु उनकी रचनात्मक सौच एवं साकारात्मक संकट^१ के सामने सभी नतमस्तक हो गए।

उनके सबसे बड़े भाई महादेव लास्त्री को, 1916 के अस-पास नागपुर में फिले लेग की बीमारी से मृत्यु ही गई थी। सन् 1917 में सीताराम पत्न का विधाह ही गया। इसके बाद आवाजी ने एक लंबा पत्र लिखकर डा. हेडगेवार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा था — 'परिवार में रहकर भी देश सेवा को जा सकती है। आज के दिन भी ऐसे एक नहीं, अनेक गण्डभक्तों के उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं। परिवार राष्ट्र कार्य में बाधक होने की बाहर जीवन को संपूर्णता देकर उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ही करता है। यह जीवन को संतुलन प्रदान करता है। परिवार को आगे बढ़ाना ही बड़ा दायित्व है जितना देश सेवा करना।'

आवाजी के प्रति डा. हेडगेवार के मन में अपार अद्भुत थी। दोनों में उतनी ही निकटता थी। आवाजी को हा. हेडगेवार की राष्ट्रभक्ति के कारण सरकारी नौकरी से हाथ घोना पड़ा था। 1908 में रामपायली में जब डा. हेडगेवार पर 'राजदीह' का मुकदमा चला था तब से सरकारी कुटूंबि आवाजी पर थी और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। आवाजी को ज से नौकरी से हटने का दुख

1. डा. हेडगेवार अपने जीवन को 'लीर्थस्वरूप' के संबोधन से प्रति विद्युते से

था न ही हेडगेवर को उग्गा राष्ट्रवाद प्रेरित गतिविधियों पर कोई आपत्ति थी। उनके ल्याग एवं उनसे हेडगेवर को मिलते रहे संरक्षण के कारण निश्चय ही हेडगेवर पर उनका सबसे अधिक नैतिक अधिकार था। लेकिन डा. हेडगेवर आवाजी के पत्र में तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनका निर्णय क्षणिक भावनाओं अथवा बाहु जगत से प्रेरित नहीं था। उसके पीछे तो स्थायी भाव और भविष्य को सुनेतियों से जुड़ने का अदम्य आंतरिक बल था। उन्होंने अपने चाचा को लंबे पत्र के द्वारा अपने निर्णय की गहराई से अवगत कराया। उन्होंने लिखा— 'विवाह न करने का निर्णय मैंने मोच-ममझकर लिया है। घर-गृहस्थी बसाकर मैं परिवारिक दावरे में सिमटा, जीविकोपार्जन की चिंता में उलझा नहीं चाहता हूँ। मेरे मन में जो भावना है, वह है राष्ट्र के प्रति तन-मन-धन से सेवा करने की। मैं राष्ट्र को विदेशी दासता से मुक्त देखना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे हिमा एवं अहिंसा दोनों ही मार्ग प्रिय हैं। हिंदुस्थान की दासता नई नहीं है। दासता की शुखला रही है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न मेरे मन को उढ़ालित करता रहता है।'

'हम आज यदि अतिंत्र हैं तो इसका कारण हमारी कल्पता है। हमें एक राष्ट्र, शुद्ध राष्ट्रीयता और भ्रातृत्व का बोध नहीं है। तभी तो मुझी भर अंग्रेजों ने करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीर में बोध रखा है। न सिर्फ़ क्रांतिकारियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बल्कि महात्मा गांधी के अनुयायीयों को भी यातना दी जा रही है। पैंडित अर्जुन लाल शेठी अहिंसाकारी हैं और कारावास में उन्हें घोर कष्ट का सामना करना पड़ा।'

'मेरे मन में प्रश्न उठता है—क्या हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकते हैं? और इसका समाधान मुझे राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में दिखाई पड़ रहा है। मेरे मन, तन, बुद्धि, विवेक, ज्ञात्वा सब में एक ही बात का बोध है कि यदि राष्ट्र को संगठित करने, राष्ट्रीयता का प्रसार करने, लोगों में हीनता का भाव दूर करने का कार्य किया जाए तो जीवन का इससे बड़ा सकारात्मक सदृप्योग और कूछ भी नहीं हो सकता है।'

'यह सत्य है कि विवाहित रहकर भी नारायणराव, विनायकराव सावरकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि देशभक्तों ने राष्ट्र के लिए अथक कार्य किया है। परंतु मेरे मन की खुलावट भिज है। मैं विवाह के लिए एकटम प्रेरित नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे हर क्षण सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों का बोध होता

रहता है और मैं अपने एक शरीर, एक आत्मा और एक मन को बाट नहीं सकता हूँ। मैं विवाह करके किसी कन्या को मेरी बाट जोड़ने के लिए लौटना नहीं चाहता हूँ, न ही घर में अंधेरा करके सामाजिक दायित्वों में मग्न रहने की मेरी इच्छा है।

'आज मेरे मन में किसी प्रकार का अंतर्दृढ़ महीं है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। यह निर्णय मेरी प्रकृति के अनुकूल है।'

इस प्रकार उनके परिवार, मित्रों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके निर्णय को अंततः स्वीकार कर लिया। यह संन्यास का जीवन व्यतीत करने में सुख का अनुभव करते रहे। परंतु उन्होंने संन्यासी की एक नई परंपरा को जन्म दिया। वह समाज के बोच रहकर सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं, विरोधाभासों और समस्याओं से जूझते रहे।

इस प्रकार उन्होंने अपने मार्चजनिक जीवन को एक नया मोड़ दिया। यह सकारात्मक समर्पण उनके जीवन में अंतिम मास तक बना रहा। राष्ट्रीय जीवन में उन्होंने अनेक चंचों, मार्गों एवं भाष्यमांस से अपनी उर्जा को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था और निष्कलंक रहकर वह मर्वर्च ममानित होते रहे। उनकी मृत्यु के बाद 'केसरी' ने उन पर अपने संपादकीय में लिखा था—'विकित्ता व्यवसाय के लिए पूर्ण रूप से योग्य होने के बावजूद उस व्यवसाय में न जाने एवं विवाह न करने का निर्णय राष्ट्रसेका के भाव से प्रेरित था और अपने इस द्वात को उन्होंने जीवनपर्यात निभाया।'

देशभक्ति की कस्तीटी

यह अपना परिचय 'देशभक्त' विशेषण से कराना अस्वाभाविक मानते थे। जब एक सभा में कहा गया कि 'यह महान देशभक्त है' तब उन्होंने कहा—'यह परिचय अपमानास्पद है। यदि कोई मेरा यह परिचय कराए कि 'मैं मनुष्य हूँ' तो मुझे कैसा लगेगा? नया यह अपमानास्पद नहीं होगा? क्या यह न समझा जाए कि मैं मनुष्य हूँ— यह खास तीर पर न बताने पर लोग हमें मनुष्य नहीं समझेंगे, ऐसा मुझमें कुछ अवश्य है? इसी तरह 'यह देशभक्त है'—ऐसा कहने

पर मुझे लगता है कि क्या कुछ दिखाने का यत्न तो नहीं है कि 'मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ। किसी भी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस देश का जन्मजात 'भक्त' होता है। और उसे ऐसा ही होना चाहिए।'

उन्होंने प्रधलित राजनीतिक जीवन में देशभक्ति का राग अलापने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न केवल हमारे देश में है। अन्य किसी भी देश में ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न संभव नहीं। देशभक्त जन्मते हैं, बनाए नहीं जाते। देशभक्ति का बोध तो मां की गोद से ही होने लगता है। यह स्वयंसिद्ध है।' यह देशवासियों को देशभक्तों एवं गैर-देशभक्तों की क्षेत्रों में नहीं बांटना चाहते थे। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता एवं चेतना के अनुसार देश के लिए समर्पित होता है। अतः यह भाषना तो सामान्य बात है। यदि कुछ असामान्य है तो 'देशद्रोह', और ऐसे ही मुट्ठी-भर लोगों को समाज के साथने परिचित कराने की आवश्यकता है।

उन्होंने देशभक्ति को दस सूत्री कल्पीती बताई है, जो निम्नलिखित है :

- देशभक्ति का अर्थ है—हम जिस भूमि एवं समाज के लिए जन्मे हैं, उस भूमि एवं समाज के लिए आत्मीयता और प्रेम;
- जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, उसको परंपरा एवं संस्कृति के प्रति लगाव एवं जादर;
- समाज के जीवन-मूल्यों के प्रति विवेकपूर्ण निष्ठा;
- समाज/राष्ट्र के उत्कर्ष, विकास के लिए, सर्वस्व समर्पण करने के निमित उत्सृत करने वाली प्रेरणा शक्ति;
- व्यक्ति निरपेक्ष रहकर समाजिनिष्ठ जीवन का पवित्र गंगा प्रवाह;
- भौतिकताओं से दूर रहकर गातुभूमि और उसकी संतानों की निःस्वार्थ सेवा;
- व्यक्तिगत आकांक्षाओं से अधिक राह की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को महत्व;

- नात्मभूमि के चरणों में अनन्य निःस्वार्थ, कर्तव्य कठोर जीवन कुसूमों को नाटक सुरांश भरना;
- ममाज परं दाष्ट को ही सर्वोच्च देवी-देवता मानकर उसी की आराधना करना; और
- संपूर्ण समाज में एकात्म-भाव का आविष्कार करना।

इन्हीं क्रस्तीटियों पर वह संगठनकर्ता एवं संघर्षशील व्यक्ति के रूप में कार्य करते रहे।

कांग्रेस में प्रवेश

क्रां लिकारी योजना में विफलता एवं इस मार्ग की सीमाओं को देखने के बाद डा. हेडगेवार ने संगठित जन-आदित्यनों का मार्ग स्वीकार किया। वह कांग्रेस के सदस्य बने और प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उन्होंने इसी के मंच से जन-जाग्रति का कार्य आरंभ किया। मध्यप्रांत कांग्रेस पर लोकनायितिलक के अनुयाइयों का वर्चस्व था। ये सभी 'राष्ट्रीय मंडल' नामक संस्था को मार्फत कार्य करते थे। इसकी स्थापना नीलकंठगाव उधोजी ने 1907 में की थी। तिलक के सभी प्रमुख समर्थक इसमें जुड़े हुए थे। इनमें डा. मुजे, डा. ना. भा. खरे, विश्वनाथराव केलकर, गोपालराव बुटी, डा. ल. वा. परांजपे, नारायणराव केलकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सन 1909 में सरकार ने मंडल पर प्रतिबंध लगाया था और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान प्रतिबंध उठा लिया गया था।

जब डा. हेडगेवार कलकत्ता से नागपुर आए, तब उन्हें राष्ट्रीय मंडल में शामिल कर लिया गया। डी.वी. केलकर के अनुसार वह डा. हेडगेवार के स्थान मंडल के 'सहायक सदस्य' थे।¹ परंतु मंडल की राजनीतिक सोच, व्यवहार एवं प्रभाविता गांधी के प्रति उसके दृष्टिकोण से डा. हेडगेवार की असहमति थी। मंडल का पुराना ठेठ सामाजिकवाद-विरोधी चरित्र अब नहीं था। इसके सदस्य विटिश राजसत्ता के साथ नरमी का रुख अपनाने लगे थे। विश्वयुद्ध के दौरान इसी कारण इस पर से प्रतिबंध हटाया गया था। फलस्वरूप डा. हेडगेवार ने 1919 के मध्य में मंडल के अनेक सदस्यों के साथ 'नागपुर नेशनल यूनियन' नामक अलग संस्था की स्थापना की। ना. भा. खरे, विश्वनाथराव केलकर, बलवंतराव मंडलेकर, मनोहर पंत, श्रीबडे, चौरसडे आदि मंडल के सदस्य यूनियन में शामिल हो गए। मंडल एवं यूनियन में दो मुख्य अंतर थे। जहाँ मंडल दिन-प्रतिदिन की राजनीति में लिप्त था, वहाँ यूनियन को इससे अलग रखा गया।

1. डॉ. ची. केलकर, द आर.एस.पर., इंडियनीशियन पीकली, 4 कारबरी 1950, पृ. 132
केलकर प्रसिद्ध नवकार ये चिनका आरंभिक चर्चों में सेप से संबंध था, परंतु बाद में वह नाहार के भारत इससे अलग हो गए थे।

मंडल 'पूर्ण स्वतंत्रता' के मंबोध में मौन था तो यूनियन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता को लोग एवं अधिभारणा का प्रचार-प्रसार करना था। डा. हेडगेवार ने यूनियन की स्थापना करते हुए कहा था—'यह अस्वंत ही खेदजनक है कि गण्डवादी लोग भारत के हित एवं सामाज्यवादियों के हितों में अंतर नहीं कर पाए। अगर सामाज्यवादी इन्हें ही अच्छे हैं तो भारत को गुलाम बनों बना रखा है? आज की राजनीति में अनेक न्यूनताएं हैं एवं उन न्यूनताओं को दूर करने के लिए सामाजिक प्रयास आवश्यक है।'

जब दिसंबर 1919 में सरकार ने स्तोर्गों से 'शांति दिवस' मनाने की अपील की, तो यूनियन ने इसका विरोध किया। इसके द्वारा 'विरोध दिवस' मनाया गया। इसके द्वारा निकाले गए पर्चे में यह प्रश्न किया गया : 'क्या हम शांति दिवस मना सकते हैं?' यूनियन की होकप्रियता नागपुर के युवकों में दिनोंदिन बढ़ती गई।

संकल्प

कांग्रेस में डा. हेडगेवार की महिलाता बढ़ने के माथ उन्हें दायित्व भी मिलने लगा था। मध्यप्रांत में चौदह हिंदी भाषी जिले थे और चार मराठी भाषी। परंतु कांग्रेस के पास एक भी हिंदी पत्र-पत्रिका नहीं थी। प्रांतीय कांग्रेस की तीन मध्यमों वाली एक समिति ने हिंदी साप्ताहिक 'संकल्प' के प्रकाशन का निर्याय लिया। दिसंक 1 फरवरी 1919 को सभी जिला इकाइयों को परिपत्र के द्वारा इसको सूचना दी गई। डा. हेडगेवार को 'संकल्प' के लिए ग्राहक बनाने एवं उनसे पत्रिका के लिए तीन वर्षों का अधिम शुल्क इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिली गई। डा. हेडगेवार ने पूरे प्रांत का दौरा शुरू किया। यह कार्य थोड़ा कठिन था क्योंकि पहले अनेक पत्र-पत्रिकाएं लोगों से अधिम शुल्क लेने के बाद बंद हो चुकी थीं; अतः लोगों के मन में विश्वसनीयता का संकट था। डा. हेडगेवार ने डा. मुंजे को पत्र लिखकर अपने अनुभवों से अवगत कराया— 'लोग तीन वर्षों के लिए अधिम शुल्क देना पर्सेंट नहीं करते हैं। इसका कारण है कि पहले सार्वजनिक उद्देश्यों से जमा किए गए धन का ठांचित ढंग से उपयोग नहीं हो पाया।'

1. धुमे पैपर्स, डा. हेडगेवार द्वारा धुमे को पत्र, 24 फरवरी 1919

इसके बाबजूद उन्होंने अपनी तर्कशक्ति, वाक्पटुता एवं परिश्रम के द्वारा प्रांत के द्वारा निश्चित धनराशि से कहीं ज्यादा धन इकट्ठा करने में सफलता हासिल की। खांडवा में उन्होंने चालोंम ग्राहक बनाए तो सापर में बीम एवं दमोह में तीस ग्राहक। दिनांक २ अप्रैल एवं २५ अप्रैल को उन्होंने डा. मुजे को ओमशः पांच ली. एवं छह ली रुपये भेजे। तीन महीने में उन्होंने दूर-दराज के गाँवों का दौरा किया। कई स्थानों पर उन्हें एक भी परिचित व्यक्ति नहीं मिला। परंतु वह एक हजार ग्राहकों को आकृष्ट करने में सफल रहे। कई स्थानों पर पहुंचने के लिए उन्हें बैलगाड़ी का भाहार लेना पड़ा। उदाहरणार्थ, नरखेंड, पाटन आदि स्थानों पर वह घंटों बैलगाड़ी में बैठकर पहुंचे। कार्य की सफलता से उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी ही, उन्हें पहली बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक-सांस्कृतिक एवं प्रचलित शैक्षिक राष्ट्रभित्र को समझने का अवसर मिला। उन्हें जिस प्रकार के प्रश्नों, परीस्थितियों, परिवेश एवं प्रकारणों का जानकारी मिली उससे उन्हें भारतीय राष्ट्रव्याप, कांग्रेस संगठन एवं इसके स्थानीय नेतृत्व की ध्यान, सार्वजनिक जीवन में व्याप न्यूनताओं का भान भी होता रहा। जीवन के आरंभिक वर्षों में कांग्रेसकारियों के बीच रहने के कारण जन-आदेशन के व्याप्तारिक पक्ष से वह पूर्णतः अवगत नहीं थे। डा. हेडगेवर ने एक पत्र में डा. मुजे को अपने अनुभव के आधार पर लिखा—‘कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे वक्ता हैं और वे पहले ही भाषण में लोगों को नोहित कर लेते हैं, परंतु दो-तीन दिनों के बाद लोगों के मन से उनके भाषण का असर समाप्त ही जाता है क्योंकि कांग्रेसी नेता धनोपालन में व्यस्त रहते हैं।’

उनका अनुभव था कि कांग्रेस द्वारा राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने एक दूसरे पत्र में एक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रजुगदार वकौल चर उदाहरण देकर उस चुनि की ओर ध्यान दिलाया कि ‘लोग सार्वजनिक कार्य स्वयं न करके दूसरों के द्वारा करवाने की मेंश रखते हैं।’ उन्होंने ब्रह्मपुर में सभा की। इस सभा में ११ अधिकवक्ता भी थे जो कांग्रेस में विभिन्न पट्टों पर आसीन थे। पर उनमें से किसी को तात्कालिक राजनीतिक घटनाचक्र का ज्ञान नहीं था। डा. हेडगेवर ने कांग्रेस संगठन को एक और कमज़ोरी को ओर डा. मुजे का ध्यान खोंचा। उन्होंने हरदा की घटना के द्वारा अपनी बात रखी। जब वह वहां कांग्रेस के नेता हो, मालपेकर के पास पहुंचे तो सल्लिखन ने उससे

१. मुजे रिवर्स, व्यक्तिगत जापरी, नेहरू समृद्धि संग्रहालय एवं पुस्तकालय, वर्द विलासी

'भूमित दूसरी टेन से चले जाने का आग्रह किया क्योंकि उन पर पुलिस की निगरानी थी।' परंतु डा. हेडगेवार जो इन बड़े नामों की जगह कम प्रभितु एवं सामान्य लोगों से अधिक सहायता मिली। जब सालपेकर ने डा. हेडगेवार को किसी प्रकार की सहायता करने से इकाई कर दिया तब स्थानीय होमरूल इकाई के सचिव शंकर पंत ने निर्धन होकर उनकी मदद की।

डा. हेडगेवार को जो अनुभव प्राप्त हुए, वह उनकी राजनीतिक शिक्षा थी जिसका उपयोग उन्होंने आगे के वर्षों में सार्वजनिक गतिविधियों करने में किया।

कांग्रेस अधिवेशन

दिसंबर 1920 में कांग्रेस का बीमां अधिवेशन नागपुर में होना निरिचत हुआ। यह नागपुर के लिए सम्मान का विषय था। इसके पूर्व 1907 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन तिलक के अनुशास्यों एवं उदारवादियों के बीच भीषण टकराव को स्थिति अवश्यभावी होने के कारण टालना चाहा था। यह अधिवेशन कई कारणों से महत्वपूर्ण था। साप्ताह्यवाद एवं राष्ट्रवाद के बीच युद्धकाल में आई नरसी समाप्त हो चुकी थी। कांग्रेस संघर्ष के लिए तैयार थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आर्थिक विशेष अधिवेशन में असहमोग अंदीलन के प्रस्ताव को पारित किया जा चुका था।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी—लोकमान्य तिलक को अनुपस्थिति। दिनांक 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु ने हिलकवादियों की मंशा पर पानी फेर दिया था। वे उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष के रूप में स्थापित हो चुके थे। नागपुर कांग्रेस के समूचे सबसे बड़ा प्रश्न था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन हो?

नागपुर नेशनल यूनियन ने इस दिशा में पहल की। अगस्त के उधम सप्ताह में ही डा. हेडगेवार ने अर्थिंद मोर्च को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया जिसे यूनियन ने एकमत से स्वीकार कर लिया। बाद में ग्रांतीय कांग्रेस ने भी इस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। डा. हेडगेवार कांग्रेस को नागपुर शहर इकाई के मंयुक्त मत्तिवादी थे। उनके आग्या पर डा. मुंजे और वह राष्ट्रपंथी जारिंद्र से मिलने अगस्त माह में पांडित्यरों गए, जहाँ वह 1910 से संन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे।

दोनों ने उन्हें सक्रिय राजनीति में लैटे एवं कांग्रेस की कमान संभालने के लिए मनाने का प्रयास किया परंतु श्री अरविंद ने साफ इकार कर दिया। बार-बार आग्रह के बाद श्री अरविंद ने डा. मुंजे को 30 अगस्त 1920 को पत्र लिखकर अपनी असमर्थता घोष की। डा. हेडगेवार ने लोगों से अरविंद घोष को पत्र एवं टेलीग्राम भेजकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह करने के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने 20 सितंबर 1920 को टेलीग्राम द्वारा जवाब दिया—'पुनर्विचार असंभव है।'

डा. हेडगेवार कांग्रेस अधिकेशन के लिए बनहई गई स्वागत समिति के सदस्य थे। प्रांतीय कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए अरविंद घोष, विजयराघवाचार्य, चितरंजन दास, मुहम्मद अली एवं क्रांतिकारी श्यामसुंदर चक्रवर्ती का नाम सुझाव के रूप में रखा।

फ्रांस, बिहार, दिल्ली, मध्यप्रांत, मध्यसेना, मुंबई और संयुक्त प्रांत ने विजयराघवाचार्य के नाम का समर्थन किया। डा. मुंजे का भी उन्हें समर्थन प्राप्त था। 10 अक्टूबर 1920 को स्वागत समिति की बैठक नागपुर में हुई। इसमें पूरे प्रांत से 550 प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में डा. हेडगेवार ने विजयराघवाचार्य के नाम का विरोध किया। उनके विरोध का आधार सैद्धांतिक एवं भावनात्मक दोनों था। उन्होंने कहा कि जब जालियांवाला बाग की घटना से पूरा देश सापाज्यवादी निर्भयता के खिलाफ आक्रोश में दबा हुआ था तब विजयराघवाचार्य मद्रास प्रांत के राज्यपाल के आमंत्रण पर 'चाय पार्टी' में शारीक हुए थे।

उन्होंने प्रश्न किया—'देश को भावनाओं और सापाज्यवाद के चरित्र को न समझने वाला व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष किसे हो सकता है?'

डा. मुंजे के प्रयास के बावजूद यह अपने मत पर टिके रहे। उनका मानना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष बेटांग अचित्को होना चाहिए 'जिसके चरित्र पर कोई प्रश्न उठाने की हिम्मत न कर सके।' उन्होंने श्यामसुंदर चक्रवर्ती का नाम प्रस्तावित किया, परंतु बहुमत मुंजे के साथ था। अंततः विजयराघवाचार्य का नाम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पास अध्यक्ष पद के लिए भेज दिया गया।

डा. हेडगेवार द्वारा उनके विरोध का एक सैद्धांतिक पक्ष भी था। विजयराघवाचार्य अमरहयोग की अवधारणा से पूरी तरह से महमत नहीं थे। वह छात्रों को राजनीतिक औंटीलन से जोड़ने के विरोधी थे। डा. हेडगेवार के पक्ष

में स्वागत समिति के चुना सदस्यों ने समर्थन किया। उनके समर्थन में कई गत्रों ने संपादकीय लिखे। बृंथई से प्रकाशित 'संदेश' ने विजयराध्रवाचार्य के नाम पर चहूमत होने को दृष्टांगपूर्ण बताते हुए लिखा था— 'एक अयोग्य व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया।' इसी प्रकार 'महाराष्ट्र' ने भी उनका विरोध किया। कांग्रेस अधिवेशन में विजयराध्रवाचार्य के भाषण से डा. हेडगेवर की उनके बारे में शब्दों को पुष्ट हो गई। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में न्यायालय, स्कूल-कालेजों के बहिकार पर प्रश्न छड़ा किया। तब 'इंडियन रिव्यू' ने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोधाभासपूर्ण भाषण दिया है। एक दूसरे पत्र 'जन्मभूमि' की टिप्पणी थी कि 'हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने असहयोग आदालत के समर्थन में अपना भाषण किया है या इसके विरोध में!'

लेकिन एक बार जब वह अध्यक्ष नियांचित हो गए, तो डा. हेडगेवर ने अपनी गतिशीलों को अधिवेशन की तैयारी में अवश्यक नहीं बनने दिया। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंधो गई। वह स्वयंसेवक समिति, सकाराई समिति और विप्र परिषद के सदस्य बनाए गए। इसमें स्वयंसेवक समिति पर पूरे देश से आए प्रतिनिधियों की व्यवस्था, अधिवेशन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता देने की जिम्मेदारी थी। इस समिति में डा. ल. वा. परांजपे, हरकरे और डॉ. चो. देशमुख भी सदस्य थे। लेकिन डा. हेडगेवर इनमें सबसे कम उम्र के थे और स्वेच्छा से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। अतः मुख्य जिम्मेदारी उन्होंने पर थी। उन्होंने 1200 स्वयंसेवकों को भर्ती एवं प्रशिक्षण देने का कार्य किया। नागपुर अधिवेशन अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन था। इसमें तीस हजार लोगों ने भाग लिया था, जिसमें बीस हजार प्रतिनिधि थे। डा. हेडगेवर एक सफल संगठनकारी के रूप में सामने आए। स्वयंसेवक समिति को मिल रही चधाई एवं धनवाद के बहु-आसानी हकदार थे। कार्य की श्रेष्ठता, नेतृत्व द्वारा सराहना एवं प्रतिनिधियों की शाकाशी से वह 'कूले नहीं। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग पद-प्राप्ति के लिए नहीं किया। वह कांग्रेस के सामान्य पदाधिकारी के रूप में कार्य करते रहे। कांग्रेस अधिवेशन में डा. हेडगेवर ने पिपल समिति की बेठक में एक समानांग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के उद्देश्य को पुनः परिभाषित करते हुए कहा गया था

1. 'महाराष्ट्र' के 20 अक्टूबर 1920 के अंक में पृ. 4 पर इनका पुनःप्रकाशन

2. इंडियन रिव्यू, जनवरी 1921, पृ. 36-37 (मद्रास से प्रकाशित)

कि 'इसका दृष्टिभारतीय नामनंत्र को स्थापना करना एवं पूर्वोच्चादी अल्पानार से राष्ट्रों को मुक्त करना है।' यह प्रस्ताव नामनंत्र तो हो गया, परंतु डा. हेडगोवर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को विश्व के सभी पीड़ित, शोषित एवं साम्राज्यवादी शिकंजे में आए राष्ट्रों से जोड़ने का प्रयास किया था। 'माडन रिव्यू' ने लिखा था : 'But the proposed resolution, which excited laughter among serious minded people, deserved a better fate than what it met with the subject Committee.'¹ इस पत्र ने अगे लिखा कि नागपुर कांग्रेस स्वागत समिति में 'रिप्रिज्नेशन' चरित्र बाले सोग विद्यमान हैं।

नागपुर कांग्रेस के बाद डा. हेडगोवर प्रांत के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाने लगे थे। अप्रैल 1921 में वह मध्यप्रांत के 12 सदस्यों वाले 'सिलक स्वराज्य फँड' के लिए चुने गए थे। मई यहाँमें में वह नागपुर जिला कांग्रेस के लिए चुने गए। उनकी लोकप्रियता कितनी थी, इसका यह असहयोग अंदोलन के दौरान उनकी भूमिका से चलता है।

¹ माडन रिव्यू, मार्च 1921

असहयोग आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ डा. हेडगेवर के पूर्ण असहयोग एवं झाँसि के दृष्टिकोण को भले ही प्रांतीय एवं राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन नहीं मिला था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद पूरे मध्यप्रांत में उनको मराहना की गई। साम्राज्यवाद के प्रति किसी भी प्रकार की महानुभूति रखना राष्ट्रवाद के माथ चेमानी था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्यवादी दमन का सिलसिला पुनः शुरू हो गया। रैलीट बिल एवं जालियांबाला बाग की निर्मम घटना से संपूर्ण देश संत्रिप्त था। लोगों में आक्रोश की भावना का संचार हो रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रायः दूर रहने वाला मुस्लिम समूदाय भी छिटेन से विद्युत्य था। इसका कारण तुर्की के खलीफा के साथ छिटेन द्वारा किया गया अन्याय था। खलीफा मुसलमानों के धार्मिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित थे। Pan Islam के सिद्धांत के तहत खलीफा से भारतीय मुसलमानों की भी महानुभूति थी। उनके समर्थन में भरतीय मुसलमानों का नेतृत्व एक स्वर से आवाज उठाने लगा था। महात्मा गांधी ने इसे साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन के सामाजिक आधार को विस्तृत करने के अच्छे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने 'आहत' मुस्लिम मम को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का काम किया। इसके पीछे उनकी पावना हिंदू और मुस्लिमों के बीच भाईचारा एवं एकता स्थापित करने की थी। गांधीजी की कल्पना के अनुसार आंदोलन शुरू हुआ। कोटि, कालोज एवं कौसिल (विधायिका) का विहिष्कार, सरकारी पदवी लौटाना एवं छातिपूर्ण दंग से सरकार का हर स्तर पर विरोध आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे।

मध्यप्रांत में स्वराज्य पाटी का राजनीतिक दबदबा था और असहयोग आंदोलन के प्रति अनेक आरक्षाएँ एवं आपतियाँ व्यक्त की जा रही थीं। स्वराज्य पाटी के एक प्रमुख नेता बी. जी. खापड़ ने तो महात्मा गांधी को पञ्चलिंगकर सचित कर दिया कि 'यदि आप यह अपेक्षा करते हैं कि आपके सिद्धांतों को स्वीकार करके मैं असहयोग आंदोलन का समर्थन करूँ तो ऐसा करने में मैं पूरी तरह असमर्थ हूँ।' यहाँ तक कि डा. मुंजे ने भी आंदोलन के प्रति अपनी आपतियों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किया था। इन सबका

यह मानना था कि महात्मा गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण को नीति अपनाकर आंदोलन का विस्तार करना चाहते हैं। नव्यप्रांत के मराठी लेखों में आंदोलन कितना सशक्त हो पाएगा, यह एक प्रश्न बनता जा रहा था।

परंतु डा. हेड्गेवार ने एम. आर. चोलकर, ममोमुल्ला खां एवं अपने अन्य समव्ययक नेताओं के साथ पूरे परियोग को ही बदल दिया। नागपुर एवं अन्य मराठी ज़िलों में आंदोलन को अनपेक्षित और अभूतपूर्व सफलता मिली। डा. हेड्गेवार ने अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों से अलग हटकर तात्कालिक राष्ट्रीय परिस्थिति का विश्लेषण किया। उनके आगे के जीवन की गतिविधियों को देखकर इस बात का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि खिलाफत के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के बारे में उनकी उपरान्ति रही होगी; परंतु उन्होंने अपनी आपसि को कभी सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया हो, इसका कोई प्रभाण विद्यमान नहीं है। उनका किसी संस्था अथवा आंदोलन में मङ्गिय होने का एक ही मापदंड था— सामाज्यवाद का विरोध। उनके विवेक ने उन्हें असहयोग आंदोलन में तन—मन से भाग लेने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने अपने आम—पास के गजनीतिक वातावरण एवं दबंग तिलकवादियों के दृष्टिकोण को तनिक भी छिंता नहीं छी। यही है स्वचेतना, संकल्प एवं शुद्ध राष्ट्रभक्ति का पर्याय। उन्होंने प्रश्न किया कि 'क्या व्यक्तिगत अथवा सेहाँतिक मतभेदों के कारण सामाज्यवाद—विरोधी लड़ाई में तटस्थ अथवा निक्षिय रहना नीतिक है?' उत्तर: उन्हें महात्मा गांधी के प्रति अपनी ब्रह्म व्यक्ति बरने एवं उनके नेतृत्व को स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं हुई। उनका तो एक ही मकासद था— हर अवसर एवं हर मार्ग का उपयोग राष्ट्रवाद को मजबूत करने एवं सामाज्यवाद को कमज़ोर करने में किया जाना चाहिए। इस प्रकार तल्कालोन गजनीति में प्रचलित परिभाषाओं के अनुसार अब वह 'तिलकवादी' से गांधीवाद के पक्षधर बनने लगे।

डा. हेड्गेवार का सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक दृष्टिकोण, दर्शन एवं नीतियों तिसक अथवा गांधी, हिंमा अथवा अहिंसा का मार्ग, कांग्रेस अथवा ब्रांतिकारी आंदोलन—इन संकीर्ण विकल्पों के आधार पर निर्धारित नहीं होती थीं। उनके अब तक के जीवन में व्यक्ति अथवा किसी विशिष्ट मार्ग से कही अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता—प्राप्ति का मूल व्येय था। वह सभी राष्ट्रवादी नेताओं, संस्थाओं एवं आंदोलन के तरीकों को एक—दूसरे का पुरक मानते थे और उनका

मत था कि बिना पूर्वाग्रह के सभी राष्ट्रवादियों को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए एवं वादों की संकीर्णता से बचना चाहिए।

एक उदाहरण उल्लेखनीय है। सन् 1921 में जब प्रांतीय कांग्रेस की बैठक में झाँटिकारियों की निंदा करने वाला प्रस्ताव रखा गया तब डा. हेडगेवर ने उसका जबर्दस्त विरोध किया, फलस्वरूप प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। बैठक की अध्यक्षता लोकमान्य अपे ने की थी। उन्होंने बाद में लिखा—‘डा. हेडगेवर झाँटिकारियों की निंदा एकदम यसदं नहीं करते थे। वह उन्हें ईमानदार देशभक्त मानते थे। उनका मानना था कि कोई उनके तरीकों से मतभिन्नता रख सकता है, परंतु उनकी देशभक्ति पर डंगली उठाना अपराध है।’ ऐसी दर्जनों घटनाएं उनके जीवन में भी हैं। अतः न तो वह तिलकवादी थे और न ही गांधीवादी। उनके लिए किसी बाद का यदि उपयोग किया जा सकता है तो यह कहना उचित होगा कि वह स्वतंत्रतावादी थे।

जब व्यक्ति शुद्ध यन् निःस्वार्थ भाव एवं प्रतिबद्धता के साथ देशभक्ति को अपने जीवन में उतारता है तो इतिहास हर मोड़ पर ऐसे व्यक्ति का समादर करता है और भविष्य में पीढ़ियां उसे अपना आदर्श मानती हैं। तभी तो डा. हेडगेवर ने नागपुर एवं मराठी मध्यप्रांत में राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी।

नागपुर नेशनल यूनियन

असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी परिस्थिति से उत्पन्न उत्तेजनावश न होकर एक सीचा-समझा हुआ कदम था। नागपुर नेशनल यूनियन में उन्होंने अंगेजों के साथ असहयोग विषय पर लैंबी बहस चलाई थी। 18 अगस्त 1920 को उन्होंने इस विषय पर कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति में डा. चोलकर, मनोहर पंत चोबड़े, आर. एन. पांडे एवं विश्वनाथराव केलाकर थे। इस समिति ने असहयोग कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जिसे यूनियन ने कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920) में रखा। डा. हेडगेवर स्वयं कलकत्ता अधिवेशन में उपस्थित थे एवं असहयोग आंदोलन के प्रति मराठी मध्यप्रांत के कुछ समर्थकों में से एक थे। यह इस बात का एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर छोटी-छोटी सम्पादनों में साम्प्रान्वयवाद के खिलाफ असहयोग की भावना अंत प्रेरणा से

पनप रही थी। महात्मा गांधी ने उन्हें एकमूर्ति में रिसोने का एक महायज्ञ राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में किया था।

नागपुर नेशनल पूर्णिमा ने कांग्रेस के द्वारा विधिवत असहयोग आंदोलन को घोषणा से पूर्व ही मराठी मध्यप्रांत में माहील की गरमाने का राष्ट्रीय छत्र शुरू कर दिया था। इसके नेताओं ने स्थान-स्थान पर आमसभाएँ आयोजित करके असहयोग की अवधारणा को जनता के मन एवं मस्तिष्क में बैठाने का काम शुरू कर दिया।¹

असहयोग आंदोलन समिति

मराठी मध्यप्रांत की तरफ से डा. हेड्गेवर की अगुआई में एक असहयोग आंदोलन समिति की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था—कार्यकर्ताओं को असहयोग आंदोलन के लिए बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार करना। इसके द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण चर्चाओं का आयोजन किया जाता था। प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं को रहने एवं खाने का खर्च स्वयं ही वहन करना पड़ता था। इसके बावजूद डा. हेड्गेवर की अपील पर सैकड़ों युवकों ने समिति में अपनी भर्ती कराई। नागपुर असहयोग समिति ने 11 नवंबर 1920 से एक सप्ताह 'असहयोग सप्ताह' के रूप में मनाया। इस दौरान डा. हेड्गेवर ने स्थान-स्थान पर दर्जनों सभाओं को संबोधित किया। उनकी सभा में हजारों लोग उपस्थित रहते थे। 1921 के आरंभ से उनकी अगुआई में सभाओं, प्रदर्शनों एवं असहयोग कार्यक्रमों का दैर और भी तेज हो गया।

नागपुर में नशाबंदी को असहयोग कार्यक्रमों में प्रमुखता दी गई थी। सन 1921 के जनवरी-फरवरी महीनों में आयोजित सभाओं में डा. हेड्गेवर का मुख्य विषय यही होता था।²

इसके पीछे उनकी योजना मध्यप्रांत की सरकार के राजस्व पर आघात करने की थी। शराब को दूकानों में छापा मारने एवं लोगों को शराब न पीने के लिए प्रेरित करने में उन्हें यथेष्ट सफलता मिली और सरकार को राजस्व के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था।

1. महाराष्ट्र, 19 फर्वरी 1920, पृ. 5

2. महाराष्ट्र, 2 फरवरी 1921

22 फरवरी 1921 को डा. हेडगेवर ने एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की कि नागपुर में एक भी सराब की दृक्कान नहीं खतने पी जाएगी, न ही किसी व्यक्ति को इसे खाने को अनुमति दी जाएगी। उसके बाद सरकार ने दमन की कार्रवाई को और भी तेज कर दिया। न्यायालय द्वारा डा. हेडगेवर को नोटिस भेजा गया। जिला अधीक्षक सरीली जैम्स इरविन के हस्ताक्षर से दिए गए नोटिस में कहा गया था कि 'मैं आप पर सभा करने, सभा में भाग लेने और किसी भी प्रकार से आमसभाओं से जुड़ने पर एक महीने के लिए प्रतिवंध लगाता हूँ।' लेकिन 'काटांगि मानूँ झोला / मृत्युशी खेलूँ खेला' (कट को झूला बनाकर मृत्यु से मैं खेल खेलूँ) को आदर्श वाक्य मानने वाले डा. हेडगेवर ने सरकारी आदेश का खुल्लामखुल्ला डल्लंधन किया।¹

सरकार ने 31 मार्च 1921 को दो महोने के लिए सभा आयोजित करने पर प्रतिवंध लगा दिया परं इसे मरुजी में लागू करने का प्रयास किया।

सामाजिक आधार

नागपुर में आंदोलन की सफलता का एक और आधार था। सामाजिक एवं अर्थिक रूप से पिछड़े एवं राहीय शानदारी से विमुख रहकर रोजी-रोटी कमाने में व्यापक समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया। डा. हेडगेवर एवं युनियन की बैठकी ने सामाजिक-आर्थिक विषयों को सामने रखनाकर मोर्चीन और कोष्ठी जैसी जातियों के बीच राहीय चेतना को जाग्रूत किया। नशाबंदी का कार्यक्रम इन समुदायों व अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और वे बड़ी मरुजी में आंदोलन में जुड़े। आंदोलन का सामाजिक आधार डा. हेडगेवर की योजना से विस्तृत एवं सुदृढ़ हुआ। नागपुर में यह आंदोलन उच्च जातियों, पट्टे-लिखे लोगों एवं कुलीनों से होता हुआ कमज़ोर चमितियों के मजबूत लोगों तक पहुँचा, तभी तो नागपुर से प्रकाशित ब्रिटिश समर्थक अखबार ने यह टिप्पणी की थी कि 'जिस प्रकार के लोगों से स्वयंसेवकों को भर्ती किया जा रहा है, उसे देखकर यह कहना अविवाधित होगा कि आंदोलन का शातिरूप चरित्र बना रहेगा।'²

नागपुर में स्कूल एवं कालेजों के बहिकार को अपेक्षित सफलता मिली

1. सप्तरात्मा, 20 अप्रैल 1921, पृ. 7

2. विश्वाद, 26 फरवरी 1921, पृ. 4

थो। नौल मिट्टी स्कूल के 72 प्रतिशत और मोरिस कालेज के 27.5 प्रतिशत छात्रों ने बहिष्कार किया था। मई 1921 तक नागपुर डिवीजन में 40 अधिवक्ताओं ने न्यायालय का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। डा. हेडगेवर ने इनके स्वागत में एक बढ़ी मभा का आयोजन नागपुर में किया था। मध्यप्रांत की 1920-21 की प्रशासनिक रिपोर्ट ने राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि 'असहयोग के खतरनाक एवं अराजक मिठांत का तीव्र विकास हुआ है जिसने सरकार एवं लोगों के बीच औहार्दृपूर्ण घंबंधों पर, पहले किए गए किसी भी प्रचार से अधिक आधात पहुंचाया है।' इसे नागपुर एवं मध्यप्रांत में आंदोलन को सफलता का प्रमाणपत्र कहा जा सकता है। सरकार ने 1921 के जनवरी माह से लेकर 1922 के जून माह तक 25 गट्टवादियों पर 'राजदोही' भाषण देने के लिए मुकदमा चलाया था, जिनमें से 11 लोगों को कठोर कार्रवास, दो लोगों को सामान्य कार्रवास एवं दो लोगों को विशेष कार्रवास की घजा दी गई।

डा. हेडगेवर पर मई 1921 में 'राजदोही' भाषण देने को आधार बनाकर मुकदमा चलाया गया था। इसी महीने वह नागपुर से प्रांतीय कांग्रेस समिति के सदस्य निर्वाचित हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर की पुरानी पोद्दो के स्वराजवादी नेतृत्व के स्थान पर डा. हेडगेवर, डा. चोलकर एवं समीमुल्ला खां जैसे सुवा तुकी का नेतृत्व वर्ग रखने आया। जहां चोलकर एवं खां संतादीय राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे, वहां डा. हेडगेवर ने चुनावी राजनीति से अपने जाप को पूर्ण रूप से अलिप्त रखा।

‘राजद्रोह’ का मुकदमा

नागपुर में असाहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता ने ब्रिटिश प्रशासन एवं सरकार को झकझोर कर रखा दिया था। सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाए गए सभी हथकंडे नाकाम साबित होते रहे। धारा 144, सभाओं, जुलूसों, भाषणों पर प्रतिवंध एवं आंदोलनकारियों पर बल-प्रयोग इत्यादि दमनकारी कार्रवाइयों से आंदोलन कमज़ोर होने की जाह और भी सशक्त होता जा रहा था। अंततः सरकार ने प्रमुख एवं लोकप्रिय नेताओं पर ‘राजद्रोह’ का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेजने का काम शुरू किया। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य आंदोलनकारियों को भयभीत एवं नेतृत्वविहीन करना था। सन् 1921 में बनवारी से मई महीने तक मध्यप्रांत में सात लोगों पर ‘राजद्रोह’ का मुकदमा चलाया गया था। इसमें नागपुर से डा. हेडगेवार भी थे।

उन पर आपराधिक दंड संहिता (धारा 108) के अंतर्गत मई 1921 में मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी उत्तरोत्तर सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण साधारणवादी प्रशासन उन्हें दंडित करने के लिए कृतसंकल्प था। तभी सो छह महीने पूर्व (अक्टूबर 1920 में) काटोल एवं भरतवाडा की सभाओं में दिए गए उनके भाषणों को मुकदमे का आधार बनाया गया¹। उन्होंने इन दोनों सभाओं की अभ्यक्षता की थी। उन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, घृणा पैलाने एवं विद्रोह का आह्वान करने का आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिळक पर 1908 में उनके उग्र लेखन को आधार बनाकर मुकदमा चलाया गया था। तिळक ने मुकदमे में जिरह के दीरान अपने बचाव के नाम पर साधारणवादी शासन एवं उसकी दमनकारी नीतियों पर हमला किया। उनका यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मूर्हतिदारी प्रसंग बन गया है। डा. हेडगेवार का यह मुकदमा भी उसी के समान एक प्रेरणादारी प्रसंग है। मुकदमे के दीरान नवायालय में खड़े होकर ब्रिटिश साधारणवाद के खिलाफ उनके द्वारा दिया गया उग्र बयान, राष्ट्र की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रबल एवं प्रख्यात

1. काहल नं. 28/1921, राजनीतिक, भाग-1, पृष्ठ 17, राष्ट्रीय अभिलेखालय, नई दिल्ली

2. महाराष्ट्र, 15 जून 1921, पृष्ठ 4.

दलील एक और जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज़ है।

यह सत्य है कि स्वतंत्रता अंदोलन के अनेक ओज़र्स्ट्री प्रसंगों की तरह ही यह मुकदमा भी अभिलेखागार में दशकों तक दबा रहा है।

शोध में जब-जब ऐसी पटनाएं छन-छनकर सामने आती हैं, तब-तब साप्राण्यवाद विरोधी अंदोलन की व्याख्या, प्रकृति एवं स्वरूप पर भी नई दृष्टि पहुंचती है। संभवतः डा. हेडगेवर का यह मुकदमा भी जीवंत प्रसंग के रूप में उद्धरणीय होगा।

नागपुर के न्यायाधीश सिराज अहमद के सम्मुख 31 मई 1921 को मुकदमा शुरू हुआ। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद मुकदमे की अगली तारीख 13 जून निश्चित की गई। इस दिन मुकदमा स्मैली के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। डा. हेडगेवर को और से नागपुर के प्रमुख बौद्ध, विश्वनाथराव के लकर, बाबासाहब पाठ्य, बलबंतराव मंडलेकर और आचूराव हरकरे न्यायालय में दलील देने के लिए उपस्थित हुए। 13 जून को काटोल के पुलिस उप निरीक्षक आबाजी ने सरकार की तरफ से गवाही दी। अगले दिन 14 जून को बौद्ध ने पुलिस उप निरीक्षक से जिरह की।

न्यायाधीश ने डा. हेडगेवर के बौद्ध के प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति उठाना शुरू किया। जब बौद्ध ने जिरह शुरू करते हुए यह जानना चाहा कि पुलिस ने डा. हेडगेवर पर मुकदमा 'उपर के अधिकारियों के दबाव में दर्ज किया है' अथवा अपने खुद के फैसले के आधार पर किया है', तब आबाजी ने वह स्वीकार किया कि 'मैं अपने आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। मुझे एक वरिष्ठ अधिकारी से इसकी अनुमति एक माह पूर्व मिली थी।' तब न्यायाधीश ने बौद्ध को चेतावनी दी कि इस विषय पर आगे कोई प्रश्न पुलिस अधिकारी से नहीं पूछें। बौद्ध के पूछे जाने पर आबाजी ने बताया कि वह 30 से 40 शब्द प्रति मिनट लिख सकता है। बौद्ध का मत था कि डा. हेडगेवर का भाषण तात्कालिक राजनीतिक विषय पर केंद्रित होता है अतः उसे समझने एवं उसकी व्याख्या करने के लिए न्यूनतम राजनीतिक ज्ञान एवं समझ आवश्यक है। तब उन्होंने कुछ सवाल सरकारी मवाह के सामने रखे-

"अपा आप राजनीतिक विषयों पर लिखने वाले समाचार-पत्रों पर एवं पत्रिकाओं को पढ़ते हैं?"

"आपने कांग्रेस के द्वारा पारित असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कितनी बार पढ़ा है?"

"क्या आपने गांधी के लेखों को पढ़ा है?"

न्यायाधीश ने ग्रत्येक सवाल पर आपत्ति की। लेकिन बोबडे अपने प्रश्नों पर अटल रहे। अंततः न्यायाधीश को बाध्य होकर अपनी आपत्ति बापम सेनी पढ़ी। तब बोबडे ने आचाजी से पूछा कि 'क्या असहयोग आंदोलन को शांतिपूर्वक एवं बिना हिसात्मक कार्रवाई के चलाने का संकल्प किया गया है?' उसकारी गवाह उत्तर देने में असमर्थ था और उसने उसकारी बकाल लोगों से मदद मांगी। फिर बोबडे ने पूछा कि 'लोग इस आंदोलन के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं?' बोबडे के अगले सवाल पर न्यायाधीश ने पूछा: आपत्ति उठाई। बोबडे ने पूछा था कि 'लोग किस प्रकार का स्वराज्य चाहते हैं?' तब पुलिस उप निरीक्षक का उत्तर था कि 'स्वराज्य का तात्पर्य जनता का शासन होता है।' न्यायाधीश ने बोबडे के सवालों से परेशान होकर उन्हें 'अप्रासंगिक', 'बेमतलब' और 'उद्देश्यहीन' बताया और मुकदमे को 20 तारीख तक स्थगित कर दिया। 20 जून को मुकदमे की कार्रवाई में नाटकीय मोड़ आया। बोबडे न्यायाधीश से उल्लंघन पढ़े। जिरह के द्वारा उन्होंने आचाजी से पूछा कि 'क्या यह सत्य नहीं है कि डा. हेडगेवर ने अपने उक्त भाषण में यह प्रतिपादित किया कि भारत सिर्फ भारतवासियों का है?' तब न्यायाधीश ने ऐहते की तरह ही प्रश्न को अप्रासंगिक घोषित करके लिखाने से साफ़ मना कर दिया। इतना होना था कि बोबडे ने झोपित होकर न्यायालय पर पूर्वांग्रह से प्रसित होने एवं स्वतंत्र बहास को रोकने का आगोप लगाया। उन्होंने न्यायालय का बहिष्कार करते हुए मुद्रा को मुकदमे से अलग करने का निर्णय लिया। चाद की घटनाओं को देखकर उग्रता है कि बोबडे का यह कदम पूर्व निर्धोजित था।

दा. हेडगेवर ने मुकदमे की बाबूदोर संभालते हुए स्वयं जिरह करने का निर्णय लिया। वह कर्जनून के विद्यार्थी कभी नहीं रहे और न्यायालय में यह उनका वहाना अनुभव था। परंतु उन्हें डर किस बात का होता? वह तो न्यायालय का उपर्योग ब्रिटिश राजसत्ता, साम्राज्यवाद एवं कुटिल न्याय व्यवस्था के खिलाफ़ एक राजनीतिक मंच के रूप में करना चाहते थे और वैसा ही उन्होंने कर दियाया।

उन्होंने अपने मुकदमे का श्रीगणेश न्यायाधीश का ही मजाक उड़ाकर किया। किसी न्यायाधीश को अयोग्य, अज्ञानी एवं अपात्र घोषित करने का साहस तो कोई प्रखर गाहूबादी ही कर सकता था और डा. हेडगेवार ने वैसी ही निर्भयता एवं आत्मविश्वास जा प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पेली से मुकदमे की कार्रवाई तब तक रोकने की मांग की जब तक उनके द्वारा न्यायाधीश बदलने के लिए दिए जाने वाली अज्ञी पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। अपमान एवं शम्पिंदगी की मिथ्यता से स्पेली हक्का-बक्का रह गया। और न्यायालय ने हेडगेवार की बात मान ली।

25 जून को डा. हेडगेवार ने जिला सत्र न्यायाधीश इरायिन के यहाँ इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। यह अपने आप में अनोखी अज्ञी थी। एक ब्रिटिश न्यायाधीश को किसी भारतीय का मुकदमा सुनने के लिए अयोग्य घोषित करने की फरियाद की गई थी। सबको पता था कि इरायिन का निर्णय क्या होगा। परंतु हेडगेवार का उद्देश्य तो स्पेली को शिखंडी बनाकर ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर छोट करना था। उनकी अज्ञी का सारांश इस प्रकार है:

'श्री स्पेली को मराठी का कामचलाऊ ज्ञान भी नहीं है। भाषण एवं ब्रह्मान सब मराठी में हैं। पिर उनके लिए मुकदमा समझना असंभव है। अतः वह इस मुकदमे के लिए पूरी तरह से अपात्र हैं। इसका प्रमाण न्यायाधीश का टीप का कोरा कागज है। दिनांक 14 जून को लंबी जिरह के बावजूद वह एक शब्द भी नहीं लिख पाए। इतना ही नहीं, श्री स्पेली का राजनीतिक ज्ञान एवं समझ भी शून्य है। तभी तो आरोपी के लकील द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर वह आपसि उठाते रहे। पहले प्रत्येक प्रश्न का उद्देश्य उनको समझना पड़ता था तभी कार्रवाई आगे बढ़ पाती थी। समझ में कमी के कारण वह प्रश्नों को अभियोग से असंगत, असंबद्ध और अप्रासंगिक घोषित करते रहे। यदि उन प्रश्नों को खारिज नहीं किया जाता और सरकारी गवाह को उत्तर देने के लिए कहा जाता तो वह प्रमाणित ही जाता कि मेरे भाषण में 'राजद्रोह' का कोई अंश नहीं था।'

इरायिन ने अनकी अज्ञी को 27 जून को अस्वीकृत करते हुए कहा कि 'स्पेली उक्त मुकदमे को देखने के लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं।'

1. महाराष्ट्र, 29 जून, 1921, 'डा. हेडगेवार यांचा खटला', पृष्ठ 4.

28 जून को स्पेली के न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ। अपमानित एवं क्रोधित स्मैली ने डा. हेडगेवार से लिखित बयान देने के लिए कहा। डा. हेडगेवार ने न्यायाधीश के इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सभी सरकारी गवाहों को सुनने का अधिकार है और उसके बाद ही वह अपना लिखित बयान दे सकते हैं। जब न्यायाधीश ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि न्यायालय को उनका लिखित बयान मांगने का अधिकार है तो डा. हेडगेवार ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया— “मुझे जो कहना था, मैंने कह दिया। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं अपना लिखित बयान तो अंत में दूंगा।” इस तरह फा झाक्रामक रुख उनकी सहज अभिव्यक्ति के साथ-साथ अटूट संकल्प शक्ति का परिचायक है।

न्यायालय ने उनकी बात मानकर मुकदमे की कार्रवाई को 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

8 जुलाई को जब मुकदमा शुरू हुआ तब डा. हेडगेवार ने दूसरे सरकारी गवाह काटोल संभाग के सर्किल इंस्पेक्टर गंगाधरराव से जिरह की।

डा. हेडगेवार : मरभा कब तक चली थी और भाषणों को लिखने का काम कैसे हो रहा था?

राव : सभा लगभग पीने आठ बजे रात के समाप्त हुई। और हम लोग टाँच की रोशनी में रियाहे का कार्य कर रहे थे।

डा. हेडगेवार : वे पूरी तरह से अंधेरे में बैठे थे। न तो उनके पास कोई सालेटन थी न ही टाँच। मैं शुद्ध मराठी बोलता हूं परंतु मेरे मुंह में उन्होंने ‘बायकोचा पोर’ जैसे अशुद्ध मराठी शब्दों को डाला है। गवाह पूरी तरह से निरधार प्रतीत होता है।

राव : मुझे क्याकरण का ज्ञान नहीं है। मैं अपनी मां से तेलुगु और पल्ली से मराठी में बात करता हूं। मैं एक मिनट में औसतन 25 से 30 शब्द लिख सकता हूं, कभी-कभी पूरा वाक्य, तो कभी-कभी उसका सारांश लिख सकता था। मार्यादा लिखने के लिए पूरा वाक्य सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो बात मैं नहीं समझ पाता था या चूक जाता था वह मैं दूसरों की सहायता से लिखता था। डॉक्टर प्रति मिनट 25 से 30 शब्द लोलते थे।'

डा. हेडगेवार ने हस्तक्षेप करते हुए न्यायालय से कहा कि 'भाषण लिखने में सक्रिय ईस्पेक्टर कितने कुशल हैं, इसकी परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए।' परंतु यह अनुमति नहीं दी गई। तब उन्होंने गवाह से उसकी जिक्षा के बारे में जानना चाहा। तब राव ने कहा :

'मैं सरकारी सेवा में गत 24 वर्षों से हूं। मैं इंटर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हूं। सबसे पहले मेरी नियुक्ति प्रधान सिपाही के रूप में हुई थी। फिर मेरी प्रोनामि उप निरीक्षक के रूप में हुई और आजकल मैं सक्रिय ईस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डा. हेडगेवार के अतिरिक्त सभा में अलेक्टर, ओगले या और दूसरे कौन थे। यह बात भी सत्य है कि दूसरे लोगों की तरह मैं भी उनके भाषण से प्रभावित था। लेकिन मुझे इस बात का ओध था कि वक्ता पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।'

डा. हेडगेवार : न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया भाषण मेरा नहीं है। मैं प्रति मिनट औसतन 200 शब्द बोलता हूं, और मेरे भाषण की रिपोर्ट तैयार करने वाले 'लांग हैंड' के नीमिखिये रिपोर्टर तो मेरे भाषण का आठवाँ हिस्सा भी लिखने में असमर्थ रहे होंगे। अतः बादी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण वाक्यों, दृटे-फृटे शब्दों एवं अधूरी बातों से भरी पड़ी है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि अयोग्य सिपाहियों ने मेरे भाषण की रिपोर्ट तैयार करने में अपनी कल्पनाशक्ति और याददाश्त का उपयोग किया है। इस रिपोर्ट को पढ़कर कोई भी व्यक्ति इस बात का तनिक भी अंदाज नहीं लगा सकता है कि मैंने कैसे और क्या कहा था। और भरतवाहा के मेरे भाषण को लिखना तो असंभव था क्योंकि रात के अनधोर अंधेरे में कागज और पेसिल तक नहीं दिखाई पड़ती थी। पुलिस के पास रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः मेरे भाषण की जो रिपोर्ट दी गई है वह विलुप्त यन्त्राद्वारा है तथा यह दिखाने का प्रयास है कि 'जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं।' किसी भी पके-लिखे व्यक्ति के द्वारा सरसरी तीर से रिपोर्ट देखने पर उसे इसकी सत्यता का तुरंत ज्ञान हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी भय से ग्रसित होकर कुछ रिपोर्ट तो पड़ी भी नहीं गई हैं। जाहिर है, यदि ईमानदारी से नुकदाने की कार्रवाई होती तो बादी पक्ष की भूमिका का पर्दाफाल हो जाता। अपनी रिपोर्ट लेने की पद्धति और मेरे भाषण के बाग के मंबंध में जो हास्यास्पद बातें गंगाधरराव ने

कही है उन्हें देखकर किसी भी न्यायसम्मत व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि खाली पक्ष की रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। इस प्रकार की सध्याओं में मेरे भाषण के सामान्य गति से बोलने पर गवाह कितने शब्द लिख सकता है, यह दिखाने का यदि मुझे अवसर दिया जाता तो पुलिस अधिकारियों की असल्यता एवं निम्न वृत्ति सबके सामने आ जाती। परंतु आश्चर्य और खेद की बात तो यह है कि मेरे मुकदमे में अधिकतम रुकावटें डाली गई हैं। मतभूमि के भक्तों को दमनचक्र में पीसने वाली सरकार पर मेरे द्वारा न्यायालय में किए गए विरोध का कोई असर नहीं होगा, यह मैं भली भांति जानता हूँ। मैं अभी भी यहो कहता हूँ कि हिंदुस्थान हिंदुस्थानियों का है और स्वराज्य हमारा अंतिम ध्येय है। आज तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा सरकार द्वारा आत्मनिर्णय की घोषणाएं यदि होंग थीं तो सरकार मेरे भाषण को राजद्रोह ममझ मकती है। पर मेरा सर्वशक्तिमान ईस्वर के न्याय पर अटल विश्वास है।'

9 जुलाई को डा. हेडगेवर ने न्यायालय में सरकारी गवाहों को फिर से जिरह हेतु बुलाने की बिनती की। उनका तर्क था कि उनके बकील द्वारा न्यायालय के बहिष्कार के कारण उन गवाहों से जिरह नहीं हो पाई। लेकिन न्यायाधीश ने उत्तर में कहा कि धारा 108 के अंतर्गत वह गवाहों को पुनः नहीं बुला सकते हैं। डा. हेडगेवर ने न्यायालय में अनेक साक्ष्य प्रस्तुत करके कहा कि जिरह करना उनका स्वाभाविक अधिकार है। इस पर सरकारी बकील ने आपनी व्यक्ति बोली की। उसने वैधानिक साक्ष्यों पर विचार करने के बजाय डा. हेडगेवर के न्यायालय में व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 13 जून को न्यायाधीश ने जागे किसी जिरह की अनुमति नहीं दी। 9 जुलाई को डा. हेडगेवर ने लिखित बयान दिया :

(क) मुझे इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि मेरा भाषण कायदे से प्रस्थापित ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध असतोष, द्वेष य द्वोह उत्पन्न करने वाला तथा हिंदुस्थानियों एवं भूरोपीय लोगों के बीच शाश्रु-भाव पैदा करने वाला है। एक भारतीय के किए गए व्यर्थ की जांच और न्याय बरने के लिए एक वराई राजसत्ता बैठे, मैं इसे अपना और अपने महान देश का अपमान समझता हूँ।

(ख) हिंदुस्थान में न्यायाधिकृत कोई शासन है, ऐसा मुझे नहीं लगता है और यदि कोई इस प्रकार की बात करता है तो मुझे आश्चर्य होता है। हमारे

यहाँ आज जो कुछ भी है वह पाश्चात्यिक शक्ति के बल पर घोषा गया आतंक का साम्राज्य है। कानून उसका दास है और न्यायालय उसके खिलौने मात्र है। विश्व के किसी भूभाग में किसी शासन को रहने का अधिकार है तो वह जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार को है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की शासन व्यवस्था गाढ़ों का शोषण करने एवं भूत लोगों द्वारा योजनापूर्वक चलाए हुए घोखेवाजी के नमूने हैं।

(ग) मैंने अपने देशवासियों में मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्तिभाव बायत करने का प्रयत्न मात्र किया। मैंने उनके हृदय पर यह अंकित करने का प्रयास किया कि हिंदुस्थान हिंदुस्थानियों का है। यदि एक हिंदुस्थानी राजदोह किए बिना राष्ट्रभक्ति के ये तत्त्व प्रतिपादित नहीं कर सकता तथा भारतीय एवं यूरोपीय लोगों में जन्म-भाव पैदा किए बिना वह इस सत्य का बयान नहीं कर सकता, यदि स्थिति इस हृद तक पहुंच चुकी है तो यूरोपीय तथा वे जो अपने आप को भारत सरकार कहते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए कि अब उनके बापस चले जाने की घड़ी आ गई है।

(घ) मेरे भाषण की टिप्पणियां पूरी तरह सही-सही नहीं लिखी गईं। मेरे भाषण का टूटा-फूटा, अनाप-शानाप एवं विपर्यस्त विवरण दिया गया है। परन्तु मुझे इसकी चिंता नहीं है। गाढ़ों के बीच संबंध जिन मूल लत्वों के आधार पर निर्धारित होते हैं, उसी आधार पर ड्रिटेन तथा यूरोपीय लोगों के प्रति मेरा चर्ताव है। मैंने जो कहा, वह अपने देशवासियों के अधिकारों पर स्वतंत्रता की प्रस्तापना के लिए कहा और मैं अपने कहे गए प्रत्येक शब्द का दायित्व लेने के लिए साहं तैयार हूँ। मेरे ऊपर जो असरोपित है, उसके संबंध में यदि मैं कुछ नहीं कह सकता तो मैं एक-एक अक्षर को मानने के लिए तैयार हूँ तथा योषण करता हूँ कि वे सब न्यायोचित हैं।'

जब 5 अगस्त को मुकदमे को कार्रवाई शुरू हुई, तब डा. हेडगेवर को न्यायाधीश ने उन पर (हेडगेवर पर) लगाए गए आरोपों पर सफाई देने की अनुमति दी। तब डा. हेडगेवर ने चिस व्यापक, संवेदनशील और विवेकपूर्ण तरीके से साम्राज्यवादी व्यवस्था पर अक्षमण किया, वह सचमुच मैं भारतीय राष्ट्रीयता की उच्च स्तर की अधिक्षक्ति है। उन्होंने कहा :

"मुझे सरकार एवं नौकरशाही दोनों को आलोचना करनी होगी। इसलिए

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया कुछ सज्जों के लिए भूल जाएं कि आप सरकारी सेवक हैं और मेरे भाषण को अनज्ञान व्यक्ति के रूप में ध्यान से सुनिए। सरकार ने मेरे मुकदमे में तीन पुलिस वालों को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है। पुलिस वालों ने स्वीकार किया है कि वे भाषण की रिपोर्ट मुकदमे का आधार है। अतः उन्हें गवाह की अपेक्षा बादी कहना अधिक उपयुक्त होग। वे सरकार के पूर्ण रूप से दापत हैं। अपने जीविकोपार्जन के लिए वे सरकार पर निर्भर हैं। अतः इसमें कोई आशंकर्य नहीं है कि ये लोग सरकार की तरफ से जूठों गवाही देते हैं। बादी पक्ष को कम से कम एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहिए था जो सरकारी सेवक नहीं हो। लेकिन सरकार को मालूम था कि उसके पक्ष में उसके चापलूसों को छोड़कर कोई गवाह नहीं बनेगा।"

डा. हेडगेवर ने स्मैली के पूर्व निर्णयों को अपनी बात को पुष्टि करने के लिए उद्धृत किया। स्मैली ने डा. एम. आर. चौलकर के मुकदमे में एवं नुर्हाशियल कमिश्नर ने नारायणराव वैश्व के मुकदमे में फैसला दिया था कि 'ऐसे मुकदमे में पुलिस अधिकारियों की अपेक्षा स्वतंत्र गवाह अधिक विश्वसनीय होते हैं।' इस मुकदमे में स्मैली अपने द्वारा तीन महीने पूर्व दी गई अवस्था को स्वयं ही व्यस्त कर रहे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटिश सरकार ने नागपुर के राष्ट्रवादियों में डा. हेडगेवर को अपना मुख्य निशाना बनाया था। बिछु के बाद डा. हेडगेवर ने न्यायालय के प्रांगण में खचाखच भरे लोगों एवं बकोलों के बीच राष्ट्रवाद को व्यनित किया :

"साधारणतया मेरे भाषण का विषय होता है—'हिंदुस्थान हिंदुस्थानियों का है, अतः हमें स्वराज्य चाहिए।' लेकिन सिफे इतना कहना यथेष्ट नहीं है। स्वराज्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, एवं स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमें कैसे रहना चाहिए, यह भी लोगों को समझाना पड़ता है। नहीं तो 'यथा गवा तथा प्रजा' की उक्ति के अनुसार हमारे लोग अंग्रेजों का अनुकरण करने लगें। हाल के विश्वयुद्ध से जब लोग समझ चुके हैं कि ब्रिटेन के लोग अपने राज्य से संतुष्ट नहीं हैं और वे दूसरे देशों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन करते हैं और उन पर शक्ति करते हैं। लेकिन जब उनकी स्वयं की स्वतंत्रता खतरे में होती है तो वे शक्ति ठटाते हैं और खून की नदियां बहाने में नहीं हिचकते हैं। इसलिए इन्होंने लोगों को बताना पड़ता है कि ब्रिटेन की शैतानी-सभ्यता का अनुकरण न करें। हमें उन्हें बताना पड़ता है कि स्वतंत्रता शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करनी

है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और अपने राज्य से संतुष्ट रहना चाहिए। यह बात लोगों के मन में बैठाने के लिए यह बताना पड़ता है कि एक देश का दूसरे देश पर शासन करना अन्यथापूर्ण है। ऐसा करने में स्वाभाविक रूप से मुझे उग्रकल की राजनीति की चर्चा करनी पड़ती है।

"दुर्भाग्य से पराए लोग हमारी प्रियतम मातृभूमि पर शासन कर रहे हैं। सरकारी वकील साहब, आपसे मेरा सौझा प्रश्न है कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत एक देश के लोगों को दूसरे देश के ऊपर राज्य करने का अधिकार प्राप्त होता है? क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? क्या इस तरह की बत प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध नहीं है? यदि यह बात सत्य है कि एक देश के लोगों को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है तो अंग्रेजों को हिंदुस्थानियों को अपने पैरों के नीचे कुचलकर हिंदुस्थानियों पर शासन करने का अधिकार किसने दिया है? अंग्रेज हमारे देश के निश्चय ही नहीं हैं। फिर उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनने के लिए बाच्य किया है एवं बलपूर्वक अपने आप को शासक घोषित किया है। क्या यह न्याय, नैतिकता एवं धर्म की हत्या नहीं है?

"इंग्लैंड को परंतु करके उस पर राज्य करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। सेकिन हम अपने देश पर उसी प्रकार शासन करना चाहते हैं जैसे ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन पर एवं जर्मनी के लोग जर्मनी पर शासन करते हैं। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं!"

अंत में उन्होंने सरकारी वकील से पुनः मारांधित सवाल किया— "क्या 'स्वतंत्रता' की इच्छा रखना नैतिकता अथवा कानून के विरुद्ध है? मेरा पूर्ण विश्वास है कि कानून का निर्माण नैतिकता के हनन के लिए नहीं, अतिक उमसकी रक्षा के लिए होता है!"¹

उनके भाषण के बाद सरकारी वकील ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'डाक्टर हेडगेवार ने जो भाषण दिया है वह अत्यंत सौधा-सादा और स्पष्ट है। परंतु मध्याओं में उनका भाषण भिन्न रहा होगा। नोट करने वाले पुलिस अधिकारियों को गलतफहमी होने का कोई कारण नहीं है।'

उनके मुकदमे के फैसले की तिथि 19 अगस्त निर्धारित हुई। उस दिन न्यायालय के भीतर एवं बाहर अप्रत्याशित भीड़ थी। दोपहर साढ़े बारह बजे स्मेली ने उनके विचार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'उनके मूल भाषण की अपेक्षा यह विवरण कहाँ अधिक राजदोहपूर्ण है।' फिर अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा—“आपके भाषण निस्संदेह राजदोहपूर्ण हैं। अतः एक वर्ष तक आप इस तरह का भाषण नहीं करेगे, इसका आश्वासन देते हुए एक-एक हजार रुपये की दो जमानतें और एक हजार रुपये का एक मुखलका दें।”

डा. हेडगेवर ने एक बार फिर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को ललकारते हुए कहा—“आपको जो भी निर्णय देना है, दें। मैं दोषी नहीं हूँ। मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि मैं निर्दोष हूँ। मगरकार अपनी हस टपनकारी नीति से पहले से जल रही आग में घोड़ा डालने का ही काम बर रही है। मुझे विश्वास है कि जलदी ही विदेशी सत्ता को अपने किए पर प्रायशःचूत करने का समय आएगा। मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर के न्याय पर भरोसा है। अतः जमानत देना मुझे स्वीकार नहीं है।”¹

इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें एक वर्ष के सत्रम कारावास की सजा देने की घोषणा की।

डा. हेडगेवर न्यायालय से बाहर आए हो नागपुर कांग्रेस के सभी बड़े नेतृओं ने पुण्यहार से उनका स्वागत किया और हजारों लोगों ने उनकी जय-जयकार की। उनके स्वागत में नगर कांग्रेस की ओर से गोखले, डा. मुंजे, विश्वनाथगांधी केलकर, दा. मृ. देशमुख, हरकरे, समीमुल्ला खां, अलेकर, वैद्य, मंहालेकर आदि विद्यमान थे। उनके चाचा मोरेश्वर हेडगेवर, ज्येष्ठ भाई सीताराम पंत भी उपस्थित थे। डा. हेडगेवर ने लोगों को संबोधित किया, फिर जैल के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपने संबोधन में उन दो भ्रमों को दूर करने का प्रयास किया जो तत्कालीन राजनीतिक जीवन में घर कर चुके थे। न्यायालय में बचाव के लिए जिरह करने वाले गलत माना जाता था तथा जैल जाने को स्वीकृत औदैलन का पर्याय समझा जाने लगा था। उन्होंने कहा :

¹ वैसली 23 अगस्त 1921 अगस्त 1921, प. 7

"राजद्रोह के इस मुकादमे में मैंने अपना पक्ष रखा। आजकल यह धारणा है कि जो बचाव करेगा, वह देशद्रोही है। अपना बचाव किए बिना खटमल के समान रगड़े जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। हमें सरकार की नीचता को जल्दी उजागर करना चाहिए। इसमें भी देश-सेवा है। उल्टे बचाव न करना आत्मघातक है। आपको बचाव करने में आनंद नहीं आए, तो मह कीविए, परंतु ऐसा करने वालों को आगे से हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।"

"मातृभूमि को रक्षा करने हेतु जेल तो बया, काले पानी जाने अथवा फाँसी के तख्ते पर लटकने को भी हमें तैयार रहना चाहिए। परंतु जेल जाना मानो स्वर्ग है, वही स्वातंत्र्य-प्राप्ति है— इस प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। केवल जेल जाने से हमें स्वराज्य मिलेगा, यह मत समझिए। जेल न जाकर, बाहर रहकर राष्ट्र सेवा अनेक तरह से की जा सकती है। मैं एक वर्ष बाद वापस आऊंगा। तब तक देश के हाल-चाल का पता मुझे नहीं चल पाएगा। परंतु हिंदुस्थान को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का आंदोलन शुरू होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंदुस्थान को अब और अधिक विदेशी मत्ता के अधीन रखना संभव नहीं है। उसे गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। आप सबका हृदय से आभार भानकर एक वर्ष के लिए आज्ञा लेता हूं।"

डा. हेडगेवर की गिरफतारी ने प्रथमप्रांत के राजनीतिक जीवन में प्रेरणादायी लहर का संचार किया। 19 अगस्त को नागपुर में उनके समर्थन में विशाल सभा की गई। गोविंदराव देशमुख ने अध्यक्षता की एवं प्रांत के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। अलेकर ने उन्हें 'नौजवानों का असली नेता' कहकर उनके त्याग को वर्णनात्मत बताया।

'केसरी', 'महाराष्ट्र', 'बंग पैट्रियट', 'उदया' आदि प्रांत के समाचार-पत्रों ने उनके द्वारा न्यायालय में दी गई बीरतापूर्ण एवं उच्चस्तरीय दलीलों एवं भाषण की सराहना की। अमरावती से प्रकाशित 'उदया' ने उनकी सराहना करते हुए संपादकीय में लिखा—

'न्यायालय में डा. हेडगेवर का वक्तव्य स्पष्ट एवं सरल था। यद्यपि डा. चोलकर की तरह ही उन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य का प्रतिपादन किया तथापि उन्हें एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार की सजा

नीकरणात्मी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ़ आक्रोश एवं धूमा पैदा होने से नहीं रोक सकती है।¹

इस मुकदमे का महत्व इसलिए बहु जाता है कि डा. हेडगेबार ने कहीं भी, किसी भी क्षण पूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा पर समझौतावादी रुख नहीं अपनाया। साप्राव्यवाद का विरोध सिफ़े भावनात्मक आधार पर अध्यवा उत्तेजनावश उन्होंने नहीं किया था बल्कि उसे वैधानिक, नीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधारों पर एक 'अप्राकृतिक' पटना की संज्ञा दी। औपनिवेशिक काल में साप्राव्यवाद के मैदानिक आधार पर विरोध को यह एक मिसाल है। वह राष्ट्रीय स्वर के नेता तो नहीं थे, परंतु उनके त्याग तथा न्यायालय में देशभक्तिपूर्ण वक्ताओं ने उनकी विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता को बढ़ाया ही। उनका कार्य प्रांत की नई पीढ़ी के गृह्णावादियों के लिए, ऊर्जा एवं प्रेरणा का स्रोत बन गया।

1. उद्दा. संपादक : दी. चौधरी, भारतीय संयोग-पर्चे पर रिपोर्ट, मध्यप्रांत एवं चार मंसिर 35/1921, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

सत्यनिष्ठ हेडगेवार

डाक्टर हेडगेवार को 19 अगस्त 1921 को नागपुर की अजगी जेल में
लाया गया। उन्हें एक वर्ष के सशम कारावास की सजा तो दी ही गई
थी, उनके उत्तराधिकारी के कारण अधिकारियों को उन पर कड़ी नजर रखने का
प्रशासन द्वारा निर्देश था। इस जेल में उनके साथ चार अन्य अंदोलनकारी सशम
कारावास की सजा भुगत रहे थे। रघुनाथ समचंद्र पाठक, पांडित राधा मोहन
गोकुल जी, और हरकरे एवं इनामुल्ला थे।

डा. हेडगेवार ने जेल जाने से पूर्व उन्हें विदा करने आए जन समूदाय से
जो बात कही, वह तत्कालीन राजनीतिक मनोवृत्ति पर एक प्रहार था। जेल जाने
में गौरव, सम्मान एवं सज्जा राष्ट्रवाद मानने की आंति को उन्होंने विवेकपूर्ण
तरीके से खंडित किया। उनका मत था कि आवश्यकता पड़ने पर ही जेल जाना
चाहिए और सामाजिकवाद से लड़ने के लिए जेल से बचकर बाहर रहने में
देशभक्ति कम नहीं होती है। जेल से बाहर रहकर ही अहम भूमिका निभाई
जा सकती है। इस छोटी कितृ महत्वपूर्ण बात ने राष्ट्रवादियों के बीच चौदिक
बहस को जन्म दिया। कुछ लोगों को डा. हेडगेवार के वल्लव्य एवं व्यावहारिक
पक्ष के बीच विरोधाभास दिखाई दिया। यह प्रश्न उठा कि डा. हेडगेवार ने
जमानत बर्खी नहीं ली और जेल से बाहर रहकर राष्ट्रीय अंदोलन में योगदान
बर्खी नहीं किया? इस चर्चा का समाधान नागपुर से प्रकाशित साप्ताहिक
'महाराष्ट्र' ने किया। इसके संपादक गोपालराव ओमले ने डा. हेडगेवार के गौर
समझीतवादी एवं सामाजिकवाद विरोधी कृत्य के लिए बधाई देते हुए लिखा था:

'डाक्टर हेडगेवार अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध जेल गए। 'जेल
जाने से हर गया'—इस प्रकार का लोकापवाद न आए, इसलिए उन्हें जेल जाना
आवश्यक प्रतीत हुआ। लोकापवाद अत्यंत ही निर्धन दुर्वासा त्रहिं के समान
है; यह बड़े बड़े को कसौटी पर कसता है। इसी लोकापवाद के भय से भगवान
रामचंद्र ने सौता जी को निष्पाप जानते हुए भी बनवास दिया था। उसी प्रकार
डाक्टर जी को यह विश्वास होते हुए भी कि जेल में संसार से कटकर निकिय
बैतने की आपेक्षा वह बाहर रहकर राष्ट्रीय अंदोलन के लिए अधिक काम कर

सके गे, वह लोकापवाद से बचने के लिए सहयोग जेल गए। 'लोकापवादी बलबान्मतो मे'—भगवान रामचंद्र का यह वाक्य भी सार्वजनिक जीवन जीने वालों को आचरण में लाना पड़ता है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि स्वेच्छा से जेल गए डाक्टर हेडगेवार अपने जेल जीवन में स्वाधीन-त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करके और अधिक प्रदीप होकर नागपुर की डदयोन्मुख पांडी का नेतृत्व करने एवं अपने विशुद्ध स्वतंत्र्य के धैर्य का प्रतिष्ठादन करने शोध हों हमारे जीव आएंगे।'

जेल जीवन

डाक्टर हेडगेवार के साथ रह रहे लोगों को प्रकृति भिज-भिज थी। पाठक पेशे से खफोल थे एवं सरल स्वभाव के अविद्या थे। और हरकरे उष्ण राष्ट्रवाद के समर्थक थे, पंडित गोकुल जी कट्टर आईसमाजी तथा आज्ञामक हिंदुत्व के हिमायती थे, तो इनामुल्ला कहुर मुस्लिम और स्विलाफत के समर्थक थे। पंडित गोकुल एवं इनामुल्ला के बीच धर्म के विषय पर चाद-विचाद आम चाल थी। कभी-कभी तो झड़प भी हो जाती थी। तब डाक्टर हेडगेवार सहजता से स्थिति को मुलझाते थे। इनामुल्ला के हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण से वा. हेडगेवार को प्रतीत हुआ कि उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति अज्ञान है। वह इनामुल्ला के मन में व्याप्त गलत धारणा एवं अज्ञान को दूर करने का प्रयास करने लगे।

डाक्टर हेडगेवार प्रतिदिन 'महाभारत' को एक कहानी अपने साथी बंदियों को मुनाफा करते थे। ऐसा लगता था कि उन पर सत्रम कारावास का कोई प्रभाव नहीं रही था। उनके अपने चेहरे पर कभी भी उदासीनता का भाव प्रकट नहीं हुआ। विस मनोहरी एवं सरल तरीके से महाभारत की घटनाओं, उद्धरणों एवं पात्रों को वह प्रस्तुत करते थे, उससे वह एक संन्यासी प्रतीत होते थे। तभी तो जेल अधिकारी नीलकंठराव जहार भी उनके सात्त्विक चरित्र से प्रभावित हुए, जिन नहीं थे। उन्होंने डाक्टर हेडगेवार से कहा— 'आप राजनीतिक बंदी नहीं, एक धार्मिक व्यक्तित्व वाले महर्षि लगते हैं।'

जठर अपनी कूरता के लिए विख्यात थे, परंतु एक वर्ष में वह वा. हेडगेवार के व्यवहार एवं राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के

१. नवारण, २४ जून १९२१, संपादकीय— 'हेडगेवार जेल क्यों गए'

प्रति सहानुभूति रखने लगे थे। वह डा. हेडगेवार के प्रशंसक बन गए। जेल जीवन के बाद भी वह उनसे मिलने आया करते थे। इनामुल्ला की कदुरता पर भी डा. हेडगेवार अपना असर छोड़ने में सफल रहे। काफी याद-विचाद के बाद वह भी उनकी महाभारत कथा के श्रीता बन गए।

जलियांवाला बाग दिवस

डा. हेडगेवार ने 13 अप्रैल 1922 को जेल के अंदर 'जलियांवाला बाग दिवस' मनाने का निर्णय लिया। इनामुल्ला को छोड़कर सभी सहमत थे। यह निर्णय लिया गया कि सत्रम कारावास के अंतर्गत सभी पांचों राजनीतिक चंदों उस दिन काम नहीं करेंगे। इनामुल्ला की शर्त थी कि वह डा. हेडगेवार का अनुसरण करेंगे और उन्होंने भी डा. हेडगेवार के साथ उस दिन काम नहीं किया। एक छोटी सभा भी रुई, जिसमें डा. हेडगेवार का भारतीय राष्ट्रवाद पर एक लघु भाषण रुआ। यह सब जठार के मन में उत्पन्न सहानुभूति के कारण, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गया।

सत्रम कारावास के अंतर्गत सभी बंदियों को अलग-अलग प्रकार का काम दीया गया था। पाठक जो को जबकी बलाने का काम दिया गया था तो डा. हेडगेवार को तैयार कागज को धिसकर उसमें सफाई और चमक लाने का काम दिया गया था। डा. हेडगेवार के हाथों में छाले एवं मूजन हो गई थी। परंतु उन्होंने इसके बावजूद जेल अधिकारियों से अपनी सजा कम करने या किसी प्रकार जो रियायत की मिज़बानी नहीं की। उन छालों के बावजूद वह ईमानदारी से कागज धिसने का काम करते रहे। तब जठार ने स्वयं ही डा. हेडगेवार सहित उनके अन्य चार साथी बंदियों को पूस्तक बांधने का आमान काम दिया।

जेल से मुक्ति

नागर्गुर में उनके जेल से मुक्त होने को व्यग्रता से प्रतीक्षा की जा रही थी। स्थानीय समाचार-पत्रों ने एक सप्ताह पहले से इसकी सूचना देनी शुरू कर दी। अंततः प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। 11 जूलाई 1922 को वह अपनी सजा पूरी करके बाहर आए। प्रकृति भी मानो उनके स्वागत में तैयारी कर चुकी थी। उस दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ऐसी वर्षा कई महीनों के बाद हुई थी।

जनबीवन अस्त-व्यस्त तो था, परंतु राष्ट्रीयता के ज्यार के सामने भला वर्षों के से रुकावट बनती। हजारों की संख्या में लोग अजनी जेल के सामने डा. हेडगेवर के बाहर आने की प्रतीक्षा बैसे ही जर रहे थे जैसे एक पिला विदेश से अध्यवन समाप्त करके लौट रही अपने गंतव्य की प्रतीक्षा किसी रेलवे स्टेशन पर करता है। लोगों में अति उत्साह था। मूसलाधार बारिश में वे आनंद का अनुभव कर रहे थे। प्रांतीय कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता भी उनके बीच उपस्थित थे। इनमें डा. युजे, डा. ना. भा. खेर, डा. परांजपे, बलवंतराव मंडलेकर, अपासाहव हलदर, डा. पांचखेडे और बीर हरकरे शामिल थे। हरकरे डा. हेडगेवर से पूर्व ही जेल से मुक्त हो चुके थे। 'महाराष्ट्र' ने डा. हेडगेवर की मिहाई के बाद लिखा था - 'उनकी देशभक्ति सभी विवादों से परे है। उन्होंने जेल में अपनी निष्ठा साक्षित की। उनके अस्ताधारण त्याग से उनकी जन्मजात देशभक्ति का गुण और भी चमकने लगा है। उनका जेल-जीवन पूरी तरह से निष्कलंक रहा है।'

डा. हेडगेवर के स्थानत में नागपुर के चिट्ठीस पार्क में अगले ही दिन एक स्वानत समारोह रखा गया था। समारोह में प्रांतीय कांग्रेस के नेताओं के साथ-साथ हक्कीम अजमल खां, पं. मोरीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, डा. अंसारी और विठ्ठल भाई पटेल जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी डा. हेडगेवर के स्थानार्थ विद्यमान थे।

डा. हेडगेवर कितने स्तोकप्रिय थे, उनका व्यक्तित्व कितना आकर्षक था और उनकी बाणी में कितना ओज था, इसका अंदाजा उस सभा में उमड़े हुए जनसमुदाय से लगाया जा सकता है। दिनांक 11 जुलाई की तरह 12 जुलाई को भी इतनी ही तेज और सागतार बारिश हो रही थी। इसलिए अंतिम सभाय में सभा का स्थान बदलकर व्हेकटेश थिएटर में कर दिया गया। लेकिन सभागृह में स्थान जब कम पढ़ गया तब थिएटर का दरवाजा बंद करना पड़ा। इसके बाबूद हजारों लोग थिएटर के बाहर मैदान में खड़े होकर डा. हेडगेवर की एक झलक पाने एवं उनका भाषण सुनने के लिए बेताब थे। उनके भीतर के राष्ट्रवाद की प्यास को बुझाने के लिए बारिश के पानी की नहीं, बल्कि डा. हेडगेवर की बाणी की आवश्यकता थी।

इन राष्ट्रीय नेताओं के लिए एक माधारण कार्यकर्ता की इतनी लोकप्रियता

सचमुच में आश्चर्य में डालने वाली थी। अतः उस दिन डा. हेडगेवार के स्वागत में दो समानांतर सभाएं हुईं—एक धिएटर के भौतर और एक खुले आसमान के नीचे।

डा. खरे सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। सबसे पहले डा. हेडगेवार को बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया गया। जब-जब चक्राओं द्वारा उनके निःस्वार्थ राष्ट्र-प्रेम एवं त्याग का उल्लेख होता था, सभा तालियों को गड़गड़ाहट से गुज़ उठती थी। कांग्रेस (सविनय अवज्ञा) जांच समिति के गदस्यों को जनसमुदाय के सामने कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करने वे उन्हें निर्देश देने वा अवसर मिला। वे तो सिर्फ़ प्रांतीय नेताओं से मिलकर बापस जाने वाले थे। अपने स्वागत का ढत्तर देते हुए डा. हेडगेवार ने अत्यंत संक्षिप्त भाषण दिया। भाषण के पहले अंश में उन्होंने अपनी जय-जयकार पर व्यंग्य किया:

‘एक चर्च सरकार का मेहमान बनकर रहने के कारण मेरी योग्यता अध्यक्ष पहचान नहीं बढ़ी है। और यदि बढ़ी है तो उसके लिए हमें सरकार का ही आभार मानना चाहिए।’

बस्तुतः इस तरह का व्यक्तिपरक समारोह और माल्यार्पण करना उनके स्वभाव में नहीं था। यह उन्होंने अपने बाद के जीवन में भी दर्शाया। जिसे त्याग, बलिदान एवं राष्ट्र-प्रेम कहा जा रहा था, उसे वह हर भारतीय की स्वाभाविक वृत्ति मानते थे। फिर उन्होंने लोगों एवं उपस्थित सभी प्रांतीय एवं राष्ट्रीय नेताओं को पूर्ण स्वतंत्र्य के लक्ष्य के लिए साक शब्दों में चेताया—‘राष्ट्र के सम्पूर्ण सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखना चाहिए। और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति से कम कोई भी ध्येय रखना उपयुक्त नहीं होगा। इसकी प्राप्ति का मार्ग कौन-सा हो, इस विषय में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भली भाँति समझने वाले आज के श्रोताओं को कुछ भी बताना उनका अपमान करने के समान होगा। यह बात बरूर है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए यदि मन्त्रु का भी धरण करना पड़े तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्रता का संघर्ष चलाने में जहां ध्येय हमेशा उच्च सर का होना चाहिए, वही दिवाग संतुलित होना चाहिए।’

जाहिर है, उन्होंने संसदीय राजनीति के सक्षय एवं 'डोमिनियन स्टेट्स' की मांग पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया।

नागपुर के बाद उनका स्वागत समारोह पूरे प्रांत के अन्य भागों में आयोजित किया गया। इनमें वर्धा, आर्वा, यवतमाल, अकोला, चांदा, मोहोपा और बाणी की सभाएं प्रमुख थीं।

बदला राजनीतिक परिदृश्य

एक वर्ष जेल में रहने के बाद जब डा. हेडगेवार पुनः राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुए तब उन्हें पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ मिला। दिनांक 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। महात्मा गांधी ने यह निर्णय संयुक्त प्रांत (यू.पी.) के चौरी-चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा का शक्ति अखिलपार करने के बाद लिया था। आंदोलन की वापसी के कारण आंदोलनकारियों में निराशा एवं तुच्छ हड़तक हताशा की मनःस्थिति बनी हुई थी।

कांग्रेस के भीतर विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने के विषय में बहस चल रही थी। कांग्रेस का एक वर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व चितरजन दास एवं मराठी लाल नेहरू कर रहे थे, गांधीजी की नीतियों को अव्यावहारिक ममझता था। वे कांग्रेस के अंदर रहते हुए विधान परिषदों के चुनाव लड़ने के पक्षधर थे। मराठी मध्यप्रांत में दास-नेहरू के राजनीतिक दृष्टिकोण को अन्य प्रांतों की अपेक्षा व्यापक समर्थन मिला। सभी बड़े नेता—बी. जी. खापड़े, डा. भूजे, बामनराव जोशी परिषद-प्रवेश के पक्षधर थे। वे सभी महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्तन एवं कायीक्रमों से कमोबेश सहमत नहीं थे। इस प्रकार जब स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ, तब मराठी मध्यप्रांत में यह एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरकर सामने आई थी। परंतु डा. हेडगेवार सहकारी सहयोग के यक्ष में नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि जन आंदोलनों की जगह विधान परिषदों के माध्यम से साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। एकनाथ रनाडे ने उनके संबंध में लिखा है— 'वह क्रांतिकारी थे, न कि संसदीय राजनीतज्ञ।'¹ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'पूर्ण स्वतंत्र्य के सक्षय को 'डोमिनियन स्टेट्स' के द्वारा

¹ एकनाथ रनाडे, ग्रटक्ट हिंदू आफ द एन, आर्नाइवर, 23 जुलाई 1950

विस्थापित नहीं किया जा सकता है।¹ डा. हेडगेवर ने अपने लिए आयोजित स्वागत समारोहों का उपयोग हताशा में दूबे कांग्रेस संगठन में जान पूँक्से के लिए किया। उनके भाषणों का लक्ष्य रहता था—आम कार्यकर्ताओं को ऊपर के नेताओं की गुटबाजी से दूर रखना एवं उन्हें पूर्ण स्वातंत्र्य के लक्ष्य के प्रति मुनः तैयार करना। चुनाव लड़ने को वह लक्ष्य से भटकाकर मानते थे। लेकिन ऐसा विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले वह पूरे मराठी मध्यप्रांत में संभवतः अकेले लोकप्रिय नेता थे। प्रायः सभी बड़े नेता गांधी एवं दास-नेहरू गुरुओं में विभाजित थे।

इस दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना उन्होंने बड़े ही संघर्ष एवं विवेक के साथ किया। वह स्वयं किसी भी गुट से नहीं जुड़े और न ही उन्होंने किसी गुट की आलोचना की। राजनीतिक सम्मेलनों की अध्यक्षता करने के लिए उनकी सबसे अधिक मांग थी। ऐसे ही बालाघाट में दो दिवसीय कांग्रेस सम्मेलन में वह अध्यक्ष के नामे विद्यमान थे। पहले दिन 16 दिसंबर 1922 को तत्कालीन राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। डा. हेडगेवर के अतिरिक्त सोमाजी पाटील, मोरेश्वर हेडगेवर, ठाकुर नरहरि बिंह, बलवंत राव दीक्षित एवं घेंडित नर्मदा प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त किए। डाक्टर हेडगेवर ने प्रतिनिधियों से 'व्यक्तिनिष्ठ' होने की जगह 'स्वत्वनिष्ठ' होने की बात कही। उनके ही प्रभाव से दूसरे दिन 'खादी, स्वदेशी, ग्राम पंचायत एवं गो-रक्षा' जैसे विषयों पर प्रचार-प्रसाद करने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। ऐसा प्रस्ताव पारित होना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था कि प्रांत के सभी बड़े नेता, जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है, गांधीवादी कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से अस्वीकृत कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब एक प्रस्ताव आया कि 'यह सम्मेलन परिषद-प्रवेश के प्रति विरोध प्रकट करता है' तब सम्मेलन में खलबली मच गई। इस प्रस्ताव के समर्थन में पांच भाषण हुए। तब एक संशोधन प्रस्ताव परिषद-प्रवेश के संबंध में भी रखा गया। अंत में डा. हेडगेवर ने प्रतिनिधियों को समझाने-बुझाने का प्रयत्न किया परंतु प्रतिनिधियों का एक वर्ग अपनी राय पर डटा रहा। तब उन्होंने मत विभाजन की अनुमति दी और परिषद-प्रवेश के समर्थकों की जीत हुई।

डा. हेडगेवर ने अपने मत को प्रतिनिधियों के ऊपर धोपने की जगह

1. महात्मा, 20 दिसंबर 1922, प. 4

लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करना बेहतर समझा। बालाघाट का सम्मेलन प्रांत में भर्तीत हुआ और डा. हेडगेवार इसी लोकतांत्रिक चरित्र के कारण प्रांतीय राजनीति में स्थानीय मान्य व्यक्ति बन गए थे। सन् 1922 में वह प्रांतीय कांग्रेस के सहमंत्री बने और उन्हें स्थानीय इकाइयों के चुनाव एवं सदस्यता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुटों में विभाजित संगठन के पास वह अकेले निर्णीट नेता थे। इसीलिए जब 13 अक्टूबर 1923 को नागपुर में 'झंडा सत्याग्रह' आयोजित किया गया तब मुंजे गुट के लोगों ने आवारी गुट पर तिलकवादियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। नेतृत्व की इस लड़ाई से अलग रहकर डा. हेडगेवार ने सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवकों को प्रेरित करने का कार्य किया।

राजनीतिक गुटबाजी के कारण प्रांत के असहयोगी स्वयंसेवकों की पोर उपेक्षा हो रही थी। वे सभी अपने-अपने घरों में निष्क्रिय होकर बैठे थे। यह बहुत डा. हेडगेवार के मन को कचोट रही थी। वह नेतृत्व से अधिक आम कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्व देना चाहते थे। उन लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः सक्रिय करने हेतु डा. हेडगेवार ने एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने सेठ जमनालाल बजाज, नीलकंठराव देखमुख, एम.एस. अणे, बाबासाहब खापड़ के सहयोग से 'वर्धा परिषद' की स्थापना की। अक्टूबर 1923 में नागपुर में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय राजनीति में भटकाव पर दुख प्रकट करते हुए कहा गया कि 'लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से अधिक अन्य विषयों को महत्व दे रहे हैं।' इस सम्मेलन में छह प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें सत्याग्रह के दौरान जेत गए आंदोलनकारियों का सम्मान करने, जेत में बंद आंदोलनकारियों की सहायता करने, प्रांत स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी संगठन का निर्माण करने एवं धन संग्रह करने से संबंधित थे। कारखाना से मुक्त होने के बाद डेक्क वर्ष तक डा. हेडगेवार प्रांतीय कांग्रेस की सचिवता करने, नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं के बीच आई शिथिलता एवं प्रतिष्ठानद्वारा उथा राजनीतिक भटकाव को दूर करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने दर्जनों सभाओं में हजारों लोगों को संबोधित किया। उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद थी, परंतु डा. हेडगेवार पद एवं प्रतिष्ठा से दूर थे, जय-जयकार करना इनका स्वभाव नहीं था, इसलिए उनका समर्थन आधार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पह रहा था, परंतु कथनी और करनी में एकरूपता के कारण उनका

१. महाराष्ट्र, 14 अक्टूबर 1923, 'वर्धा स्वयंसेवक परिषद'

व्यक्तित्व प्रांतीय नेताओं के बीच चमकते सितारे की तरह एकदम भिज रूप में दिखाई पड़ने लगा था। डा. हेडगेवर राजनीतिक आंदोलन में आई निष्क्रियता से अधिक कांग्रेस नेताओं के बीच व्याप्त गुटबाबी, आरोप-प्रत्यारोप, सिद्धांतों के नाम पर व्यक्तिनिष्ठा के विकास और सार्वजनिक जीवन में आ रही गिरावट से चिह्नित थे। परंतु उनकी आशावादी एवं संघर्षशील प्रकृति कभी मरने वाली नहीं थी। वह नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ना एवं उसके बीच और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरकर सामने आना जानते थे। नकारात्मक परिस्थितियों के बीच ही उन्होंने अब तक सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास किया था। कांगड़िकारी मार्ग से लेकर अहिंसावादी आंदोलन में हिस्सा लेते हुए वह अन्य महान हस्तियों की तरह बादों के चक्रव्युह में कभी नहीं फंसे।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में उन्होंने सामाज्यवादियों के साथ-साथ समझौतावादियों के बिरुद्ध जन-जागरूति को आवश्यक समझा। वर्ष 1924 में उन्होंने पूर्ण स्वातंत्र्य के लक्ष्य को प्रचारित करने के लिए समाजार-पत्र को मार्गदर्शन बनाया और वह एक संघर्षशील संपादक को भूमिका में सामने आए। यद्यपि यह थोड़े समय के लिए था परंतु यह मध्यप्रांत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वास्तव में वह विशुद्ध राष्ट्रवादी थे जो अलग-अलग समय में परिस्थिति की आवश्यकतानुसार अलग-अलग मंचों एवं संस्थाओं से अपने लक्ष्य को प्रसारित करते रहते थे। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वह वास्तविक अर्थ में सत्य के सभी प्रयोगकर्तां थे, परंतु इस प्रयोग को उन्होंने लिखकर या बोलकर आत्मप्रवंचना का साधन नहीं बनाया। वह समाज अध्यवा राष्ट्र के काम पर अपने जाप को महापुरुष के रूप में थोपना नहीं चाहते थे। एक संपादक के रूप में वह पूरे तर्थ भारतीय समाज एवं स्वतंत्रता संग्राम को दोषमुक्त करने के लिए संत कबीर की तरह स्पष्ट एवं ठेठ बधानी करते रहे। वह तो नागपुर के कबीर थे, जिनकी काणी एवं व्यवहार पूरे राष्ट्र के लिए उपयुक्त था।

‘स्वातंत्र्य’ का संपादन

सन 1924 के आरंभ में नागपुर में मराठी अखबारों में ‘महाराष्ट्र’, हिंदी में ‘संकल्प’, ‘प्राणवीर’ और अंग्रेजी में ‘हितवाद’ प्रमुख समाचार-पत्रों में गिने जाते थे। ‘हितवाद’ के अंतिरिक्त बाकी दोनों द्वय राष्ट्रवाद के समर्थक थे। प्रांत के अन्य राष्ट्रवादी पत्रों में ‘प्रजापक्ष’ (अकोला), ‘स्वातंत्र्य हिंदुस्थान’ (अमरावती) ‘उदया’ (अमरावती), ‘यश पैट्रियट’ इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। ‘महाराष्ट्र’ के संपादक गोपालराव ओगले डा. हेडगेवार के मित्र एवं प्रशंसक थे। इसकी प्रसार संख्या 1924 के आरंभ में 6000 थी। ‘हितवाद’ का रुख छिटेन के समर्थन में था और इसकी प्रसार संख्या 1000 थी। इसके संपादक एच. एन. मावसरकर थे। ‘महाराष्ट्र’ एवं ‘हितवाद’ दोनों सासाहिक थे जबकि ‘प्राणवीर’, जिसकी प्रसार संख्या 800 थी, द्विसासाहिक था। ‘संकल्प’ के हिंदी एवं मराठी दोनों संस्करणों की प्रसार संख्या 500 थी।

असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीति के प्रभाव से ये पत्र-पत्रिकाएं भी अलृती नहीं रहीं। इनमें अधिकांश का झुकाव मध्यप्रांत की राजनीतिक संस्कृति के अनुसार स्वराज्य पाटी एवं सहकारी सहयोग के प्रति था। व्यक्तिगत एवं सौदांतिक पूर्वांग्रहों के कारण प्रांत के लोगों को दलीय समाचार अधिक मिलती थे और स्वतंत्रता का लक्ष्य गीण हो गया था।

राष्ट्रवादी प्रेस की इस हालत को देखकर नारायणराव वैद्य, ए.वी. कोलहटकर एवं डा. हेडगेवार ने नए मराठी दैनिक ‘स्वातंत्र्य’ का प्रकाशन शुरू किया। थोड़े ही दिन में कोलहटकर ने ‘रणसंग्राम’ नामक पत्र शुरू किया और डा. हेडगेवार ने ‘स्वातंत्र्य’ के संपादन का कार्य अपने हाथ में ले लिया। कोलहटकर का ‘स्वातंत्र्य’ छोड़ने का एक कारण ‘स्वातंत्र्य’ की संपादकीय नीति से असहमति भी थी। ‘स्वातंत्र्य’ क्रांतिकारियों की भत्संना करने की जगह उनकी देशभक्ति को प्रशंसा करता था जो कोलहटकर को पसंद नहीं था। संपादक भंडल और स्वर्य वैद्य डा. हेडगेवार द्वारा बनाई गई संपादकीय नीति का समर्थन करते थे। इसका पहला अंक जनवरी 1924 के दूसरे सप्ताह में निकला। इस अंक में इमके उद्देश्य को घोषणा की गई—

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गत तीन वर्षों से भारत के राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सफलतापूर्वक काम कर रही है। लेकिन इस प्रश्न का अब तक सही समाधान नहीं हो पाया है। इस दैनिक की शुरूआत स्पष्ट एवं बिना किसी लाग-लपेट के भारत के राजनीतिक उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए कोई गई है। इसका नाम 'स्वातंत्र्य' रखा गया है जो इस बात का मूल्यक है कि अब समय आ गया है जब आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की भावना उच्चल रूप से स्थापित हो, जो पहले को भिक्षावृत्ति की नीति (Policy of Mendicancy) से बिल्कुल विपरीत है। भारत माता के सम्मान और परंपरा को ध्यान में रखते हुए लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने का भाग्यूर प्रयास यह दैनिक करेगा।' आगे इसने अपने उद्देश्य को रखते हुए तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य पर चोट की। दलों के बीच झगड़े एवं स्वतंत्रता की मांग पर व्यक्ति अथवा दल की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को सामने रखते हुए कहा गया कि 'हमारा स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है वह किसी खास दल मात्र का लक्ष्य न होकर पूरे साष्ट का लक्ष्य है। और यह आशा की जाती है कि सभी दल अपने मतभेदों को भूलकर इस समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एकताबद्ध होकर कार्य करेंगे।'

अपने प्रकाशन के साथ ही 'स्वातंत्र्य' एक लोकप्रिय समाचार-पत्र बन गया। सरकारी रिकार्ड के अनुसार डॉ. हेडगेवार के संपादन में इसकी प्रसार संख्या 1200 थी। इसका सीधा असर 'महाराष्ट्र' की प्रसार संख्या पर पड़ा, जो 6000 से बढ़कर 5000 हो गई।

इसने व्यक्ति, दल एवं सिद्धांत निरपेक्ष होकर पूर्ण स्वातंत्र्य के उद्देश्य एवं उसकी सामर्थ्य का समर्थन किया। जहाँ कहीं भी खोट नजर आया, डॉ. हेडगेवार ने आग के शोले बरसाने में तनिक भी हिचक नहीं दिखाई। 'स्वातंत्र्य' का संपादन करते समय उन्होंने अपने-पराएं का भेद भूला दिया। जब डॉ. मुंजे ने मध्यप्रांत की विधान परिषद् में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के पर एक स्वगत प्रस्ताव रखा तो 'स्वातंत्र्य' ने इसको कहु आलोचना की। इसने 22 फरवरी 1924 के अंक में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा - 'हमारी राज में यह स्वराज्य पार्टी की घोषित नीतियों के विपरीत कार्य है।'

1. भारतीय समाज एवं पर रिपोर्ट - मध्यप्रांत और बहर, संख्या 3, जर्नल 1924, राष्ट्रीय अधिकारियां, नई दिल्ली।

सर मोरोपंत जोशी ने, जो मध्यप्रांत के प्रमुख नेता थे, जब मध्यप्रांत के गृह मंत्री का दायित्व स्वीकार किया तो 'स्वतंत्र' के 27 सितंबर 1924 के अंक में डा. हेडगेबार ने लिखा- 'क्या सम्मानीय गृहमंत्री (Home Member) को यह गालूम नहीं है कि श्रीचान (गोपाल कृष्ण) गोखले ने, जिन्हें वह अपना गुरु मानते हैं, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वाइसराय ची कार्यकारी परिषद की सदस्यता एवं नाइट्रुड का सम्मान स्वीकार नहीं किया था और वह ब्रिटिश राज के परंपरागत भक्तों, समर्थों, पराजयेंओं और जास्त्रियों की श्रेणी में नहीं आते हैं?' डा. हेडगेबार राजनीतिक संस्कृति में हो रही गिरावट में हैरान थे। डा. मुंजे, जिन्हें वह जीवन भर सम्मान की नजर से देखते थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अधिनंदन कर रहे थे तो दूसरे राष्ट्रवादी जोशी साम्राज्यवादी प्रशासन का अंग बनने में सम्मान का अनुभव कर रहे थे। फिर डा. हेडगेबार को संपादकीय नीति ग्रात के राजनीतिज्ञों को कैसे रास आती?

इसने इस परंपरा को भी लोड दिया कि जो पत्र क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते हैं, वे गांधीवादी आदर्शों को नापसंद करते हैं और जो महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, वे क्रांतिकारियों की भास्तना करते हैं। एक बंगाली चुवक गोपीनाथ साहा द्वारा अनेस्ट डे की हत्या को इसने ब्रिटेन द्वारा किए जा रहे दमन एवं शोषण का परिणाम घोषित करते हुए साहा के कार्य को सही बताया। इसने लिखा कि 'यूरोपियन एसोसिएशन ने भृतक के परिवार के साथ भावधीनी संवेदना व्यक्त की है। हम यह समझ चाने में असमर्थ हैं कि एसोसिएशन जालियांवाला चाग की जासदी से, जिसमें पंजाब की माझील ली व्यवस्था के अंतर्गत निर्दोष लोगों की निर्यम हत्या हुई थी, क्यों नहीं विचलित हुई थी?

'मल्लाई तो यह है कि इस प्रकार की हत्या तो दमन की कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है।'

मध्यप्रांत में बंगाल के 'युगांतर' की भाषा से किस साम्राज्यवादी प्रशासन की नींद नहीं उड़ती? 'स्वतंत्र' को न तो किसी दल, और न हो किसी व्यक्ति का समर्थन था। यह पत्र सिर्फ प्रसार संख्या पर टिका था। इसे भरकारी विज्ञापन तो मिलता ही नहीं था, सरकार के भव से निजी विज्ञापन भी चंद हो गए।

आधिक संकट के कारण पत्र मांग के अनुसार छप नहीं था रहा था। 1200 प्रति से अधिक लापने को इसकी स्थिति नहीं थी। लगतार घटे के बाद गहने इसे सप्ताह में दो बार, बाद में साप्ताहिक रूप से निकाला जाने लगा। फिर पृष्ठों की संख्या 8 से घटाकर 4 पृष्ठ कर दी गई और अंत में जनवरी 1925 के बाद इसका प्रकाशन बंद बरना पढ़ा। डा. हेडगेवार बिना किसी गारिमिक के काम करते थे। सन् 1924 के अंत में कुल 11,000 रुपये का धारा था।

विज्ञापन प्राप्त करने के लिए 'स्वातंत्र्य' ने परिस्थितियों, तत्कालीन राजनीतिक स्थिरों और ताकतों के साथ समझौता नहीं किया। डा. हेडगेवार इस पत्र की प्रसिद्धि और प्रकाशन बंद होने—दोनों के लिए जिम्मेदार थे। 'स्वातंत्र्य' उनको वैचारिक अवधारणा का बाहर था, तो उसे प्रसिद्धि मिली और उनकी गैर समझौतावादी वृत्ति के कारण उसे आधिक समर्थन मिलना असंभव हो गया।

'स्वातंत्र्य' के अंकों में झाँहिकारियों एवं महात्मा गांधी दोनों की हिमायत की गई। भारतीय स्वतंत्रता ऑटोलन की पत्र-पत्रिकाओं के बीच यह एक आदर्श प्रयोग था।

डा. हेडगेवार ने पत्र के द्वारा स्व-प्रचार की जगह अपने नाम का उद्धरण करने से कम होने दिया। उनके प्रायः सभी लेख अपनाम छपते थे। अतः जब 'स्वातंत्र्य' पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया तब चांदा के न्यायाधीश चमन लाल ने लेखक का नाम पूछा और जब डा. हेडगेवार ने अताने में इकार किया तो उन्हें हस्तालिखित मूल कापी न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे डा. हेडगेवार ने दुकरा दिया। इसके 1 मई 1924 के अंक में डा. हेडगेवार ने जो लिखा, वही बात चौदह साल बाद 1938 में हिंदू युवक परिषद के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कही। यह भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ। 'स्वातंत्र्य' ने उस अंक में लिखा था—'भारत इस गंभीर समस्या का सामना कर रहा है कि देश को विदेशी दामता से कैसे मुक कराएं। समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम पातं हैं कि हमारे लातूर अंग्रेज हमसे अधिक मजबूत एवं अनुभवी हैं। इस तथ्य से कुछ लोगों की भारणा बन गई है कि पूरब की राजनीति परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने में अक्षम है। लेकिन भारत के इतिहास को चंद्रमुख से लेकर जिवाजी तक देखने में याप पता चलता है कि हमारी राजनीति भारत में छिटेन के अधिनायकवाद को समस्त करने में पूर्णतः सक्षम है।'

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पत्र-पत्रिकाओं में 'स्वतंत्र्य' का स्थान उत्कृष्ट श्रेणी में है। कम समय में व्यापक प्रभाव एवं जनजागरण का कार्य इसने जितना किया, उतना ही राष्ट्रवद का हित इसने गैर समझौतावादी एवं कट्टर सामाज्यवाद-विरोधी होने के कारण अस्तित्वहीन होकर किया। पञ्चारिता को दा, हेडगेवर गांधीय हितों, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं सिद्धांतों व मूल्यों की प्रतिष्ठा का एक साधन समझते थे। इसीलिए वह इसे उन्हीं हाथों से बंद करने में तनिक भी विचलित नहीं हुए, जिन हाथों से इसे उत्साहपूर्वक शुरू किया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

‘वं’ दे मातरम्’ आदोलन से लैकर क्रांतिकारी मार्ग, गांधीवादी पथ एवं ‘स्वातंत्र्य’ का संषादन-कार्य करते हुए डा. हेडगेवार साम्राज्यवाद पिरोधी आदोलन के एक कर्मठ सिपाही ही सिद्ध नहीं हुए, बल्कि उनका परिपक्व एवं चिंतनशील मन और मस्तिष्क राजनीतिक व्यवहारों, सामाजिक-सांस्कृतिक गणितियों एवं विश्व के परिदृश्य में भारतवर्ष के पराभव पर भी सतत मंथन कर रहा था। उन्होंने चिकित्सक होकर भी चिकित्सा का काम नहीं किया; परिवार की गरीबी को देखते हुए भी धनोपार्जन में अपने आप को नहीं उलझाया, दबावों के बावजूद चिल्हा नहीं किया; और हिंदू महासभा एवं तिलक के अनुयाइयों का उन पर अनुग्रह होते हुए भी उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि को उनके वैचारिक अधिष्ठान का दास नहीं बनाया। वह स्वभाव से स्वतंत्र प्रकृति के थे और रौशनकाल में भौमसला राजाओं के दुर्ग के खंडहर एवं उस पर फहरते हुए ‘यूनियन जैक’ ने उनके मन में जो प्रश्न छढ़ा किया था कि ‘हम गुलाम बनो बने?’—उसके समाधान में उनका मन लगातार लगा रहा। उनकी पूरी जीवन दशा ही शुरू से समर्पण एवं कठोर साधना की रही। भौतिक सुख-सुविधाएं उनके जीवन की प्राथमिकता कभी नहीं बनी।

व. ज. शेह ने 1941 ने लिखा था कि ‘1915 से 1924 तक के उनकी आयु के दस वर्ष, देश में होने वाले विभिन्न आदोलनों एवं संस्थाओं जा अभ्यासपूर्वक सूक्ष्म अवलोकन एवं विश्लेषण करने तथा राष्ट्र को ग्रसित करने वाले रोग का अचूक निदान खोज निकालने में व्यतीत हो गए। हमारी मातृभूमि हिंदुस्थान के बल क्षेत्रफल, आषाढ़ी, सृष्टि-सौंदर्य, खनिज, संपत्ति, उर्वरत्व एवं समृद्धि में ही नहीं, अपितु तत्त्व ज्ञान, धर्म, संस्कृति, इतिहास, पराक्रम, विद्या तथा कला-कौशल आदि में से किसी एक में भी आज से यूर्ध कभी भी संसार के पीछे न तो थी और न हो जाए है। इतना होते हुए भी कौन-से राष्ट्रीय दुर्ग के परिणामस्वरूप हमारा यह प्राचीन हिंदू राष्ट्र दिवसानुदिवस अधोगति के गहरे गहरवर में गिरता जा रहा है, यह बात डाक्टर साहब के मन को बेधा करती

थी। उक्त प्रश्न के बास्तविक उत्तर जो खोन निकालने के लिए वह चिंतन-मनन में निमग्न रहा करते थे।"

भारत के इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य को जोड़कर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के मूल प्रश्न पर गहन विचार किया। राजनीतिक जीवन में व्याप्त मूल्य-रहित व्यवहार, पद एवं प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रीय हितों का बलिदान एवं व्यक्ति, संप्रदाय, धर्म एवं राजनीतिक दलों के सामने राष्ट्र को गौण समझने की प्रवृत्ति को वह भारतीय जीवन की ऐसी बुराई बनाते थे, जिससे राष्ट्र की अधोगति होती रही है। भावणों, अपीलों अथवा अपेक्षाओं से राष्ट्र सबल नहीं हो सकता। इसके लिए निरंतर राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सामृद्धिकता, सामाजिक संवेदनशीलता एवं ऐक्य के भाव का संचार होना जरूरी है। अचित राष्ट्र का पहला घटक होता है। जब तक उसके हृदय में राष्ट्र-प्रेम की पवित्र भावना नहीं पनपेगी, तब तक विशुद्ध राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति में परिष्कार से ही राष्ट्र का परिष्कार होगा। स्वामी विवेकानन्द सहित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सभी विशिष्ट चिंतकों, महान भारतीय चिंतन परंपरा और ज्ञान के होते हुए भी राष्ट्र में संकोषिताओं एवं कृतिम विभावनों से कमर डलकर राष्ट्रीय भावना का अभाव था। चिंतक व मिद्दांतकार थे, चिंतन व सिद्धांत था, इतिहास एवं परंपराएं थीं, भविष्य की कल्पनाएं थीं, परंतु इन सबको एक सूज में पिरोकर एक स्वर प्रदान करने वाला संगठन नहीं था। डा. हेडगेवर ने राष्ट्रीय जीवन की इसी कमी को पहचान कर उसे पूरा करने का जो द्रव्य लिया था- 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की स्थापना उसी का परिणाम थी।

संगठन का संस्कार

1925 में विजयादशमी के दिन 25 विशेष रूप से निर्मित, वर्षों से परखे हुए ज्योक्तगों के साथ विचार-विषय करके उन्होंने एक नए संगठन एवं नई ज्ञानपूर्ति का शोगमेश किया। भाऊजी काको, अण्णा शोहोनी, विश्वनाथराव केळकर, चालानी हुदार, बापुसाव भेदी उपस्थित लोगों में प्रमुख थे। इनमें जाधिकांश डा. हेडगेवर के आत्म जीवन के साथी एवं बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों नागपुर नेशनल गूँडियन एवं गोधीवडी जांदोलन के दौरान महकमों थे।

संघ को शुरूआत भी अपने आप में एक असाधारण तरीके से हुई थी।

1. व.ए. सोहे, परम पृक्तीद डा. हेडगेवर, 1941, नागपुर, पृष्ठ 11

न तो नए संगठन के बनने की सूचना या विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में दी गई, न ही लिखित रूप से उद्देश्यों को घोषित किया गया। यहाँ तक कि संगठन बन गया, पर छह महीने तक उसका नामकरण भी नहीं हुआ। संगठन में पदों अथवा संगठन की संरचना का भी निर्माण संगठन के विस्तार के साथ-साथ होता गया। दिनांक 17 अप्रैल 1926 को संघ का नामकरण हुआ। अतः यह अति स्वाभाविक ही था कि संघ की स्थापना नागपुर के व्यस्त सामाजिक-राजनीतिक जीवन के लिए कोई हलचल मचाने वाली तो दूर, ध्यान केंद्रित करने वाली भी पटना नहीं थी। डा. हेडगेवार ने इसे प्रचार-प्रसार के तामज्ञाम से जान-बूझकर दूर रखा था। स्थानीय प्रशासन तथा कुलीनों एवं बुद्धिजीवियों को संघ की प्रतिदिन की शाखा आरंभ में 'ज्याचामशाला' प्रतीत हुई। यह भी अस्वाभाविक बात नहीं थी।

संघ की स्थापना से पूर्व डा. हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादियों से मिले थे, जिनमें विनायक दामोदर सावरकर भी थे। उनसे मिलने वह रत्नागिरी गए थे। इसके पूर्व जनवरी 1925 में मध्यप्रांत कांग्रेस समिति की ओर से स्वामी सत्यदेव का प्रांत में दीप हुआ था। इस संगृहीत दीप में डा. हेडगेवार उनके साथ थे। स्वामी सत्यदेव ने हिंदू संगठन को आवश्यकता पर प्रकाश ढालते हुए कहा था :

'यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि हिंदू संगठन मुसलमानों के विस्तृद्ध है। हिंदुस्थान हमारा सब कुछ है, यह निष्ठा और बलवती करने के लिए एक हिंदू संगठन की आवश्यकता है।'

हिंदू धर्म सुधार में राष्ट्रीय चेतना

हिंदू संगठनों के उत्तर-चढ़ाव, उनकी संरचना, भूमिका, उनके उत्थान-पतन, तात्कालिक एवं सर्वकालिक उद्देश्यों का ध्यानपूर्वक आध्ययन करने के बाद ही डा. हेडगेवार नए संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे थे।

उत्त्रोमर्दी में सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारों के द्वारा हिंदू समाज एवं धर्म को मुद्दृश एवं संगठित करने का प्रयास किया गया था। राजा रामपोहन राय का ब्रह्म समाज (1828), स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज (1875) और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन ऐसे दर्जनों संगठनों में से कुछ थे। मूलतः हिंदू समाज सुधार को प्रक्रिया से जुड़े रहने के कारण इन संगठनों एवं धर्म सुधारकों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान तत्कालीन

राजनीतिक परिवेश एवं राष्ट्रीय चेतना को भी प्रभावित किया। हिंदुओं से संबंधित कोई भी आंदोलन एकांगी इसलिए नहीं रह सकता है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य से इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय समुदाय का संबंध सिर्फ नागरिक के रूप में नहीं है, बल्कि भारतीय राष्ट्र जिस सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित है, जिस इतिहास की नींव पर खड़ा है और जो सांस्कृतिक एवं वैशिक चेतना को बौद्धिक रूप से अंगीकार करता है, उन सबके विकास की प्रक्रिया से भी है। भारतीय राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों से भिन्नता भी इसी रूप में है। यह किसी सभ्यता अथवा सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा न होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति से एकात्म रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय सभ्यता एवं भारतीय राष्ट्र एक-दूसरे पर अवलंबित हैं, अतः इस राष्ट्र पर चोट सभ्यता प्रहर है एवं इस सभ्यता पर प्रश्न खड़ा करने का अर्थ भारत की राष्ट्रीयता के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करना है। इसलिए अर्थ समाज 'अपनी सभी गतिविधियों में राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र को भावना से प्रेरित था।'¹ स्वामी विवेकानन्द, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर लिलक, महार्षि अरविंद, विपिनचंद्र पाल, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि सभी चितकों ने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू राष्ट्र को संकोण धार्मिक, संप्रदायिक, जातीय, भाषायी अथवा क्षेत्रीय धरणाओं से ऊपर उठकर देखा है।

इन सभी चिंतकों में एक बात समान रूप से दिखाई पड़ती है कि भारतवर्ष का स्वरूप एवं प्रकृति आध्यात्मिक है और राष्ट्र को 'देवी' के रूप में स्वीकार किया गया है; अर्थात् सभी धर्मों से श्रेष्ठ 'राष्ट्र धर्म' को माना गया है। व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म के बीच विरोधाभास नहीं देखा गया है। राधाकृष्णन मुख्यों ने लिखा है कि 'हिंदुओं की देशभक्ति एक ईर्ष्यातु मालिकिन है जो और किसी से संबंध को स्वीकार नहीं करती है।' भारतीय धर्म, समाज एवं संस्कृति का पुनर्जीवण काल हिंदू पुनर्जीवण काल था, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलनों का सबसे अधिक प्रभाव हिंदुओं पर ही हुआ। अन्य संप्रदायों में धर्म सुधार की प्रक्रिया या तो बहुत धीमी थी या शुरू भी नहीं हो पाई थी। तभी तो राजा शमशोहन राय को, जिन्होंने हिंदू समाज एवं धर्म को अपने सुधार कार्यक्रमों की प्रयोगात्मा बताया था, 'भारतीय पुनर्जीवण का पिता' कहा जाता है। इसलिए यह हेडगेवार का यह अधिष्ठान कि हिंदू संगठन का कार्य राष्ट्रीय कार्य है, राजा शमशोहन राय की परंपरा का छोलक है। उनका स्पष्ट मत था कि हिंदुत्व ही

1. ए.ज्यार देमार्ट, सोशल वैकाशवर्ड हाफ इंडियन नेशनलिज्म, पृष्ठ 292

राष्ट्रीयत्व है। इसमें किसी धर्म एवं संप्रदाय को छोड़ने की अवधारणा न होकर मनात्मन मानस्कृतिक चेतना के आधार पर मकारात्मक रूप में राष्ट्रीयता को परिभाषित करने का बोध होता है। उन्होंने संघ की स्थापना के उद्देश्य को सामने रखते हुए कहा था :

'स्वप्रेरणा में एवं स्वयंसूति से राष्ट्र सेवा का बीड़ा ढाने वाले व्यक्तियों का केवल गणकार्य निर्मित संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। प्रत्येक राष्ट्र में, उस राष्ट्र के अधिक अपने देश की सेवा करने के लिए ऐसे ही संघ का निर्माण करते हैं। यही हमारा प्रियतम हिंदू राष्ट्र अर्थात् हिंदुस्थान हमारा कार्यक्षेत्र रहने के नाते उसी के हित रक्षणार्थ हमने इस देश में संघ स्थापित किया है तथा इसी संघ के आधार पर हमने राष्ट्र की सत्त्वागीण उत्तरति करने का निश्चय किया है।'

उन्होंने 'हिंदू राष्ट्र' को हिंदुस्थान के मानस्कृतिक चरित्र का बोध कराने वाले भावात्मक विशेषण के रूप में प्रशुक्त किया है, जिसे 'धार्मिक राष्ट्र' के साथ झंगित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहा था :

'जिस भूमि पर एक विशिष्ट जाति व विशिष्ट परंपरा के अनुगामी, एक विचारधारा वाले तथा सामान इतिहास वाले व्यक्ति एकत्र रहते हैं, उसी भूमि को राष्ट्र कहते हैं, तथा वह राष्ट्र भी उनके निवासियों के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे स्वजातीय लोगों के हित संबंध एक जैसे होते हैं और उनमें एक ग्रकार से एकत्र की भावना विद्यमान रहती है और यही भावना उनकी प्रगति का कारण बन जाती है। भिन्न-भिन्न देशों के, भिन्न-भिन्न संस्कृति के मानने वाले, भिन्न-भिन्न विचारधारा वाले, भिन्न-भिन्न इतिहास, परम्परा शप्रुता, परम्पर विरोधी हित संबंध रखने वाले, भक्ष्य और भक्षक के नाते रहने वाले तथा भिन्न-भिन्न हेतुओं से प्रेरित होकर एकत्र हुए लोग राष्ट्र की सृष्टि नहीं कर सकते और ऐसे लोगों के ममूह को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है।'

हिंदुत्व आंदोलन का चरित्र

डा. हेडगेवार द्वारा संघ आंदोलन की शुरुआत को संघ पर कार्य/शोध करने वाले विद्वान गहराई से समझने की जगह तात्कालिक गुरुनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं।

तत्कालीन सामाजिक-सजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच किस प्रकार की बहस चल रही थी, इस पर एक नजर डालना आवश्यक है। बीसवीं शताब्दी में हिंदू चिंतकों के मन में हिंदू अस्तित्व चेतना का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। सन् 1909 में दो लोगों ने इस भाव को तार्किक एवं ठोस तथ्यों के आधार पर रखा था। बंगाल के यू.एन. मुख्जी ने 'डाइंग रेस' अर्थात् 'मरणासन जाति का सिद्धांत' प्रतिपादित किया था। उन्होंने लिखा था कि 'हम हिंदू हास्यास्पद रूप से अनभिज्ञ हैं। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इसका हमें कुछ पता नहीं है। दो समुदायों की हालत आज क्या है? मुसलमानों का भविष्य उज्ज्वल है और उनका इस बात में विश्वास भी है। परंतु हिंदुओं को इसकी कुछ कल्पना नहीं है।... वर्ष के अंत में वे अपनी बही हुई संख्या गिनते हैं तो हम अपनी जनसंख्या में आई कमी को स्वीकार कर लेते हैं। उनमें ताकत, धन और धारुत्व के भाव सुदृढ़ हो रहे हैं और हम टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं।'

मुख्जी ने जाति समस्या के कारण हिंदुओं के बीच उत्पन्न अनेकता को नैतिक प्रश्न से नहीं, व्यापिक अस्तित्व के प्रश्न से जीड़कर देखा। बाद में 1911 की जनगणना में यह दिखाया गया कि हिंदुओं की जनसंख्या में फिछले तीस वर्षों में कमी आई है। मुख्जी के इस जनसंख्या विश्लेषण ने तत्कालीन हिंदू नेताओं को प्रभावित किया। स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा था कि 'मैं मुख्जी द्वारा रखे गए तथ्यों से अत्यंत प्रभावित हूँ।'

उधर पंजाब के आर्य समाजी नेता लालचंद ने 1909 में 'द पंजाबी' अखबार में लेखों को शृंखला लिखी। इसका शीर्षक था—'राजनीति से ज्ञात्मनिषेध'। इसमें उन्होंने हिंदुओं के पतन का मुख्य कारण राजनीति से चिमुख रहने की प्रवृत्ति बताते हुए हिंदू हिंदों की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने हिंदुओं को एक राजनीतिक बंच पर एकताबद्ध होने पर जोर दिया और इसे वर्तमान संकट का एकमात्र समाधान बनाया।

पस्तुतः हिंदू राजनीति के लिए इन दोनों चिंतकों ने एजेंडा निर्धारित कर दिया था। एक दशक तक चली इस बहस एवं अत्यधिमैथन के परिणामस्वरूप अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे संगठनों का निर्माण होना शुरू हुआ। 'गुह्य एवं संगठन' की घोषणा आर्य समाज ने की तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 'भारतीय

'हिंदू रुद्धि सभा' की स्थापना की। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई।

सन् 1906 में मुस्लिम लीग के निर्माण, औपनिवेशिक शासन के द्वारा इसे संरक्षण एवं कांग्रेस द्वारा तुष्टीकरण की नीति और अमरहयोग आंदोलन के बाद केरल के मोपला दंगों ने हिंदू राजनीति की जावश्यकता को भजबूत आधार प्रदान किया। नागपुर से डा. मूजे के नेतृत्व में मालाबार (केरल) में एक जांच समिति भेजी गई जिसने वहां पर हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की घटनाओं को पूरे गट के सामने रखा। आहसायोग आंदोलन के बाद मुस्लिम उग्रता में चुद्धि हुई थी। इसी का परिणाम था कि 1922 के गया अधिवेशन में हिंदू महासभा को नई भूमिका सामने आई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए संगठित होने की अपील की।

1906 के बाद मुस्लिम मानसिकता का विकास जिस प्रकार हुआ, वह किसी भी राष्ट्रवादी के लिए खांस चिंता का विषय था। खिलाफत के बाद हिंदू-मुस्लिम ग्रंथंजों में परिवर्तन तेजी के साथ आया। मुस्लिम आक्रमक चरित्र ने हिंदू धूमीकरण की संभावनाओं को बढ़ाने का काम किया।

मोपला दंगों पर गठित नागपुर कमीशन की रिपोर्ट ने भी धार्मिक आधार पर हिंदुओं में एकता स्थापित करने की बात कही। विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक 'हिंदुत्वः ह इज् ए हिंदू' (1923) ने पूरी प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। इस प्रकार आर्य समाज, हिंदू महासभा एवं अन्य हिंदू संगठनों में इस बात पर आम सहमति थी कि तत्कालीन परिस्थिति में हिंदुओं को राजनीतिक शक्ति एवं संगठन के रूप में अपाणी भूमिका निभानी चाहिए। वे इसे अप्रेजी साप्ताङ्कवाद एवं मुस्लिम उग्रता और प्रभुत्व के खतरे—दोनों का मूल समाधान मानते थे। परंतु हिंदू एकता कैसे हो? हिंदुओं के बीच व्यापक विरोधाभासों को कैसे समाप्त किया जाए? खंडित हिंदू समाज को कैसे राष्ट्रीय दलरूप में संगठित किया जाए? ये सभी चुनियादी प्रश्न अनुचरित थे। सावरकर की पुस्तक ने हिंदू राष्ट्र को सभ्यता, भौगोलिक सीमा एवं पूर्वजों के परिप्रेक्ष में परिभाषित करने का प्रयास तो किया, परंतु पुस्तक पर उठे विवाद एवं उसका समाधानकारक उत्तर हिंदू चिंतकों के द्वारा न मिलने के कारण यह पुस्तक चुद्धिजीवियों के बीच सिर्फ अस्तित्व चेतना का ग्रंथ बनकर रह गई।

हिंदू चेतना के मंथन में एवं हिंदुओं के भविष्य की योजनाओं पर पं. मालवीय, शार्दूल परवानंद, डा. मुंजे, वीर सावरकर, स्वामी श्रद्धानंद एवं लाला लाजपत राय एकाग्रता से जुटे हुए थे। गांधीयता के प्रश्न पर कुल भिलाकर उनके दृष्टिकोणों में एकरूपता थी। उनके वैश्विक दृष्टिकोण में यह भवना थी कि अल्पसंख्यकों के अन्तर्गत का समाधान हिंदुओं के प्रभुत्व बाली राजनीति में स्वतः हो जाएगा। कुछ हद तक मुस्लिमों से प्रतिदंडिता, भय और उनकी उग्रता से हिंदुओं में उत्पन्न असुरक्षा का भाव ही इस हिंदू राजनीति के प्रसार का आधार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि 1909 से 1923 तक की हिंदू राष्ट्रवादी धारा, चहम, कार्यक्रमों एवं जन-अभियानों पर मुस्लिम संदर्भ हावी था। कांग्रेस द्वारा मिश्रित राष्ट्रवाद के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा था और 'हिंदू चरित्र' पर किए जाने वाले आरोपों के अपराध बोध के कारण इस गण्डीय संगठन का नेतृत्व सदैव मुस्लिमों की सांप्रदायिकता, धर्मानुष्ठान तथा हिंदुओं के प्रति उनके उत्तेजक व्यवहारों पर पर्दा ढालता था। यह विदंबना ही थी कि कांग्रेस मुस्लिम गुरुकतावादियों को सम्मान के साथ संचाद में शामिल करती थी, परंतु हिंदू महासभा से दूरी बनाए रखती थी। विभाजन के दिन तक संचाद एवं राजनीतिक सहवास के लिए लींग असमर्पित रहा, परंतु महासभा को असृत बनाए रखा गया।

इसके साथ समकालीन हिंदू राष्ट्रवादियों ने भी हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र को सौमित्र रूप से चित्रित करने में एवं उसे प्रभावहीन बनाने में कम भूमिका नहीं निभाई है। उन्होंने सभा, सम्मेलनों, प्रचार आदि राजनीतिक कार्यक्रमों को आधार बनाकर पढ़े-लिखे चुदिजीवियों और मध्यमवर्गीय हिंदू परिवारों तक सौमित्र राखा। उनको अपील की एक ही धुरी थी—कांग्रेस को विस्थापित करके हिंदू महासभा की प्रतिष्ठा, और संदर्भ था—कांग्रेस की अल्पसंख्यकों के प्रति नीति और लींग का अलगाववादी चरित्र। परिणामस्वरूप उनका सामाजिक आधार सकुचित था। हिंदू समाज के वास्तविक स्थालों पर, जिनमें हुआळूत, जातियों के बीच ऊंच-नीच का भाव, और व्यक्तिवाद इत्यादि शामिल थे, कभी व्यावहारिक स्तर पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया गया। उनको सामाजिक समानता की अपेक्षा हिंदुओं में स्वतः हृदय-परिवर्तन की कल्पना पर निर्भर थी। इन कुलीन हिंदू नेताओं का मतावादी दृष्टिकोण आम हिंदुओं को कांग्रेस में यूनाइटेड प्रभावित नहीं कर पाया। असः इस काल में हिंदुत्व

बहुमतवादी राजनीतिक अवधारणा के स्वयं में ही परिभाषित और प्रचारित होता रहा।

समकालीन घटनाचक्रों के बीच जब संघ की स्थापना को गई तब डा. हेडगेवार के मन में हिंदू सुरक्षा बल बनाने अधिवा हिंदू राजनीति के लिए स्वयंसेवकों की फौज बनाने जैसी बातें नहीं थीं। यदि ऐसा होता तो वह हिंदू महासभा के रूप से ही हिंदू धर्मीकरण एवं हिंदू सुरक्षा का कार्य करते रहते। उन्हें महासभा में सम्मानित स्थान प्राप्त था तथा महासभा के मध्ये अधिकल भारतीय नेताओं—पं. मालवीय, डा. मुंगे, भाईं परमानंद, पद्मराज जैन, डा. इयामाप्रसाद मुख्यजी और सावरकर का उन्हें सानिध्य प्राप्त था। वह मानते थे कि साप्रदायिक घटनाओं का प्रतिरोध होना, हिंदू हितों पर हो रहे हमले के विरुद्ध राजनीतिक स्वर उठाना आवश्यक है और महासभा अपने स्वर पर इन दायित्वों का निर्वाह कर रही है। परंतु राष्ट्रीय समस्या का यह स्थायी और चिरंतन समाधान नहीं है। जिस प्रकार के संगठन की कल्पना महासभा करती थी, वह क्षणिक आवेश और भावनाओं से प्रेरित था। सिर्फ घटनाओं की प्रतिक्रिया के आधार पर जो कार्य शुरू होता है, वह घटनाओं के निष्प्रभावी होने ही वित्तुपन होने लगता है। डा. हेडगेवार हिंदू संगठन के सकारात्मक, स्थायी, प्रगतिशील एवं सर्वव्यापी स्वरूप की कल्पना कर रहे थे। अतः समकालीन हिंदू संगठनों की उपर्योगिता अधिवा न्यूनताओं के चक्रवृह में अलग हटकर उन्होंने नई शुरूआत की। इसीलिए 1925 का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में भील का पत्थर बन गया।

दार्शनिक पृष्ठभूमि

मुख्यी-लालचंद (1909) से लेकर मालवीय-सावरकर (1923) तक के हिंदू चिंतन एवं गतिविधियों से डा. हेडगेवार कितने सहमत अधिवा असहमत थे, वह कहना आसान नहीं है। संघ के संदर्भ में हुए अध्ययनों में उन्हें इसी परंपरा का हिस्सा बताया जाता रहा है। यह हिंदू चिंतन प्रक्रिया को परखने, परिभाषित करने और अखंडित स्वरूप में देखने का आसान, सुलभ और सहाही तरीका है। ऐसा होने का एक कारण संभवतः यह भी है कि डा. हेडगेवार ने सार्वजनिक अधिवा निझी स्तरों पर कभी भी समकालीन हिंदू राष्ट्रवादी धाराओं, संगठनों अधिवा नेतृत्व की न्यूनताओं के प्रति अपनी असहमति नहीं प्रकट की, न ही वह कभी

नेतृत्व की प्रतिस्पद्धा अथवा ममानंतर सिद्धांत निष्पत्ति के नायक बने। अतः सतही स्तर पर उन्हें डा. मुंजे, मालवीय, परमानंद और सावरकर की शृंखला में ही एक कढ़ी के रूप में देखा जाता रहा है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि डालने पर उनका दृष्टिकोण समकालीन हिंदूवादियों के दृष्टिकोण से माफ तौर पर अलग दिखाई पड़ता है।

उन्होंने हिंदू समाज, संस्कृति एवं धर्म को सम्भवा के प्रवाह का अंग माना है। अतः भारत की सम्भवा और राष्ट्र परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर है। राष्ट्र का उद्भव सम्भवा की कोश से हुआ और सम्भवा का प्रवाह राष्ट्र के संबल से होता रहा है। अतः हिंदू राष्ट्र चिरंतन काल की ऐतिहासिक वेतना को सांस्कृतिक रूप से प्रतिविवित करने वाला एक दर्पण है। हिंदू दर्शन, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास एकत्र का बोध करता है। हिंदू संगठन राष्ट्रीयता को सम्भवा के परिप्रेक्ष्य में स्थायी, गतिमान और टोम आधार प्रदान करने का उपकरण मात्र है। हिंदुओं का संगठन एक राष्ट्रीय कार्य है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 'संघ का कार्य तथा उसकी विचारधारा हमारा कोई नया आविष्कार नहीं है। हमारा परम पवित्र सनातन हिंदू धर्म, हमारी पुरातन संस्कृति, हमारा स्वर्यसिद्ध हिंदू राष्ट्र तथा अनादि काल से चला अथवा परम पवित्र भगवा छ्वज—ये सभी बातें संघ ने पूर्वंत सबके सामने रखी हैं। उपर्युक्त बातों में नवचैतन्य का संचार करने के लिए परिस्थिति के अनुकूल जो नई कार्यप्रणाली संघ को आवश्यक प्रतीत होगी, उसे संघ अंगीकृत करेगा।'

उन्होंने मुख्यों के 'मृतप्राय जाति' के अधिष्ठान को अस्वीकृत कर दिया। उनका मत था—संख्यात्मक आधार पर हिंदुओं को लौतना एवं हिंदू राष्ट्र के पराभव को कल्पना सीमित बौद्धिकता का प्रतीक है। हिंदू एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जाति है, जो राष्ट्रीय यहचान का प्रतिनिधित्व करती है। यह भाववाचक है। अंतर राष्ट्र की दुर्बलता का कारण हिंदू समाज, धर्म एवं संस्कृति का पराभव है; संगठन की वृत्ति का अभाव है। उन्होंने कहा—'दुर्बल समाज का दौर्बल्य ही बहु आकरणों का मूलभूत कारण होता है। संसार में शांति भग करने का भी याप ऐसे दुर्बल समाज के भाषे ही मढ़ा जाता है। अतएव आकरणकारियों को दोष देने में व्यर्थ समझ न खोते हुए संसार में अशांति का कारण बने दौर्बल्य को हर प्रयत्न से दूर करना—यही दुर्बल समाज का परम कर्तव्य है।'

डा. हेडगेवर का यह दो जातों पर था—प्रथमतः हिंदू समाज की गजनीति एवं मामाजिक स्तरों पर दुबल स्थिति का दोष बाहु कारणों एवं कारकों को देना सच्चाई से भुंह फेरना है; तथा द्वितीयतः प्रभुत्व आंतरिक शक्ति और इच्छाशक्ति से स्थापित होती है। इसका निदान है—हिंदुओं के बीच अनश्वरत राष्ट्रीयता के भाव से संगठन करना। दौर्बल्य का कारण हिंदू समाज का विभेदकारी, संकीर्ण भावनाओं से पोंडित होना था। अतः संगठन का पहला दायित्व राष्ट्रीयता की चेतना के आधार पर हिंदुओं में उनके ऐतिहासिक समुदाय की भूमिका को, जो उनके अवधेतन मन में विद्यमान है, जाग्रत करना है। उनकी दृष्टि में व्यापकता थी और सर्वप्राद्धाता भी। संघ को स्थापना उन्होंने मोपला की प्रतिक्रिया में न करके राष्ट्रधर्म के सकारात्मक घहने के आधार पर की थी। उन्होंने कहा था—‘आज हमारे हिंदुस्थान में हिंदू पञ्चीस करोड़ हैं। इस देश की कुल जनसंख्या ऐसीस करोड़ आई कहां से? ये दस करोड़ लोग किसी समय हम ही में थे।’ फिर उन्होंने जो सवाल उठाया, वह उनकी स्थितप्रज्ञता एवं व्यापक सैद्धांतिक धरातल का सूचक है। वह पूछते हैं: ‘इन्हें हमने क्यों खो दिया? हम गहरी नौद में सो रहे थे। इसीलिए तो वे हममें से चले गए?’ यह आत्मालोचन हिंदू राष्ट्रवादी चिंतन, मनन एवं मंथन में बिल्कुल भिन्न धरातल पर था।

उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा दी गई ‘हिंदू’ की परिभाषा एवं ‘हिंदू राष्ट्र’ की व्याख्या को संघ के सिद्धांत का आधार नहीं बनाया। वह जानते थे कि शब्दों द्वारा की गई परिभाषा भावनाओं के अमृत रूप को प्रकट करने में अक्षम होती है और अपूर्णता किसी मिद्दांत वा निष्प्रभावी बना देती है। उन्होंने संघ के कार्य में बौद्धिकता को गतिविधियों और सिद्धांत को व्यवहार से जोड़कर उन प्रश्नों पर ध्यान दिया, जो अछूते थे—एक हिंदू का व्यवहारिक रूप कैसा है? वह कितनी राष्ट्रीय चुति बाला है और राष्ट्रीयता एवं संस्कृति से कितना निकट है? वह अपनी किस पहचान—जातीय, वर्ग आधारित, लेखीय, भावायी अधबा राष्ट्रीय—को महत्व एवं प्राथमिकता देता है? व्यक्तिगत आस्था एवं राष्ट्रधर्म के प्रति कितना सामंजस्य स्थापित करता है एवं व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दायित्वों से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति कितना उत्तरदायित्व महसूस करता है?

संघ का मूल मंत्र वैचारिक क्रियाशीलता है। डा. हेडगेवर ने कहा था कि ‘यह ठीक तरह से समझ लो कि संघ न तो व्यायामशाला है, न अलब है, न

मिलिटरी स्कूल ही। संघ है हिंदुओं का राष्ट्रवादी संगठन, जिसे फैलाद से भी अधिक मजबूत होना चाहिए।'

डा. हेडगेवार ने संगठन को उसी समकालीन परिवेश में खड़ा तो किया, परंतु इसका चरित्र पूर्णतः भौतिक था।

संगठन

उनकी मृत्यु के उपरांत 'केमरी' ने लिखा था कि 'तिलक की मृत्यु के बाद बहुत से दल थे, परंतु किसी ने भी राष्ट्रीय जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं—राष्ट्र के लिए गर्व पैदा करने, देशभक्ति व आत्मसम्मान—पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। राष्ट्र के आधार को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है। डा. हेडगेवार ने इसे क्रियान्वित किया।' जब संघ आरंभ हुआ तब विचारधारा के नाम पर एक शब्द था—'राष्ट्र', और संगठन में सिर्फ एक ही श्रेणी थी—'स्वयंसेवक' और आदर्श के रूप में 'भगवा झंडा'। जैसे-जैसे संगठन का विस्तार होता गया, संगठन को संरचना खड़ी होती गई। 'शाखा' स्वयंसेवकों का समष्टि रूप है। शाखा में होने वाले देशी खेलों का उद्देश्य व्यक्ति में सामूहिकता के भाव का संचार करना है।

उन्होंने संघ में लिखित सदस्यता अथवा सदस्यता शुल्क जैसी परंपरागत संगठन शैली को लागू नहीं किया। उपस्थिति एवं सदस्यता को स्वैच्छिक बनाया गया। राष्ट्र के प्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता का ध्येय ही सदस्यों के बीच एकता का आधार है। शाखा व्यायामशाला अथवा शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र न होकर वैचारिक आंदोलन का नियमित केंद्र है। स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए 'संघ शिक्षा वर्ग' की योजना लागू की गई, जिसे 'अधिकारी प्रशिक्षण शिविर' भी कहा जाता है। ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों से संगठन विस्तार की अपेक्षा रहती है। ओ, टी. सी. के नाम से प्रचलित इस प्रशिक्षण को शुरूआत 1929 से की गई।

चार साल बाद डा. हेडगेवार ने उन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को, जो संघ के कार्य के लिए स्वेच्छा से पूर्ण समय देने के लिए लैशर रहते थे, प्राप्त एवं प्राप्ति में बाहर कार्य के विस्तार के लिए भेजा। ऐसे सुप्रशिक्षित स्वयंसेवकों को 'प्रचारक' की संज्ञा दी गई। संगठन की संरचना में 'प्रचारक' ध्रुव की तरह कार्य करता है।

चौदह वर्षों तक संघ के प्रसार के बाद डा. हेडगेवर ने 1939 में नागपुर के निकट सिंदी नामक गांव में संघ की बैठक की। यह बैठक दस दिनों तक चली जिसमें उनके अतिरिक्त मा.स. गोलखलाकर, आप्पाजी जोशी, भानासाहब टालाटुले, बाबाजी सालोडकर, तात्या तेलंग, कृष्णराव भोहरीर, विठ्ठलराव पतकी और बालासाहब देवरस सम्मालित हुए। संघ के दृष्टिकोण से यह बैठक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानित हुई। शाखा की नियमावलियाँ, संघ की प्रार्थना, प्रतिज्ञा आदि बातें इसी बैठक में निश्चित की गई थीं। संघ में संगठन दो समानांतर स्तरों पर काम करता है—औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक स्तर पर संगठन की संरचना होती है, जो मुख्य शिक्षक से सरसंघचालक तक की लंबी शृंखला के रूप में होती है। अनौपचारिक स्तर पर औपचारिक पदों से बाहर रहकर संगठन कार्यों में प्रबल भूमिका निभाने वाले स्वयंसेवक होते हैं। इसी औपचारिक-अनौपचारिक योजना के कारण ही एक ही व्यक्ति उच्च पद पर कार्य करने के बाद अपने कनिष्ठ व्यक्ति के अधीन पहले की तुलना में पदहीन होकर अध्यया लघु दायित्व वाले पद पर रहकर कार्य करता है। अतः अन्य संगठनों की तरह संघ में शक्ति का केंद्र अपरिभासित एवं अदृश्य रहता है। इसका एकमेव कारण यह है कि डा. हेडगेवर ने 'सामूहिक नेतृत्व', 'सामूहिक उत्तरदायित्व' एवं 'आम सहमति' के आधार पर निर्णय लेने की परंपरा स्थापित की। अतः संघ का प्रत्येक सदस्य बुनियादी तौर पर स्वयंसेवक होता है। सरसंघचालक के पद को अधिकतम गरिमा प्राप्त है एवं उन्हें 'पथ प्रदर्शक, दास्तानिक एवं प्रित्र' की भूमिका में स्वीकार किया गया है। संघ की संगठन रचना इसे परंपरागत संगठनों से भिन्न विशिष्ट रूप में स्थापित करती है। पहले धन, कार्यालय, चंदे की रसीद एवं पटों का निर्माण करने के बाद संगठन का विस्तार किया जाता है। परंतु डा. हेडगेवर ने संगठन को बिना नाम दिए, बिना पदों का सूजन किए संगठन खड़ा किया। इसका नामकरण स्थापना के छह महीने बाद हुआ तो सरसंघचालक, सरकारीवाह एवं सरसेनापति जैसे पदों का निर्माण चार वर्षों के बाद हुआ। सरसंघचालक पद का निर्माण अनेकों रीति से किया गया।

देश की अदलती राजनीतिक परिवर्तिति पर विचार-विमर्श करने के बाद संघ के सभी प्रमुख स्वयंसेवकों की दो दिनों की बैठक 9 व 10 नवंबर 1929 को नागपुर में हुई। बैठक में भविष्य में कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति संघ की नीतियों एवं संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। संगठन का आधार एकचालकानुवर्ती

रखने का निर्णय लिया गया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इस पर गहन चर्चा हुई थी जिसमें विश्वनाथराव केलकर, तात्याजी कालीकर, आप्पाजी जोशी, बापूराव मुठाल, बाबासाहब कोलते, बालाजी हुदार, कृष्णराव मोहरीर, मार्तंडराव जोग एवं देवदीकर ने भाग लिया था।

एकचालकानुवर्ती संघ को परंपरागत पाश्चात्य परंपरा के संगठनों से अलग स्वरूप प्रदान करता है। यह अनीपचारिक एवं अनीपचारिक संरचनाओं का सम्मिश्रण है। संगठन में व्यक्ति का महत्व उसके द्वारा अर्जित 'नैतिक शक्ति' से होता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि संगठन में परिवारिक वरिष्ठेश होता है जो एक कुटुंब के समान होता है। सभी सदस्य एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान भाव से स्वैच्छिक समर्पण के द्वारा योग्य नेतृत्व के निर्देशन में काम करते हैं।

इसी सिद्धांत के तहत इन नौ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अन्य स्वयंसेवकों से विचार-विमर्श करके सरसंघचालक के पद का निर्णय किया। विचार-विमर्श की इस पूरी अनीपचारिक प्रक्रिया से डा. हेडगेवार अनभिज्ञ थे।

बैठक के अंतिम दिन जब स्वयंसेवकों की बड़ी सभा हुई तो आप्पाजी जोशी ने बैठक के निर्णयों को सुनाने के पहले आदेश दिया—‘सरसंघचालक प्रणाम—एक, दो, तीन।’ और स्वयंसेवकों ने डा. हेडगेवार को सरसंघचालक के रूप में प्रणाम किया। यह एकदम सकते में आ गए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने अपनी अस्वीकृति का भाव व्यक्त करते हुए आप्पाजी जोशी से कहा—“यह मुझ पर्सनल नहीं है कि अपने से बड़े आदरणीय त्यागी पुरुषों का प्रणाम ग्रहण करूँ।”

इस पर आप्पाजी ने उन्हें सूचित किया कि यह संघ का सामूहिक निर्णय है और ‘संगठन के हित में आपको जापसन करने वाली यह जात तो स्वीकार करनी होगी।’

सरसंघचालक परिवार के मुखिया की तरह होता है। डा. हेडगेवार ने अपनी भूमिका को संघ के सामने रखकर अपने लोकतांत्रिक चरित्र, व्यवहार एवं आदर्श को संघ में परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया। 1933 में उन्होंने निमालिखित योग्याएं की थीं:

- इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्मदाता अथवा संस्थापक मैं न होकर आप सब हैं—यह मैं भली भांति जानता हूँ।
- आपके द्वारा स्थापित संघ का, आपकी इच्छा के अनुसार, मैं एक धार्य का कार्य कर रहा हूँ।
- मैं यह काम आपकी इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार आगे भी करता रहूँगा तथा ऐसा करते समय किसी भी प्रकार के मंकट अथवा यान-अपमान की मैं कर्तव्य चिंता नहीं करूँगा।
- आपको जब भी प्रतीत हो कि मेरी अयोग्यता के कारण संघ की क्षति हो रही है तो आप मेरे स्थान पर दूसरे योग्य व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- आपकी इच्छा एवं आज्ञा से जितनी सहर्षता के साथ मैंने इस पद पर कार्य किया है, इतने ही आनंद से आपके द्वारा चुने हुए नए सरसंघचालक के हाथ सभी अधिकार सूत्र समर्पित करके उसी क्षण से उसके विश्वस्त स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता रहूँगा।
- मेरे लिए अपने व्यक्तित्व के मायने नहीं हैं; संघ कार्य का ही वास्तविक अर्थ मैं महत्व है। अतः योग के हित में कोई भी कार्य करने में मैं पीछे नहीं हटूँगा।
- संघचालक की आज्ञा वा पालन स्वयंसेवकों द्वारा बिना किसी अगर-मगर के होना अनुशासन एवं कार्य प्रगति के लिए आवश्यक है। 'नाक से भारी नथ'—इस स्थिति को संघ कभी उत्पन्न नहीं होने देगा। यही संघ कार्य का रहस्य है।
- अतः प्रत्येक स्वयंसेवक स्वेच्छा से आज्ञा पालन करके दूसरे स्वयंसेवकों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करे, यह स्वयंसेवक का कर्तव्य है।

जिस संगठन के नुखिया के विचार व्यवहार एवं कान्हौ में समतुल्य हैं, वह आदर्श चरित्र के रूप में संगठन का प्रकाशपूंज बन जाता है। डा. हेडरेग्वार ने सिर्फ आदर्श वाणी का उच्चारण ही नहीं किया, उसे अपने जीवन में अक्षरशः उतारा। तभी आद्य सरसंघचालक के रूप में वह अपने जीवन में और जीवन

के बाद भी जीवंत रूप से प्रेरणा के स्रोत बने रहे। उनके क्रिया-कलाप ने एक चालकानुबंधों को एक आदर्श संगठनात्मक सिद्धांत बना दिया।

संघ के विस्तार के साथ-साथ संगठन की संरचनाओं का भी निर्माण होता गया। जिस प्रकार ब्रिटेन में लिखित संविधान की जगह परिपाठियों (conventions) का महत्व है, वैसे ही संघ संगठनात्मक परंपराओं एवं परिषटियों के आधार पर चलता है।

सरसंघचालक पद के निर्भाय के बाद सरकार्यचाह (महासचिव) एवं सरसेनापति इन दो पदों का भी निर्माण हुआ। संघ में दो उच्च स्तरीय संस्थाओं—अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एवं अखिल भारतीय कार्यकारी बंदल—में नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करने का काम होता है। डा. हेडगेवर ने संगठन के लोगों से सलाह-मशविरे के बाद 1940 में गोलबद्दलकर जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तब से निवर्तमान सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसी परंपरा के अनुसार करते हैं।

संघ में धन संगठन के स्तर पर ही एकत्र किया जाता है। वर्ष में एक बार स्वयंसेवक 'गुरु पूर्णिमा' के दिन संघस्थान पर भज को दक्षिणा के रूप में स्वेच्छा से धन अपित करते हैं। इसे 'गुरु दक्षिणा' का नाम दिया गया है। यह परंपरा 1928 से चल रही है।

संघ की यह पूरी कार्यपद्धति एवं संरचना डा. हेडगेवर की ही कल्पना है। दत्तोपत ठेंगड़ी ने ठीक ही कहा है कि संघ की विचारधारा एवं कार्यपद्धति 'डा. हेडगेवर की दृष्टि का ही उत्तरोत्तर प्रस्फुटीकरण है।'

डा. हेडगेवर ने संघ एवं राष्ट्र को समानार्थक बनाने का जो उद्देश्य रखा, उसका आधार संगठन के कार्य का एकमेव राष्ट्रीय भाव होना था। तभी वह कहा करते थे कि 'अपना संघ कार्य भी राष्ट्रीय कार्य है'; एवं संगठन का काम 'इंश्वरीय' है। संक्षेप में, शुद्ध एवं पवित्र भाव से बना एवं कार्यरत संगठन ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार हो सकता है। संघ व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने का साधन मात्र है।

स्वतंत्रता आंदोलन और डा. हेडगेवार

राष्ट्रीय मुद्दे पर आम सहमति किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक नानो जाती है। यह तब और भी आवश्यक हो जाता है जब देश परतंत्र हो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी संख्या में चॉटे-चड़े संगठन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय थे। उनके बीच सैद्धांतिक मतभेद भी थे। एक ओर कॉण्ट्रोस का राजनीतिक मंच था तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी थी। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आदि प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यों में भाग ले रही थीं। डा. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीलियों एवं कार्यक्रमों को भिन्न रूप से विकसित किया, परंतु उनका मत था कि जब राष्ट्र के सामने जीवन-मरण का प्रश्न हो तब संगठनात्मक एवं सैद्धांतिक मतभेदों, नेतृत्व के बीच विवादों एवं 'अहम्' का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

स्वतंत्रता की लड़ाई भी भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्तित्व का प्रश्न था। अतः वह सामाजिकवाद विरोधी आंदोलन में बैंडिंग क सहयोग के पक्षधर थे। संघ की स्थापना से पूर्व वह क्रांतिकारी एवं बाद में कॉण्ट्रोसी कार्यकर्ताओं के नाते आंदोलनों में शरीक हुए थे। परंतु विशिष्ट सैद्धांतिक मार्ग को अपनाकर जब उन्होंने एक अलग संगठन बनाया एवं उसे अखिल भारतीय स्वरूप देने में व्यस्त थे तब भी उनकी प्रकृति एवं दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं आया। संघ के सरमंजसचालक के रूप में उन्होंने जो नप्रता, राष्ट्रीय हित में व्यापक दृष्टिकोण और दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई थी, उसको स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कोई तुलना नहीं है।

पूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय

बाहर से संघ की शाखा नागपुर की व्यायामशालाओं जैसी ही लगती थी। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ स्वयंसेवकों को मिल रहे बैंडिंग प्रशिक्षण का आभास प्रायः लोगों को नहीं था। डा. हेडगेवार हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र देखना चाहते थे और स्वयंसेवकों को उसी के अनुसार तैयार किया जा रहा था। इसीलिए डा. हेडगेवार पर शोधपूर्ण ज्ञान रखने वाले चिन्हानों में भी संघ के उद्देश्य

के विषय में मतभेद है। देवेंद्र स्वरूप का मत है कि 'डा. हेडगेवार ने संघ की स्थापना सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य से की थी।' परंतु अधिकांश लोग इससे सहमत नहीं हैं। दसोंवें टेंगड़ी के अनुसार डा. हेडगेवार संघ को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे थे, 'परंतु उनका लक्ष्य भारत को एक नवजात, परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। और यह काम स्वतंत्रता प्राप्ति के बिना संभव नहीं था।'

संघ की शाखाओं एवं प्रशिक्षण वर्गों में आरंभ से ही देशभक्ति से ओतप्रोत बोट्टक, कार्यक्रमों एवं खेलों का आयोजन किया जाता था। वर्धमान 27-28 अप्रैल 1929 को एक सौ स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। सभी वर्कावर्गों ने प्रशिक्षणधर्मियों से अपील की थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग करने हेतु तैयार रहें और सावेजनिक तौर पर घोषणा की गई कि 'संघ का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना है।' डा. हेडगेवार ने कहा कि 'ब्रिटेन की सरकार ने अनेक बार भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया, परंतु वह सुठा साक्षित हुआ। अब यह साफ हो गया है कि भारत अपने ही चल पर स्वतंत्रता हासिल करेगा। आयरलैंड ने ब्रिटेन की संप्रभुता को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। ब्रिटेन के शासक जायरलैंड के लोगों का दिल नहीं जीत सके और वे भारतीयों के दिलों को भी जीत नहीं पाए हैं। उन्होंने जवाहरलाल भारत को अपना उपनिवेश बनाया है। प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी घर्म को मानने चाहा हो, हिंदू है, और हमारा स्वराज्य हिंदू स्वराज्य है। जो स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी आलोचना की जानी चाहिए। सभी भारतीय हिंदू हैं और उनको यह जिम्मेदारी है कि स्वराज्य प्राप्त करें।'

यह महज एक संयोग ही है कि संघ की स्थापना के एक सप्ताह पूर्व डा. हेडगेवार एवं उनके सहयोगी हरेकृष्ण (आपाजी) जोशी प्रांतीय कांग्रेस समिति के लिए चुने गए थे। लब से लेकर 1928 के अंत तक वह प्रांतीय कांग्रेस समिति से जुड़े रहे। डा. हेडगेवार का प्रांतीय कांग्रेस के कार्यक्रमों के निधोरण एवं कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान होता था। 30 जनवरी 1927 को नागपुर शहर कांग्रेस ने भारत सरकार द्वारा भौज को चौन खेजे जाने के खिलाफ एक लघा की। सभा में सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को संघ के नेता ल. वा. परांजपे ने सभा के मामने रखा था। प्रस्ताव में माना गया था कि 'सभा सभी भारतीय नागरिकों से अपील करती है कि सभी

उचित तरीकों, यथा—प्रदर्शनों, प्रचार, विरोध प्रस्तावों के जरिए सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों का सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने का प्रतिरोध करें।' इस प्रस्ताव को डा. हेडगेवर ने तैयार किया था।

साइमन-विरोध

1928 में साइमन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद एक महत्वपूर्ण साप्राज्यवाद-विरोधी कार्यक्रम था। कांग्रेस के बनारस में हुए विशेष अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिकार करने एवं अखिल भारतीय स्तर पर हड्डताल रखने का निर्णय लिया गया था। मराठी मध्यप्रांत की कांग्रेस में जोशी महासचिव थे और हेडगेवर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य थे। साइमन विरोधी आंदोलन के लिए प्रचार करने एवं लोगों को जाग्रत करने का कार्य डा. हेडगेवर को मौंगा गया था। उस बक्त तक नागपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में संघ की अटारह शाखाएँ थीं। नागपुर में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के विरोध में सभा करके प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि 'देश के हिंदुओं एवं मुस्लिमों को एकताबद्ध होकर साप्राज्यवादी ताकत को उचित जबाब देना चाहिए। जब साइमन कमीशन मार्च 1929 में मध्यप्रांत एवं ब्रह्मण्ड आगा तक 'अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों के बावजूद हिंदू नेताओं ने कमीशन के साथ सहयोग करने से इकार किया जबकि मुस्लिमों ने कमीशन का स्वागत किया।'¹ साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में संघ की भागीदारी थी। डा. हेडगेवर ने संघ के स्वयंसेवकों को कांग्रेस की मार्फत कार्य करने का निर्देश दिया था। उन पर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार को जिम्मेदारी थी।

26 जनवरी 1930

स्थानीय स्तर पर संघ एवं कांग्रेस के बीच संबंधों में खटास आने लगी थी। कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेता संघ पर झूठे एवं मनगढ़त आरोप लगा रहे थे। इस बात को सूचना जब डा. हेडगेवर को दी गई तब उन्होंने 24 अगस्त 1929 को लिखा था—

'मुझे इसकी पूर्व कल्पना थी। इस परिस्थिति में से भी हमें गुजरना हो

1. मध्यप्रांत एवं ब्रह्मण्ड की प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 1931-32, खंड-II, प. 9; गवर्नर्सेट प्रिंटिंग प्रेस, नागपुर, 1933.

होगा। परमेश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करें कि वह सबको सद्बुद्धि दे। अपनी सद्विवेकपूर्ण बुद्धि से ऊंचे परमात्मा का ध्यान करके अपना कार्य करने पर भी यदि किसी व्यक्ति के मन में हमारे प्रति विवाद उत्पन्न होता है, या किसी को लगता है कि संघ का विरोध किया जाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? यह राजनीति है। इससे हम कब तक डरते रहेंगे?

स्पष्ट है कि कांग्रेसी नेता संघ के विस्तार एवं स्वतंत्र नेतृत्व से प्रभाव नहीं थे। परंतु डा. हेडगेवर ने इन विवादों को राष्ट्रीय प्रश्न के सामने तनिक भी भ्रह्मत्व नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इसने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना ध्येय घोषित करते हुए 26 जनवरी 1930 (रविवार के दिन) को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्देश दिया। डा. हेडगेवर को इसका पूर्वाभास था और उन्होंने कांग्रेस के पिरंजी पर अपनी प्रस्तावता प्रकट की। उन्होंने कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्णय को संघ का निर्णय बनाकर कार्यान्वित किया। स्थापना के बाद संघ को ओर से पहली बार कोई निर्देश शाखाओं को भेजा गया। 21 जनवरी 1930 को डा. हेडगेवर ने भेजे गए अपने परिपत्र में लिखा था—

'...इस वर्ष कांग्रेस ने 'स्वाधीनता' को अपना सक्षम निश्चित करके, कांग्रेस वकींग कमेटी ने रविवार, दिनांक 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में 'स्वाधीनता दिवस' मनाया जाए, ऐसा घोषित किया है।'

'यह देखकर कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा अपने स्वतंत्र्य के ध्येय तक आ पहुंची है, वह जानकर हम सबको आनंदित होना स्वाभाविक ही है और इस भेंग को सामने रखकर नाम करने वाली किसी भी संस्था का सहयोग करना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है।

'इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभी शाखाएं रविवार दिनांक 26-1-1930 को सायंकाल छः बजे अपने-अपने संघ स्थानों पर अपनो-अपनी गायुओं में सभी स्वयंसेवकों की सभा आयोजित करके राष्ट्रीय ध्वज अर्थात् भगवा ध्वज का वंदन करें। धार्षण के रूप में सभी को स्वतंत्र्य का सही अर्थ और मही ध्येय प्रत्येक को अपने सामने किस प्रकार से रखना चाहिए, यह ल्याजा सहित स्पष्ट करें, तथा कांग्रेस ने स्वतंत्र्य के ध्येय को स्वीकार किया है इसलिए कांग्रेस का अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट हमारे पास भेजें।'

कांग्रेस के एकतरफ़ा विरोध को उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं के मन एवं मस्तिष्क में नहीं आने दिया। अपने परिषद में उन्होंने कांग्रेस को 'अखिल भारतीय' एवं 'राष्ट्रीय' संस्था माना और संघ एवं कांग्रेस के बीच नेतृत्व अधिकार संगठन के नहीं, अपितु ध्येय के ऐक्य, समरूपता एवं पवित्रता को सहयोग का आधार बनाया। स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए 'सशर्त समर्थन' देने वालों को यह स्वार्थी एवं अधिकेकी मानते थे। संघ की शाखाओं में 26 जनवरी को संघ्याकाल में स्वतंत्रता दिवस पर सभाएं मराठी मध्यप्रांत की सबसे प्रभावशाली घटना थी। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि राष्ट्र का हित संगठन के हित से ऊपर होता है और जो संस्थाएं शुद्ध राष्ट्रीय भाव से कार्य करती हैं, उनका हित भी राष्ट्रीय हितों में ही निहित होता है।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

असरहयोग आंदोलन को समिति करने के बाद आई शिखिलता 1928-29 तक पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर सामाजिकवाद विरोधी आंदोलन की रैयारी में जुटी हुई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिकेशन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को संघर्ष छेदने का अधिकार दे दिया था। समिति ने फरवरी 1930 में सावरमती में अपनी बैठक में महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व करने एवं पथ प्रदर्शन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बाजून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्रीगणेश किया। उसके बाद पूरे देश में सत्याग्रह के द्वारा कानूनों का उल्लंघन शुरू हो गया।

मध्यप्रांत में अकोला में आंदोलन की शुरूआत 9 अप्रैल 1930 को हुई। यहाँ भी नमक बाजून तोड़ा गया। परंतु आंदोलन अप्रभावकारी रहा। सरकार सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी न करके परम्पर संघर्ष को टालती रही। अतः प्रांतीय कांग्रेस ने आंदोलन को और प्रभावकारी बनाने के लिए 'जंगल सत्याग्रह' को भी आंदोलन के कार्यक्रमों में शामिल करने का अनुरोध किया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे मान लिया।

मध्यप्रांत में वन विभाग के अंतर्गत 19,618 वर्ग मील जंगल था। 1930-31 में इससे प्रांत को 51,11,944 रुपये का राजम्व प्राप्त हुआ था। कुल खर्च

39,60,430 रुपये हुआ था एवं कुल बचत 11,51,514 रुपये की हुई थी। 1929-30 में कुल बचत 20,21,566 रुपये हुई थी। अतः कांगड़े ने 'जंगल सत्याग्रह' द्वारा प्रांतीय सरकार के राजस्व को निशाना बनाया। उसका उद्देश्य इसके माध्यम से, प्रतिबंधित बन्य शेत्रों में शाम एवं खुश्कों को काटकर सरकारी नियमों की अवहेलना करना था।

सचिवन्य अवज्ञा अंदोलन का प्रभाव एवं गांधीजी के नेतृत्व में अंदोलन में भाग लेने की मार्गीसक स्थिति संघ में पूरी तरह से बन चुकी थी। डा. मुंजे की डायरी का निपुणतिहीन उद्भवण संघ के भीतर के बातावरण को प्रदर्शित करता है—

'ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशिक्षण के लिए गांवों से आए स्वयंसेवकों को मैंने शाम को संबोधित किया था। मैंने उन्हें समझाया कि संघ का अवर्द्धन भारत को हिंदू भारत एवं स्वराज्य को हिंदू राज उसी तरह बनाने का है जैसे अफगानिस्तान में मुस्लिम राज है। मैंने एक घटे तक भाषण किया ... मैं उन लड़कों के चेहरों को देखकर समझ गया कि वे मेरे भाषण की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। संभवतः महात्मा गांधी का स्वराज्य प्राप्ति के लिए सचिवन्य अवज्ञा अंदोलन उनके दिलों-दिमाग पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव डमा चुका था या मेरा भाषण ही अच्छा नहीं था।'

आंदोलन के आरंभ से संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह में भाग लेना शुरू कर दिया था। लेकिन चरमोत्कर्ष तब आया, जब डा. हेडगेवर ने स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह में भाग लेने का विरोध किया। देश की बदलती राजनीतिक परिस्थिति में संघ की भूमिका निश्चित करने के लिए नागपुर में सभी संघचालकों को एक बैठक नवंबर 1929 में बुलाई गई थी। तीन दिनों तक चली बैठक में सामृहिक रूप से यह तथ किया गया कि संघ कांग्रेस द्वारा घोषित अंदोलन का पूर्ण एवं बिना शर्त समर्थन करेगा। 1929 के अंत तक संघ की कुल 37 शाखाएँ थीं। नागपुर के बाद वर्धा संघ के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ 12 शाखाएँ थीं। 1930 के मध्य तक संघ की 52 शाखाएँ हो गई थीं एवं स्वयंसेवकों की संख्या दो-हाई हजार थी। इसमें युवा स्वयंसेवक सात-आठ सौ थे।

1. मुंजे पैरमी, प्राइवेट डायरी, 3 जून 1930, नेहरू समृद्धि संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

अतः संघ द्वारा आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय अच्छानक अथवा किसी भी दबाव में नहीं किया गया। डा. हेडगेवार संघ की योजनाओं को महीने पूर्व निर्धारित करते थे, जो संगठन की परंपरा बन गई। आंदोलन के प्रति संघ का दृष्टिकोण एवं इसका मूल्यांकन डा. हेडगेवार के भाषण के इस अंश से माझे हो जाता है—‘इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कि वर्तमान आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की अंतिम लड़ाई है। इस आंदोलन के बाद निरांयक लड़ाई होगी और हमें सर्वस्व त्यागकर उसमें कृदने के लिए तैयार रहना चाहिए।’

डा. हेडगेवार ने 1920-21 के अनुभवों से सीखा था कि कांग्रेसकर्ताओं के बन में शूटा विश्वास उत्पन्न करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। ‘एक वर्ष में स्वराज्य’ की घोषणा से असहयोग आंदोलन के प्रति अति उत्साह तो उत्पन्न हुआ था, परंतु उसके बाद उसी अनुपात में हताशा, निराशा एवं क्षुब्धता भी उत्पन्न हुई थी। अतः उन्होंने स्वयंसेवकों से अधील की थी कि आंदोलन की वास्तविक प्रकृति समझाकर लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए।

संघ की भागीदारी किस प्रकार हो, यह मुद्रा स्वयंसेवकों के बन में प्रश्न के रूप में खड़ा था। अनेक लोगों की इच्छा थी कि भागवा ध्वज के अंतर्गत संघ गणवेश में भागीदारी से संघ को पहचान बनेगी। इस प्रश्न का समाधान डा. हेडगेवार ने इस प्रकार किया—‘स्वयंसेवक व्यक्तिशः आंदोलन में संघचालक की अनुमति से भाग लें। उसमें उनके सहभागी होने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है।’ डा. हेडगेवार साप्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के एक संघ, एक झंडा, एक बैनर, एक कार्यक्रम के समर्थक थे। संघ के बैनर, ध्वज एवं अलग नेतृत्व के साथ आंदोलन में सम्मिलित होने का अर्थ था—‘व्यर्थ में विवाद को जन्म देना’, अतः ‘बिना किसी सेट्टांसिक बहस के’, उन्होंने स्वयंसेवकों को सलाह दी—‘आंदोलन में पूरी तरह से समरस होने की कोशिश करनी चाहिए।’ उन्होंने स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तुत किया।

आदर्श पहल

संघ की योजनानुसार 12 जुलाई 1930 को नागपुर में गुरु दक्षिणा महोत्सव या विशेष सभा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं संघ के शुभर्चितक उपस्थित थे। तभी डा. ल. वा. परोजपे ने अपने भाषण में यह कहाया कि डा. हेडगेवार अपने सहयोगियों के साथ ‘जंगल सत्याग्रह’ में भाग लेने जा

रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'जिन्हें भी इस आंदोलन में भाग लेना है, वे सहायता के लिए पर शेष जो इस नवजात संगठन के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। इसमें तभीक संदेह नहीं है कि वर्तमान आंदोलन राष्ट्र को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही साथ आगे की लड़ाई में सर्वस्व न्यौदावर करने वाले मनुष्यों को संगठित करते रहने का वास्तविक कार्य भी जारी रखना है।'

उत्सव के अंत में डा. हेडगेलर ने संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वैसा संभवतः किसी भी संस्था ने स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं किया था। कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने की जगह कांग्रेस संगठन पर आधिपत्य जमाने के अवसर की तलाश करते थे और कांग्रेस के कई जनसंगठनों पर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित करने में सफलता भी पाई थी। समाजवादी कांग्रेस के भीतर एक दल के रूप में खड़े थे। हिंदू महासभा एवं स्लीग दोनों ही अपने संगठन के अभिमान एवं समुदायों का नेतृत्व करने के स्वरचित धर्मदंड में ढूँये हुए थे। डा. हेडगेलर ने संघ को न तो आंदोलन के नाम पर विसर्जित होने दिया, न ही आंदोलन के भीतर खंडित मानसिकता का विकास होने दिया। वह कांग्रेस आंदोलन में सिर्फ एक सत्याग्रही के नाते शामिल हुए थे। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा :

'धन्यवाद देकर बैठने के बाद मैं संघ का सरसंघचालक नहीं रहूँगा। डा. परांजपे ने संघ का चालकत्व अपने ऊपर लेने की स्वीकृति दी है। इसके लिए संघ की ओर से हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम लोग जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, सब अपने व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। संघ को विचारशास्त्र एवं कार्यपद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, न ही हमारी उस पर से त्रहा डिगी है। देश में जितने भी आंदोलन खलें, अंततोहर ज्ञान प्राप्त करना तथा उनका उपयोग अपने कार्य के लिए करना देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के ध्येय से कार्यरत किसी भी संस्था का कर्तव्य है।'

1921 में जेल जाने समय उन्होंने जेल जाने के उत्साह को देशभक्ति का पर्याय नहीं माना था और कहा था कि जब आवश्यकता हो तभी जेल जाना चाहिए। अन्यथा बाहर रुक्कर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना चाहिए। एक बार जिन उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा :

'जेल जाना आज देशभक्ति का पर्याय बन गया है। पर जो मनुष्य दो वर्ष

जेल में रहने के लिए तैयार है, उससे यदि यह कहा जाए कि घर-बार के कामों से वो बच्चों की लहूटी सेकर देश में स्वतंत्र्योन्मुख संगठन का काम करे तो कोई भी तैयार नहीं होता। ऐसा बच्चों नहीं होता? ऐसा लगता है कि लोग यह बात समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि देश की स्वतंत्रता साल-छह महीने काम करने से नहीं, बर्बादुवर्ष सतत संगठन करने से मिलेगी। इस शक्तिकालीन देशभक्ति को छोड़ बिना तथा देश की स्वतंत्रता के लिए संगठन का कार्य करते हुए जीने का निश्चय किए बिना देश का भाग्य नहीं पलटेगा। यह दृष्टि युवकों में उत्तम जरना तथा उनका संगठन करने का कार्य करना संघ का ध्येय है।'

उनके भाषण के पश्चात संघ के सरसेनापति भारतींड राव जीग ने उन्हें तथा उनके साथ जाने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं को पुष्ट्यहार आर्पण किए।

पुसद सत्याग्रह

14 जुलाई को डा. हेडगेरार के नेतृत्व में सत्याग्रह की दुकड़ी नागपुर से रवाना हो गई। उन्हें नागपुर स्टेशन पर विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इनमें कार्यवाहक सरसंघचालक डा. परांजपे, डबले, वैरस्टर गोविंदराव देशमुख प्रमुख थे।

जहां-जहां ट्रेन रास्ते में रुकी, सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया एवं अनेक लोग उनके साथ होते गए। 15 जुलाई को वर्धा पहुंचने पर उनकी शोभायात्रा निकाली गई। यहां भी अनेक संघ नेता एवं स्वर्योसेवक उनके साथ सत्याग्रह दुकड़ी में शामिल हो गए। इनमें नारायणराव देशपांडे एवं श्रीवकराव देशपांडे भी शामिल थे। डा. हेडगेरार के साथ आप्पाजी जोशी, 'महाराष्ट्र' के संपादक बालासाहब डबले, दादाराव परमार्थ, विठ्ठलराव देव, भैव्याजी कुबलधार, आपी के अंचाडे, चांदा के पालेवार आदि प्रमुख लोग थे। टुकड़ी 16 जुलाई को पुमद पहुंची। 17 जुलाई को डा. हेडगेरार ने यवतमाल में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। अंदोलन के लिए बनी 'वार कौसिल' ने डा. हेडगेरार के सत्याग्रह का दिन 21 जुलाई को निर्धारित किया था। उनके साथ आए सभी संघ नेताओं को 'वार कौसिल' ने अलग-अलग सत्याग्रह दुकड़ियों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया।

पहले चरण के सत्याग्रह को, जिसका श्रीगणेश एम. एस. अणे ने पुमद में किया था, अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। अनेक बड़े नेता एक साथ

तक सत्याग्रही टुकड़ियों का नेतृत्व कर चुके थे। अब, सत्याग्रह का कार्यक्रम एक समाज के बाद स्थगित करना पड़ा। 'चार कॉसिन' ने दूसरे चरण के सत्याग्रह की तिथि 21 जुलाई निश्चित की थी, विसका उद्घाटन डा. हेडगेवार ने किया। टी. एस. बापट की इस धोषणा के बाद पुलिस रिपोर्ट में सत्याग्रह के संबंध में कहा गया कि 'पुस्तक का सत्याग्रह सफल नहीं था। परंतु दूसरे चरण का सत्याग्रह, जो खवतमाल से चार मील दूर 21 जुलाई को होने वाला है, उसके सफल होने की पूरी संभावना है।'

21 जुलाई को सुबह साढ़े छह बजे नागपुर भवन के मैदान में स्वयंसेवकों ने पहले ध्वज-बंदना की फिर कॉटन पार्केट के लिए प्रश्नान किया। अरंभ में डा. हेडगेवार के साथ तीन-चार हजार लोग थे, परंतु जैसे-जैसे वह आगे बढ़ते गए, लोगों की संख्या बढ़ती गई। सत्याग्रह स्थल पर यह संख्या दस हजार हो गई थी, जिसमें सात-आठ सौ महिलाएं थीं। लोग विभिन्न सवारियों से, जिसमें मोटरकार से लेकर चैलाड़ी तक शामिल थी, चल रहे थे। डा. हेडगेवार के साथ उमड़े जन मैलाव ने पुलिस की भविष्यवाणी को सच साबित किया। सत्याग्रह स्थल पर पुलिस एवं वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी झौंटू थे। जब डा. हेडगेवार ने टुकड़ी के साथ 'जंगल कानून' तोड़ा, उन्हें तुरंत गिरफतार कर लिया गया। हेडगेवार लोगों में सत्याग्रह जारी रखने की अपील करके पुलिस हिरासत में चले गए। 21 जुलाई की शाम को उन पर भुकटमा चलाया गया। न्यायधीश भरुचे ने उन्हें नी महीने के सब्रम कारावास की सजा दी। आपराधिक दंड संहिता 117 के अंतर्गत उह महीने का सब्रम कारावास एवं 379 के अंतर्गत तीन महीने का सब्रम कारावास इसमें सम्मिलित था। पुलिस एवं प्रशासन इसकी सफलता के कारण आशंकित थे कि आंदोलन का स्वरूप तेज एवं उग्र न हो जाए। यही कारण है कि डा. हेडगेवार को अन्य सत्याग्रहियों की तुलना में अधिक सजा दी गई। समान जुर्म के लिए एक ही मजिस्ट्रेट ने एक ही दिन अलग-अलग सजा सुनाई। जहां उन्हें नी महीने के सब्रम कारावास की सजा दी गई, वहां उनके साथ एस सभी 11 सत्याग्रहियों को चार महीने की साधारण कैद की सजा दी गई। डा. हेडगेवार के सत्याग्रह के प्रभाव के बारे में पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि 'डा. हेडगेवार को दी गई सजा का संतोषप्रद असर हुआ और कोई भी उस स्तर का नेता सत्याग्रह करने आगे नहीं आया।' नागपुर में उनके समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई। खवतमाल से डा. हेडगेवार

द्वारा मत्याघ्रह के दौरान काटी गई धास को नागपुर लाया गया एवं शास्त्राओं में रिपोर्ट पढ़ने के बाद धास को ध्वज के ऊपर लड़ाया गया। 21 जुलाई को ही कांग्रेस ने भी उनके समर्थन में रैली का आयोजन किया था।

डा. हेडगेवार का सत्याग्रह मध्यप्रांत के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में से एक था।

आंदोलन में तीव्रता

डा. हेडगेवार को कहीं सजा मिलने का असर प्रांत के कांग्रेस संगठन पर भले ही न हुआ हो, परंतु संघ के स्वयंसेवकों ने और भी जोर-शोर से मत्याघ्रह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जहां-जहां संघ का प्रभाव था वहां-वहां सत्याग्रह के भिन्न-भिन्न रूप सामने आने लगे।

इसका सबसे अधिक प्रभाव शराब को दुकानों पर छापा मारने पर पड़ा। नागपुर में नशाबंदी के लिए स्वयंसेवकों ने जग्मकर अभियान चलाया। 1920-21 में अहस्योग आंदोलन के दौरान भी यह कार्यक्रम प्रांत में सफल रहा था और 1931 में इस आंदोलन के फलस्वरूप शराब की बिक्री में साठ प्रतिशत की कमी आई। सरकार विरोधी आंदोलनों में 1930-32 में संघ की अग्रणी भूमिका को स्वीकार किया गया।

प्रतिवर्धित साहित्य पढ़ना भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल किया गया था। नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक सभाओं में ऐसे साहित्य को पढ़कर गिरफ्तारियां दी थीं। इसमें संघ के सरकारी जी. एम. हुद्दार भी शामिल थे। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में मैजिनी एवं विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिवर्धित पुस्तकों को पढ़कर खुन्नमखुन्ना पुलिस एवं प्रशासन को ललकारा और गिरफ्तारी दी थी। नागपुर के संघचालक आपासाहब हलदे ने संघचालक के दायित्व से मुक्त होकर वार कौसल के डिक्टेटर की भूमिका निभाई और बाद में 'जंगल मत्याघ्रह' करके जेल गए। उसी प्रकार सिरपुर के संघचालक बाबूसव वैद्य ने भी गिरफ्तारी दी थी। संघ के दूसरे अखिल भारतीय

1. साविक रिपोर्ट, मध्यप्रांत और बार, जुलाई 1932 का उत्तराद्द, F.L/P&J/12/40
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

2. कैमरी, 9 दिसंबर 1938

अधिकारी मार्टिंड जोग को, जिन्हे संगठन में 'सेनापति' का पद दिया गया था, बार कॉमिल के स्वयंसेवकों का 'कैटन' नियुक्त किया गया था। उन्होंने कॉमिल के गुप्त समाचार घर 'बार ब्लेटिन' के भी प्रकाशन को जिम्मेवारी ली थी। बाद में 4 सितंबर को संघ के स्वयंसेवकों के साथ नागपुर से साठ कि. मी. दूर हलेगांव में सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी। सभी को चार महीने के मत्रम कारावास की सजा हुई थी। उनके सत्याग्रह में भी हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। रामभाऊ बख्तर, विद्वत्ताराव गाडगे, सीताराम पंत भेहकर जैसे अनेक प्रमुख संघ नेताओं ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। भेहकर यवतमाळ में संघ के कैप के अवस्था-प्रमुख थे। उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तारी दी थी! 1 तलेगांव के डा. अंबावास नारायण, विष्णु गोविंद घोटकर, विद्वत भामजी लोहन आदि स्वयंसेवकों को बार महीने के सब्रम कारावास की सजा मिली? 2

संघ के सरसंघचालक डा. हेडगेवर सहित 125 स्वयंसेवक अकोला ज़ेल में ही बैठ थे। प्रायः सभी चटाधिकारियों ने संगठन के दायित्व से मुक्त होकर कांग्रेस सत्याग्रह में भाग लिया था। यद्यपि संघ के स्वयंसेवक अपक्रियता और पर ही इसमें भाग ले रहे थे परंतु मध्यप्रांत के सत्याग्रह में उन्होंने जान फूंकने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया था। डा. हेडगेवर को इस बात का अत्यधिक संतोष था। एक नवजात संगठन द्वारा अपने से ज़तुता का भाव रखने वाले कांग्रेसी नेताओं द्वारा निर्मित बार कॉमिल के निर्देशन में पूरे मन से अंदेशन में भाग लेना मध्यप्रांत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में सचमुच असाधारण घटना थी। डा. हेडगेवर ने अपनी कथनी 'राष्ट्र संगठन में बड़ा होता है' एवं 'राष्ट्रीय हित सभी हितों से ऊपर होता है' को अवहार में बदलकर दिखा दिया था।

संघ ने अपने प्रशिक्षण केंद्रों के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करके प्राथमिक चिकित्सा हेतु एक सुशृण पथक का निर्माण किया था। इसमें 100 स्वयंसेवक थे। इस पथक ने मध्यप्रांत में सत्याग्रह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रदर्शनों, शोभायात्राओं एवं सत्याग्रहियों के साथ स्वयंसेवकों का

1. कैसरी, 2 अगस्त 1930 एवं 22 जुलाई 1930, पृ. 2

2. वही

दल बला करता था। पुलिस के दमन या कमजोरी से मृच्छा खाकर गिरने वाले आंदोलनकारियों को प्राथमिक चिकित्सा की जाती थी। 9 सितंबर को नागपुर में पुलिस ने मत्याहियों पर अमानुषिक प्रहार किया, जिसमें दर्जनों मत्याही जख्मी हुए थे। इन सबका उपचार कार्यवाहक सरसंघवालक डा. परांजपे के फिल्मनिक में किया गया था। उससे एक महीने पूर्व जब पूर्ण में 'गढ़वाल दिवस' मनाया जा रहा था तब पुलिस एवं आंदोलनकारियों के बीच मध्य रुक्षि तक टकराव चलता रहा। तब इस पथक ने दिन-रात एक करके आंदोलनकारियों की सहायता की थी।

1930 में दशहरे के अवसर पर संघ को सभी शाखाओं में 'रे मन! तुझे सुख का अधिकार नहीं' नामक निबंध का वाचन किया गया था। देशभक्ति की भावना से औरतों द्वारा इस निबंध का भाव था कि 'जब तक मातृभूमि परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो जाती और राष्ट्र सबल एवं वैभवशाली नहीं हो जाता, हमें सुख की तनिक भी लालसा बरने का अधिकार नहीं है। यह संतान निकृष्ट होती है, जो अपनों मां को दुख-दर्द, अपमान एवं दासता में छोड़कर भौतिक सुखों के पीछे भागती है। वास्तविक सुख तो इन बेड़ियों को तोड़ने एवं राष्ट्र को स्वतंत्र करने में है।'

अंततः डा. हेडगेवार ने अपने और अपने संगठन के सामूहिक व्यवहार में प्रधाणित कर दिया कि देशभक्ति, राजनीतिक चेतना से अधिक सांस्कृतिक चेतना से प्रवहमान होती है। अतः संघ के गैर-राजनीतिक स्वरूप से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पण कर जो भाव प्रमुटित हुआ था वह उनके नए अधिकान की सार्वकाता का गूच्छ का था।

दूसरा कारावास

डा. बटर हेडगेवर की मिरफ्तारी पर पूरे प्रांत में प्रतिक्रियाएँ हुईँ। जब उन्हें ट्रेन से अकोला जेल से जाया जा रहा था तब प्रायः सभी स्टेशनों पर लोग उनका अभिवादन करने के लिए उपस्थित थे। यवतमाल मुर्तिजापुर रेल लाइन के बीच दारवा स्टेशन पर तो इतनी भीड़ इकट्ठी थी कि पूरा प्लेटफार्म ही सभास्थल में बदल गया था। सोगों की संख्या हजार-बारह सौ थी। प्लेटफार्म पर ही एक मंच भी बना दिया गया था एवं दारवा के कांगेसी नेताओं ने दाढ़ के नेतृत्व में डा. हेडगेवर से ट्रेन में मिलकर मंच पर आकर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करने का आग्रह किया। लोगों के दबाव में पुलिस अधिकारी विवश थे और उन्होंने हेडगेवर को मंच पर जाने की अनुमति दे दी।

उनका भाषण छोटा किंतु उत्साहवर्धक था। उन्होंने कहा था:

'एक दशक पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ हमने असहयोग आदोलन किया था, अब हम ऑपनिवेशिक कानूनों की धनियां उड़ा रहे हैं। सरकार की गलतफहमी है कि दमन से जनता डर जाएगी। हिंदुस्थान का पूरा इतिहास ही धर्म एवं अधर्म के बीच लड़ाई का है। हमें अंग्रेजों से वैधानिकता का याठ नहीं पाहूँना है। जिसे वे बानून कहते हैं, वे हमारी बेड़िया हैं, जिसे वे अशांति कहते हैं वह आगे आने वाले समय की पूर्व सूचना भात्र है, जिसे वे पहचान नहीं पा रहे हैं। समझीता एवं वार्ता साम्राज्यवादी समस्या का निदान नहीं है। जिन लोगों ने धोखे एवं छल से पूरे राष्ट्र को बल प्रयोग से अपने अधीनस्थ कर रखा है, वे राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे मत्ता सीता का अपहरण करने वाले राष्ट्रों का विनाश हुआ था वही परिणाम अंग्रेजों को भी देखना पड़ेगा, यदि वे समय रहते हिंदुस्थान से बापस नहीं चले जाते हैं।'

उनके ओजपूर्ण भाषण ने पूरे वातावरण को उग्र राष्ट्रवाद के रंग में रंग दिया और 'बंद भातारम्' के जयघोष से उन्हें बिदाई दी गई। पुलिस अधिकारी उनके उत्तेजक एवं सरकार विरोधी भाषणों से चिढ़े हुए थे और बार-बार डा. हेडगेवर द्वारा जनसमुदायों को संबोधित करना उन्हें पसंद तो नहीं ही था,

इसके अलावा उन्हें अपने कपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी भय मताने लगा। दोन स्थलों ही पुलिस अधिकारी ने उन्हें हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया। काफी देर तक बाद-बिवाद चलता रहा। मर्यादाओं में जीने वाले डा. हेडगेवार राष्ट्राभिमानी तो थे ही, उनमें आत्मसम्मान, मनोबल, आत्मविश्वास एवं निर्भयता कूट-कूट कर भी हुई थी। वह पुलिस अधिकारी के सामने उग्र रूप में खड़े हो गए और उन्होंने हथकड़ी लगाने को चुनीती दे डाली। उनके साथ के सभी सत्याग्रहियों ने विरोध का स्वर उठाया। फलस्वरूप उसे अपना आदेश लाप्त लेना पड़ा और डा. हेडगेवार पूर्ववत आगे भी लोगों का अधिकादन स्वीकार करते रहे।

कारावास में जीवन

यह उनका दूसरा कारावास था। उन्हें 'बी' ब्रेणी एवं उनकी दुकड़ी के सत्याग्रहियों को 'सी' ब्रेणी दी गई। कठीब बीस लोग थे। सी फुट लंबे और तीस फुट चौड़े कमरे में उन्हें सात दिनों तक अकेला ही रखा गया था। इसके बाद बल्लाल के एस. एच. बल्लाल को उनके साथ रखा गया। इसके बाद मेहकर की संघ शास्त्र से जुड़े राजेश्वरराव देशमुख एवं दादासाहब सोमन को उनके साथ 18 अगस्त से रखा गया। देशमुख ने लिखा है —

'श्रावण के कृष्ण पक्ष का सोमवार था। उस दिन मेरे जीवन का अस्तित्व महत्व का क्षण था। जाते ही सामने परमपूज्य डा. हेडगेवार बैठे दिखे। ... संप के जनमदाता के साथ रहने का अवसर पिलेगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे बड़ा आनंद हुआ और बृद्ध माता-पिता और छोटे-छोटे बच्चों को पौछे छोड़कर जैस जाने का दुख खिलूकल भूल गया।'

बाद में 'बी' ब्रेणी में राजनीतिक कैटियों को संख्या बढ़ाकर 35 तक ही गई थी।

याचना नहीं

जेलाधिकारी फोड़ डा. हेडगेवार के पहले कारावास के दीरान भी अजनी जेल में थे। अतः उनका परिचय पुराना था। वह आयरिश थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके मन में शोड़ी साधनुभूति भी थी। डा. हेडगेवार का राष्ट्रवाद एवं मर्यादित व्यवहार उन्हें बहुत पसंद था, अतः 'फोड़ उनका बहुत सम्मान करते

थे। यह देखकर जब 'बी' श्रेणी के सत्याग्रहियों ने उनसे अनुरोध किया कि फोर्ड में जाकर खाने, रहने एवं पहनने को अधिक सुविधाओं को मांग रखें तब डा. हेडगेवार का उत्तर था- 'मैं जानता हूँ कि फोर्ड मेरी चात मान संगे। वह एक नेक अधिकारी हैं। परंतु वह औपनिवेशिक शासन के ही प्रतिनिधि हैं। उनसे कुछ मांगना ब्रिटिश सशास्त्रवाद से याचना करने के समान होगा। हम इन के लिए निकले हैं, सुख-सुविधाओं में यदि जीना था तो सत्याग्रह करने की आवश्यकता क्या थी?'

एक दूसरी घटना उनके विशुद्ध राष्ट्रवाद को पृष्ठ करती है। आपाजी जौशी संघ के नेता के साथ-साथ प्रांत के जाने-माने कांग्रेसी नेता थे। वह 1928 तक प्रांतीय कांग्रेस के मंत्री रह चुके थे। इसके साथ-साथ वह प्रांत की अन्य सामाजिक गतिविधियों में जुड़े थे। उनके स्वास्थ्य में गिरफट को देखकर फोर्ड ने 'बी' श्रेणी में रखना चाहते थे तथा उनसे आग्रह करते थे कि वह इस बात को मांग एक आवेदन-पत्र लिखकर करें। आपाजी टालते रहे। अंत में फोर्ड ने डा. हेडगेवार से राय लेने के लिए कहा। तब डा. हेडगेवार ने आपाजी से कहा :

'आप कांग्रेस के महामंत्री रह चुके हैं। आवेदन करने पर कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, परंतु जिस आंदोलन में आप शारीक होकर जेल पहुंचे हैं, उस आंदोलन की प्रतिष्ठा को रक्षा का दायित्व भी आप पर है।'

आपाजी ने निश्चय कर लिया कि वह आवेदन नहीं करेंगे और अपनी श्रीमारी को हालत में भी वह 'सी' श्रेणी में ही रहे। अंततः उनकी बुरी हालत को देखकर जेल प्रशासन ने उन्हें 'बी' श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया।

डा. हेडगेवार का मत था कि व्यक्ति जिस आंदोलन अथवा संगठन में रहे, वह उसकी सौमाओं, मिद्दोंतों, मर्यादाओं एवं अनुशासन का चालन करे। अनुशासन भग होने से ही असहयोग आंदोलन चापस लेना पड़ा था। और 'राष्ट्रवाद की मर्यादा को न पहचानने के कारण ही भर्माई लोगों ने मोपला में तिदुओं के साथ अत्याचार किया था।' यही कारण है कि जब डा. हेडगेवार जो गवतमाल में सत्याग्रह के बाद गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने उत्तेजित बनस्मृदाय से अहिंसा के मार्ग पर बने रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि :

'अंग्रेजी शासन की लड़ाई का आज पहला अधिका अतिम दिन नहीं है। अंग्रेजों दमन तो सिफे इस बात का मुचक है कि विदेशी सरकार कितनी अलोकप्रिय है, कितनी भविष्यीत है एवं कितनी स्वतंत्रता विरोधी है। इस बात पर विचार करना होगा कि व्यापे मुद्दे-भर लोगों ने हमें अपना अधीनस्थ बना रखा है? एक दिन के अति उत्साह एवं उत्तेजित भाव से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। जो लोग जेल नहीं आए हैं उन्हें संगठन का कार्य करके आगे की लड़ाई की तैयारी करते रहना चाहिए।'

गांधीजी का आदेश था कि जेल के नियमों एवं आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। क्षेत्रजनक व्यवस्था के बाबनुद ला. हेडगेवर एवं उनके सहयोगी अनुशासित बने रहे। डा. हेडगेवर एवं गांधीजी के व्यावहारिक दृष्टिकोण में सम्भानता सबको दिखाई पड़ रही थी। जेल में जब 'सी' क्रेणी के बंदियों के साथ सख्त एवं अमानवीय व्यवहार होने लगा तब 'बी' एवं 'सी' क्रेणी के सभी सत्याग्रहियों ने भूख हड्डाल रखी थी। जेल में डा. हेडगेवर ने 'गद्बाल दिवस' आयोजित किया और उस दिन उनकी अपील पर सत्याग्रहियों ने उपचास भी रखा।

ऊपर से आए सख्त आदेश के कारण डा. हेडगेवर पर जेल प्रशासन की तीखी दृष्टि थीं। यह बात जब बाहर आई तब डा. मुंजे 29 जुलाई को उन्हें मिलने जेल गए। डा. मुंजे ने लिखा है कि 'यद्यपि उन्हें (संघ स्वयंसेवकों वाले) कठोर काम करना पड़ता है फिर भी वे सुश नजर आ रहे थे। वे सभी जेल की बेशभूमा में थे। डा. हेडगेवर जेल की बेशभूमा में नहीं थे, परंतु उन्होंने शिकायत की थी कि ऊपर के अधिकारियों के आदेश में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इम्पेक्टर जनरल मेजर जठार जेल आए थे लेकिन डा. हेडगेवर का कहना था कि उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने वार कोमल के डिक्टेटर श्रीराम से कहा कि वह इस संबंध में विरोध प्रस्ताव पाठित करें।'

लोक संग्रह

डा. हेडगेवर की अद्भुत विशेषता थी—लोक संग्रह करना। वह चाद-विचार को प्रतिवाद में बदलते थे और मनुष्यों में व्याप्त सकारात्मक पहलुओं के आधार पर उन्हें अपने मिशन से जोड़ने का कार्य करते थे। जेल के भीतर भी उन्होंने

ऐसा हो कर दिखाया। राजनीतिक बंदियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो संघ को हिसक एवं सांप्रदायिक मानते थे। डा. हेडगेवार उनके मत को सुनते थे तथा राष्ट्र, संस्कृति, समाज, देश, महात्मा गांधी, झाँतिकारी आंदोलनों के प्रति संघ का दृष्टिकोण उनके सापेने रखते थे। संघ के प्रति व्याप्त भाँति दूर होते ही डा. हेडगेवार ने जेल के अंदर विजयादशमी के दिन से प्रातः संघ प्रार्थना का आयोजन करूँ कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उनमें से अनेक लोग संघ कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए थे।

जेल के अंदर डा. हेडगेवार को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती रहती थी। संघ के पदाधिकारी उन्हें संगठन की प्रगति की भी जानकारी देने जाते थे। इनमें डा. परांजपे एवं भाऊराव कुलकर्णी प्रमुख थे।

दो घटनाओं से वह चिंतित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में लंदन में चुलाए गए गोलमेज सम्मेलन में डा. मुंजे के भाग लेने का निर्णय उन्हें अच्छा नहीं लगा था। परंतु उनके विरोधियों द्वारा उन्हें 'गेंडा' के रूप में सर्वजनिक रूप से चिकित करने को भी उन्होंने आँखी राजनीति की संज्ञा दी।

गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम पृथकतावाद की बात को सुनकर वह हैरान थे। उन्होंने कहा था कि 'कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों, अपने इतिहास, अपने भूगोल एवं पड़ोसियों और परंपराओं से कैसे कट सकता है? क्या राष्ट्रभर्ष हमारे व्यक्तिगत धर्म से हीन होता है?'

इसी बीच संघ पर एक कहर गिरने की खबर ने उन्हें मायूस कर दिया। हुशर जब जेल की सजा काटकर बाहर आए तब वह भालापाट में राजनीतिक हड्डी में शरीक हुए थे और जनवरी 1931 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। हुशर संघ के शीर्ष नेताओं में थे। इन्हों घटनाचक्रों के बीच डा. हेडगेवार 14 फरवरी 1931 को जेल से मुक्त हुए। अकोला, वर्षा एवं अन्य स्थानों पर उनका स्वागत किया गया और वह 17 फरवरी को नागपुर पहुंचे। वहां भी बड़ी शोभायात्रा निकाली गई एवं उसी दिन उन्होंने सरसंघचालक के दायित्व को पूनः स्वीकार किया।

हिंदू महासभा, कांग्रेस और संघ

डा क्टर हेडगेवार के जीवनकाल में संघ की शक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ि थी। गई और इसका अखिल भारतीय स्वरूप सबके सामने आया। वैसे-जैसे संघ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे-वैसे मध्यप्रांत एवं देश के दूसरे हिस्सों के राजनीतिज्ञों के मन में इससे 'अपेक्षाएँ' भी पनपने लगी। वे सभी संघ की वैचारिक औंटोलन के रूप में नहीं देख पाते थे और सिफ़ गणवेशधारी अनुशासित स्वर्यंसेवकों जो तुकड़ी ढन्हें आकर्षित करती थी। हिंदू महासभा के साथ-साथ अनेक कांग्रेसी नेता भी संघ के संगठन का उपयोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति के संबद्धन में करना चाहते थे।

महासभा में डा. हेडगेवार

महासभा को गतिविधियों से डा. हेडगेवार नागपुर में इसकी 1923 में हुई सभापना के बाद जुह गए थे। उन्हें 14 मदम्यों वालों 'प्रचार मिति' का मदम्य मनोनीत किया गया था। राजा लक्ष्मणराव भोसले और डा. मुजे इसके प्रमुख अध्यक्ष एवं सचिव थे। 1926 में डा. हेडगेवार को नागपुर इकाई का सचिव बनाया गया। वह 1927 तक इस पद पर रहे। इस दौरान भी वह अन्य दो सचिवों- उदाराम पहलवान एवं गोपालराव दलची की अपेक्षा कम सक्रिय थे। वह बैठकों से प्रायः अनुपस्थित रहते थे।

डा. हेडगेवार का कांग्रेस एवं महासभा के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट था। वह कांग्रेस के अखिल भारतीय चरित्र को स्वीकार करके इसे साप्राज्यवाद विरोधी औंटोलन का सर्वमन्य मंच मानते थे। वह सैद्धांतिक अमहमति एवं मतभेदों के कारण स्वतंत्रता औंटोलन में अलग-अलग साप्राज्यवाद विरोधी मंचों के विरोधी थे। इससे वह संग्राम सिफ़ कमज़ोर होता। अतः वह चाहते थे कि अन्य कार्यों में लिप्त दूसरे संगठन साप्राज्यवाद विरोधी मुद्दे पर कांग्रेस के मंच का उपयोग बिना किसी शर्त के करें। यही कारण है कि कांग्रेस के औंटोलनात्मक अध्यवा रचनात्मक कार्यों में डा. हेडगेवार बिना किसी पुर्वान्ह अथवा शर्त के भाग लेते रहे। इसके लिए वह कांग्रेस से कृतज्ञता की अपेक्षा

नहीं करते थे। और यही भावना वह दूसरे संगठनों एवं नेतृत्व में देखना चाहते थे। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में वह महासभा को कांग्रेस का विकल्प नहीं समझते थे। महासभा द्वारा हिंदू हितों के लिए विभिन्न स्तरों पर जो कार्य हो रहा था, हिंदुत्व के लिए वह उसकी सीमित उपयोगिता समझते थे।

जैसे-जैसे महासभा सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारों एवं हिंदू एकता के प्रश्न से अधिक महत्व राजनीतिक प्रश्नों को देने लगी और राजनीति में मुस्लिम लीग की तरफ पर अपने आप को हिंदुओं का प्रतिनिधि घोषित करने लगी, जैसे-जैसे डा. हेडोवार की इससे स्वभावतः दूरी बढ़ने लगी। वह 1927 के बाद सांस्कृतिक तरफ पर इसमें जुड़े रहे और 1930 के दशक में महासभा के नेताओं में व्यक्तिगत संबंध भर रह गया था। कई अधीं यें जैचारिक समाजता एवं इसके नेतृत्व के प्रति उनकी श्रद्धा के कारण संघ द्वारा यदा-कदा महासभा को जन-बल की सहायता मिलती रहती थी।

संघ एवं महासभा के बीच संबंधों को लेकर भ्रम का एक कारण यह भी था कि संघ ने आरंभिक दिनों में महासभा के नेताओं की सहायता नए स्थानों पर संगठन का विस्तार करने में ली थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस संबंध में कहा है कि 'जब संघ का कार्य शुरू हुआ तब डा. हेडोवार ने हिंदुत्ववादी नेताओं की भद्रत ली थी। इसका उद्देश्य संघ को नए-नए स्थानों पर स्थापित करना था। यह उनकी संगठनात्मक रणनीति थी। उनमें से कुछ को तो कई स्थानों पर संपचालक भी नियुक्त हिया गया था।'

इस सबके बावजूद डा. हेडोवार ने संघ को स्थापना के दिन से ही संगठन की स्थायतता बनाए रखी। इस पर किसी भी तरह आंच नहीं आने दी। वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय संगठन के सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही लिया करते थे। इसके अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में संघ को महासभा पर निर्भर तो नहीं ही रखा, महासभा नेताओं को किसी भी स्तर पर इस प्रक्रिया में उन्होंने सम्मिलित भो नहीं किया था। इसका पहला दृष्टांत 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय साथने आया। इस आंदोलन के प्रति महासभा में एक ग्राय नहीं थी। इसका एक धड़ा, जिसका प्रतिनिधित्व भाई परमानंद कर रहे थे, महासभा गांधी का विरोध कर रहा था, तो दूसरे लोग, जिनमें डा. मुंजे भी सम्मिलित थे, आंदोलन में बेमन से महात्मा

गांधी की नीतियों के प्रति आपत्तियाँ तराते हुए शाश्वत हुए थे। डा. मुंजे 11 जुलाई 1930 को सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुए थे और पांच दिनों का जुमाना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया था। परंतु संघ ने अपना निर्णय गांधीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करके लिया। डा. हेड्गेवार महासभा के द्वद्वारा दुविधा में पूरी तरह बेखबर एवं बेअसर थे। संघ की भागीदारी बिना शर्त एवं पूरी प्रतिबद्धता के साथ थी।

महासभा की अपेक्षा

1932 में महासभा ने प्रस्ताव पारित करके संघ के अधिकार भारतीय स्वरूप को स्वीकार किया था। प्रस्ताव में डा. हेड्गेवार की प्रशंसा की गई थी। हिंदू महासभा अपने आप को हिंदू राजनीति का भूष लानी थी और संघ से इसकी अपेक्षा थी कि वह इसको स्वयंसेवी संस्था बनकर जन बल की महायता करे। कांग्रेस के अंदोलनों में इसकी भागीदारी महासभा नेताओं को पर्याप्त नहीं थी। महासभा नेतृत्व बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों एवं प्रचार-प्रसार के कामों में स्वयंसेवकों का उपयोग करने के लिए लालायित नजरों से संघ को देखता था।

स्वयंसेवकों के प्रति महासभा की अवधारणा कैसी थी, यह डा. हेड्गेवार द्वारा संघ के एक नेता काशीनाथ लिम्बे को 4 नवंबर 1935 को लिखे गए पत्र से पता चलता है। उन्होंने लिखा था कि महासभा के नेताओं को समझाने की आवश्यकता है कि संघ के स्वयंसेवकों का काम टेबल-कुसिंया उठाने का नहीं है। वह आगे लिखते हैं- ‘परिस्थितिवश, जो चल रहा है वैसा ही और कुछ समय तक चलता रहे, इसके बिना अन्य उपाय नहीं है। मैं जानता हूँ कि वहाँ की परिस्थिति स्वयंसेवकों को अल्पत शोड़ादायक अनुभव होती है, और इस कारण मेरा हृदय सदैव व्यथित रहा है।’

बब डा. हेड्गेवार ने दोनों संस्थाओं के बीच लक्षण रेखा खोच दी, तब महासभा में संघ एवं डा. हेड्गेवार के प्रति अक्रोश उत्पन्न होने लगा, जो आपमी चर्चा एवं कभी-कभी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त होता रहा। 1934 में डा. मुंजे ने डा. हेड्गेवार के एक सहयोगी जी. चौ. देशमुख से शिकायत की थी कि संघ महासभा से थोड़ा भी सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि बिनायक दामोदर

1. जी. चौ. देशमुख, काल समुद्रांतील ग्रन्थ, बीमा प्रकाशन, नागपुर, प. 155-157

सावरकर ने भी पनेवल की सर्वजनिक सभा में संघ की महासभा के ग्रन्ति 'तटस्थिता' के लिए आलोचना की थी। उन्होंने कठाक्ष करते हुए कहा था—'संघ के स्वयंसेवकों की कहानी होगी कि वह जन्मा, संघ में शामिल हुआ और बिना कुछ किए मर गया।' सावरकर के उपर्युक्त कथन के बाद निचले एवं मध्य स्तर के महासभा नेताओं ने संघ पर प्रहार और भी तेज़ कर दिया। इनमें माधव बिंदु पुराणिक, नाथुरान गोडसे, वीर पश्चिमाराव जोशी, जी. जी. अधिकारी इत्यादि प्रमुख हैं। पुराणिक ने गोडसे, जोशी एवं सोलापुर के राजवाड़े की सहमति से सावरकर को पत्र लिखकर संघ नेताओं की तीमंडी आलोचना की थी। उन्होंने संघ नेतृत्व पर टीका करते हुए लिखा था कि 'वे संघियों की महासभा का काम करने से जान-बूझकर रोकते हैं। उनके अनुसार हिंदू महासभा नेताओं का समूह मात्र है। वे ऐसे महत्वाकांक्षी हैं जिन्हें कांग्रेस में सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। संघ कुटिलता से हमारा उपयोग अपना कार्य बढ़ाने के लिए करता है।'

भागानगर सत्याग्रह

अक्टूबर 1938 में महासभा एवं आर्य समाज ने हैदराबाद के निजाम को हिंदू विशेष नीतियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से सत्याग्रह संग्राम शुरू किया था। सावरकर स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। महासभा की अपेक्षा थी कि जिस प्रकार डा. हेडगेवार ने 'जंगल सत्याग्रह' में स्वयंसेवकों के साथ भाग लिया था, उसी प्रकार भागानगर सत्याग्रह में भी शामिल हों। सन् 1930 से 1937 तक संघ के कार्य का विस्तार कई गुना अधिक हो गया था। महासभा परोक्ष रूप से संघ की महाभागिता पर निर्भर थी। परंतु डा. हेडगेवार के सामने मूल प्रश्न था देश की स्वतंत्रता का। अतः तात्कालिक प्रश्नों पर वह संघ की शक्ति एवं ऊर्जा का क्षय करना नहीं चाहते थे। सामाजिकवाद-विशेष आंदोलन से जितना वह उत्साहित होते थे, इस प्रकार के आंदोलनों के प्रति सहानुभूति के बावजूद वह सक्रिय नहीं हो पाते थे। भागानगर सत्याग्रह के मुद्दों में उनकी सहमति थी परंतु वह इसे स्वतंत्रता की लड़ाई के अंतिम चरण में उपर्युक्त नहीं मानते थे। वौपनिवेशिक काल में संघ एवं महासभा की प्राथमिकताओं में वैसे ही अंतर था जैसे डा. हेडगेवार एवं महासभा नेताओं की प्रकृति, स्वभाव और कार्यपद्धति में अंतर था। डा. हेडगेवार स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विर्णव लेने की क्षमता को सर्वत्र महत्व देते थे। यही कारण है कि उन्होंने संघ के निर्णयों, अभिमतों एवं कार्यक्रमों वो स्वयंसेवकों पर कभी नहीं थोपा था। संघ में सदैव स्वेच्छा से

सहभागिता पर जोर दिया जाता था। उन्होंने संघ के एक अधिकारी द्वारा भागानगर सत्याग्रह के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जो पत्र 12 नवंबर 1937 को लिखा था, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था—

‘संघ के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में संघ के अतिरिक्त किसी भी संस्था में या आंदोलन में महाभागी होने के लिए या किसी भी सभा में उपस्थित रहने के लिए संघ की मनाही तो असंभव है। किंतु ऐसे सदस्यों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि उसके किसी भी कार्य से संघ की हानि न हो।’

उन्होंने दूसरे पत्र में लिखा था कि स्वयंसेवक व्यक्तिशः इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं। संघ की इसमें भागीदारी सांकेतिक थी। ऐयाजी दाणी के नेतृत्व में संघ के सौ स्वयंसेवकों का दल इसमें सम्मिलित हुआ था। परंतु इसमें महासभा संतुष्ट होती, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके विपरीत महासभा के नेताओं में संघ के प्रति आवेश चरम पर पहुंच गया। पहली बार डा. हेडगेवर की सावंजनिक तौर पर आलोचना की गई। मुंबई से प्रकाशित महासभा समर्थित पत्र ‘बंदे मातरम्’ के संपादक जी. जी. अधिकारी ने 12 लेखों की भूखला लिखकर डा. हेडगेवर को ‘हठी’, ‘अभिमानी’ ‘महत्वाकांशी’ तक कहा। उन पर हिंदुत्व के आंदोलन में सहयोग न करने और हिंदू गवित को बांटने का आरोप लगाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी महासभा नेता ने आगे बढ़कर इसका प्रतिवाद नहीं किया। परंतु ‘बंदे मातरम्’ के संपादक को महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से लेख भूखला की आलोचना में सैकड़ों पत्र पिले और ‘बंदे मातरम्’ का कई स्थानों पर बहिष्कार भी हुआ। नागपुर से प्रकाशित ‘सावधान’ ने 27 मई के अंक में भागानगर सत्याग्रह में संघ द्वारा भाग न लेने की आलोचना करने वालों को जवाब दिया। इसने लिखा—

‘नित्य कार्य और नैमित्तिक कार्य—इनका ज्ञान यदि जी. जी. अधिकारी को होता, तो संघ के विरुद्ध बरह जहरीले फूलकार उन्हें छोड़ ही न होते। भागानगर सत्याग्रह के उत्साह के बचकाने आवेश में वह भूल गए हैं कि अभी राष्ट्र की स्वतंत्रता का कार्य रोप पड़ा है। जिस समय राष्ट्र को मुक्ति के लिए अंतिम दाँव लगाना होता है, उसकी पूर्ण तैयारी के लिए राष्ट्र विशेषण के नित्य कार्य है एवं भागानगर सत्याग्रह जैसे आंदोलन उसके नैमित्तिक कार्य हैं। बिन-पिन कार्य करने वाली संस्थाएं पृथक होती हैं ... परंतु नित्य कार्य में संलग्न संस्था नैमित्तिक कार्य के लिए ऐसा कोई भी पग नहीं उठा सकती जिससे वह

अपनी शक्ति 'समर्थन एवं वैशिष्ट्य को भुलाकर नित्य कार्य में छंड (विभाजन) उत्पन्न कर दे।' बाबायात्र सत्याग्रहकर ने एक लेख लिखकर हिंदू महासभा को जवाब दिया। उन्होंने भागनगर सत्याग्रह के संबंध में संघ की भूमिका का समर्थन करते हुए लिखा था कि '... संघ की प्रेरणा से जिन लोगों के मन में हिंदुत्व एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अधिष्ठान जाग्रत हुआ है वे कभी भी आपने कर्तव्य मार्ग से जी नहीं चुरा सकते हैं। वे अपना कर्तव्य दूसरों की अपेक्षा जटिक योग्य रीति से समझते हैं एवं उसका निर्वाह करते हैं।'

परंतु महासभा की उत्तेजना इससे समाप्त नहीं हुई। 7 जून 1939 को अधिकारी ने ओछी भाषा में, डा. हेडगेवार पर पुनः प्रहार किया। 'वंदे मातरम्' ने लिखा कि '...दा. हेडगेवार से हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि अहंकार का विष सर्प के विष से भी भयंकर होता है। इसी अहंकार के कारण गांधी के विनाश का ताजा इतिहास जांचों से ओझल मत कीजिए। निम्नसंदेह ग. स्व. संघ की स्थापना और विकास से आपने हिंदू समाज का उपकार किया है। पर राहगीरों के लिए बनाए तालाब में यदि दाता स्वर्व ही कूर जलचर छोड़ दे तो उसे क्या कहा जाए? आप ऐसा ही कर रहे हैं और जान-बूझकर कर रहे हैं। अतः कृपा करके बाज भाइए। यदि आपने ऐसा करना नहीं रखा तो हिंदू समाज का भावी इतिहासकार आपका ढल्लेखु तक नहीं कर सकेगा।'

इस कठु एवं ओछी भाषा का उत्तर डा. हेडगेवार ने जिस सारताता एवं सहजता से दिया वह किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणादायक प्रसंग है। जब उन्हें यह गाली-गलौज से भरा लेख पढ़कर सुनाया गया तो वह हँसते हुए चोले- 'मेरी भी यही इच्छा है। मेरा नाम इतिहास में नहीं आया तब भी काम चलेगा, परंतु संघ पर इस प्रकार कीचड़ उछालने वालों का अवश्य भरपूर नामोल्लेख होना चाहिए।'

जिस प्रकार डा. हेडगेवार का लक्ष्य बड़ा था, उसी प्रकार और उनकी सौच, उनका मन और दृष्टिकोण भी उसी अनुपात में व्यापक था। यही कारण है कि वह इन आलोचनाओं को निरा करने या उन्हें जवाब देने की अपेक्षा प्रत्यक्ष कार्य में अपनी कर्जा, समय एवं ध्यान लगाए रखते थे एवं इतिहास को इन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए छोड़ देते थे। तभी तो अधिकारी भी 1940 में डा. हेडगेवार की मृत्यु के बाद उनके प्रशंसक हो गए और उन्होंने उनके जीवन पर लेखों का संग्रह करके एक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया। मध्यस्था

की धारा को प्रभावित करने वाला व्यक्ति संघम, घैर्य एवं दृढ़ संकल्प की चट्ठान के समान होता है। जब विनायक राव आपटे ने संघ की बात समाज के सामने रखने के लिए 'राष्ट्रधर्म' नामक सांख्यिक के प्रकाशन का विचार किया तब डा. हेडगेवर ने उन्हें 10 नवंबर 1937 को लिखा था:

'इसमें तनिक संदेह नहीं है कि 'राष्ट्रधर्म' में अपनी विचारधारा का ही हमेशा प्रतिपादन होगा, किंतु विभिन्न लोगों द्वारा लगाए गए लालंहनों के उत्तर-प्रत्युत्तर में आप कभी न पढ़ें। आजकल आपके क्षेत्र के समाचार-पत्रों में संघ पर झूठे एवं आशेष भरे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप चाहें समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए हों या अथवा सार्वजनिक सभाओं में कहे गए हों, हमें उनका उत्तर न देकर, पूरी तरह अनदेखा करना चाहिए।'

राम सेना

महासभा दिनोंदिन चुनावी रुजूनीति में लिप्त होती जा रही थी। परंतु इसका संगठनात्मक आधार प्रायः शून्य था। आप हिंदू कौण्डेस के नेतृत्व से अलग हटकर महासभा से जूँड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सहानुभूति तो महासभा के प्रति थी परंतु कमजोर संगठन के कारण महासभा उन्हें अपने मंच पर लाने में असमर्थ थी। अतः रह-रहकर संघ की तरफ वे आशा एवं अधिकार भी नजरों से देखते थे। अभी भागानगर सत्याग्रह का विचाद एवं अवेश थमा नहीं था कि महासभा ने एक दूसरा विचाद खड़ा कर दिया। सितंबर 1939 में हिंदू महासभा ने 'हिंदू मिलीशिया' नामक स्वयंसेवी संगठन बनाने का निश्चय किया। इसकी बैठक में डा. हेडगेवर को जब डा. मुंजे ने पत्र लिखकर आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया तो बैठक में उपस्थित होने की किसी भी संभावना से उन्होंने साक इंकार कर दिया। डा. हेडगेवर ने 30 सितंबर 1939 को पत्रोत्तर में लिखा—

'मेरा स्वास्थ्य प्रवास करने योग्य न होने के कारण 8 अक्टूबर को मैं पूना नहीं आ सकूंगा। यदि आप यह कहें कि बैठक नागपुर में ही कर ली जाएगी तब भी मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि उस दिन नागपुर जिसे के संघ कार्यकर्ताओं की बैठक है।' आगे उन्होंने डा. मुंजे को आग्रहपूर्वक हिंदाया दी कि 'हिंदू मिलीशिया' के संबंध में आप मेरा नाम कहीं भी न डालें। डा. मुंजे ने उनके पत्र को नजरंदाज करके 'हिंदू मिलीशिया' हेतु जारी अपील में

उनका नाम शामिल कर दिया। डा. हेडगेवर ने उनसे उनका नाम न घसीटने का प्रयत्न अनुरोध किया और अपने को महासभा की व्यूह रचना से अलग कर लिया।

परंतु महासभा की दृष्टि डा. हेडगेवर के संगठन कौशल एवं उनकी प्रसिद्धि और विश्वसनीयता पर लगी ही रुई थी। उ. महीने उपरात 17 मार्च 1940 को महासभा की ओर से 'राम सेना' नामक स्वयंसेवी दल प्रारंभ किया गया। इसका निर्माण करके महासभा संघ के समानांतर स्वयंसेवी संगठन खड़ा करना चाहती थी। 'राम सेना' का कार्य भाक्तामक हिंदुत्व की अपील पर आधारित था। महासभा ने इसकी स्थापना के पीछे संघ की महासभा के प्रति तटस्थिती की भूमिका को कारण बताया जो महासभा की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि 'हिंदुओं के सैनिक शिक्षण के द्वोषाचार्य पूज्य डा. हेडगेवर ने नागपुर में निष्पक्ष संगठन प्रारंभ किया।' 27 मार्च को 'राम सेना' के पदाधिकारियों को जो सूची प्रकाशित की गई उसमें डा. हेडगेवर का भी नाम था। महासभा राजनीति की व्याकुलता में सभी हर्दों को पार कर रही थी। डा. हेडगेवर ने इसे किसी योजना का अंग बना और समाचार-पत्रों में इसका 'जोरदार प्रतिवाद' किया। जब महासभा ऐसा कर रही थी तब वह अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए राजगीर (बिहार) में थे। उन्हें गोलवलकर ने इस बात की मुख्या दी। तब उन्होंने तार भेजकर उन्हें (गोलवलकर को) इसका प्रतिवाद प्रकाशित कराने का निर्देश दिया था। 'महाराष्ट्र' में वह प्रतिवाद छपा कि 'राम सेना' के साथ डा. हेडगेवर का नाम बिना उनको जानकारी एवं सहमति के जोड़ा गया है। इससे उनका कोई वास्ता नहीं है।'

'राम सेना' ऐसी अकेली संस्था नहीं थी। महासभा के नेताओं ने स्थानीय स्तर पर संघ का मुकाबला करने के लिए अनेक संगठन बनाए थे। इनमें 'हिंदू राष्ट्र दल', 'शक्ति दल', 'हिंदू सेवा दल' एवं राष्ट्रराम गोडसे की 'हिंदू राष्ट्र सेना' प्रमुख थे। वे सभी संघ के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणों से असहमत थे।

संघ की स्थापना के बाद डा. हेडगेवर ने हिंदू जीवन दर्शन को राष्ट्रीय जीवन दर्शन के रूप में स्थापित करने एवं हिंदुओं में व्यापत संकीर्णताओं को राष्ट्रीयता के भाव एवं भावना से विस्थापित करने का व्रत लिया था। इसलिए उन्होंने हिंदू हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र को सर्वाधिक व्यापक एवं सर्वशास्त्र रूप में

प्रस्तुत किया। देशभक्ति, मातृभूमि-चंदना, पुरखों-पूर्वजों के प्रति आदर, संस्कृति एवं सभ्यता से मानसिक एवं भावात्मक लगाव—इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संघ रूपी चट्टवृक्ष का विकास करना शुरू किया। वह इन भावनात्मक एवं ऐतिहासिक शब्दावलियों एवं अवधारणाओं को कठोरता से परिभाषित करने से बचते रहे। अतः संघमार्ग द्वारा हिंदुत्व एवं राष्ट्रीयत्व की स्थापना अनीपचारिक शिक्षा-शिक्षण जैसा कार्य हो गया। व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक परिवर्तन को प्रक्रिया तात्त्विक एवं जीवंत संबंधों पर आधारित है। यह मार्ग पद, प्रसिद्धि और व्यक्तिगत लाभ से जुड़ा नहो है; कठोर संयम, समय का संगठन के माध्यम से उपयोग और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता पर आधारित है। भावनात्मक परिशिर्षियों में आया परिवर्तन अस्थायी होता है और विवेकजनित परिवर्तन स्थायी होता है। संघ के कार्य को धुरी व्यक्ति की 'नेतृत्व शक्ति' होती है, जो व्यक्ति अपने कृतित्व एवं चरित्र द्वारा प्राप्त करता है। व्यक्ति को विद्वता, भग्न, वैभव और प्रसिद्धि तभी उपयोगी है जब वह इनका प्रयोग सार्वजनिक हित में निःस्वार्थ भाव से करता है।

इन मापदण्डों के कारण महासभा-मार्ग एवं संघ-मार्ग में एक छड़ी खाई बन गई। मावरकर-मुंजे-परमानंद हिंदू एकता, हिंदू समरसता, हिंदू राष्ट्र—इन सबको राजनीतिक अपील, परिस्थिति जनित विश्लेषणों, बाह्य आक्रमणकारियों एवं विशेषकर इस्लाम के संदर्भ में स्थापित करना चाहते थे। वे यह मानकर चलते थे कि प्रचार-प्रसार एवं हिंदुत्व की शिक्षा से समाज में व्याप्त विरोधाभासों का स्वतः अंत हो जाएगा। इसीलिए महासभा नेताओं की प्रतिस्पर्धा कांग्रेस से थी और उनका सैद्धांतिक संदर्भ मुस्लिम लीग थी। संघ की प्रतिस्पर्द्धा न तो कांग्रेस से थी न हो किसी हिंदू संगठन से। सन् 1945 तक न तो लोग ने संघ को आलोचना की न ही संघ ने इस्लामी आतंक के भय को अपने विस्तार का आधार बनाया।

परंतु जौहिक स्तर पर संघ एवं महासभा के दृष्टिकोणों के अंतर को डा. हेडगोवर ने कभी व्यक्त नहीं किया। वह हिंदुत्व के लिए कार्यरत संगठनों को कठघरे में छड़ा करके उन्हें कमज़ोर करना नहीं चाहते थे।

डा. हेडगोवर एवं डा. मुंजे

महासभा नेताओं में डा. मुंजे से डा. हेडगोवर की सबसे अधिक घनिष्ठता थी।

इसका एक प्रमुख कारण यह था कि बाल्पकाल में ही उनकी देशभक्ति एवं आत्मविश्वास को डा. मुंजे का समर्थन एवं सराहना मिलती रही थी। उन्हें क्रातिकारी अंदोलन में भी डा. मुंजे का सक्रिय सहयोग मिला था। जहाँ डा. मुंजे का डा. हेडगेवार पर जीवनपर्यात् स्नेह बना रहा, वहाँ डा. हेडगेवार के मन में उनके प्रति सम्मान एवं आभार का भाव था।

भारतीय स्वतंत्रता अंदोलन एवं हिंदू संगठन की प्रकृति, उद्देश्य, रचना और कार्यक्रमों के प्रश्नों पर दोनों के बीच का संबंध व्यक्तिगत संबंधों से भिन्न था। अलग-अलग अध्ययनों में इस प्रश्न पर प्रकाश ढाला जा चुका है। ठदाहरण के तौर पर, असहयोग अंदोलन एवं सविनय अवज्ञा अंदोलन दोनों के प्रति डा. हेडगेवार की डा. मुंजे से भिन्न राय थी। इसी प्रकार कांग्रेस एवं महात्मा गांधी को लेकर भी दोनों के दृष्टिकोणों में अंतर था।

संघ की स्थापना और इसके संगठन एवं सिद्धांतों के विकास में डा. मुंजे की भूमिका को संघ एवं हिंदू महासभा का अध्ययन करने वाले लेखकों ने बहु-चक्राकार देखा है। औपनिवेशिक काल में जाने-अनजाने भव्यप्राप्ति की सरकार भी डा. मुंजे को ही संघ का संस्थापक एवं सिद्धांतकार समझती थी। सरकार की इस गलत धारणा का निवारण मार्च 1934 में प्रांत की विधान परिषद (Legislative Council) में संघ पर लंबी बहस के दौरान सदस्यों ने किया था। (इसका उल्लेख 'ऐतिहासिक बहस' अध्याय में किया जा चुका है।) लेकिन यह भ्रम ज्यों का त्यों बना रहा या संघ के आलोचकों ने बनाए रखा।

दुर्भाग्य से विधान परिषद की यह चर्चा संघ का अध्ययन करने वाले लेखकों की नज़र में भी नहीं आ पाई और न ही डा. मुंजे एवं डा. हेडगेवार के बीच सैद्धांतिक एवं संगठनात्मक संबंधों को जानने का कार्य शोध के द्वारा किया गया। औपनिवेशिक परंपरा में ही आजादी के बाद भी डा. मुंजे को संघ के संस्थापक, सिद्धांतकार, प्रेरणालोक और चालक की संज्ञा दी जाती रही है। संघ के प्रति अनेक विभिन्नों का यह भी एक कारण रहा है। जेतन भट्ट की पुस्तक 'हिंदू नेशनलिज्म' (2001) में डा. मुंजे को संघ का एक संस्थापक माना गया है तो प्रलय कानूनीगो ने अपनी पुस्तक 'आर.एस.एस. एंड पॉलिटिक्स' (2002) में डा. हेडगेवार एवं संघ को सिद्धांत एवं संगठन रचना के लिए डा. मुंजे पर निभर दिखाया है। एक विदेशी शोध छाजा कैसोलरी घारिंया ने अपने निबंध में मुंजे के याकृत संघ एवं डा. हेडगेवार का संबंध फासीकाद एवं मुसोलिनी में

जोड़ने का प्रयास किया है। वह मानती है कि डा. मुंजे संघ के असली सिद्धांतकार थे एवं संगठन पर उनका दबदबा था। फिर वह लिखती है—‘पहला हिंदू राष्ट्रवादी औ फासौचादी व्यवस्था के संपर्क में आया था, वह थे डा. चौ.एम. मुंजे, जो एक राजनीतिज्ञ थे और जिनका संघ के साथ ऑरेंग संबंध था। वास्तव में डा. मुंजे डा. हेडगेवार के गुरु थे और दोनों में घनिष्ठ मिलता थी।’¹

डा. मुंजे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1931 में लंदन गए थे। लंदन में भारत लौटते वक्त वह 19 मार्च 1931 को इटली में भुसोलिनी से मिले थे। यह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था और अधिक से अधिक महासभा को इस घटना से जोड़ा जा सकता है। परंतु यह घटना संघ संबंधी उसी गलत मान्यता पर आधारित है जो औपनिवेशिक कात से चली आ रही है कि डा. मुंजे संघ के संस्थापक एवं सिद्धांतकार थे। अतः डा. हेडगेवार एवं डा. मुंजे के बीच सिद्धांतों एवं संगठन के स्तरों पर संबंध पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है।

वहले इसका उल्लेख किया जा चुका है कि डा. मुंजे के प्रयासों के बावजूद डा. हेडगेवार महासभा के स्वर्णसेणी संगठनों से न सिर्फ अलग रहे, बल्कि सांकेतिक रूप से भी नहीं जुड़े थे। महासभा के कार्यक्रमों में भी उनकी सहभागिता कितनी कम थी, इसका पता महासभा की बैठकों में उनकी अनुपस्थिति से लगता है।

डा. मुंजे की मैन्य शिक्षा में विशेष रुचि थी और वह इस दिशा में सतत प्रयत्नशोल रहते थे। डा. हेडगेवार द्वारा प्रारंभ की गई शास्त्र गतिविधियों का मूल्यांकन भी डा. मुंजे हिंदुओं के सीमिकाकरण के संदर्भ में करते थे। वस्तुतः शास्त्र में शारीरिक एवं शास्त्र-प्रशिक्षण का तात्कालिक महत्व था किन्तु उसका स्थायी लक्ष्य मानसिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना था। शास्त्र-प्रशिक्षण की इसी ओरति के कारण मुंजे ने डा. हेडगेवार को बिना उनकी अनुमति के, ‘केंद्रीय हिंदू सैनिक शिक्षा परिषद’ के शासकीय निकाय का सदस्य बना लिया था। इसमें कुल 15 सदस्य थे। मुंजे द्वारा 20 जून 1935 को

1. कैसेलरी गार्डिया, ‘हिंदूवाज़ कॉरिन टड अप इन बर्टीज़’, इफ्लोनामिक एंड पॉलिटिकल पीफली, 22 जूनवरी 2000.

विश्वनाथराय के लक्षण को लिखे पत्र से यह जात होता है कि वह डा. हेडगेवार के संगठन कौशल से कितने अभिभृत थे। उन्होंने लिखा था कि 'मैंने श्री बोबडे एवं डा. हेडगेवार को केंद्रीय हिंदू मैनिक शिक्षा परिषद के शासकीय निकाय में सम्मिलित कर लिया है। मैंने न तो इस संबंध में उनसे विचार-विमर्श किया, न ही ऐसा करने से पूर्व उनकी सहमति ली है। इसके सदस्य बनने के लिए 100 रुपये अधिकम में देना होता है। मैं डा. हेडगेवार का शुल्क जमा कर दूँगा। मैं हर हालत में अपने साथ उनको शासकीय निकाय में रखना चाहता हूँ।'

परंतु डा. हेडगेवार इसके लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। उनका पूरा स्थान संघ के कार्य पर था। वह इसकी एक-दो बैठकों में बहुर शारीक हुए और निक्षिक्य सदस्य के रूप में सिर्फ़ कागज पर ही इसमें बने रहे।

संघ में डा. मुंजे का स्थान वही था जो भाई परमानंद, विनय दामोदर सावरकर, लोकनाथक अणे, जयकर, स.व. भोपटकर आदि महासभाई नेताओं का था। संघ के कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में ये सभी वक्ताओं के रूप में आमंत्रित होते थे। नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में इन अतिथि राष्ट्रवादियों का कोई स्थान नहीं था। डा. हेडगेवार संघ के कार्यक्रमों में संघ के प्रति सहानुभूति अथवा शत्रुता का भाव रखने वाले दोनों प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया करते थे। विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान का यह अनुठा उदाहरण है। तभी तो संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) रहे वालाओं हुदार जब मालर्टवादी बनकर संघ के आलोचक बन गए तब भी उन्हें संघ के कार्यक्रमों में बुलाया गया था। जाहिर है, डा. हेडगेवार संघ के नीति निर्माण, कार्यक्रमों के निर्धारण अथवा संगठन के संबंध में बाहर के व्यक्तियों पर उनिक भी निपर्ह नहीं थे।

डा. मुंजे एवं डा. हेडगेवार के बीच सहानुभूति का अभाव था, परंतु दोनों में से किसी ने भी उसे सावंजनिक तौर पर अभिव्यक्त नहीं किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं अल्पसंख्यक समूदाय के प्रति डा. मुंजे की नीतियों से वह कठई सहमत नहीं थे। हिंदू महासभा के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल बाह्यराय एवं अन्य औपनिवेशिक प्रशासकों से मिलता था। वे कांग्रेस के समानंतर तथा मुस्लिम लोग के समान अपना राजनीतिक ओहदा बनाना चाहते थे। महासभा के प्रतिनिधि के नामे डा. मुंजे प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने

ब्रिटेन भी गए थे। संघ एकमात्र ऐसा अंतिम भारतीय संगठन था, जिसने कभी भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासकों एवं सरकार के पास न कोई प्रतिनिधिमंडप भेजा, न ही संवाद को इच्छा जाहिर की। इसके अलावा, जब 1934 में वैधानिक एवं राजनीतिक दमन शुरू हुआ तब भी इसने औपनिवेशिक शासकों के मामने कोई मांग अथवा अपनी सफाई नहीं रखी। डा. हेडगेवर साप्राञ्चवाद से एक ही भाषा में संवाद करना चाहते थे, वह था— संघर्ष, चाहे हिंसा का मार्ग हो अथवा अहिंसा का। और संघ को साप्राञ्चवाद के विरोध में इसी विशुद्ध राष्ट्रवाद की जरूरी पर खड़ा करने में वह एक योगी के समान लगे हुए थे।

अतः महासभा की तरह वह मुस्लिम शासन से न तो उत्तेजित थे, न ही परेशान। उन्होंने यह मान लिया था कि हिंदू समाज की कमज़ोरी के कारण ही इसकी राष्ट्रीयता पर अंदर एवं बाहर से समय-समय पर प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। सबल समाज एवं राष्ट्रीयता का अनवरत संचार ही इसका सकारात्मक समाधान है। अतः जब कभी भी हिंदू-मुस्लिम प्रश्न की आड़ में साप्राञ्चवाद से समझौते का प्रश्न उठता था, वह इसे अराष्ट्रीय मानते थे।

1932 की एक घटना डा. मुंजे एवं डा. हेडगेवर के बीच सैद्धांतिक प्रश्नों पर उनके अलग-अलग दृष्टिकोणों को उजागर करती है। डा. मुंजे ने ब्रिटिश साप्राञ्चवाद को हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच तीमरी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए हिंदू हित में ब्रिटिश शासन का बना रहना आवश्यक माना था। 14 फरवरी 1932 को उन्होंने हिंदू महासभा को एक सभा में भाषण करते हुए कहा :

'अगर ऑप्रेज शासन को बाग्होर भारतीयों के हाथों में सौंपने को तैयार हो तो वे किसे सौंपेंगे— हिंदुओं के अथवा मुस्लिमों के हाथों में? अगर मुस्लिमों को सौंपी जाती है तो इस बात को क्या गरंटी है कि वे अफगानिस्तान के अमीरों को बाग्होर नहीं सौंप देंगे? अगर हिंदुओं को सौंपी जाती है तो क्या वे मुस्लिम आज्ञामण को रोकने में सफल होने का आत्मविश्वास रखते हैं? अगर नहीं, तो शासन के हस्तांतरण से उन्हें क्या मिलेगा?'¹

यह भाषण डा. हेडगेवर को राष्ट्रवाद के प्रतिकूल लगा। मुंजे आ

1. मुंजे पेपर्स, डाक्टरो नं. 4, नेहरू म्यूनि संप्राज्ञातय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

आरांचित मन एवं अंग्रेजों को तीसरी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात उनको प्रकृति के विपरीत थी। वह हिंदू-मुस्लिम प्रश्न पर अंग्रेजों की मध्यस्थता या तीसरी शक्ति को भूमिका मानने के लिए तैयार नहीं थे। डा. हेडगेवर उनके इस भाषण पर अपना विरोध प्रकट करने आगले ही दिन प्रातःकाल डा. मुंजे के पार पहुंचे। उनके साथ संघ के दूसरे नेता मार्टिं जोग भी थे। मुंजे ने लिखा है—‘जोग ने मेरे कल के भाषण पर जोरदार विरोध जताया। मैं नहीं समझ पाया कि उन दोनों को मेरे भाषण के किस अंश पर आपत्ति थी। जोग के विरोध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वह मानकर चल रहे हैं कि मैं संघ के मंथ एवं उसकी छवि का उपयोग अपने हित में कर रहा हूँ। मेरो आंख खुल गई। आगे मैं संघ के मामले में व्यक्तिगत ध्यान देना बंद कर दूँगा। मैं उनकी सभा में बोलने से भी आगे इकार करूँगा। मैं यह नहीं चाहता कि ये समझें कि मैं उनका शोषण कर रहा हूँ।’¹

राष्ट्रीय हित एवं हिंदू संगठन को भूमिका पर डा. हेडगेवर और डा. मुंजे के बीच अंतर इस घटना से साफ उजागर होते हैं। डा. हेडगेवर मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की उपेक्षा करके हिंदू कर्त्ता को साम्राज्यवाद के विरुद्ध उपयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं।

हिंदू संगठन का उद्देश्य राजनीतिक हो अधिक नहीं, यह एक विद्याद का प्रश्न ही नहीं, बल्कि एक गंभीर विषय लगने लगा, उससे मुंह मोड़ना न्यायसंसंगत कैसे हो सकता था? डा. मुंजे हिंदू संगठन को कांग्रेस का प्रतिद्वंद्वी एवं दिन-प्रतिदिन की राजनीति में अभिन्न रूप से जुड़ा मानते थे तथा ऐसा हीना मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिकार के लिए वह आवश्यक मानते थे जबकि डा. हेडगेवर हिंदू संगठन के सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप को राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने एवं समाज एवं राष्ट्र को सबल करने का माध्यम मानते थे। वह इसका राजनीतिक पक्ष परतंत्र भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ सहयोग के रूप में तब तक देखते थे जब तक संघ स्वयं उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्राति करने के लिए मक्कम न हो जाए। यह एक बहु अंतर था।

डा. मुंजे को एक और आदत थी—सार्वजनिक व्यापार देने को। कभी-कभी वह संघ की तरफ से समाचार-पत्रों में इस प्रकार व्यापार देते थे जैसे वह

1. मुंजे द्वितीय, डायरो नं. 4, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

इसके आधिकारिक प्रबन्धकता हों। मुंजे के विपरीत डा. हेडगेवर प्रचार माध्यमों से दूर रहते थे। और उन्होंने इस प्रकार दिए गए व्याख्यानों का कभी खंडन भी नहीं किया और इन्हे नजरअंदाज करके वह संघ को परम्परा विवाद में बचाते रहे। इससे भी तत्कालीन राजनीति में मुंजे के संघ के साथ संबंध को लेकर कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ था। जब मध्यप्रांत की विधान परिषद में सरकार ने मुंजे के संबंध में इस तरह की बात कही, तब 'महाराष्ट्र' ने संपादकीय में लिखा था—

'गृहमंत्री श्री राघवेंद्र राव ने कहा मेरे यह जनकारी प्राप्त की है कि डा. मुंजे संघ के मंस्यापक हैं? संघ तो यह है कि डा. मुंजे का संघ की स्थापना, संविधान अथवा संगठन से दूर-दूर का कोई चास्ता नहीं है। संघ को बागडोर अंतर्भ से अब तक एक व्यक्ति के हाथ में रही है— वह है डा. हेडगेवर।'

परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य बाबा साहब खापड़े ने विधान परिषद में जो प्रश्न किया था वह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने पूछा कि 'मुंजे के पांडे' को संघ के गाथे पर क्यों मदा जा रहा है?' आगे उन्होंने कहा कि 'मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूँ कि डा. मुंजे का संघ के संगठन से कुछ भी सेना-देना नहीं है। यह हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को इससे जोड़ रखा हो।'¹

मुंजे और संघ के बीच संबंध पर यह एक तथ्यात्मक राय थी जिसका खुलासा मध्यप्रांत के वरिष्ठ नेताओं और समाचार-पत्रों ने किया था। परंतु इस भ्रम-निवारण को आज भी नजरअंदाज किया जाता है।

सांकेतिक प्रतिकार

डा. हेडगेवर महासभा के आक्रोश, स्पर्धा, लालसा एवं आलोचनाओं को तब तक सहते रहे जब तक संघ का संगठन अप्रभावित था परंतु जब बातावरण में भ्रम उत्पन्न होने लगा एवं कार्यकर्ताओं के मन में प्रश्न उठने लगा तब उन्होंने पहल करके स्थिति को स्पष्ट किया। पहली बार 1938 में उन्होंने वर्धी की एक शाखा में महासभा नेताओं को आमंत्रित करके महासभा के संबंध में संघ की नीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा था :

1. वही, व्यक्तिगत वायरी

2. मध्यप्रांत विधानसभा का शोलकालीन बगट सत्र, मार्च 1934

"संघ ने हिंदुओं को संगठित करने का कार्य हाथ में लिया है जबकि हिंदू महासभा राजनीतिक संगठन है। यह मेरी धारणा है कि जब देश परतंत्र है तब देशभक्तों को राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए। संघ हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाकर उन्हें संगठित करने का काम कर रहा है, अतः स्वयंसेवकों के लिए महासभा के कार्यक्रमों में भाग लेना संभव नहीं है। अगर महासभा उन्हें प्रेरित करती है तो संघ उन्हें नहीं रोकेगा। यह सत्य है कि संघ अपने स्वयंसेवकों को महासभा में भाग लेने के लिए निर्देश नहीं देता है।"

22 अक्टूबर 1939 को गोलवलकर ने डा. हेडगेवार की उपस्थिति में महासभा द्वारा संघ की तटस्थिता पर उठाए जा रहे सवाल का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। संभवतः यह अंतिम रूप से महासभा को दिया गया एक संदेश था। गोलवलकर ने नागपुर में संघ के दशहरा उत्सव में कहा था :

"आज संघ ने चौदह वर्ष पूरे कर लिए हैं और पंद्रहवें में प्रवेश कर लिया है। हम यीचन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत प्रकार की गतिविधियाँ हैं परंतु संघ ने सभी को छोड़कर सिर्फ एक कार्य चुना है, वह है— हिंदुओं का संगठन। हमने 'राजनीति' के लेखन वाले सभी कामों से अपने को उस अर्थ में अलग रखा है कि हम किसी भी वर्तमान राजनीतिक दल / संस्था से जुड़े नहीं हैं। हमें अपनी दिशा में, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर विना दसरों के साथ भ्रष्टि हुए कार्य करते रहना है।"

संघ के स्थानीय नेताओं ने स्थान-स्थान पर महासभा की आलोचनाओं का मुहूर्तोड़ जयाय देना शुरू किया। भागलगढ़ सत्याग्रह के बाद से महाराष्ट्र में महासभा नेता, जिनमें जोगलेकर, नाथराम गोडसे इत्यादि प्रमुख थे, संघ की हिन्दून्न विरोधी कहकर दुष्प्रचार कर रहे थे एवं स्वयंसेवकों को शाला जाने से निरस्ताहित कर रहे थे। गोडसे का पूना में प्रभाव था और वह संघ को हिंदू युवाओं की शक्ति को व्याप्ति में क्षय करने वाला संगठन मानता था। गोडसे ने भागलगढ़ सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी और एक जल्दी का नेतृत्व करके हैदराबाद गया था। इस भित्त्या प्रचार पर टिप्पणी करते हुए संघ के नेता भाकर्य देशपुराण ने पूना में अपने भाषण में कहा था :

"सबसे पहले मैं उन दृष्टिगति मस्तिष्कों को बताना चाहता हूं कि संघ

हिंदुओं का सैन्य बल अधिका हिंदू महासभा का सैन्य संगठन नहीं है। संघ का प्रयास है कि देश के हिंदुओं को मही अर्थों में राष्ट्रवादी बनाए। संघ एवं दूसरे संगठनों में जमीन-आसमान का अंतर है। इतना बड़ा संगठन दूसरों को अमशक्ति प्रदान करने के लिए तो नहीं ही बनाया गया है। संघ में चाहे कितना भी अच्छा सैनिक प्रशिक्षण क्षमा न दिया जाए, यह संघ का असाली रूप नहीं है। संघ का कार्य तो बीटिक रूप से देख के मस्तिष्क को ढालना है, जिससे राष्ट्रवाद का मंचार हो सके।¹

डा. हेडगेवर का स्वाम्भ्य 1939 में गिरता जा रहा था। वह संघ के मुख्य आधारस्तंभ थे। उन्हें इस बात का ज़रूर भय रहा होगा कि संघ के स्वयंसेवकों पर लगी हिंदू राजनीतिज्ञों की गिर्धा दृष्टि संगठन के कार्य में रुकावट बन सकती है। अतः उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोलबलकर, राम गोसांवी एवं देशमुख जैसे सैकड़ों प्रवीण प्रवक्ताओं को खड़ा कर दिया जो संघ पर होने वाले किसी भी बीटिक प्रहार से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। इस प्रकार डा. हेडगेवर ने संघ को हिंदू महासभा को महत्वाकांक्षा की आग में नह छोने से बचा लिया। संघ की अस्तित्व की लड़ाई में सामाजिकवादी हमले एवं दमन के बाद दूसरा प्रमुख मोर्चा समानधर्मियों जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सुरक्षा रूपी मुख था। केलकर ने ठीक ही लिखा है कि 'डा. हेडगेवर को इस बात का ब्रेय जाता है कि वह बीर सावरकर को झादर की दृष्टि से देखते तो थे परंतु उन्होंने अपने संगठन को हिंदू महासभा का अधीनस्थ कर्त्ती भी नहीं बनने दिया।'²

कांग्रेस द्वारा विरोध

मध्यप्रांत में संघ का विरोध स्थानीय स्तरों पर कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा यदा-कदा होता था। संघ के प्रति कांग्रेस में दो कारणों से विरोधी दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्रथमतः, टैगडी के अनुसार डा. हेडगेवर ने अनेक महासभा नेताओं को संघचालक के पदों पर नियुक्त किया था। यह संघ के विकासकरण का आरंभिक चरण था। इन नेताओं द्वारा जब-तब कांग्रेस एवं महात्मा गांधी के बारे में 'गैर जिम्मेदाराना' बयान दिए जाते थे जिससे संघ का कुछ सेना-देना

1. काल, 8 अप्रैल 1940

2. डी.वी. केलकर, इकानिमिक चौकाली, 4 फरवरी 1950; पृ. 133

नहीं था, परंतु संघ के साथ उनके संबंधों के कारण कांग्रेस में गलताफ़हमी का निर्णायक हुआ।¹ सार्वजनिक रूप से संघ एवं महासभा के बीच का अंतर घोषित न होने से कांग्रेस नेतृत्व संघ को महासभा का अद्वैत सैनिक संगठन समझता रहा।

ट्रिवीयतः, मध्यप्रांत को राजनीति में हो रही उठा-पटक और गुटबाजी की छाया संघ पर पड़ना अस्वाभाविक नहीं था। प्रांत की राजनीति में बीम के दशक में डा. मुंजे एवं अध्यक्षर—दो गुटों में घनबोर प्रतिस्पर्द्धा थी। प्रतिस्पर्द्धा का स्तर सभा में हुड्डांगबाजी से लेकर चरित्र-हनन तक पहुंच चुका था। मुंजे की महात्मा गांधी के कार्यक्रमों से पूर्ण सहमति नहीं थी और वह गांधीवादी थे भी नहीं। अध्यक्षर-पूरन चंद रांका का गुठ गांधी-नेहरू के प्रति प्रतिबद्ध था। डा. हेडगेवार का व्यक्तिगत संबंध मुंजे से था एवं मुंजे को संघ का जनक मानने की भूल से प्रांत के नेता प्रसिद्ध थे। अतः अध्यक्षर गुट संघ के खिलाफ प्रचार-प्रसार करने को डा. मुंजे को हानि पहुंचाने के समान मानता था। और यही कारण उन्होंने संघ के प्रति कांग्रेस के विट्टेप का। अध्यक्षर, ब्रिजलाल विद्यानी, पूरनचंद रांका आदि संघ विरोध के प्रख्यात प्रवक्ता थे। इनके प्रवाप-सेत्र के समाचार-पत्रों द्वारा, जिनमें अकोला मे प्रकाशित 'माहभूमि' प्रमुख था, संघ पर आक्षेप लगाया जाता रहा, जिसका असर कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ताओं पर होना स्वाभाविक था। कई बार भनगढ़त समाचार प्रकाशित करके संघ एवं कांग्रेस के बीच विट्टेप बढ़ाने का काम किया जाता था। डा. हेडगेवार ने 11 अगस्त 1938 को छपे ऐसे ही समाचार पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'चांदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस वकिंग कमेटी का नियंत्रण करने के लिए सभा का आयोजन किया है, ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है। यह समाचार पूर्णतः असत्य है। इसमें तनिक भी सत्य का अंश नहीं है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार के झायेले में संघ कभी नहीं पड़ता है।'

संघ में कांग्रेस के आंदोलनों में शारीक होने को प्रेरणा दी जाती थी। मध्य प्रांत में संघ के मैकड़ों स्वयंसेवक कांग्रेस संगठन में सक्रिय थे। परंतु जब तीस के दशक में विवाद गहराता गया, तो यवतमाल जिले की कांग्रेस इकाई ने परिपत्र लारी करके यह निर्देश दिया कि संघ से संबंधित व्यक्ति कांग्रेस कमेटी में नहीं रह सकेंगे। डा. हेडगेवार इस घटना से आहत हुए, तभी उन्होंने यवतमाल के जिला संघचालक अपणासाहब जतकर को 5 जुलाई 1937 को पत्र लिखकर इस घटना को यवतमाल के कांग्रेसियों द्वारा 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अत्याचार'

को संज्ञा दी। आगे उन्होंने लिखा कि 'उपर्युक्त जानकारी यदि सत्य है तो इस संबंध में हमें विस्तृत और निश्चित समाचार से तुरंत अवगत कराने को बलवस्था करें।' कांग्रेस का व्यवहार हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रति कितना भेदभावपूर्ण था, इसका उदाहरण दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिकारेशन की एक घटना है। इस अधिकारेशन में ध्वजारोहण के समय लिंगा झंडा अस्सी पुट ऊंचे संघ की आधी ऊंचाई पर चाकर अटक गया। उनेक लोगों के विफल प्रयास के बाद किसने सिह परदेशी नाम का प्रतिनिधि साहसपूर्वक यह विज्ञ दूर करने में सफल रहा। व्यज लहराने लगा एवं परदेशी को बधाइयां मिलने लगीं। अधिकारेशन में उसका सत्कार करने का प्रस्ताव मान लिया गया। परंतु जब उसने जाताया कि वह संघ की राष्ट्रवादी प्रेरणा से ऐसा करने का साहस जुटा पाया तब प्रश्न उठा कि संघ के स्वयंसेवक का सत्कार कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की ज्यादी से पीड़ित थी।

डा. हेडगेवार एक स्वयंसेवक के इस योगदान से फूले नहीं समाए। उन्होंने एक असाधारण कार्य के लिए संघ की परेपरा से हटकर किसन सिंह परदेशी को देवपुर शाखा में बुलाकर अपने साथ बैठाया एवं सत्कार किया। उन्होंने उसे भेटस्वरूप चांदी का प्याला देते हुए कहा कि 'कहीं भी राष्ट्र के कार्य में विज्ञ दिखाई यद्दे तो संघ के स्वयंसेवकों का स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि उसे दूर करने में प्राणों की बाजी तक लगानी पड़े, तो लगा दे।' इसे राष्ट्र धर्म का पर्याय ही कहेंगे।

एक और डा. हेडगेवार ने साधाज्यवाद विरोध की भावना के कारण कांग्रेस के प्रति उल्कट प्रेम का परिचय दिया तो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना से ग्रसित होकर संघ के प्रति नफरत प्रदर्शित कर रहे थे। मध्यप्रांत में कुछ स्थानों पर कांग्रेस द्वारा संघ के प्रति अपमानजनक एवं विदुषपूर्ण कारबाई से संघ के कार्यकारीओं की कांग्रेस के प्रति धारणा में भी परिवर्तन की संभावना बनती जा रही थी। संघ से महानुभूति रखने वाले डा. काकासाहब टेपे भी इससे अधित हुए और उन्होंने पत्र लिखकर डा. हेडगेवार से अनुरोध किया कि कठोर शब्दों में कांग्रेस की कार्यप्रणाली एवं वैचारिक अधिष्ठान की आलोचना की जानी चाहिए। उनका मानना था कि इससे स्वयंसेवकों को संतोष मिलेगा।

डा. हेडगेवार ने इसके उत्तर में जो बात कही, उससे उनके मन में कांग्रेस

संगठन के प्रति उनका मूल्यांकन तो इत्तमक्ता ही है, उनका दार्शनिक रबरूप भी प्रकट होता है। वह संघ के कार्यकर्ताओं के मन में कांग्रेस विरोध पन्जने नहीं देना चाहते थे। उनके मन में दो ही विकल्प थे—या तो संघ समय रहते अपनी शक्ति इतनी बढ़ा से कि अंग्रेजों को क्रांति के द्वारा हिंदुस्थान से आहा चर सके अध्यवा कांग्रेस के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई लड़ी जाए। वह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को बहुकंद्रित नहीं बनने देना चाहते थे। तभी तो 'जंगल सत्याग्रह' में संघ के स्वयंसेवकों ने कांग्रेस संगठन, उसके निर्देशी, कांग्रेस अब एक कार्यकर्ताओं के अनुसार भाग लिया था। यही कारण है कि टेंडे को लिखे गए पत्र में डाक्टर हेडगेवार ने लिखा था कि 'दूनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप जगत में व्यवहार करता है या बोलता है। यह अवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति किसी दल या विद्यारथार का प्रतिनिधि मान लिया जाए। किसी व्यक्ति की बोलचाल के कारण, वह जिस विचार-प्रणाली या दल का माना जाता है, उस दल को या उसके मतावलंबियों को दोष देना अध्यवा प्रशंसा करना, मुझे लगता है, उचित नहीं होगा। शुद्ध सात्त्विक और शांत चृति का सञ्जन किसी भी दल का होने पर भी दूसरे दल के चरे में चुरा नहीं सोचता।'

संघ की तुलना में कांग्रेस सेवा दल का कार्य काफी पीछे था। इससे व्याधित होकर कांग्रेस सेवा दल के मंस्थानक अध्यक्ष डा. एन.एस. हड्डीकर ने अगस्त 1929 में नागपुर की सभा में संघ गर अप्रत्यक्ष प्रहार किया था। वह अपनी इच्छा भावना नहीं छिपा पाए। उन्होंने कहा था :

"नागपुर में युवकों का आंदोलन है, पेसा हमने सुना है। हमारे शरीर पर चिपकी हुई परकीयों की जोक जब हमारा खून चूस रही है, ऐसे समय में यह कहना कि हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं, सामाजिक है, तो वह आंदोलन होकर भी न होने के सन्नाम है।"

एक साल बाद ही संघ ने कांग्रेस आंदोलन में शरीक होकर हड्डीकर की धारणा को गलत साधित कर दिया। डा. हड्डीकर को डा. हेडगेवार के संगठन कौशल का आभास हुआ और उन्होंने दिसंबर 1934 में डा. हेडगेवार को पत्र लिखकर संघ की कार्यपट्टि एवं विचार प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन करने की इच्छा प्रकट की। डा. हेडगेवार ने 12 दिसंबर को पत्रोत्तर में लिखा था कि 'आप स्वयं आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बासीकों से निरोक्षण करना चाहते हैं, यह हमारे लिए मंत्रोष्ठ का विषय है। ... 22 से 27 दिसंबर तक प्रत्येक

जिलासभान पर कैप होंगे। इसलिए आप 22 को सुबह भेल से या दोपहर एक्सप्रेस से कृष्णा नागपुर पधारें। इस तरह 27 टक्के इस क्षेत्र में होने वाले तीन-चार कैपों को देखना आपके लिए संभव होगा और संघ के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।'

प्रशंसा और आलोचना—दोनों ही रिक्तियों में डा. हेडगेवार अपने लक्ष्य, प्रकृति और तीर-ठरीकों से तबिक भी नहीं डगमगाए। संघ की प्रशंसा को उत्तरदायित्व बढ़ाने वाली प्रेरणा तथा आलोचक की अज्ञानता का प्रतीक मानकर वह अपनी दृढ़ता का परिचय देते रहे।

इस खुलेपन, निश्चितता एवं आत्मविश्वास के बाद भी कांग्रेस के अनेक नेता संघ के प्रति आशंकाओं से धीमित थे। डा. हेडगेवार को आइचर्य तब हुआ जब जमनालाल बजाज ने भी दृष्टिधार की धारा में अहकर डाक्टर हेडगेवार के पास एक प्रश्नावली भेजकर खादी, अस्पृश्यता निवारण, कांग्रेस एवं महात्मा गांधी के प्रति संघ का दृष्टिकोण जानना चाहा। यह घटना 1934 के प्रारंभ की है। तब डा. हेडगेवार ने लिखा कि 'संघ क्षमा करना चाहता है, इस संघ में पत्र से समाधान करने की अपेक्षा यदि आप समय दें तो मैं प्रत्यक्ष आपसे मिलकर ग्रन्थों का उत्तर दूंगा।' डा. हेडगेवार जमनालाल बजाज के साथ वर्धा स्वर्योदयक परिषद में, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी, कार्य कर चुके थे और वर्धा में संघ कार्य नागपुर के समान ही मजबूत था तथा प्रमुख कांग्रेसी नेता आप्पा जी (हरेकुल्ला) जैशी संघचालक थे। अतः संघ के संबंध में उनका अनभिज्ञ रहना एक अमामान्य-सी बात थी।

जमनालाल बजाज गणपतराय टिकेकर के साथ 31 जनवरी 1934 को नागपुर आकर डा. हेडगेवार से मिले। जब डा. हेडगेवार ने उनके समक्ष खादी, अस्पृश्यता आदि विषयों पर संघ के व्यावहारिक दृष्टिकोण को रखा तब जमनालाल बजाज लंबी बातों के बाद बापस गए।

हिंदू महासभा एवं कांग्रेस के दो भाटों के बीच संघ प्रगति कर रहा था। महासभा इसके कांग्रेस-प्रैम से नाराजगी प्रकट करती रहती थी, तो कांग्रेस संघ को महासभा को पूछ समझकर उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी। इन विरोधों, उपहासों, अपमानों एवं आक्रमणों के बीच डा. हेडगेवार संघ को संयोगी, धैर्यशील एवं लक्ष्योन्मुखी बने रहने की दर्शनिक प्रेरणा देने का कार्य करते रहे। संघ की यह चारित्रिक पूंजी उसका सुरक्षा कवच थी।

दमनचक्र के बीच संघ का विकास

सविनय अबज्ञा आंदोलन ने संघ के सामाजिक विरोधी अंतिर को पूरी तरह से जगवाहिर कर दिया था। अब तक सरकार इस भ्रम में थी कि यह अन्य व्यायामशालाओं की तरह ही है और इसका राजकीय विषयों से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि सरकार डा. हेडगेवर से सीधे संबंधित होने एवं स्वयंसेवकों को सैन्य विधि से प्रशिक्षण देने के कारण संघ के प्रति सशक्ति तो पहले से ही थी, परन्तु आंदोलन में इसकी भागीदारी से सामाजिकादी प्रशासन के मन में कोई भी शंका नहीं रह गई थी। अब रिपोर्ट इसके प्रति नीतियों के निर्धारण एवं दमन के तरीकों पर सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया।

संघ पर संदेहात्मक दृष्टि

1929 से ही संघ पर चुनिम एवं प्रशासन ने नजर रखनी शुरू कर दी थी। सरकार को इसकी मंशा पर शक होने लगा था। गुप्तचर विभाग की पाकिंक रिपोर्ट में मई (पूर्वार्द्ध) 1929 में कहा गया था कि 'वधु में एक ही बात ध्यान देने योग्य है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंभ व्ही म्यापना, जो नागपुर के आर. एस. एम. को ही शाखा प्रतीत होती है। मुख्य वक्ता डा. मुंजे, चोलकर और परांजपे थे। वक्ताओं ने यह बताया कि इसका तात्कालिक उद्देश्य तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए संगठित करना है परन्तु अंतिम लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति है।'

बंबई सरकार ने भी मध्यप्रांत सरकार में संघ के बारे में इसी बर्च जानकारी मांगी थी और 1931 में केंद्र सरकार ने सैन्य आधार पर संघ में दिए जा रहे प्रशिक्षण की पहली बार खोज-खबर ली। इसके लिए इसके मूचना विभाग के एक अधिकारी ने नागपुर एवं प्रांत के अन्य भागों में जाकर वरिष्ठ एवं 'विश्वसनीय' लोगों से पूछताछ की। उसको रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 'संघ में आतंकवादी संगठन बनने की पूरी क्षमता विद्यमान है।' सरकार के सैन्य विभाग ने इस पर अपनी चिंता जताई।

अंततः जुलाई 1932 में सामाजिकादी प्रशासन ने इसके संबंध में अपनी राय इस प्रकार व्यक्त की थी- 'नागपुर की एकमात्र चिंताजनक बात राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ की उपस्थिति है। इसके नेता निश्चित तौर पर सरकार विरोधी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। अतः इस आंदोलन पर मतकर्ता से ध्यान रखने की अवश्यकता है।¹ किसी संगठन द्वारा प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं को सरकार विरोधी आंदोलन का हिस्सा बनाना साम्राज्यवादी प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर एक चुनौती थी और अपनी प्रकृति के अनुकूल सरकार उसका दमन करने के लिए पूरी तैयारी से जुटी हुई थी।

प्रतिबंध

दिसंबर 1932 में मध्यप्रांत की सरकार ने एक परिपत्र जारी करके ग्रांतीय सरकार के कर्मचारियों के संघ से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। परिपत्र में जारी आदेश में कहा गया कि-

‘सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक आंदोलनों के प्रति भूमिका का विवरण सरकारी कर्मचारी के आचार संहिता के नियम-23 में किया गया है। तबनुसार उन्हें इस प्रकार के मध्ये कामों से अलग रहना चाहिए। सरकार का सुनिश्चित मत है कि गणीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन के स्पष्टतः सांप्रदायिक स्वरूप तथा गजनीतिक आंदोलनों में उसके अधिकाधिक भाग लेने के कारण सरकारी कर्मचारियों का उस संगठन के साथ संबंध उनके निष्पक्ष कर्तव्य-पालन के साथ असंगत है या हो सकता है।

‘अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को गणीय स्वयंसेवक संघ का गदाय बनने अथवा उसके कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी।’²

सरकार ने प्रतिबंध सोच-समझकर लगाया था। मध्यप्रांत में मरणासन सविनय आंदोलन में डा. हेडगेवार की भागीदारी ने जान पूंकने का काम किया था। अतः 1932 में आंदोलन की दूसरी किस्त—वैयक्तिक सविनय अवज्ञा आंदोलन—में संघ की भागीदारी को रोकने के लिए दमन की कार्रवाई शुरू की गई थी। डा. हेडगेवार को इसकी यहले ही आशंका थी और उन्हें सरकार में

1. मध्यप्रांत एवं बरार की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, जुलाई (उत्तरार्द्ध) 1932 F.L.P & J / 12/40; नेहरा समूही संप्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

2. काइल 88/33, गुह (राजनीतिक) राष्ट्रीय अभिलेखगार, नई दिल्ली

संघ के संबंध में चल रहे विचार-विनिमय को भी जानकारी सम्बन्ध-सम्बन्ध पर मिलती रहती थी। वह अपने भाषणों में संघ को शांतिपूर्ण कार्यों में लिस अराजनीतिक संस्था तो घोषित करते थे, परंतु सरकार इसे डा. हेडगेवर की एक सोची-समझी योजना मानती थी। जन 1932 में लगे प्रतिबंध से कुछ दिनों पूर्व डा. हेडगेवर ने अपने भाषण में कहा था :

" 1930 के आंदोलन को 1932 में दूसरों किस्त थी। अतः सरकार का यह भय स्वाभाविक है कि संघ आंदोलन की सहायता करेगा। अतः उसने इन संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित करने का निश्चय कर लिया है। नागपुर में संघ एक शक्तिशाली संस्था है और सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के विश्वनत समाचार मिलने लगे हैं। मुझे कौसिल के अच्छे-अच्छे सदस्यों ने बताया है कि यह समाचार सरकार के अंतःस्थ मूर्त्रों से आया है। परंतु मुझे पूरा विश्वास था कि मध्यप्रांत की सरकार इतनी मुर्खता नहीं करेगी, क्योंकि संघ में अत्यंत शांति एवं अनुशासन के साथ शिक्षा दी जाती है। उसे प्रतिबंधित करके व्यर्थ में सरकार अपने सिर झँझट क्यों मोल लेगी? मैं तुन दिनों सदैव कहता था कि सरकार संघ को बंद नहीं कर सकती क्योंकि यह तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही होगा। जिस दिन सरकार इसे गैर कानूनी घोषकर बंद करेगी, उसी दिन नागपुर में संघ की दो सौ शाखाएं हो जाएंगी। संघ में जितने स्वयंसेवक हैं, प्रतिबंध के बाद उन्हीं ही शाखाएं हो जाएंगी।"

डा. हेडगेवर की इस चुनौती और संघ के कार्य में विस्तार से स्वयंसेवकों का आभ्यविश्वास बढ़ा हुआ था। जनवरी 1932 में विजयादशमी के अवसर पर संघ के 1200 स्वयंसेवकों ने गणवेश में मार्च पास्ट किया था। सरकारी कर्मचारी बही संख्या में संघ के कार्य से जुड़े थे। अतः सरकार का उस परिपत्र इसी कार्य को संघ की गतिविधियों से अलग रखने एवं संघ के कार्य में रुकावट डालने की योजना का अंग था। दिसंबर 1932 की गुप्तचर विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट ने स्पष्ट रूपों में लिखा था कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक हिंदू संगठन में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर इसलिए प्रतिबंध संगता गया है कि यह संगठन उत्तरोत्तर गजनीतिक आंदोलनों में भाग ले रहा है।'

इस प्रतिबंध की सीमित प्रतिक्रिया हुई। न तो संघ ने इसे गंभीरता से लिया, न ही संघ के शुभचिंतकों ने। परंतु सरकार को इस कार्रवाई पर मध्यप्रांत की

विधान परिषद में प्रश्न उठाया गया। एम. पी. कोलते ने 21 जनवरी 1933 को इस परिपत्र को व्यापस लेने की मांग करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछा :

'(क) क्या यह सत्य नहीं है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेता है और धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है ?'

(ख) अगर ऐसा है तो क्या आप कृपा करके संघ में भाग लेने से सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए प्रतिबंध को व्यापस लेंगे ?'

सरकार ने इसके उत्तर में कहा कि 'यह हमारी जानकारी में नहीं है कि संघ राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है।'

सरकार ने इस प्रतिबंध की व्याख्या व्यापक रूप से करके सरकारी कर्मचारियों के संग-संबंधियों, संतानों को भी संघ में भागीदारी पर रोक लगाने की बात आरंभ कर दी। डा. मुंजे ने इस प्रतिबंध के संबंध में जब लल्कालीन गृहमंत्री राघवेंद्र राव से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने की जगह प्रांत के मुख्य सचिव इं. गोडेन के ऊपर बात टाल दी। मुंजे ने मुख्य सचिव के सम्मुख इस प्रश्न को उठाया तो गोडेन का प्रतिप्रश्न था—'आप सरकारी कर्मचारियों को संघ का सदस्य कैसे बनने दे सकते हैं ?' जब मुंजे ने आदेश के व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान दिलाया कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को वहाँ रोका जा रहा है तब गोडेन ने टालमटोल बाला उत्तर दिया—'हमारा परिपत्र सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के संबंध में है ! दूसरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पुत्रों एवं संर्बंधियों को भी रोका जा रहा है।'¹

प्रांत के सभी समाचार-पत्रों ने सरकारी आदेश की घिन्दा की। अपवाद के रूप में विफ्फ 'हितवाद' था। 'फेसरी' ने सरकार के निर्णय को विवेकाहीन और दमनकारी बताया।² संघ इस प्रतिबंध से कितना अप्रभावित रहा, यह डा. हेडीकर द्वारा संघ के एक बरिष्ठ कार्यकर्ता वो लिखे गए पत्र से पता चलता है—

1. हितवाद, 26 जनवरी 1933

2. मुंजे पेपर्स, डायरो नं. 5, 14 मार्च 1933

3. कैसरी, 30 दिसंबर 1932

'आप जैसे कार्यकर्ताओं के संघ में रहने के कारण आज की प्रतिकूल परिस्थिति में भी संघ कार्य निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है... सरकारी आदेश में कहा गया कि संघ का स्वरूप सांप्रदायिक एवं राजनीतिक है परंतु अपना संघ सांप्रदायिक नहीं है।... इस सरकारी आदेश का नागपुर के संघ पर भी विपरीत परिणाम नहीं हुआ है, न ही वह आगे चलकर होगा।"

संघ कार्य में प्रगति

प्रतिबंध के बाद संघ के कार्य में और भी प्रगति हुई। डा. हेडगेवार बथावत अपने उद्देश्य में जुटे रहे और परिपत्र को लेकर वह एकदम ही नहीं उलझे। उनके सामाजिक एवं वैयक्तिक संबंधों के कारण प्रांत की अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों ने संघ के कैप (प्रशिक्षण शिविरों) में आकर संघ के प्रति अपना समर्थन घ्यका किया। इनमें गोविंद राय प्रधान, एस. थी. तांबे, एन. सो. केलकर, और एम. एस. अणे शामिल थे। संघ का विस्तार नागपुर एवं वर्धा के अतिरिक्त प्रांत के अन्य दूसरे भागों में तेजी से होने लगा एवं गोंदिया, सिंटी, तलेगांव जैसे छोटे-छोटे स्थानों पर भी शाखाएं लगने लगीं। वर्धा में 26 से 28 सितंबर तक संघ का कैप लगाया गया। 28 तारीख की सभा में डा. हेडगेवार को सुनने के लिए पांच हजार लोग उपस्थित थे। संघ का प्रशिक्षण शिविर गोंदिया, फूलगांव, आलीपुर, आबी, नावणगांव, सिंटी, तलेगांव इत्यादि स्थानों पर भी सितंबर में लगाया गया। सरकार को यह बताने के लिए बधेष्ट था कि संघ सरकारी आदेश से न सिर्फ अप्रभावित है, बल्कि अविचलित भी। संघ की शाखाओं की संख्या 1929 में 37 थी। यह 1933 में बढ़कर 125 हो गई। डा. हेडगेवार ने यह घोषणा 28 सितंबर 1933 को नागपुर में संघ के कार्यक्रम में की। संघ के स्वयंसेवकों की संख्या 12 हजार तक पहुंच गई थी। अकेले नागपुर में 16 बड़ी शाखाएं थीं और 2000 स्वयंसेवक थे जबकि वर्धा में शाखाओं की संख्या 23 और स्वयंसेवकों की संख्या 3000 थी¹ संघ सिर्फ मध्यप्रांत एवं महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु संस्कृत प्रांत, विहार, अजमेर-मारवाड़ में इसकी शाखाएं चल रही थीं। डा. हेडगेवार ने एक पत्र में संघ की महत्वाकांक्षा को सामने रखते हुए लिखा था—

1. हेडगेवार का गोप्तव्य चित्तले के नाम पत्र, दिनांक 3 जनवरी 1933

2. केसरी, 10 अक्टूबर 1933

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य हमने किसी एक नगर या प्रांत के लिए आरंभ नहीं किया है। अपने अखिल हिंदुस्थान देश को यथाशोष मुसंगठित करके संपूर्ण हिंदू समाज को स्वसंरक्षणकाम एवं बलसंपन्न बनाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है।'

नागपुर में 1933 के विजयदशमी उत्सव में करीब 1000 स्वयंसेवकों ने नार्च पास्ट किया था तथा रैली में भौसले राजा, बाबाराव (गणेश दामोदर) सावरकर और मुजे भी विद्यमान थे। संघ के कार्य से बाबाराव सावरकर 1931 में जु़ह गए थे। उन्होंने इसी वर्ष अपनी स्वयंसेवी संस्था 'तरुण हिंदू सभा' का संघ में विलय करा दिया था। मध्यप्रांत में इसकी कई शाखाएँ थीं। स्वेच्छा एवं स्वप्रेरणा से उत्ताए कदम के बाद सावरकर ने धोषणा की—'डाक्टर आज मैं अपनी तरुण हिंदू सभा का विसर्जन कर रहा हूं। आप इसे संघ में समाविष्ट कर लीजिए। इसके आगे मेरी जो कुछ जाकिल होगी, तरे मैं संघ के लिए ही खर्च करूँगा।' सावरकर ने संघ में बिना कोई पद लिए अंतिम सांस तक काम किया।

संघ का विस्तार सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। भारत सरकार के सचिव एम.जी. हालैट ने 27 जनवरी 1933 को संघ के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए आदेश जारी किया। 23 जनवरी को हालैट ने मध्यप्रांत की सरकार द्वारा संघ को रोकने के लिए उत्ताए गए कदम के प्रति असंतोष प्रकट किया। उसने लिखा था कि 'प्रांतीय सरकार आखिर इस प्रकार के अद्भुत-सैनिक संगठन को शुरू करने की अनुमति कैसे देती है?' ब्रिटिश सरकार ने डा. हेडगेवर का मूल्यांकन करते हुए कहा: 'डा. हेडगेवर में संगठनकार्ता के रूप में अत्यधिक क्षमता है और उनका स्वयंसेवी संगठन अनुसासित एवं कुशल है।' साम्राज्यवादी सरकार ने उन्हें 'संघ का हिटलर' की संज्ञा दी थी।

सरकार की भेदभावपूर्ण नीति एवं संघ के प्रति कुट्टाई का सबसे बड़ा प्रमाण मध्यप्रांत के अन्य स्वयंसेवी संगठनों के प्रति उसकी नीतियाँ थीं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं में हनुमान व्यायामशाला, हनुमान व्यायाम प्रशारक मंडल, प्रताप व्यायामशाला प्रमुख थीं। संघ की तरह ही इन संस्थाओं में भी मैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी प्रकार गृहसंचर विभाग की एक रिपोर्ट में अप्रैल 1933 में कहा गया था कि हनुमान व्यायाम मंडल की मध्यप्रांत, संयुक्त प्रांत,

कर्नाटक एवं पंजाब में 150 शाखाएँ हैं और इसके कई कार्यक्रमों को सरकारी महायता भी दी गई है एवं सरकारी अधिकारी इसके सैन्य प्रशिक्षण को देखने के लिए इसकी सभाओं में उपस्थित रहे हैं। इन संस्थाओं की 'अच्छे काम' करने के लिए प्रशंसा की गई थी। इस संस्था के प्रशिक्षक लक्षण कोकड़ेकर को प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी भेजा गया था। परंतु सरकार को इसके नाजी जर्मनी से संबंधों पर कोई आवच्छ नहीं थी।

दूसरी तरफ संघ को, जिसका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं था, निशाना बनाया जा रहा था। संघ ने कभी भी किसी वाह्य संस्था से न तो प्रेरणा ली, न ही उसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया। डा. हेडगेवर ने कहा था:

'इतर (दूसरे) गांधी के आंदोलनों से हिंदुस्थान के आंदोलन को तुलना करना चाहित नहीं होगा। हम परतंत्र हैं और वे शहृ इवतंत्र हैं। किर विदेशों में दीड़-धूप करने का प्रयोजन क्या है? अपने इतिहास की तरफ दृष्टि डालने से दिखाई देगा कि हमारे इतिहास में अनेक स्फूर्तिप्रद प्रसंग भी हैं। हमें अपने इतिहास पर अधिश्वित रहने की आदत डालनी चाहिए।'

सामाजिकवादी शासन न्याय एवं भारतीय हितों के लिए तो था नहीं। अतः जब भी राष्ट्रवादी शक्तियों का अभ्युदय हुआ, तो उन्हें कुचलने के लिए वह सदा तत्पर रहता था। सामाजिकवादी दमन के अनेक हथकंडे थे, जिन्हे सरकार ने एक-एक करके संघ पर प्रयोग करना शुरू किया।

संघस्थान पर कब्जा

संघ की शाखा नागपुर के मोहितेवाडा में लगती थी। सर्विनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब डा. हेडगेवर एवं संघ के स्वयंसेवक जेलों में बंद थे तब न्यायालय में मोहितेवाडा के स्वामी स्व. सरदार मोहिते के बच्चों की तरफ से सरकार ने शिकायत पाकर उस स्थान से संघ को बेदखल कर दिया। यह अर्जी प्रशासन के दबाव में डाली गई थी। तब राजा लक्ष्मणराव भौमस्ले ने अपने हातीखाना में संघ शाखा के लिए स्थान दिया। सेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके नाबालिग पुत्र की तरफ से आपत्ति प्रकट करके संघ की शाखा बंद करने के लिए 19 जुलाई 1933 को आदेश जारी कर दिया। संघ ने अपने आप को मुकदमेबाजी के फ़ैस्ट में डालने की जगह इस घटना की पूरी तरह डपेश्ट की। डा. हेडगेवर ने इसे संघ की स्थापना के बाद आए एक 'असामान्य संकट' की संज्ञा देते हुए

लिखा— 'अगर सरकार सोचती है कि इन चीजों से संघ का कार्य रुक जाएगा, तो यह उसका भ्रम है।'

संघ ने मोहितेवाड़ा में लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए उस स्थान का उपयोग जारी रखा। 20 जुलाई 1933 को 200 स्वयंसेवकों ने शाही लगाकर प्रशासन को अपने आक्रामक तेवर का परिचय दिया।

दूसरा आधार

औपनिवेशिक शासन ने संघ से और भी सख्ती के साथ निवाटने का निर्णय लिया। और 20 दिसंबर 1933 की मध्यप्रातः सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग ने संघ के विरुद्ध एक नया परिषत्र जारी किया। उसमें कहा गया था—

'सरकार को जात हुआ है कि जिला परिषदों के क्लिपिय शिक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए हैं। इस संगठन के सांप्रदायिक स्वरूप के कारण सरकारी नौकरों पर उसके सदस्य बनने अथवा उसके कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। मध्यप्रातः (स्थानीय स्वशासन मंत्रालय) का मत है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का भी इस संगठन के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना अवाञ्छनीय है। वे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। सामान्य मतदाता के आधार पर शासन को स्थानीय संस्थाओं के कराधान का अधिकार प्राप्त है। इस परिस्थिति में स्थानीय निकायों के लिए अनुचित होगा कि वे अपने कर्मचारियों को किसी भी सांप्रदायिक संगठन में भाग लेने दें। मेरा निवेदन है कि आप अपने विभाग की स्थानीय संस्थाओं को यह दृष्टिकोण भली भांति समझा दें तथा उन्हें अपने कर्मचारियों को इस विषय में स्पष्ट आदेश देने के लिए प्रेरित करें।'

यह परिषत्र प्रांत के सभी प्रमंडलों को सख्ती से लागू करने के जादेश के साथ भेज दिया गया और विभिन्न स्थानीय निकायों ने इसे क्रियान्वित करना भी शुरू कर दिया। उदाहरणार्थ, वर्धा में संघ की अलीपुर इकाई को स्कूल के मैदान में दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी गई। 'हितवाद' ने लिखा था— 'जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने यह प्रण कर लिया था कि संघ का सम्मेलन वे स्कूल के मैदान में नहीं होने देंगे। उन्होंने इसके लिए तप पुलिस अधीक्षक से शिकायत करके पुलिस की सहायता भी ली थी।' डा. हेडगेवर

1. हितवाद, 8 अक्टूबर 1933, पृ. 5

ने सरकारी दमन के सामने न तो छुटके टेके, न ही उनके आत्मविश्वास में कभी आई। संघ की गतिविधियों को और भी तेज कर दिया गया एवं प्रति के लोकप्रिय राजनीतिज्ञों, समाजसेवियों एवं साहित्यकारों को संघ की शाखाओं एवं कैंपों में निर्मिति किया जाने लगा। अखिल महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष काका साहब खाडिलकर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ संघ शिविर में आए। खाडिलकर ने स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा—‘हम साहित्यकार तो वाखीर हैं पर संघ तो शक्ति को प्रत्यक्ष उपासना कर रहा है। वह शक्ति का मूर्त स्वरूप है। सहस्रों व्याख्यान देकर और लेख लिखकर हम जो काम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जो विचार लोगों के मन में अकित नहीं कर सकते हैं, वह संघ के इस कार्य से संभव हो गया। प्रत्यक्ष दृश्य स्वरूप से ही महान् तत्त्वों का बोध हो सकता है, संघ इसका अल्पतं प्रभावी उदाहरण है।’ भाऊ साहब कालीकर, माधवराव चिटनवीर, टी. जे. केदार, एम.एस. अणे, हरिभाऊ मुंजे, सरदार यशवंत राव गुजर, बलवंत राव देशमुख वैसे राजनीतिज्ञों ने इसके उत्तरों में अकर सरकारी परिपत्र की भर्तीना की।

सरकार द्वारा जारी किए गए दोनों परिपत्रों में एक बुनियादी अंतर था। 1932 का परिपत्र संघ पर ‘सांप्रदायिक’ होने एवं ‘राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने’— इन दो बातों के आधार पर जारी किया गया था जबकि 1933 के परिपत्र में सिर्फ़ ‘सांप्रदायिक संगठन’ होने का आग्रह लगाया गया।

अग्नि परीक्षा

डा. हेडगेवार को प्रतीत हुआ कि सरकार संघ के धैर्य, शक्ति एवं लोकप्रियता को जांचने के लिए धीरे-धीर दमनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पहले परिपत्र को उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा किया था, परंतु इस बार उन्होंने औपनिवेशिक शासन को अपनी शक्ति का आभास करा देने के लिए कमर कस ली थी।

जनवरी 1934 में विधान परिषद का अधिवेशन ममाज हो चुका था। डा. हेडगेवार का पूरा समय परिषद के सदस्यों से मिलने में व्यतीत हो रहा था। वह पत्रों के द्वारा संघ के नेताओं को निर्देश देते रहे। उन्होंने संघ नेता उमाकौत

आपटे को लिखे पत्र में कहा : 'इस सर्कुलर से डरने का विस्तृत कारण नहीं है। इस सर्कुलर का विरोध करते हुए प्रस्ताव जिला परिषदों एवं नगर पालिकाओं से पारित करवाना चाहिए तथा निषेध प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा जाना चाहिए।' सरकार द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में उन्होंने एक और पत्र में लिखा था—'संघ के विरोधी लोगों को दशा ऐसी है कि दोषारोपण तो करते नहीं बनता, न ही संघ की कार्यवृद्धि वे सह पाते हैं। संघ किसी भी अवसर पर सांप्रदायिक नहीं रहा है, न ही किसी भी सांप्रदायिक आंदोलन में संघ कभी भी सहभागी था। साथ ही अन्य किसी जाति या परधर्मियों से द्वेष या तिरस्कार संघ ने कभी नहीं किया। अतः संघ को सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। इस पृष्ठभूमि पर नया सर्कुलर अनावश्यक एवं अन्यायकारी है।'

डा. हेडगेवार की योजना का क्रियान्वयन होना शुरू हो गया। प्रांत के स्थानीय निकायों ने परिपत्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके सरकार के पास भेजा। अकोला जिला परिषद ने संघ को 'सांप्रदायिक' मानित करने के सरकारी प्रयास की भत्तेना की एवं प्रस्ताव में डा. हेडगेवार की 'जातिभेद से ऊपर ऊपर युवाओं को संगतित करने के लिए' प्रशंसा की गई।

नागपुर नगरपालिका ने 10 मार्च 1933 को संघ के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इसने डा. हेडगेवार द्वारा नागपुर में दंगा रोकने और शांति स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की। सावनेर नगरपालिका ने 21 मार्च को यह प्रस्ताव पारित किया—'नगरपालिका कमेटी यह मानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो संस्था है वह सांप्रदायिक नहीं है और इसकी गतिविधियां आपत्तिजनक नहीं हैं। कमेटी यह भी मानती है कि संघ की गतिविधियों में नगरपालिका कर्मचारियों की भागीदारी से इसके काम में न तो अडचन आई है और न ही आगे अडचन आने की कोई संभावना है। यह संस्था युवकों को शारीरिक एवं नैतिक शिक्षा देने के कारण यहुत ही उपयोगी है। अतः कमेटी परिपत्र के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हुए उसे वापस लेने का अनुरोध करती है।'

वर्धा, भंडार, काटोल एवं उमरेड की नगरपालिकाओं ने इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। वर्धा जिला परिषद यह बात तो मानती थी कि संघ

सांप्रदायिक संगठन नहीं है परंतु परिषद में सरकार समर्थकों का बहुमत था। सरकार के दबाव में वर्धा जिला परिषद ने 7 अगस्त 1933 को अपने कर्मचारियों द्वारा संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का कारण संघ की 'क्रांतिकारी गतिविधियाँ' बताया गया था। संघ के पास वर्धा में 3000 से अधिक स्वर्यंसेवक थे। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के कर्मचारी एवं शिक्षक भी शामिल थे। 1933 के विजयादशमी उत्सव के बाद बड़ी संख्या में वर्धा जिला परिषद से जुड़े स्कूल के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा संघ कार्यक्रमों में भाग लेने को आधार बनाकर निलंबित कर दिया गया।¹ इस प्रकार सखिनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जहां संघ का विस्तार तेजी से हुआ वहां सरकार इसे पंगु बनाने के लिए हर प्रकार की कोशिश करती रही। 1932 से 1934 तक दो वर्षों का समय वस्तुतः सरकार एवं संघ के बीच प्रत्यक्ष टकराव का काल था। इन दो वर्षों में डा. हेडगेवर की प्रेरणा से संघ चट्ठान की तरह सामाज्यवादी दमन का सामना करता रहा। सरकारी परिपत्र के खिलाफ इसने सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर जनमत तो लैयार किया ही, प्रांत की विधान परिषद यें भी सरकार को मूँह की खानी पड़ी। यह संघ की प्रांत में स्वीकृति एवं डा. हेडगेवर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण था।

1. शिवाय, 26 नवंबर 1933

ऐतिहासिक बहस

मध्यप्रांत की सरकार ने दिसंबर 1933 में जब सर्कुलर जारी करके स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं शिक्षकों को संघ को गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था तब उसे तनिक भी अनुमान नहीं था कि उसे विधान परिषद के जगते (बजट) सत्र में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस दंपत का कारण उसका अपना अनुभव था। जब 1932 में पहला सर्कुलर जारी करके प्रांतीय सरकार के कर्मचारियों पर संघ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था तो प्रांत की राजनीति में तनिक भी हलचल नहीं हुई थी। जिला परिषदों एवं नगरपालिकाओं द्वारा दूसरा सर्कुलर जारी होने के बाद संघ के समर्थन में प्रस्ताव पारित होने की मूचना को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया था। प्रांत के राजभक्त गृहमंडो नव्ववेंद्र राव को अपनी जोड़-तोड़ की राजनीति पर भरोसा था। वह सरकार को कई अवसरों पर राजनीतिक झंझाखातों से बचा दुके थे। उन्हें यह पद उनके इसी कौशल के इनाम के रूप में दिया गया था।

बजट सत्र में पहले दो महीने तक डा. हेडगेवार ने जमकर जनसंपर्क किया था। प्रांत के राजनेतिजों के लिए संघ कोई अनजान मन्था नहीं थी। वे इससे भली भांति परिचित थे। परंतु पहली बार उन्हें इसके संस्थापक के मुंह से इसके बारे में सोधे और बातचीत के द्वारा जानने एवं समझने का अवसर मिला था। डा. हेडगेवार ने सरकार के भरोसे और राजवेंद्र राव के घमंड को चकनाचूर कर दिया।

1934 का बजट सत्र असाधारण सिद्ध हुआ। कौंसिल में सरकार की अनपेक्षित विरोध का सामना करना पड़ा। मध्यप्रांत की राजनीति गुटबाजी के लिए विछ्यात थी। कहा जाता था कि नितने राजनीतिज्ञ थे, उससे अधिक गुट थे। वे न्नाहाण, ब्राह्मणेत, पराठी, हिंदी, तिलकबाजी, गांधीजादी, मुस्लिम जैसे संकोणी आधारों पर अलग-अलग गुटीं में बटे हुए थे। परंतु संघ के प्रश्न पर उन्होंने वापसी विरोधों को भूलाकर अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया था। संघ का समर्थन एवं सर्कुलर का विरोध इष्ट एवं बेबाक तरीके से कौंसिल में हा-

वर्ण एवं हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने किया। विश्वविद्यालय, औद्योगिक मजदूर, मुस्लिम, महिलाओं, पिछड़े वर्ग, ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर सभी के बीच तालमेल देखकर सरकार सकते मैं थीं। सामाजिकवादी ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रवैदेश राव को कॉमिल के भीतर डा. हेडगेवर के राष्ट्रवादी विस्ट स्वरूप का साक्षात् सामना करना पड़ा। संघ को लघु, नवजात एवं राजमीति में अमाध चमक्षने की सरकार की भूल पर कॉमिल के सदस्यों ने उसे पश्चात्ताप करने का भी अवसर नहीं दिया। विरोध इतना तोब, तथ्यों पर आधारित एवं तर्कयुका था कि सरकार सिर्फ पराजित ही नहीं हुई, बल्कि लज्जित एवं अपमानित भी हुई। सदस्यों ने बहुत एवं प्रश्नोत्तर काल के दौरान उसे निरुत्तर किया एवं राजभक्तों के बीड़िक खोखलेपन को उत्त्वागर किया।

किसी संगठन का राष्ट्रवादी चरित्र उसकी विशेषता है। परंतु यदि इसके पीछे इसके संस्थापक का नैतिक एवं निकलक चरित्र एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण को विश्वसनीयता हो तो उस संगठन की शक्ति, प्रभाव एवं लोकप्रियता अपने सदस्यों की सीमा से कई गुना अधिक हो जाती है। डा. हेडगेवर का जीवन इष्टका जीता-जागता उदाहरण था।

ज्ञानिचेतिक भारत के संसदीय इतिहास में शावद पहली और अंतिम घार ऐसा हुआ कि किसी एक संस्था की स्थापना, संस्थापक, स्वरूप, सिद्धांत और सदस्यता पर तीन दिनों तक लगातार बहस चली। अतः 1934 के बजट सत्र में दिनोंक 3, 7 एवं 8 मार्च को प्रांतीय कॉरिल में संघ पर जो बहस हुई थी, वह सामाजिकवादी ताकत के खिलाफ इसकी प्रतिवहता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। परंतु आजादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम में संघ को भूमिका को लेकर हुई बहस में आश्चर्यजनक हुंग से यह घटना प्रायः अवर्णित रही है।

प्रश्नोत्तर काल

महालर में नंग पर माप्रदायिक होने का अग्रोप लगाया गया। बजट सत्र के आरंभ में ही 3 मार्च को सदस्यों ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान इस विषय को उठाया था। सदस्यों ने सरकार से 'माप्रदायिकता' की परिभाषा जाननो चाही। सरकार इसे दालती रही। जब सदस्यों ने जानना चाहा कि संघ को माप्रदायिक संगठन किस आधार पर कहा गया, तब राष्ट्रवैदेश राव का उत्तर था—'संघ के सूत्रधारों के भाषण

में ऐसा दिखता है कि उन्होंने अपने सम्बुद्ध जर्मनी के नाभीवाद अर्थात् हिटलरशाही को धोय एवं कार्यपद्धति के आदर्श के रूप में स्वीकार किया है? जब सदस्यों ने उनके भाषण को उद्धृत करने की मांग की तब राव असहाय हो गए और सभा के अध्यक्ष को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि इस विषय पर आगे कभी बहस हो सकती है। 'व्या सरकार को कोई मुस्लिम संगठन सांप्रदायिक लगता है?' इस प्रश्न को भी वह दाल गए। राव बार-बार 'नाभीवाद' के नाम पर संघ पर प्रहार करते रहे।

प्रश्नोत्तर काल से सरकार को पूर्णभास हो गया कि संघ की लोकप्रियता एवं डा. हेडगेवार के बारे में उसका मूल्यांकन गलत है, परंतु उसे अभी भी आगे की घटनाओं की कल्पना नहीं थी।

कटौती प्रस्ताव

बजट सत्र के दौरान 7 मार्च को 'सामान्य प्रशासन' पर सदन में ऐसे ही चर्चा आरंभ हुई, एक सदस्य ची.डी. कौलते ने 'मांग संख्या 8' के विरुद्ध संघ पर जारी परिपत्रों के विरोध में एक रूपये का कटौती प्रस्ताव रखा। उन्होंने कटौती प्रस्ताव रखते हुए कहा—'मैं मांग संख्या-8 के अंतर्गत एक रूपये का कटौती प्रस्ताव इसलिए रखा रहा हूँ कि सरकार द्वारा 1932 में सरकारी कर्मचारियों को संघ में भाग लेने पर जो परिपत्र जारी करके प्रतिवंध लगाया गया है उस पर बहस हो। सरकार ने जो परिपत्र जारी करने का कारण बताया है, उसके अनुसार संघ की गतिविधियाँ 'कम्यूनल' हैं इसलिए सरकारी कर्मचारियों को इसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रश्नोत्तर काल के दौरान हम लोगों ने 'कम्यूनलिज्म' शब्द का अर्थ सम्बन्धीय गृहमंत्री से जानना चाहा लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसका अर्थ अधिक परिभाषा नहीं मिली। अगर हम शब्दकोयों में दी गई परिभाषा को देखें तो 'कम्यूनल' अधिक 'कम्यूनलिज्म' शब्द की उत्पत्ति 'कम्यून' से हुई है। 'कम्यून' का तात्पर्य एक विशिष्ट प्रकार की सरकार/व्यवस्था होती है।... ऐसा प्रतीत होता है कि 'कम्यूनल' शब्द का भिन्न अर्थ सरकार के पास है जिसे वह हमें बताने से बचना चाहती है। अगर इसके पास सामान्य शब्दकोण में दिया गया अर्थ है तब मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को वहाँ किसी ऐसे आंदोलन से जुड़ने पर रोक लाई जा रही है जिससे उसके कर्तव्य निर्वाह करने में कोई बाधा नहीं पहुँचती है।.. आजकल 'कम्यूनल' शब्द

की व्याख्या इस रूप में की जाती है—'किसी समुदाय के हित का संबर्द्धन करते हुए दूसरे समुदाय के विरुद्ध चृणा पैदा करना।' अगर 'कम्यूनल' शब्द का यह अर्थ स्वीकार किया जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या संघ, जिस पर यह परिपत्र लागू होता है, इस परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं। संघ की गतिविधियों की जांच-पड़ताल से पता चलता है कि इसके तीन उद्देश्य हैं—प्रथमतः, हिंदू समाज की स्थिति में सुधार करना; द्वितीयतः, हिंदू युवकों को शारीरिक प्रशिक्षण देना; एवं तीसरा, हिंदुओं में अनुशासन का भाव पैदा करना। अगर इन तीनों बिंदुओं पर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि प्रांतीय सरकार एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए कोई भी आधार नहीं है।

'जिस प्रकार हिंदू समुदाय के पास स्वंसदेवी संस्था है उसी प्रकार मुमिलम समुदाय के पास भी है, दलितों के पास भी है।... अगर इन संस्थाओं में भाग लेने पर रोक नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ संघ में भाग लेने के लिए क्यों रोकना चाहती है।'

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न स्वर्यसेवी संस्थाओं के बीच सिर्फ भेदभाव ही नहीं कर रही है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को अपना दाम बनाना चाहती है।

अब सरकार की बारी थी कि वह परिपत्र के समर्थन में तथ्यों को रखकर बहस आगे बढ़ाए। मुख्य सचिव राठटन ने कट्टीती प्रस्ताव का विरोध करते हुए सरकारी कर्मचारी व्यवहार मंहिता नियम-21 को उद्धृत करके बताना चाहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य के निष्पादन में निष्पत्त एवं स्वतंत्र रहना चाहिए और उन्हें किसी राजनीतिक आंदोलन से नहीं जुड़ना चाहिए। उसने आगे कहा—'ठीक यही बात मांप्रदायिक गंगठनों के संबंध में भी लागू होती है।' तब राठटन ने संघ का मनगङ्गांत सरकारी इतिहास बताया—'मुझे उन लोगों के बारे में बताना होगा, जिन्होंने संघ की स्थापना की है। सांप्रदायिक तनावों के समय 1918 में इसकी स्थापना जा, मुंजे ने की थी। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक हितों की रक्षा करना था। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका उद्देश्य निश्चित तौर पर सांप्रदायिक था। और उन्होंने एकदम हाल में डॉ. हेडेंबर्गर की उपस्थिति में एक सभा में कहा है कि 'हिंदुस्थान हिंदुओं के लिए है और हिंदुओं का

भविष्य की सरकार पर आधिपत्य रहेगा और यह उन पर निर्भर है कि गैर हिंदुओं को राजनीतिक अधिकार एवं सुविधाएँ दी जाएँ या नहीं।” बत्तमान समय में विभिन्न समुदायों के अधिकारों के बारे में खासी चर्चा एवं विचार चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो सरकारी कर्मचारियों को पूर्णतः तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।

राठटन ने ‘कम्यूनल’ शब्द की परिभाषा देते हुए आगे कहा कि ‘भंडारा के भेर दास्त ने ‘कम्यूनल’ शब्द को परिभाषित करने में सरकार की भारी विफलता पर प्रकाश ढाला है। उन्होंने जो परिभाषा बताई है, सरकार उसी का प्रयोग यही कर रही है: कम्यूनल संस्थाओं का तात्पर्य उनसे है जो दूसरे समुदायों के बीच में देष्ट फैलाती हों। इस संदर्भ में वे संस्थाएँ इसके अंतर्गत नहीं मानी जाएंगी जो किसी समुदाय के हितों के लिए बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए अंजुमन एवं उसके जैसी शैक्षणिक संस्थाएँ।

राठटन के भाषण ने गृहमंत्री के आत्मवि�श्वास को बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ‘परिपत्र संघ की गतिविधियों के ऊपर आधारित है।’ जब सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने संघ के विरुद्ध शिकायत की है तब राव ने भंडारा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय की संघ के प्रति आरंका की और ध्यान दिलाया। परंतु राव का ‘अल्पसंख्यकबाद’ तब धारणायी हो गया जब सदन एवं प्रांत के लोकप्रिय मुस्लिम नेता एम.एस. रहमान, जो बगर नगरपालिका शहरी मुस्लिम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, बोलने उठे। एक मुस्लिम के नाते और एक राष्ट्रवादी के नाते उन्होंने जो कहा वह उपनिवेशवादी ‘फूट ढालो, राज करो’ की नीति को ध्वस्त करने वाली बात थी। यहले उन्होंने गृहमंत्री से जानना चाहा कि क्या किसी मुस्लिम संगठन ने संघ के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन भेजा है जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाने की भाँग की गई हो? सरकार का उत्तर नकारात्मक था। संघ के राष्ट्रवादी एवं सकारात्मक हिंदुत्व की प्रशंस करते हुए रहमान ने कहा:

‘मैं यह अनुभव करता हूँ कि ऐसे विषयों पर बोलना अच्छा होता है परंतु चूप रहना उससे भी अच्छा होता है। मैं इस पर नहीं बोलता, परंतु कुछ सदस्यों के आश्रित पर मैं बोल रहा हूँ। ऐसलो इंडियन, मुसलमानों एवं हिंदुओं तथा व्यावसायिक समुदायों के संगठन हैं—क्या हम उन सबको सांप्रदायिक कह सकते हैं? “द एंगलो इंडियन परिषद्” को सांप्रदायिक संस्था कहा जा सकता है,

आल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस, मारवाड़ो सुधार संघ इन सबको सांप्रदायिक संगठन कहा जा सकता है क्योंकि ये सभी समाज के लिंगाट समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ... मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विवेकशोल व्यक्ति उस मुस्लिम संगठन को गलत समझेगा, जिसका उद्देश्य समुदाय के हितों का संबंधन है। ठीक उसी प्रकार जिस हिंदू संगठन का उद्देश्य आक्रामक और विद्युषपूर्ण नहीं है, उसे कोई इमानदार मुसलमान गलत समझेगा। मैं कट्टीत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।'

इसके बाद टी.एच. केदार ने अपने आक्रामक तेवर से सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने सरकार से पूछा—'जब से संघ को व्यापना हुई है, जैसा हमें बताया गया है—1918 में, क्या शरकार के पास 1932 तक संघ को सांप्रदायिक घोषित करने का एक भी अवसर नहीं आया?' उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस की गलत रिपोर्टिंग के आधार पर निर्णय कर रही है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि संघ का कोई भी ऐसा माहिला, जो सांप्रदायिक हो, सदन के सामने रखें। उन्होंने सामाज्यवादी कार्यपट्टि को निशाना बनाते हुए कहा कि 'सरकार ने न्याय के साधारण सिद्धांत को भी पालन नहीं किया है। इसने संघ के संरक्षकों को अपनी बात कहने का कोई अवसर नहीं दिया है। क्या सचिवालय में बैठकर संघ को सांप्रदायिक घोषित करके निर्णय गारी करना उचित है?'

शहरी औद्योगिक मजदूरों के प्रतिनिधि आर. डब्ल्यू. फुले ने संघ के उद्देश्य पर प्रकाश ढालते हुए अपने भाषण में कहा कि उनकी संघ के लोगों में आत्मीयता हुई है और संघ ने किसी भी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को प्रवेश देने में निषेध आज तक नहीं किया है। इसका सिद्धांत 'हिंदुस्थान हिंदुओं का है' का व्यापक अर्थ है। इसका वास्तविक अर्थ है—भारत भारतीयों का है। उन्होंने पूछा कि 'क्या सरकार के पास ऐसा कोई उदाहरण है जिससे कहा जाए कि कोई मुस्लिम या ईसाई, जो इसमें प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें रोका गया?'

इसके बाद भहिला गैर सरकारी (मनोनीत) सदस्य रमाबाई तांबे ने संघ का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 'मैं इस कट्टीती प्रस्ताव का समर्थन करके हिंदू युवकों को सरकार की दमनकारी नीति से बचाना चाहती हूँ।' संघ एक जापांगी संस्था है। यह मध्यप्रांत में शुरू हुई है और उपर्युक्त हिंदुस्थान में फैल जाएगी और सभी समुदायों को संगठित करने का कार्य करेगी। क्या समुदायों को संगठित

करने में कोई नुकसान है? अगर आप हो कहेंगे तो मैं यही कहूँगी कि सरकार हमें संगठित होने देना नहीं चाहती है।'

सरकार की मेंशा तब और भी उजागर हुई जब सरकार परिपत्र जारी करने के बारे 1932 तक संघ के बारे में कोई भी आपत्तिजनक तथ्य सटन के सामने रखने में विफल रही। अंततः परिपत्र के आधार को साचित करने के लिए इसने जनवरी 1933 में संघ के मकर संक्रान्ति उत्सव में दिए गए भाषणों को उद्धृत किया। ये भाषण उत्सव में आमंत्रित दो अतिथियों—डा. मुंजे एवं भोरोपंत जोशी—के थे। इन दोनों के भाषणों को सांप्रदायिक कहा गया। जोशी के भाषण के अंश को राटटन ने उद्धृत किया—‘इस बात को छिपाने में कोई लाभ नहीं है कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन है, इसे मानने में कोई अवमानना नहीं है। मूल बात यह है कि क्या संघ किसी समुदाय के प्रति आक्रामक है। लेकिन वे तो अपने समुदाय की बुगाइयों को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प हैं—दूसरे किसी समुदाय को तुकसान पहुँचाए बिना।’ डा. मुंजे ने इस बात का समर्थन अपने भाषण में किया था।

रमावाई तांबे ने जब पूछा कि जोशी संघ के कार्यक्रम के आयोजक थे अथवा सभा के अध्यक्ष, तब सरकार ने माना कि वह सिर्फ अध्यक्ष थे। सदस्यों ने सरकार का मध्यील उड़ाया कि सभा के मेहमानों के भाषणों को जाधार बनाकर संघ की भर्तीना की जा रही है, और वह भी पुलिस रिपोर्ट को सच मानकर। सरकार पूरी तरह से लज्जित तब हुई जब सदस्यों ने व्यायात्मक रूप से कहा कि सरकार ने 1933 के भाषणों को भविष्यत्वाणी करके 1932 में संघ के विरुद्ध परिपत्र निकाला था।

फिर कोलते ने कुछ बुनियादी प्रश्नों पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उनका समर्थन बी.जी. खापड़े, आर.ए. कनितकर, सी.बी. पारेख, चू.एन. ठाकुर, ठाकुर मनमोहन सिंह, एम.डॉ. मंगलमूर्ति, एस.जी. सपकल, डब्ल्यू.वाई. देशमुख ने अपने भाषणों में किया। कोलते ने कहा—‘यह कहा गया कि संघ की स्थापना 1918 में हुई है। यह सरासर गलत है। यह भी कहा गया कि डा. मुंजे इसके संस्थापक हैं। जहाँ तक मुझे पता है, डा. मुंजे न तो इसके संस्थापक हैं और न ही इसके पांछे प्रेरणाओं। मैं नहीं समझता कि संघ के प्रति सहानुभूति रखने अथवा सहयोग करने का मतलब है कि वे उसके संस्थापक हैं। जिन भाषणों को उद्धृत किया जा रहा है वे उन महानुभावों द्वारा दिए गए

है जो संघ के कार्यों से जुड़े हुए नहीं है और उनके भाषण संघ की नीतियों को प्रतिविर्भित नहीं करते हैं।'

डा. हेडगेवार के भाषण पर सरकार की आपत्ति पर बी.जी. खापड़े ने प्रश्न खड़ा किया—'अगर यह कहा गया कि भारत हिंदुओं का देश है तो इसका अर्थ यह कहापि नहीं है कि यह सिफ हिंदुओं के लिए है। यह दूसरे लोगों को राजनीति में भग लेने से नहीं रोकता है।'

डा. हेडगेवार पर हिटलर का समर्थन करने के आरोप पर खापड़े ने कहा—'यह आरोप लगाया गया कि डा. हेडगेवार हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं और उनके उस तधाक्षित भाषण, जिसमें कथित रूप से उन्होंने हिटलर का जिक्र किया था, का पता लगाया तो मुझे जानकारी मिली है कि डा. हेडगेवार ने अपने किसी भी भाषण में हिटलर का नाम तक नहीं लिया है। मैं सदन को इसलिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं क्योंकि डा. हेडगेवार ने स्वयं यह बात मुझसे कही है। मुझसे कहा गया कि डा. हेडगेवार ने पहली बार इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्था बनाई है अतः वह हिटलर की तरह खतरनाक हैं। अगर हम इसे तर्कशास्त्र के फार्मूले में ढालते हैं। ... मैं तर्कशास्त्र को नहीं भूला हूं। अगर एक अदमी दूसरे से कहता है कि तुम्हारे पिता के पास बड़ी मूँछे हैं। इसलिए वह ...। (हंसी) उसी प्रकार यह कहना कि डा. हेडगेवार के पास स्वयंसेवी संस्था है और हिटलर के पास भी, इसलिए डा. हेडगेवार हिटलर है—यह एक गलत तर्क है। डा. हेडगेवार के पास स्वयंसेवी संस्था है, खिलाफत के समर्थकों के पास स्वयंसेवी संस्था है तो क्यों नहीं खिलाफत के समर्थकों को हेडगेवारों एवं हिटलरों के नाम से खुलाया जाता है? यह तो ऐसा ही है जैसे किसी को बदनाम करके उसे फांसी पर चढ़ा दो।'

परिपत्र जारी करने के पीछे सरकार की सांप्रदायिक मंशा को बहस में उल्लगर किया गया। यू.एन. टाकुर ने अपने भाषण में कहा कि 1932 के परिपत्र को 1933 में विस्तार करके स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर जिस व्यक्ति—शरीफ ने मंत्री बनते ही लागू किया, वह खुद घोर सांप्रदायिक मंशा 'तंजीम' से जुड़े हुए है।

नागपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डा. एम.डी. मोगलमूर्ति ने अपने भाषण में सरकार से प्रश्न किया कि 'जब गुलचर विभाग के लोग दिन-रात संघ

के होंगों के पीछे शूरु से ही पढ़े हैं तब सरकार चौदह बड़ों से चुप हुए थी? उसने संघ को 1932 में जचानक सांप्रदायिक क्यों घोषित कर दिया?' उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि संघ के संविधान, संगठन एवं उद्देश्यों में लेशमात्र भी सांप्रदायिकता नहीं है। उन्होंने 1927 में नागपुर दंगे को घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा संघ पर लगाए गए आरोप के एकदम विपरीत व्यवहार संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। उन्होंने ईमानदारी से दंगे को रोकने का काम किया। मंगलमृति ने अंत में सरकार की मंशा पर चोट करते हुए कहा कि 'सरकार स्वयं अपने कदम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सरकारी पक्ष के भाषणों को सुनकर लगता है कि उनके मन में कुछ और है और कार्रवाई का आधार कुछ और है। ऐसा लगता है कि सर्कुलर लाने के पीछे सरकार का घोषित उद्देश्य से भिन्न कोई और उद्देश्य रहा है।'

बहस में कुल चौदह गैर सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया और किसी ने भी सरकार का साथ नहीं दिया। सरकार के पास याद-राडन के अतिरिक्त सर्कुलर के समर्थन में खोलने लाला एक भी सदस्य नहीं था।

बहस के अंत में कटींती प्रस्ताव पर नियमतः मतदान होना था। पराजय की ओपचारिकता चाही थी। परंतु सरकार के पास एक विकल्प था कि बिना मतदान कराए सदस्यों की मोर्चा को मान ले और यही हुआ। दोनों ही सर्कुलर चापस ले लिए गए। यह संघ की भारी सफलता थी। सांप्रदायिकता के नाम पर संघ को अलग-अलग करने का साप्राज्यवादी प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया। बहस के दौरान दोनों दिन डा. हेठगेवार कौंसिल की दर्शक दोषों में विश्वास थे। समाचार-पत्रों में भी संघ को व्यापक समर्थन मिला था।

परंतु बात यहीं खत्म नहीं हुई। शरीफ के विरुद्ध तीन अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखे गए। पहला के पो. पांडे, दूसरा खापड़े और तीसरा के एस. नायडू द्वारा था। पांडे के प्रस्ताव को 30 और चाही दोनों प्रस्तावों को 29 सदस्यों ने समर्थन दिया। जबकि अपेक्षित संख्या 22 थी। अतः तीनों प्रस्तावों को सदन जी कार्यसूची में जोड़ दिया गया। 9 मार्च को उन पर बहस हुई। रमानाई तो वे ने शरीफ से कहा कि अगर वह संघ के विरुद्ध निकाले गए सर्कुलर पर अपना बयान देकर उन्हें मंतुष्ट कर देते हैं तो वह मतदान, बिना पूर्वाग्रह के, करेंगे। पूरी बहस के दौरान चुप्पी लगाए शरीफ ने अपना मुंह अपनी कुसों बचाए रखने के लिए अखिर खोला तो कहा कि सर्कुलर सिर्फ मलाह के रूप में था और

संघ सहित दूसरे संगठनों पर भी लागू था। मत विभाजन में आविष्कार मत के समर्थन में एवं विपक्ष में बराबर-बराबर (34) मत पड़े। तब अध्यक्ष ने अपना निर्णायिक मत देकर सरकार को बचा लिया।¹

18 मार्च 1934 को गुरु पूर्णिमा का त्योहार संघ ने 'विजय दिवस' के रूप में मनाया। ग्रूप प्रकरण पर इसी दिन नागपुर में संघ की रैली में 'डा. हेडगेवर ने अपने विचार प्रकट किए थे। इस आकर्षक रैली में 800 स्वर्यसेवक गणवेश में और हजारों लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 'सबको पता है कि आजकल मध्यप्रांत की सरकार का दमनचक तेजी से घूम रहा है और इसका उद्योग है संघ के विरुद्ध यह सर्कुलर। यह अलग बात है कि वे संघ को नुकसान पहुंचाने में विफल रहे हैं। जब कौसिल में बहस हो रही थी तब मैं बहस सुनने के लिए उपस्थित था। बहस के दौरान गृहमंत्री राव ने आरोप लगाया कि संघ हिटलर एवं नाजीवाद का समर्थक है। परंतु पूरी बहस के दौरान गृहमंत्री और मुख्य सचिव यह साबित नहीं कर पाए कि मैंने अथवा संघ के किसी उत्तरदायी कार्यकर्ता ने हिटलर अथवा नाजीवाद के संबंध में कोई भी बात कही है। मुझे लगता था कि सरकार के पास अपने आरोपों को सत्य साबित करने के लिए दूढ़ा साक्ष्य होगा। ... ग्रन्तीतर काल के दौरान भी मुझे शंका थी कि सरकार मुझे नाजीवाद का समर्थक साबित करने हेतु दूर्घात साक्षों का उपयोग कर सकती है। लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था और संघ बिना किसी दाग के निष्कलंक बनकर उभरा है।'

फिर डा. हेडगेवर ने अपने उस भाषण को चर्चा की जिसको सरकार ने उनके नाजीवाद के समर्थक होने के साक्ष्य के रूप में लोड-मरोड़कर प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा :

'श्री राव ने मेरे एक भाषण के एक चार्च 'हिंदुस्थान हिंदुओं का देश है' को उद्धृत करके उसे 'आपत्तिगनक' एवं 'हिटलरथादी मानसिकता' की संज्ञा दी। हिंदुस्थान हमेशा हिंदुओं का देश रहेगा जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशों, फ्रांस फ्रेंच, चर्मनी चर्मनवासियों और अफगानिस्तान अफगानों का है। उसी तरह हिंदुओं का गष्ट हिंदुस्थान है। संघ कोई गुप्त संगठन नहीं है। संघ के सभी कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे होते हैं। लेकिन सरकार की नीति तो यह है कि किसी को

1. द इंडियन एनबल रिव्यू, चैंप-1, जनवरी-जून 1934, पृष्ठ 240

दोषी घोषित करके उसे फौसी पर लटका दो। और इसी मिट्ठांत का अनुमरण करते हुए उसने संघ को 'सांप्रदायिक' एवं 'आधिकारिक' संगठन घोषित किया था। बास्तव में सरकार का उद्देश्य तो संघ को कुचलना था। कौलते के कटीती प्रस्ताव के जवाब में सरकार ने 1932 में अपने द्वारा उठाए गए कदम के लिए 1933 में मोरोपंत जोशी एवं डा. मुंजे द्वारा दिए गए भाषणों को आधार बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को एक साल पूर्व ही यह भान हो गया था कि जोशी और मुंजे इस प्रकार के भाषण देने वाले हैं। सरकारी रिकार्ड संघ को स्थापना 1925 के आन पर 1918 में बताता है। सरकार यह दावा करती है कि उस समय नागपुर में सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था। उस वक्त न तो संघ अस्तित्व में था, न ही हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच कोई सांप्रदायिक झगड़े हुए थे। यह सब सरकार के बीट्टिक दिवालियेषन का परिचायक है।¹

इस सभा में नागपुर एवं प्रांत के अनेक वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। इनमें एस.बी. तांबे, रमाबाई तांबे, टी.एच. केदार, ना.भा. खोरे, एम.एस. अणे एवं विश्वनाथराव केलकर प्रमुख थे। अणे ने इस अवसर पर सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि 'ऐसा लगता है कि सरकार की भविष्य-पुराण में महारत है।'

डा. हेडगेवार ने इस घटना के नागपुर में हुए असर के बारे में एक पत्र में 16 मार्च 1934 को लिखा था कि 'गत 15 दिन नागपुर शहर को हिला देने वाले एवं खलबली भरे सिद्ध हुए। लोग हर जगह संघ के बारे में ही बातचीत करते हुए सुनाई पढ़ते थे। प्रत्यक्ष सरकारी अधिकारियों को छोड़कर सभी लोगों ने, जिनमें सरकार द्वारा मनोनीत मुसलमान, पारसी, गैर ब्राह्मण आदि सभी सदस्य शामिल थे, संघ विषयक कटीती प्रस्ताव के समर्थन में मत प्रकट किए। इतना ही नहीं, मुसलमान एवं पारसी सदस्यों ने संघ को प्रशंसा में भाषण किए। इस प्रकार मध्यप्रांत की कैंसिल में संघ ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। ... बाबा साहब खापड़े ने ठीक ही कहा है कि—'सरकार ने मकुर्रल जारी करके संघ को अपरिवित लाभ पहुंचाया है, संघकार्य को वृद्धि में सहयोग किया है।'²

सरकार को इस बात का अभास हो गया कि संघ की नीति मजबूत है एवं इसके संस्थापक भले ही दिन-प्रतिदिन की राजनीति से निर्लिप्त हैं परन्तु

1. महाराष्ट्र, 21 मार्च 1934, प. 4

2. हेडगेवार पेटर्स, डा. हेडगेवार द्वारा जोशीमाथ लिपये को लिखा पत्र, 16 मार्च 1934

उनका महत्वाकांश रहित सार्वजनिक जीवन भिन्न-भिन्न घटों में बैठे राष्ट्रवादियों को संगठित करने में पूर्णतः सक्षम है। इस संकुलतर से सरकार द्वारा मुमिलमां को प्रसन्न करने की नीति भी धराशायी हो गई क्योंकि प्रांत के सबसे लोकप्रिय पुस्तक नेता ने ही संघ के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की एवं उसके संग्रहालय-निरपेक्ष धरित्र का प्रमाणपत्र दिया।

ब.ए. शेंडे ने लिखा है कि 'हमारा यह संघ सब प्रकार की अग्रिमपरीक्षाओं से बाहर निकलकर अधिकाधिक दीपितमान ही मालूम पड़ने लगा। ... संघ के मारे शत्रु एवं प्रचलन दीकाकार हतबल हो गए। संघ की विधारणा एवं कार्यपद्धति सारे संकटों का मुकाबला कर सकने के लिए पूर्णरूपीण समर्थ सिद्ध हुई। तदनंतर संघ का विस्तार अन्य प्रांतों में भी सपाट से होने लगा।' १ डा. हेड्गेवर के व्यक्तित्व पर प्रकाश ढालते हुए उन पर प्रकाशित पहली पुस्तक में शेंडे ने उनकी रीढ़ांतिक दृढ़ता और दूरदृष्टि के संबंध में इसी लिखा है —

'तत्त्वविषयक यत्किञ्चित् भी समझीता नहीं करना था। सामने कार्यक्षेत्र रूपी विशाल समृद्धि में नाना प्रकार के झाझटों, जटिल समस्याओं, विकट प्रसंगों एवं आदोलन के भवंतक तृफान डृढ़ रहे थे। ऐसी विकट एवं प्रतिकूल स्थिति में भी संघ कल्पी नाव को रास्ते में बिलने वाले टीलों तथा भवरों से बचाते हुए सुरक्षित रोति में खेले जा सकने वाले द्वा माहव सदृश कुशल कर्णधार के होते हुए फिर भला कौन उसके प्रगति पथ को अवगृह्ण कर सकता था?'

1. ब.ए. शेंडे, परमपूजनीय डा. हेड्गेवर, गुरीय आवृति 1943, प. 21

2. वही

संघ बनाम साम्राज्यवाद

सन 1933-34 के बाद संघ के प्रति दृष्टिकोण में सर्वत्र परिवर्तन होने लगा था। इसकी धमता के बारे में सरकार एवं संघ के गुरुचिंतकों के अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आने लगे थे। मध्यप्रांत सरकार को संघ विरोधी योजना की विफलता के बाद के बाष्पों में संघ का विस्तार तेजी से प्राप्त एवं प्रोत्त के बाहर हुआ था। अतः केंद्र सरकार संघ को 'ठोस खतरा' मानकर प्रोत्तों को इसके संबंध में निर्देश जारी करने एवं इसकी वृद्धि रोकने के लिए योजना बनाने के काम में जुट गई थी। 1934 से 1940 का काल संघ एवं साम्राज्यवाद के बीच संघर्ष का काल था। इसी समय संघ का विस्तार भी गाढ़ीय स्तर पर हुआ था।

सविनय अखण्ड आंदोलन के बाद गाढ़ीय राजनीति में ठहराव आ गया था। डा. हेडगेवर ने इस काल का उपर्योग संघ की संगठन शक्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए किया था। वह इसे अखिल भारतीय संस्था बनाकर आगे के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में इसकी भागीदारी एवं नेतृत्व को सुनिश्चित करना चाहते थे। अपने प्रशासन में वह बहुत कुछ सफल रहे परंतु असामियक मूल्य ने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से समकालीन गाढ़ीय राजनीति को चंचित कर दिया। 1940 में उनकी मृत्यु के बर्द्धे संघ की स्थिति पर सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था : 'कांग्रेस एवं इससे संबद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं के बाद संघ भारत का सबसे बड़ा एवं कुशल स्वयंसेवी संगठन है; संख्या एवं महत्व के आधार पर कांग्रेस के बाद रास्व संघ का स्थान है।'

1930 के बाद धौर-धौरे संघ के बारे में प्रातियों का भी अंत होने लगा था। शेंडे ने लिखा है कि 'आंभ में कई दिनों (बाष्पों) तक तो अनेक सच्चे हितचिंतकों के मन में भी संघ के विषय में भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ थीं। बहुत से लोगों को संघ केवल एक अखाड़ा मालूम पड़ता था, दूसरों को मेवा समिति तथा स्काउट का पथक। अनेक मञ्जनों ने अपनत्व के अधिकार तथा आग्रह द्वारा सभा, सम्मेलन, विचाहोत्पव एवं जुलूमों की शोभा बढ़ाने के लिए

1. फलात नं. 4/1/40 गृह राजनीतिक (1) पृ. 1, गाढ़ीय अधिलेश्वारार, नई दिल्ली

स्वयंसेवक तथा संघ के बैठु तक को मांगने में कामी नहीं की। कितने बुद्धिमान लोग तो संघ को गोला-बारूद तथा शमशास्त्रों को एकजित करने वाले ग्रांतिकारियों वे एक दल ही समझ बैठे थे। डाक्टर साहब को संघ के वधार्थ स्वरूप के विषय में वह भवंतर अज्ञान देखकर अत्यधिक दुख हुआ करता था। अनेक बार ऐसे लोगों पर उन्हें दया आती थी, कभी-कभी उनके इस अज्ञान पर वह हँसा करते थे।¹ रोड ने हिंदू राष्ट्रवादियों, विशेषकर महासभा, एवं साम्राज्यवादियों को संघ के उद्देश्यों की समझ के प्रति इशारा करते हुए लिखा है: 'परंतु दुर्देव से संघ क्या है, वह कौन से कार्य को करने के लिए पैदा हुआ है—पह तीक रीति से समझने के लिए संघ के अनिष्ट चिंतकों वी अपेक्षा इष्ट चिंतकों को ही अधिक मन्य लगा। इसे हिंदुस्थान का दुर्देव ही कहना चाहिए।'

संघ के विस्तार में सबसे बड़ी अड्डचन इस काल में सबसे यहले मध्य प्रांत की व्यायामशालाओं से हुई। वे संघ को प्रतिद्वंद्वी संस्था मानकर इसकी चुट्ठि से प्रसन्न नहीं थे। कभी-कभी वे संघ शाखाओं को रोकने के लिए हिस्क गामे भी अपनाते थे। इन व्यायामशालाओं को एक समान शिकायत यह थी कि संघ के कारण उनके यहां उपस्थिति कम होती जा रही है। डा. मुंजे ने समकालीन स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था कि 'वे संघ मे इंर्झ करते थे तथा डा. हेडगेवर के संघर्थ मे अच्छी धारणा नहीं रखते थे।' 1930-31 तक व्यायामशालाओं के कर्ता-धर्तीओं को पता बल गया था कि संघ व्यायामशाला या अखाड़ा नहीं है। 1929 में कांग्रेसी नेता तैजराम ने प्रत्याप व्यायामशाला के वार्षिक समारोह के उद्घाटन भाषण में कहा था कि 'व्यायामशालाओं की स्थापना शारीरिक प्रशिक्षण देने के लिए हुई है। इसके पीछे कोई नैतिक अध्यया सेफ्टीविक पृष्ठभूमि नहीं है और इसी आधार पर संघ व्यायामशालाओं से भिन्न है।'

चार साल बाद दूसरे प्रमुख कांग्रेसी नेता जगनालाल बजाज ने भी इस भत का ममर्थन करते हुए कहा था कि 'बिना नैतिक एवं मैटांटिक पृष्ठभूमि के, फैक्टिक का समाज के हित में उपयोग नहीं किया जा सकता है।' संघ का विस्तार भव्यप्रांत में तेजी से हो रहा था और दूसरे प्रांतों में भी संघ धीरे-धीरे फैल रहा था। 1935 में संघ के नागपुर शीतकालीन फैंड में 1500 स्वयंसेवक आए थे।

1. प्रकाश नं. 4/1/40 गुरु राजनीतिक (1) ग्. 20, राष्ट्रीय अधिकारीवाला, नई दिल्ली

2. वी. वी. देशमुख, कालामगुडालील रामें, जीना उक्कान, नागपुर, ग्. 159

स्वयंसेवक तथा संघ के बिंड तक को पांगने में कमी नहीं की। कितने चुटिमान लोग तो संघ को गोला-बारूद लधा शस्त्राश्रयों को एकत्रित करने वाले क्रांतिकारियों का एक दल ही समझ चैते थे। हावटर साहब को संघ के यथोर्थ स्थल्य के विषय में यह भव्यकर अज्ञान देखकर अत्यधिक दुख हुआ करता था। अनेक बार ऐसे लोगों पर उन्हें दया जाती थी, कभी-कभी उनके इस अज्ञान पर वह हँसा करते थे।¹ शंडे ने हिंदू राष्ट्रवादियों, विशेषकर महासभा, एवं साम्बाल्यवादियों की संघ के उद्देश्यों की समझ के प्रति इशारा करते हुए लिखा है: 'परंतु दुर्दृश से संघ ज्या है, वह कौन से कार्य को करने के लिए चैदा हुआ है—यह ठीक रोति से समझने के लिए संघ के अनिष्ट चिंतकों को अपेक्षा इष्ट चिंतकों को ही अधिक समय लगा। इसे हिंदुस्थान का दुर्दृश ही कहना चाहिए।'

संघ के विस्तार में सबसे बड़ी अद्वितीय इस काल में सबसे पहले मध्य प्रांत की व्यायामशालाओं से हुई। वे संघ को प्रतिदृष्टी समझा आनंदकर इसको चुट्टि से प्रसन्न नहीं थे। कभी-कभी वे संघ शाखाओं को रोकने के लिए हिस्सक रास्ते भी आपनाते थे। इन व्यायामशालाओं को एक समान शिकायत यह थी कि संघ के कारण उनके यहां उपस्थिति कम होती जा रही है। डा. मुजे ने समकालीन स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था कि 'वे संघ से ईर्ष्या करते थे तथा डा. हेडगेबार के संबंध में अच्छी धारणा नहीं रखते थे।' 1930-31 तक व्यायामशालाओं के कर्ता-धर्ताओं वो पता चल गया था कि संघ व्यायामशाला या अखाड़ा नहीं है। 1929 में कांग्रेसी नेता तेजराम ने प्रताप व्यायामशाला के व्यापिक समारोह के उद्घाटन भाषण में कहा था कि 'व्यायामशालाओं की स्थापना सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण देने के लिए हुई है। इसके पीछे कोई नीतिक अध्ययन सेवांतिक पृष्ठभूमि नहीं है और इसी आधार पर संघ व्यायामशालाओं से भिन्न है।'

चार साल बाद दूसरे प्रमुख कांग्रेसी नेता जमनालाल चड्याव ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा था कि 'विना नीतिक एवं सेवांतिक पृष्ठभूमि के, शक्ति का समाज के हित में उपयोग नहीं किया जा सकता है।' संघ का विस्तार नव्यप्रांत में तेजी से हो रहा था और दूसरे प्रांतों में भी संघ धौर-धौर फैल रहा था। 1935 में संघ के नागपुर शीतकालीन कैप में 1500 स्वयंसेवक आए थे।

1. फाइल नं. 4/1/40 गुड गवर्नरिंग (1) पृ. 20, राष्ट्रीय अंग्रेजीगार, नई दिल्ली

2. डॉ. श. देशमुख, कालमसम्प्रदायील रत्न, नोना प्रकाशन, नागपुर, पृ. 159

'येरा आपका कुछ भी परिचय न होते हुए भी ऐसी कौन-सी बात है, जिसके कारण येरा हृदय आपकी तरफ और आपका ऐसी ओर होड़ पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ही ऐसी प्रभावशालिनी है कि जिन स्वयंसेवकों का आपस में परिचय तक नहीं है, वे भी एक-दूसरे की ओर देख मिमत हास्य करते ही एक-दूसरे को पहचान लेते हैं।... भाषा भिन्नता अथवा आचार भिन्नता हीते हुए भी पंजाब, बंगाल भट्टास, बंबई, सिंध प्रांतों के स्वयंसेवक एक-दूसरे से बयों इतना प्रेम करते हैं? केवल इसलिए कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक हैं।... यह मुवर्ण दिन जरूर आने वाला है जबकि समस्त भारतवर्ष संघमय दृष्टिगोचर होगा। फिर सारे संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होगी जो हिन्दू जाति को और तिरछी नजर से देखने का साहस करे। हम किसी पर अक्रमण करने नहीं चले हैं। परंतु हमें दश (सावधान) रहना ही होगा जिससे हम पर किसी प्रकार का अक्रमण न हो।'

'तन-मन-धन के साथ संघ का कार्य करने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को अंखिड़ित रूप से जाग्रत रखिए। रोज मोते समय यह स्मृते जाइए कि आज मैंने क्या काम किया है। यह ध्यान में रखिए कि केवल संघ का कार्यक्रम ठोक रूप से करने या प्रतिदिन नियमित रूप से संघ स्थान पर उपस्थित रहने से ही संघ कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें तो आमेतु हिमालय पर्वत फैले हुए इस खिट्ट हिंदू समाज को संगठित करना है। सच्चा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र तो संघ से बाहर चलने वाला हिंदू चर्चा ही है। संघ केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं, संघ के बाहर जो लोग हैं, उनके लिए भी है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि इन लोगों को राष्ट्र की उन्नति का सच्चा मार्ग बताएं और यह मार्ग केवल संगठन का है। हिंदू जाति का अंतिम कल्याण संगठन के ही द्वारा हो सकता है।'

डा. हेडगेवर ने अपने ऑडिप भाषण में हिंदू संगठन के सकारात्मक राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रतिपादन करके पूरे हिंदू समाज को संगठित करने का लक्ष्य सामने रखा था। संघ की लोकप्रियता इन वर्षों में तेजी से बढ़ रही थी। इसका प्रमाण इसके कार्यक्रमों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के अतिरिक्त उपस्थित बनामुदाय से लगाया जा सकता है। नागपुर में 30 दिसंबर 1938 को इसके समारोह के समापन में 10 से 15 हजार लोग उपस्थित थे।

संघ कार्य के विस्तार में डा. हेडगेवार ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया था। संगठन को बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए उन्होंने समकालीन हिन्दूवादी नेतृओं की भरपूर सहायता ली थी। वह इस बात से परिचित थे कि बड़े लोगों के मन में आकोशाएँ तो हैं परंतु उनकी व्यक्तिगत महत्वाकाशा एवं जीवन की सीमाएँ उन्हें सर्वसाधारण के बीच निरंतर परिव्रमणपूर्वक संगठन के लिए कार्य करने में बाधक हैं। अतः इन बड़े नामों का उपयोग संघ अपने विस्तार और सभा को अध्यक्षता के लिए करता रहा। उन्होंने संघ के प्रचारक दादाराव परमार्थ को 27 अगस्त 1934 को पत्र लिखकर उनसे व्याप्रह किया था—

'बंबई जाने के बाद तुम्हें चाहिए कि डा. मावरकर जी (नागरायण गाव) और गोपालराव जी को साध लेकर वैरिस्टर जयकर से मिलने के लिए जाएं और वैरिस्टर साहब को नागपुर के दशहरा महोत्सव में अध्यक्ष पद विभूषित करने का आगाहपूर्वक अनुरोध करें।'

1933-34 के बाद से बड़ी संख्या में राष्ट्रवादियों का संघ शाखाओं एवं केंद्रों में जाने का मिलसिला शुरू हो गया था। संघ को सरकार द्वारा अलग-अलग करने एवं हिन्दूवादी संगठनों द्वारा तटस्थ भाव से इसकी आलोचना एवं दुष्प्रचार का कार्य करने—इन दोनों बातों का प्रतिकार इस प्रकार के लोकसंपर्क से तो होता ही था, संघ के प्रति मिथ्या प्रचार से बनी गलत धारणाओं को भी खत्म करने में सहायक होता था।

23 अगस्त 1934 को नागपुर की संघ शाखा में 'केसरी' के संपादक एत. सी. केलकर आए थे। उनका भाषण हुआ। डा. हेडगेवार ने लिखा था कि 'केलकर का नागपुर की शाखा में पदार्पण गहली जार हुआ था। उनका आगमन एकदम अनप्रेक्षित था। शाखा के कार्यक्रम से वह अत्यंत प्रभावित हुए दिखाई दिए और बातचीत में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया।'

अकोला से प्रकाशित 'प्रजापक्ष' के संपादक गोपालराव चितले तो डा. हेडगेवार के अनन्य अनुयायी बनकर संघ कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए थे। संघ के कार्यक्रमों एवं सिद्धांतों का प्रतिष्ठादन अनेक प्रमुख समाचार-पत्रों के संपादकों ने करना शुरू कर दिया था। 'केसरी', 'महाराष्ट्र', 'मराठा', 'ज्ञानप्रकाश', 'साचधान', 'दीनभित्र', 'प्रजापक्ष', 'काल' आदि प्रमुख हैं। 'दीनभित्र' के संपादक राज साहब मुकुंद भी केलकर एवं ओगले की तरह संघ

के कार्यक्रमों में उपस्थित रहने लगे थे। परंतु कुछ ऐसे भी पत्र थे जिनका उद्देश्य संघ का मनगढ़त विरोध करना था। इनमें 'नवयुग' एवं 'मातृभूमि' प्रमुख थे। केलकर एवं हिंदू महासभा के नेता ल.ब. भोष्टकर संघ के कार्यक्रमों में अनेक स्थानों पर चुलाए जाने लगे थे।

1934 में संघ के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का ढा. साहच का संकल्प इस पत्र से प्रकट होता है। उन्होंने 15 अगस्त 1934 को लिखा था कि 'नागपुर में संघ हुए ग्रीष्मकालीन वर्ष के अंतिम दिनों में वर्ष को देखने आए संघचालकों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रत्येक जिले की हर तहसील में कम से कम दस शाखाएं प्रस्थापित होनी चाहिए, ऐसा तथ्य हुआ। और तदनुसार लोग काम में जुट गए हैं। ... संघ कार्य ऐसा नहीं है कि जो विलंब से, वथावकाश किया जाए। अपना पूर्ण महाराष्ट्र वथाशीघ्र सुसंगठित करके और कार्य का यही मॉडल अन्य प्रांतों के सम्मुख रखकर आगामी पांच-दस वर्ष की कालावधि में हमें संपूर्ण हिंदुस्थान सुसंगठित करना है।'

दा. हेडगेवार न्यूयॉर्क प्रांतों का दौरा करने लगे। संघ के प्रचारकों को मध्यप्रांत से देश के दूसरे भागों में—जिनमें संयुक्त प्रांत, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, पंजाब, मद्रास प्रमुख थे—भेजा जाने लगा था। उन्होंने इस संबंध में संघ के एक शुभचिंतक को पत्र में लिखा था—

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य हमने किसी एक नगर या प्रांत के लिए आरंभ नहीं किया है। अपना अखिल हिंदुस्थान देश यथाशीघ्र सुसंगठित कर संपूर्ण हिंदू समाज को स्वसंरक्षणक्षम एवं बलसंपन्न करने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है... एकाध नगर में पांच-दस बच्चों के एकत्र होकर खेलने मात्र से यह काम होने चाला नहीं है। इसके लिए आप जैसे खातिप्राप्त समाज के प्रमुख लोगों द्वारा कार्यक्षेत्र में घटाई पाएं करके कार्यवृद्धि की जोरदार लहर निर्मण करने की आवश्यकता है।'

संघ का राजनीतिक स्तर पर भी विरोध हो रहा था। कांग्रेस, सोशलिस्ट एवं महासभा के अनेक नेता संघ से प्रमन्न नहीं थे। दा. हेडगेवार इन विरोधों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। बनारस में सोशलिस्टों द्वारा उनके विरुद्ध किए गए दुश्मनाएँ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने 30 अक्टूबर 1930 को लिखा था—
'मेरे बनारस जाने के एक दिन पूर्व ही वहाँ के हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों

ने पत्रक प्रकाशित कर विसरित किया था। पत्रक से हम ज्ञोधित होंगे और हमारे कार्य में बाधा होगी—ऐसा वे सोचते थे। मेरे वहां पहुँचते ही वहां के संघ के लोगों ने उन जोशलिस्ट लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया पत्रक दिखाया। अपनी हमेशा जी नीति के अनुसार उस पत्रक को अनदेखा और उपेक्षित करने के लिए मैंने अपने सब लोगों से कहा।¹

डा. हेडगेवार ने सार्वजनिक जीवन से जुड़े चिसी भी व्यक्ति के प्रति बिना पूर्वानुष्ठान के, उन्हें संघ के कार्यक्रमों में आमंत्रित किया था। टैगडी की पुस्तक 'कृतज्ञ स्मरण' में ऐसे लोगों की सूची दी गई है जो संघ के सहयोगी थे। ये सभी जातियों, वर्गों एवं विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। जब कांग्रेस के लोग संघ का विरोध कर रहे थे तब डा. हेडगेवार ने महाराष्ट्र के प्रमुख कांग्रेसी नेता प्रौ. एम. चौ. जोगलेकर जो अक्टूबर 1935 में मध्यप्रांत के गोदिया में कैंप के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। जोगलेकर ने अपने भाषण में कहा था कि 'मैं एक कांग्रेसी हूँ। संघ के साथ मेरे मतभेदों के बावजूद मुझे इसकी राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं प्रतिबद्धता पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। संघ युवकों को राष्ट्र के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित करता है।'² न.व. गुणानी, दादासाहब मालेकर, नानासाहब सरदेसाई, गोवर्धनदास गोकुलदास, आर.एन. कनितकर, नानासाहब दाते, हालानी पंत हिरदा, दादासाहब नवो, बालवेकर, कमलाबाई आदि मध्यप्रांत एवं महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने संघ के कार्यक्रमों में आकर इसके राष्ट्रवादी चरित्र की प्रशंसा की थी। जिन-जिन प्रांतों में संघ के विस्तार की योजना बनती थी, उन-उन प्रांतों के प्रमुख व्यक्तियों को नागपुर के वधी, पूना इत्यादि संघ के मजबूत केंद्रों पर उत्सवों तथा कार्यक्रमों की अध्यक्षता के लिए नियंत्रित किया जाता था। फिर उनके संबंधों का उपयोग संघ के प्रचारक आरंभिक तौर पर कार्य के विस्तार में कारबंध थे। जवकर, जमुनादास मेहता, सार्वजनिक कामथ, सार्वजनि चौ.सी. चटर्जी, गोकुलचंद नारेंग, डा.पी. वरदानगलु नापड़ और मदन मोहन मालवीय संघ के कार्यक्रमों में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए एवं संघ के कार्यों में अप्रत्यक्ष मदद की।

डा. हेडगेवार के संगठन कौशल का यह जीवंत उदाहरण है। वह संघ कार्य में सबका सहयोग तो लेते थे, परंतु किसी स्तर पर इसके सिद्धांतों की

1. कैसरी, 11 अक्टूबर 1938

2. अधी 'महाराष्ट्र' एवं 'कैसरी' में प्रकाशित सम्बादों पर आधारित

परिव्रता अथवा संगठन की स्वायत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। उनका मत था कि राष्ट्र का कार्य एक परिव्रत मार्ग है और उनका परिधिक ही राष्ट्र का अमली पुजारी है। उन्होंने कहा था : 'विशिष्ट व्यक्ति के भरोसे संघ चलता है, यह घमंड कोई न करे। संघ किसी एक व्यक्ति का काम न होकर, समुदाय-विशेष का बाम है। इस कार्य को करने के लिए तरुण एवं वृद्ध लोगों को अपनी इच्छा से आगे बढ़ना चाहिए। संघ ने कहा किया—ऐसा प्रश्न करने वालों से मैं उल्टा प्रश्न करूँगा कि आप संघ के लिए क्या करने को तैयार हैं।'

डा. हेडगेवार एवं द्वितीय विश्वयुद्ध

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व डा. हेडगेवार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अटलाथक का सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर रहे थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय उन्होंने क्रांति की योजना को मूर्ति रूप देने का प्रयास किया था गरंतु व्यापक सहयोग न मिलने के कारण इसे वह क्रियान्वित नहीं कर पाए थे। सामाज्यवाद के विरुद्ध सफल क्रांति के लिए वह दो बातों का होना आवश्यक मानते थे—प्रथमतः, समर्पित नीतिवालों ना संगठन और दूसरा बाह्य घटनाचक्र (अंतर्राष्ट्रीय राजनीति) में सामाज्यवादी ताकत का ध्यान केंद्रित रहना। यही कारण है कि संगठन को राष्ट्रीय स्वरूप देने एवं मजबूत बनाने में उन्होंने दिन-रात एक कर दिए। परंतु जल्द उन्हें चुभते थी। अतः वह कहा करते थे कि 'याचि देही याचि दोका' (इसी शरीर से एवं इन्हीं ओर्खों के सामने) भारत को स्वर्तंत्र करना चाहते हैं।

जैसे-वैसे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था, वैसे-वैसे जा. हेडगेवार की चिंता बढ़ रही थी। वह इस अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। उनकी ये ऐसी संगठन को अधिक ये अधिक सशक्त बनाने की थी। उनका यह था कि 'हिंदू राष्ट्र' का भविष्य यत्तमान पर आधारित है। 1939 में उन्होंने अपने भाषण में निम्न उद्गार व्यक्त किए थे :

'संघ की आयु चौदह साल की हो चुकी है। इस समय के अंदर हमने जो कुछ भी कार्य किया है, उनको हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे सामने जो बड़ी-बड़ी आधारें हैं, उनका विचार करने पर वह दिखाई देता है कि संपन्न किया गया हमारा कार्य भी उनके परिमाण में अवश्य बड़ा है। प्रारंभ में हम लोग इस निश्चय पर पहुँच चुके थे कि यदि हिंदुस्थान हिंदुओं का देश

है तो उसके उद्धार की पूरी जिम्मेदारी हम हिंदुओं के सिर पर है। भर हमारा है अतः उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम किसी भी अवस्था में टाल नहीं सकते। यह आशा व्यर्थ है और अनुचित भी है कि आहरों लोग, जिन्हें इस देश के विषय में न भक्ति है न प्रेम, हमारी कुछ मदद करेंगे। फिर जब केवल हमें ही अपना उद्धार करना है तब संगठन के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता।'

उन्होंने आत्मालोचन करते हुए कहा : 'चौदह साल से हम लोग काम कर रहे हैं। वह अवधि कम नहीं कही जा सकती। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपने उद्देश्य के कहीं आसापास में भी पहुंचे हैं। यह तो ठीक है कि इन चौदह सालों में हमारे कार्य का विस्तार भारतवर्ष के पंजाब, बंगाल, बिहार आदि कई प्रांतों में किया गया है और मध्यप्रांत एवं बंबई इसके के हर एक जिले और तहसील में हमारी शाखाएं मूचारू रूप से चल रही हैं। ... मैं बाप-बार दोहराता हूं कि आप अपने आदर्श को समर्पन रखते हुए आज की हमारी मति एवं प्रगति का विचार कोजिए। हमने कितनो प्रगति की है? हमारी जितनो प्रगति होनी चाहिए, उसकी तुलना में हम कहां हैं? हम कितने पिछड़े हुए हैं?'

उन्होंने उत्कालीन राजनीति एवं साम्राज्यवाद के खिलाफ़ क्रांति की महत्वाकांक्षा को मापने रखकर खुलकर संघ की योजना के प्रति इशारा किया था : 'अपने कार्य की पूर्ति अपनी आंखों से देखने का प्रण संघ ने कर लिया है। कई लोग कहते हैं कि कार्य बड़ा कठिन है, उसमें भारी से भारी कठिनाइयाँ हैं : मैं कहता हूं, कठिनाइयाँ भले ही हों, हमें तो पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा मार्ग कंटकाकीर्ण है, वहां गुलाब के फूलों की आशा हमने कब की थी? देश की उसका पूर्व गौरव प्राप्त करा देना न तो कोरी गर्म है और न बाजार में मिलने वाली मस्ती चीज़। वह एक अत्यंत अमोल रत् है जिसे खुरीदने के लिए उसकी पूरी-पूरी कीमत देनी पड़ती है, एक पाई भी कम नहीं होती। उसे मोल लेने के लिए यस्त्वा त्याग और परिश्रम तुम्हारे मिथाय और कौन हो सकते हैं? यह तो तुम्हें और तुम्हें ही करना होगा।'

उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वराज्य प्राप्ति के पथ को संघ का लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य के प्रश्न पर जो लोग धैर्य धारण की बात करते थे उनसे अपनी असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था : 'इस कार्य को यदि हम जाज़ न करें, तो भविष्य में हमें सफलता प्राप्त होना असंभव है। हमने तो यह कभी भी

नहीं कहा था कि हम दो दिन या दो महीने में स्वराज्य प्राप्त कर सकते। परंतु साथ-साथ हम यह भी नहीं चाहते कि हम पीड़ियों और महिलों तक काम ही करते रहें और उसका कला कुछ भी न हो। हमारी तो कोशिश है कि हमारे जीतें-बीं हम अपने उद्देश्य को पूर्ण देख सकें, और वह बिल्कुल उपयुक्त भी है।'

अंत में उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति में संघ को भूमिका पर प्रकाश डाला। बिटेन के युद्ध में शामिल होने से भारत में उसकी कमज़ोर हुई स्थिति को वह ईश्वर प्रदत्त स्वर्णिम अवसर मानते थे। साम्राज्यवादी संकट भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सुअवसर था। उन्होंने कहा—'लोग कहते हैं, आज का समय भीषण और मंकटमय है। किंतु मैं कहूँगा, आज की वैसी सचंथा अनुकूल परिस्थिति इसके पहले कभी नहीं आई थी। बस यही समय है हम लोगों के लिए जो-जान से काम करने का। इससे बढ़कर अनुकूल समय न कभी इसके पूर्व था न कभी भविष्य में आएगा। जो कुछ टोस काम करता है, इसी समय पूरी शक्ति लगाकर कर लो। फिर कुछ नहीं बनेगा। चौदह महल से आज तक कभी हमारी हार नहीं हुई, कटय कभी चौड़े नहीं हटा, फिर भला इस सुअवसर पर हम कैसे पीछे हट सकते हैं?'

निचति कहें या डा. हेडगेवर का अपने स्वास्थ्य के प्रति और उपेक्षा का धाव, वह 1939 में अस्वस्थ रहने लगे। उनकी अस्वस्थता ने उन्हें शारीरिक रूप से पूरी तरह दुर्बल कर दिया था। जो व्यक्ति गाष्ठ को स्वतंत्र करने के लिए संगठन को पूरी तरह से तैयार करने का एक महायज्ञ करता है वह समय असहाय हो जाए, तो उसकी मानसिक पीड़ा का अनुभव संवेदनशील मानव ही कर सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध जल सितंबर 1939 में शुरू हुआ और इसकी लपटों से बिटेन प्रभावित होने लगा तब डा. हेडगेवर का मन भी छटफटा रहा था। संघ के पूर्व संस्कार्यवाह एच. बी. कुलकर्णी ने लिखा है—

'द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने के बाद डाक्टर जी ने एक दिन रात को मुझे बुलाया था। वह अद्विनिद्रा में लेटे हुए थे, परंतु उनके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। उन्होंने मुझसे यह आशंका प्रकट की थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का दूसरा स्वर्णिम अवसर भी हम शायद खो देंगे। उन्होंने कहा : 'यह हम सबकी जिम्मेदारी थी कि युद्ध से पहले अपनी बयेट शक्ति का संचय कर लेते। मैंने युद्ध की भविष्यवाणी की थी। परंतु ईश्वर कुछ और ही चाहता है।'

क्रांति का आह्वान

संघ की शाखाओं एवं प्रशिक्षण शिकिरों में स्वयंसेवकों को जिस प्रकार की सैद्धांतिक, भानसिक एवं शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, उसका एक ही अभिप्राय था— देश को स्वतंत्र करना। क्रांति के सपने को शब्दों एवं भावों से व्यक्त किए गिना उसे और संघ के नेतृत्व को वह मन में संजोकर रखे हुए थे। संघ के नेताओं की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि थी। स्वयं डा. हेडगेवर बंगल के क्रांतिकारी आंदोलन में तो थे ही, संघ के अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी इतिहास ऐसा ही था। दादाशय परमार्थ क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक थे। पुलिस ने 1924 में उनके घर की तस्लीशी ली थी और अनेक 'आपत्तिजनक' सामग्री एवं प्रतिबंधित साहित्य उनके घर से मिला था। 1925 में वह भगतसिंह, राजगुरु एवं सुखदेव से मिले थे और 1927 में वह राजगुरु के साथ क्रांतिकारियों को गुप्त बैठकों में शामिल होते रहते थे। संघ के दूसरे नेता उमाकांत आपटे स्कूल के शिक्षक थे। क्रांतिकारी विचारों वा प्रचार करने के कारण उन्हें 1924 से नौकरी से हटा दिया गया था। क्रांतिकारियों के प्रति संघ में सर्वाधिक महानुभूति रहती थी। जब 1929 में शोड़स की हत्या के बाद राजगुरु भूमिगत हुए तब नागपुर में डा. हेडगेवर ने अत्यंत सावधानी के साथ उनके छिपकर रहने की व्यवस्था की थी। अगर वह हेडगेवर की मलाह मान लेते और पूना नहीं गए होते तो संभवतः पुलिस के हाथों में पड़ने से बच सकते थे। शोड़के ने लिखा है—‘भारतीय क्रांतिकारियों एवं संघ के बीच कई बातों में समानता थी। राजगुरु संघ पर क्रांतिकारी प्रभाव के एक उदाहरण के रूप में है। डा. हेडगेवर के लिए यह स्वाभाविक बात थी कि उन्होंने राजगुरु को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की थी।’¹

23 मार्च 1931 को जब भगतसिंह और राजगुरु एवं सुखदेव को फांदी की सजा हुई थी तब डा. हेडगेवर का मन विकृत्या था। संघ की शाखाओं में 24 मार्च को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके उनकी शूरुवाती पर उन्हें प्रदानजिल दी गई।

संघ की शाखाओं एवं शिकिरों में शिखावी, समर्थ रामदास, झांसी की रानी, तिलक इत्यादि देशभक्तों एवं देशभक्ति की कहानियाँ सुनाया जाना एक सामान्य दिनचर्या का अंग बन गया। लेनिन, मैजिनी, गैरीबाल्डी, जोन आफ आर्क, च्यांग

1. एवं एप. शोड़के, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बैस्टर्स इंडिया, प. 173-74

काई शेष, शिवाजी, तिलक आदि को जीवनियों को पढ़ा जाता था और उन पर चर्चा की जाती थी। ऐवेंट स्वरूप ने लिखा है कि 'डा. हेडगेवर ने क्रांतिकारी तीर-तरीकों को सामाजिक आंदोलन को आड़ में विकसित किया था जिससे इसे ब्रिटेन की नजरों से बचाया जा सके।' यह बात सरकार के गृहचर विभाग की रिपोर्ट में भी कही गई थी—

'ग. स्व. संघ दिखने में एक गुला संगठन लगता है परंतु इसमें काफी गोपनीयता बरती जाती है। प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ सदस्यों को ही उपस्थित रहने दिया जाता है। यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण स्थल पर आने को अनुमति नहीं दी जाती है।'

'इसके स्वयंसेवक सैन्य तरीकों से प्लाटूनों, कंपनियों और बटालियनों में संगठित किए जाते हैं और कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। उनके गणवेश भी सैनिकों के गणवेशों की तरह हैं... उन्हें निशानेबाजी का भी अभ्यास कराया जाता है।'

गृहचर विभाग इस बात से भी चिंतित था कि प्रशिक्षण का दृष्टित्व भारतीय सेना के एक पूर्ण अधिकारी मार्टिंड भी, जोग को दिया गया है। 'वंदे मातरम्' गीत एवं अन्य प्रेरक गीतों को शाखा में प्रतिदिन गाया जाता था; इनमें से एक था—'रण बिन स्वतंत्रता कहाँ मिले?' जिन क्रांतिकारियों की तस्वीरों को प्रशिक्षण जिविरों में लगाया जाता था, उनमें एक राजा महेंद्र प्रताप भी थे। इन बातों का प्रभाव सुवा मन पर कैसे नहीं होता? और स्वयंसेवकों का उड़ेगा और उत्साह कभी-कभी इतना बढ़ जाता था कि डा. हेडगेवर से बिना अनुमति के क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो जाते थे। 1931 में संघ के संगठन में नंबर दो स्वाम घर पर कार्यरत बालाजी हुद्दार को बालाघाट राजनीतिक हैकेटी पड़वेत्र में शामिल होने के कारण ही सजा मिली थी। बालामाहब देवरस सहित अनेक स्वयंसेवकों ने गुप्त संगठन के लिए कार्य करने के लिए कदम बढ़ाया था। नांगपुर के एक स्वयंसेवक गोपालराय येरकुटवार ने खम बनाने का काम शुरू कर दिया और वह इस काम में बुरी तरह झायल भी हो गए थे।

डा. हेडगेवर की 'संगठन के लिए संगठन' की घोषणा के योग्ये

1. फाइल संख्या 28/8/42 पर गृह राजनीतिक (I), राष्ट्रीय अभिलेखगार, नई दिल्ली।

2. भाऊतव देवरस, कैजाव स्मरणि सदा (खंड I) पृ. 11-12, सुरुचि साहित्य।

साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की तैयारी ही थी। अक्टूबर 1942 में ग्वालियर के एक ज्ञालेज विद्यार्थी स्वयंसेवक की अपने मित्र के नाम लिखी चिठ्ठी पुलिम में गोपनीय तरीके से पढ़ी थी। इसमें उसने लिखा—

'तुम यह सोच रहे होगे कि मंध भारत अथवा विश्व के सभी हिंदुओं को संगठित करेगा... हमारे स्वर्गीय नेता डा. हेडरेबार ने अपनी मृत्यु से पूर्व सभी संगठनकर्ताओं से कहा था कि मंध की सदस्यता का लक्ष्य शहरों पर्व यामीण हेत्तों में कुल जनसंख्या का क्रमशः ३ प्रतिशत एवं १ प्रतिशत होना चाहिए। वे सभी सुप्राणिक्षित किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात की भी घोषणा की थी कि 1942 में भारत में एक क्रांति होगी और हमें उसके लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। हम अपनी सदस्यता के लक्ष्य को पूरा करने के बाद स्वराज्य के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे। हम लोग 'अहिंसक' बनकर नहीं, बल्कि शहरों के साथ अंदोलन में भाग लेंगे।'

क्रांति की अंतिम आशा

डा. हेडरेबार की मृत्यु 21 जून 1940 को हुई थी। 1939 के अंत से उनके स्थान्य में लागातार गिरावट आ रही थी। वह स्थानीय चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर विशेष रूप से निर्भर थे। उनके तन एवं मन दोनों को विश्राम नहीं था। बल्कि बीमार शरीर में मन की राहूचादी व्याकुलता और भी बहु गई थी। इसी भावना को उनकी मृत्यु के बाद एक कविता के छंदों में व्यक्त किये गये थे :

हे मृत्युदेव ! जाओ, तुम आज दूर जाओ !
 मेरे न पास आओ, मत फाँस में कंसाओ !
 डर घौंत का तनिक भी दिल को नहीं छुएगा,
 मूरब टो भले ही, धौरब नहीं टरेगा।
 परदास्य-जूँछला में, हा ! बहु आज माता !
 रोती, पुकारती है, उसका न कोई त्राता ॥
 मैं रख बिंदु अपना प्रतिदिन बहा रहा हूं,
 भारत को मुक्त करने संग्राम कर रहा हूं।
 अंतिम भी चांस येरी, हो देश के लिए ही,

1. फाइल संख्या 28/8/42, युह राजनीतिक (I), साप्तोय अधिसेष्यागार, नई दिल्ली

जीते-जी देख लूगा निज दिव्य ध्येय विजया ॥
 फिर तुम खुशी से आओ ! हे मृत्युदेव, आओ !
 आकर मुझे डढ़ा लो, मेरा शिकाप कर लो ॥

जिस भैंश को बाद में मुस्लिम विरोधी और फासीवादी कहकर इसके विरोधियों ने दुप्पचार किया था, उसी संघ की लोकप्रियता, राष्ट्रवादी चरित्र और त्याग करने की क्षमता सर्व को तरह देवीप्रियमान हो रही थी। संघ की क्षमता एवं डा. हेडगेवर का कृतित्व राष्ट्रवादियों में उसी तरह फैल रहा था, जैसे अंथकार के बाद सूर्योदय होता है। नागपुर भारत के पूर्व क्रांतिकारियों, साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चो बनाने के समर्थक राष्ट्रवादियों की काशा बन चुका था। डा. हेडगेवर के पूर्ण एवं पितृतुल्य व्यक्तित्व को मबूदीकार कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व उनकी यैतीस वर्षों की साधना का परिणाम था तो संघ की तत्कालीन स्थिति उनके द्वारा पिछले पंद्रह वर्षों से अपने शरीर को संगठन यज्ञ में होम कर देने का प्रतिफल थी। देश में चारों तरफ से राष्ट्रवादियों का नागपुर जाना शुरू हो गया था। डा. हेडगेवर अस्वस्थ थे, परंतु वह समाचार संघ से बाहर बहुत कम लोगों को मालूम था। अतः-आने वाले उनके स्वास्थ्य की स्थिति से बेखबर होकर आशा के साथ आते तो थे, परंतु नियर्ति को कोमले हुए निराशा लेकर वापस लौट जाते थे क्योंकि नागपुर समकालीन राजनीतिक-सामाजिक परिस्थिति में क्रांति का उन्माद रखने वालों के लिए पहला और अंतिम पड़ाव था। मरकारी गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद सन् 1940 के आरंभिक महीनों में देश के भीतर अब तक की सबसे तेज और अद्वितीय गतिविधियाँ शुरू हो गई थीं।

नागपुर में डा. हेडगेवर के पास सबसे पहले अनुशीलन समिति से जुड़े क्रांतिकारी पहुंचे। जैलोक्यनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है : 'जब 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आगश्यभावों स्वर्गने लागा तब अनुशीलन समिति के सदस्यों ने क्रांति का विचार शुरू कर दिया। वह सुभाष चंद्र बोस से प्रस्तावित सशस्त्र क्रांति के सिलसिले में मिले थे और अंत में निर्णय लिया गया कि श्री बोस के नेतृत्व में क्रांति होगी।'

अनुशीलन नेता देश के विभिन्न भागों में पूर्व क्रांतिकारियों से मिलने गए थे। परंतु स्वयं जैलोक्यनाथ चक्रवर्ती नागपुर आए और डा. हेडगेवर से मिलने गए। डाई दण्डकों के बाद जब अचानक यह डा. हेडगेवर के सामने 1940 में

आए तब उनको डा. हैडगेवर प्रहचान नहीं गए। जब उन्होंने डा. हैडगेवर से कहा कि क्या उन्हें कालीचरण दा की याद है, तब उन्होंने यह सुनते ही चक्रवर्ती को गले लगा लिया।¹ चक्रवर्ती से डा. हैडगेवर की संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका को लेकर लंबी वार्ता हुई। वार्ता के उपर्युक्त वह बनारस चले गए।

दूसरे क्रांतिकारी सत्याग्रहनंद सान्ध्याल भी संघ के साथ 1940 में जुड़ गए और क्रांति के उद्देश्य से वह भी नागपुर विचार-विमर्श के लिए आए थे।

सुभाष चंद्र बोस डा. हैडगेवर से 1927 से ही परिचित थे। 1928 में भी कलकत्ता में दोनों की बैट हुई थी। बोस संघ से बहुत प्रभावित थे और 21 अक्टूबर 1938 को दूसरे कांग्रेसों नेता शंकर राव टेव को पत्र लिखकर युवकों पर संघ के प्रशिक्षण के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने डा. हैडगेवर से संघके स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया था। बोस के दूत के रूप में संघ के पूर्व सरकार्यवाह (महासचिव) हुदार (बालाजी) एवं एक अन्य व्यक्ति—शाह के साथ जुलाई 1939 में डा. हैडगेवर से मिलने नागपुर आए। उस समय वह न्यूमोनिया की बीमारी से उबरने की प्रक्रिया में थे। डा. हैडगेवर ने स्वास्थ्य सुधारने पर भविष्य में सुभाष चंद्र बोस से मिलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। परंतु उनके स्वास्थ्य में गिरावट की प्रक्रिया चलती ही रही। इसी बीच जब वह मृत्युशीया पर अंतिम सांस ले रहे थे तब सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने 20 जून 1940 को नागपुर आए। डा. हैडगेवर के पास कुछ देर बैठने के बाद उन्हें प्रणाम करके वह चले गए।² एक महान राष्ट्रवादी का दूसरे राष्ट्रवादी एवं त्याग की साक्षात् मूर्ति को यह अंतिम प्रणाम सिद्ध हुआ। अगले ही दिन डा. हैडगेवर ने अपने शरीर का त्याग किया।

साम्राज्यवादी दमन

अलग-अलग प्रांतों एवं स्थानों पर संघ की गतिविधियों में सरकार द्वारा रुकावट पहुंचाई जाने लगी। उदाहरण के तौर पर 8 जनवरी 1934 को राजनीतिक एजेंट ने भोपाल राज्य के राजनीतिक सचिव को जानकारी दी कि संघ गोपनीय ढंग

1. ऐतिहासिक चक्रवर्ती, जैल में तीस साल, पृ. 272-79; अलक्ष्मी बोटा प्रकाशन, कलकत्ता

2. वित्तवाद, 23 जून 1940

से राइफल कलब चला रहा है। उसने भोपाल राज्य को चेतावनी दी कि किसी भी तरह उसे संघ की गतिविधियों को रोकना चाहिए। मध्यप्रांत में संघ के एक प्रमुख कार्यकर्ता घाटे पर मई 1934 में आपराधिक कानून संहिता को धारा 107 के अंतर्गत अभियोग चलाया गया।

महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के जिलाधिकारी ने 1938 में अपने कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों से अलग रखने का आदेश जड़ी किया। संघ के बिलाफ सूचना देने वाले राजभक्तों को प्रोत्साहित किया जाता था तथा उन्हें सरकारी संरक्षण भी मिलता था। अतः अनेक स्थानों पर लोग सरकार से मुश्विधाएं लेने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं द्वाये प्रशिक्षणों को सूचना पुलिस को दिया करते थे। ऐसी ही एक घटना मानवाली गांव में दिसंबर 1940 में घटी जब संघ के प्रशिक्षण शिविर की सूचना गांव प्रधान ने पुलिस को दी। पुलिस इम्पेक्ट दातार ने पुलिस पाटी के साथ गांव आकर लोगों को चेतावनी दी कि वे संघ को किसी भी प्रकार से प्रब्रह्य न दें।

ऐसी घटनाओं का सिलसिला जारी था। परंतु ब्रिटिश सरकार विश्वयुद्ध के समय संघ के संभावित खतरे से डरे हुई थी। अतः जून 1939 में विश्वयुद्ध से ठीक पहले सरकार मध्यप्रांत में आपराधिक कानून मंशोधन एक्ट (XIV) की धारा 16 के तहत संघ पर प्रतिबंध लगाने का विचार करने लगी। लेकिन मध्यप्रांत सरकार प्रांत में संघ की ताकत को देखते हुए ऐसा करने से रुक गई। सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन किया और याया कि इस तरह के किसी भी कदम से प्रांत में कानून और व्यवस्था का महा संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए प्रांत की सरकार ने अपने सिर से बल्ला टालने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वही अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए। तब यह विभाग ने इस सुझाव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार के प्रतिबंध से मुश्लिम मंगठों पर भी उसका असर होगा।

प्रांतों के माथ लंबे विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने अंततः 5 अगस्त 1940 को भारतीय सुरक्षा अधिनियम के नियम 58 व 59 के अंतर्गत स्वर्योदयी संघ्याओं द्वाया शारीरिक प्रशिक्षण, सैन्य प्रकार की परेड या ऐसी ही अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मध्यप्रांत की सरकार ने 7 अगस्त 1940 को केंद्र सरकार को यत्र लिखकर इस आदेश को लागू करने में असमर्थत व्यक्त

की। उसके अनुसार इसका प्रभाव मुख्य रूप से संघ एवं हनुमान ज्यायाम प्रसारक मंडल पर होगा एवं इसके परिणामस्वरूप जो भी हिंदू युद्ध को तैयारियों में ब्रिटेन को मदद कर रहे हैं वे संघ के साथ सरकार के टकराव में इस युद्ध तैयारी को प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने प्रांतीय सरकार के इस व्यवहार से अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए आदेश को सख्ती से लागू करने का आदेश किया।

दा. हेडगेवार को मृत्यु से स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न धाराओं से नुड़े हुए एक राष्ट्रवादी का अंत हो गया, परंतु सरकार संघ के संगठित स्वरूप से अंत तक सशक्ति एवं जातकित थी।

डा. हेडगेवार और महात्मा गांधी

आ

जादौ के बाद महात्मा गांधी के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण को लेकर राजनीतिक एवं शैक्षणिक—दोनों स्तरों पर लगातार चर्चा होती रही है। महात्मा गांधी एवं उनके दर्शन को भारतीय सामाजिक-राजनीतिक जीवन में 1920 के बाद से केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सोकप्रिय नेता रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन पर उनकी जीवन-दृष्टि की अमिट छाप थी। औपनिवेशिक भारत में सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस एवं कांग्रेस के बाहर अनेक छोटे-बड़े आंदोलनों का जन्म हुआ। इन आंदोलनों की अपनी-अपनी दृष्टि थी और इसके संशापकों के जीवन-दर्शन, सैद्धांतिक पहचान और कार्यक्रमों ने तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक व्यापारण को कम्पोवेश प्रभावित किया था।

महात्मा गांधी की इन आंदोलनों एवं संगठनों तथा उनके प्रवर्तकों के प्रति व्याप्त रुप थी और गांधीजी के प्रति उन आंदोलनों एवं संगठनों का व्याप्त दृष्टिकोण था—यह एक महत्वपूर्ण विषय है। डदाहरण के तीर पर डा. भीमराव अवेडकर एवं गांधीजी के बीच सामाजिक-राजनीतिक विवाद, काम्युनिस्ट पार्टी का गांधीजी के आर्थिक चिंतन एवं सामाजिक आधार पर सैद्धांतिक प्रहार, क्रांतिकारियों से गांधीजी को सहानुभूति न होना एवं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक कार्यक्रमों पर उनकी आपत्ति—इन विषयों पर अनेक शोध हो चुके हैं एवं तथ्यों को सामने लाया जा चुका है। परंतु संघ एवं महात्मा गांधी के बीच सहमति-असहमति, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक स्तरों पर गतिशील जैसे प्रवन अनुत्तरित रहे हैं। इसका एक कारण स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में सैद्धांतिक एवं सत्ता का संघर्ष रहा है।

कांग्रेस के अंदर पैदित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी एवं पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे तो बल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेता भारतीयता से ओतप्रोत थे। सिद्धांतों की लहाही में भारत के काम्युनिस्ट चिंतकों की निकटता नेहरू से थी। पटेल के कठोर राष्ट्रपाद एवं स्वतंत्रता से पूर्व की घटनाओं, देश-विभाजन, पाकिस्तान, रियासतों की समस्या इत्यादि के उनके व्यावहारिक

मूल्यांकन के कारण कांग्रेस से बाहर की अनेक शक्तियाँ, जिनमें संघ भी एक था, पटेल की प्रशंसक थीं। अतः दोनों ही राष्ट्रीय नेताओं के दल के भीतर एवं बाहर समर्थन-अधारों के भूवीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। पं. नेहरू की गांधीजी से उतनी ही निकटता थी, जितनी पटेल की। फिर भी प्रधानमंत्री के नाते एवं पाश्चात्य वैचारिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के कारण उन्हें पाश्चात्य जगत्, अंदोजी पञ्च-पक्षिकाओं और साम्यवादी लेखकों का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था।

इसी चीच देश के बंटवारे की एक और काली छाया खंडित हिन्दुस्थान पर बज्र की तरह गिरी। हिंदू महासभा से संबंधित कुछ हिंदू युवकों ने महात्मा गांधी को देश-विभाजन का जिम्मेवार एवं पाकिस्तानी हितों का शुभचिंतक मानकर उनकी हत्या का पढ़यंत्र रचा और उनमें से नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी प्रार्थना सभा में ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गजनीति में जिस व्यक्ति को पूरे देश ने आजादी से पूर्व (जिन्होंने एवं मुस्लिम लीग के समर्थकों को छोड़कर) 'महात्मा' के रूप में प्रतिष्ठित किया और उनके विवेक को आपना विवेक मानकर उनके द्वारा घोषित कार्यक्रमों एवं आंदोलनों में आंख मूंदकर हिस्सा लिया, उनकी हत्या पूरे राष्ट्र के लिए एक गहरा सदमा थी। निससंदेह गोडसे के पागलपन से हिंदू मानस लप्पित महसूस कर रहा था।

अपनी हत्या से चार महीने पूर्व महात्मा गांधी संघ के कैप में दिल्ली की भंगी बस्ती में आए थे, जहाँ उनका भाषण हुआ था। स्वयंसेवकों के साथ खुलकर प्रश्नोत्तर हुआ। गांधीजी इस खुलेपन से खुश थे तो स्वयंसेवकों को उस प्रम की स्थिति में गांधीजी को प्रत्यक्ष रूप से जानने एवं समझने का अवसर मिला था। परंतु केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस नृशंस हत्या के लिए सीधे दोषी उहराते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रश्न पर भी तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल एवं प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के चीच सहमति नहीं थी। पटेल ने नेहरू को पञ्च लिखकर कहा था : 'रा. स्व. संघ का इस कार्य से कुछ लेना-देना नहीं है। निससंदेह संघ को दूसरे कृत्यों एवं गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराना जा सकता है, परंतु इसके लिए नहीं।' जब 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगा तब आम लोगों में इसके गांधी-विरोधी होने की धारणा बनना अस्वाभाविक नहीं था। यद्यपि इस हत्या के पढ़यंत्र को जांच करने जाले दोनों जायोगों ने मंष को किसी भी घटयंत्र का हिस्सा नहीं माना और 12 जुलाई

1948 को केंद्र सरकार ने इस पर से प्रतिबंध उठाया, परंतु एक लोकप्रिय नेता की हत्या को आरोप सम्प्रदाय द्वारा लगाए जाने एवं माझसौदादी लेखकों एवं चित्रकारों द्वारा उसे बैटिक जगत में स्थापित किए रखने के कारण लोगों में संघ वाले छवि गांधीजी के विरोधी और हिस्सक प्रवृत्ति के प्रतिपादकों की बन गई। फलस्वरूप संघ के हेडगेवार प्रणीत विचार एवं गांधीवाद को दो विरोधी विचारधाराओं के रूप में देखने का भ्रम बना रहा।

स्वतंत्रता आंदोलन में डा. हेडगेवार के योगदान के बारे में उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। अर्थात् जीवन में तिलक के अनुयाइयों के बीच राजनीतिक प्रशिक्षण के बाबजूद उन्होंने महात्मा गांधी का मूल्यांकन अपने विवेक से किया। गांधीजी की जीवन दृष्टि और आदर्श को उत्तमताल करने की उनकी सबल क्षमता एवं संकल्प से डा. हेडगेवार प्रभावित तो थे ही। उन्होंने गांधीजी को माझसौदाद के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करने वाला सबसे अधिक प्रकाश व्यक्ति माना। अतः गांधीजी की माझसौदाद किरोधी दृष्टि एवं स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय मूल्यों से जनित भाषा, हीर-तरीकों और सिद्धांतों के प्रयोग ने डा. हेडगेवार को गांधीजी के निकट लाखड़ा किया।

संघ स्थापना से पूर्व एवं बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आंदोलनों में पूरी प्रतिबद्धता के राष्ट्र भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी मध्यप्रांत के तिलकवादियों की राय के प्रतिकूल थी। उन्होंने 'राष्ट्रीय मंडल' से अलग होकर 'नागपुर नेशनल यूनियन' नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके अन्य कारणों में एक कारण मंडल का गांधीजी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी था।

डा. हेडगेवार एवं गांधीजी के दृष्टिकोणों में एक चड़ी भिन्नता थी। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता को लड़ाई में अहिंसा का मार्ग ही सर्वोत्तम है और वह अन्य मार्गों के प्रतिपादकों को पसंद नहीं करते थे। झाँकिकारी आंदोलन के प्रति उनको शोष्णी भी गहानुभूति नहीं थी। डा. हेडगेवार स्वतंत्रता के प्रश्न पर गांधीजी के मार्ग को उत्तम मानते थे। असहयोग आंदोलन एवं संविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने एवं संघ के अद्दृ सैनिक प्रशिक्षण प्रायः स्वर्यसेवकों ने गांधीजी द्वारा दी गई अहिंसा की शपथ एवं आंदोलन की सर्वान्दा को दीनों वार अंत तक बनाए रखा। परंतु डा. हेडगेवार इस बात से गनिक

भी सहमत नहीं थे कि अन्य मार्गों का अनुसरण करने वालों को देशभक्ति अथवा उनके द्वारा अपनाए गए साधनों की पवित्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाए। उन्होंने कहा था कि 'स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की बृट पालिश करने से लेकर उनके बृह को पैर से बाहर निकालकर उससे उनके ही मिर को सहतुहान करते हुए मरम्मत करने तक के सब मार्ग भी लिए स्वतंत्रता- प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। किसी भी मार्ग के लिए मेरे मन में तिरस्कार का भाव नहीं है। मैं तो इनमा जानता हूं कि अंग्रेजों को निकालकर देश को स्वतंत्र करना है।'

डा. हेडगेवर का मानना था कि बुद्धि, विद्या एवं उच्च आदर्शों के साथ-साथ गृह को शक्तिशाली भी होना चाहिए। अहिंसा तभी कामयाच हो सकती है जब उसके पीछे 'बल' हो। 'बल' से उनका तात्पर्य गृहीय चेतना एवं लोगों को संगठन शक्ति था। उन्होंने कहा था : 'बल के बिना संरक्षण नहीं हो सकता। बल के बल संगठन में है किंतु यह संगठन विघटन से अलिप्त एवं बाह्य आक्रमण से टक्कर लेने में समर्थ होना चाहिए।'

मुस्लिम समस्या

कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के दीर्घन अपने आधार को विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील थी और किसी भी गृहीय संस्था को ऐसा करना भी चाहिए। मुसलमानों का गृहीय आंदोलन से अलग-अलग रहना एवं कांग्रेस को हिंदूवादी पाटी कहकर इसमें दूरी बनाए रखना कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष एक बड़ा प्रश्न था। कांग्रेस ने इस देश की गृहीयता एवं संस्कृति परिभाषित की होती और उसके अनुसार साधारण्याद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया होता तो मुसलमानों की तटस्थिता पृथक्कातावाद में परिवर्तित नहीं हुई होती। कांग्रेस जितना ही अधिक उन्हें अपने निकट लाने का प्रयास करती रही, मुस्लिम लीग की मोल-तोल की शक्ति उन्होंने ही बढ़ाती गई। मुस्लिम समाज को गृहीय आंदोलन से जोड़ने के लिए उनको मार्गों, इच्छाओं और जर्तीं पर ममझीत करना ही तुष्टीकरण की नीति थी। 1906 में लीग की स्थापना ने देश की राजनीति में पृथक्कातावाद की नीत ढाल दी थी। पूरे आंदोलन के दीर्घन यही चित्र डभरा कि भारत की स्वतंत्रता का सवाल एवं मुसलमानों का अस्तित्व—दो अलग-अलग प्रश्न हैं। प्रतिक्रियापूर्वक हिंदुओं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए संगठित हिंदू महासभा का भी चरित्र बदलने लगा और मुस्लिम दंगों एवं मुस्लिम महत्वाकांक्षियों के साथने कांग्रेस की चुप्पी ने महासभा को आक्रामक हिंदू संगठन में परिवर्तित कर दिया।

डा. हेडगेवार को प्रेस को हिंदू-मुस्लिम एकता की घोषणा की पुनरावृत्ति एवं उसके पीछे को मानसिकता को दैषपूण मानते थे। उन्होंने पूछा था : 'क्या इस देश में और धर्मावलंबी नहीं हैं ? फिर हिंदू-मुस्लिम एकता ही अर्थ, सभी को एकता की बात अर्थे नहीं को जाती है ?' उनका जवाब था कि धार्मिक स्तर पर अलग-अलग मतों को मानने वाले लोगों की राष्ट्रीयता के प्रश्न पर अलग-अलग राय नहीं हो सकती। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता एक ही होती है, मिक्ति नहीं होती। दिसंबर 1935 में मध्यप्रांत में बर्धा जिले के अंतर्गत आर्यों में संघ के शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर में डा. हेडगेवार का भाषण हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहा था : 'गांधीजी हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनसे थोड़ा भिन्न है। गांधीजी कहते हैं : "An average Muslim is a bully and an average Hindu is a coward." (औसत मुस्लिम अपेक्षित अधिक है और औसत हिंदू दब्बा है)। वह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के द्वारा एकता स्थापित करना चाहते हैं। मैं महाभारत का यह श्लोक चाहता चाहता हूँ :

यथोरेव सर्वं वित्तं यथोरेव सर्वं बलम्
तयोर्विवाहो मैत्री च न तु पृष्ठचिपुष्टयोः ॥'

(इसका तात्पर्य है कि समान शक्ति वालों एवं समान धर्म वाले लोगों के बीच मैत्री व विवाह सार्थक होते हैं, पुष्ट व अपुष्टों के बीच नहीं।)

आगे उन्होंने कहा कि 'मेरे अनुसार, मुस्लिमों को महसूस होता है कि वे हिंदूओं की तुलना में अधिक संगठित हैं और जब तक यह भावना उनके मन में है, तब तक शुद्ध एकता का संचार नहीं हो सकता। जिस दिन उन्हें यह भावास हो जाएगा कि हिंदू भी संगठित हो गए और वे आजादी प्राप्त करने में सक्षम हैं, उस दिन वे स्वतः राष्ट्रीय धारा में शामिल हो जाएंगे।'

16 अप्रैल 1932 को जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 'कम्युनल एवार्ड' को घोषणा की तब डा. हेडगेवार ने उसका विरोध किया था। वह अपने भाषणों में लोगों को आगाह करते थे कि 'कम्युनल एवार्ड के रूप में अलगाववाद का एह विपैला बीज देर-सवेर देश के विभाजन का कारण बनेगा।'¹ डा. हेडगेवार

1. दर्तीपैल डेगढ़ी से साक्षात्कार पर जाखारित, 6 फरवरी 2002

2. एच. बी. गोपाल, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ यार्डेन, 1982, प. 104

हिंदू-मुस्लिम संबंधों के प्रश्न का राजनीतिकरण करने के औपचारिक प्रयास के समूल विरोधी थे।

'स्वातंत्र्य' के संपादक के रूप में उन्होंने लिखा था : 'भारत में ब्रिटिश साप्राज्यवाद को तचित तहसाने के लिए जो बात कही जाती है, उसमें एक हिंदू-मुस्लिम मतभेद भी है। उनका कहना है कि ये भारत छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदू-मुस्लिम आपस में उलझ जाएंगे और भयकर झगड़ा होगा। यह सब गलत है। ब्रिटिश साप्राज्यवाद का भारत में आने का कारण इन दोनों समुदायों का झगड़ा नहीं था। उल्टे उनके आने के बाद झगड़ा और बढ़ गया। अगर हिंदू-मुस्लिमों के बीच झगड़ा होता भी है तो ब्रिटेन को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार किसने दिया है? क्या ये यूरोपीय देशों में दो लोगों के बीच के झगड़े में हस्तक्षेप करने जाएंगे? हिंदू और मुसलमान अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा लेंगे। हिंदू मातृपूर्णि के पुजों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है और उसके दायरे में सभी अच्छे मुस्लिम भी आ जाते हैं।'

भारतीय मुस्लिम भी उसी ऐतिहासिक प्रजाति (Race), सभ्यता एवं संस्कृति के अंग हैं जिसके हिंदू एवं अन्य मतावलंबी। अतः डा. हेडगेवर सभी भारतीयों को समान सभ्यता, संस्कृति, एक प्रजाति (Race) और इतिहास के कारण एक ही राष्ट्रीयता का अंग मानते थे, जिसे उन्होंने 'हिंदू राष्ट्र' के रूप में परिभाषित किया था।

स्वराज्य का प्रश्न सभी पंथों एवं जातियों के लोगों के लिए एक जीसा है। अतः किसी धर्म अथवा जाति के लोगों को इसकी प्राप्ति के लिए विशेष सुविधाएं देने की बातों का परिणाम राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होता है। क्षणिक तौर पर प्राप्त की गई एकता भावनात्मक एकता नहीं बन सकती है। डा. हेडगेवर ने कहा था :

'जब से स्वराज्य के प्रश्न पर संघर्ष शुरू हुआ है, हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच की दूरी बढ़ गई है। नेताओं ने एकता हासिल करने के लिए अनेक तरीकों का उपयोग किया, परंतु सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। तब उन्होंने मोर्चा कि समझौते के द्वारा एकता स्थापित की जा सकती है। 'बंगाल ऐक्ट' उसी का परिणाम है। यह समझौता स्वराज पार्टी के लिए बंगाल विधानमंडल में

नीकरशाही से लड़ने में काफी मददगार सिद्ध हुआ। परंतु इस पैकट का अर्थ क्या है? इसका मतलब है—मुसलमानों को अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने के लिए हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की शर्तें को मान लेना। परंतु इस बात पर खोड़ी गहराई में विचार करें कि क्या स्वराज सिर्फ हिंदुओं का ही प्रश्न है? नहीं, यह प्रश्न बास्तव में इस देश के सभी लोगों का है, चाहे वे किसी भी जाति अथवा पंथ के वर्गों न हों। किर मुस्लिम स्वतंत्रता अंदोलन में शामिल होने के लिए शर्तें क्यों रखते हैं? ... स्वराज की अवधारणा अपने आप में किसी भी समुदाय के द्वारा विशेष सुविधाओं की मांग को नकारती है।"

डा. हेडगेवर माप्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के सामने मुस्लिम समस्या को महत्व देने की उपेक्षा करना चाहते थे। तान्कलिक दंगे, घटिलाओं के साथ अल्पाधार इत्यादि प्रश्नों पर वह कोई हिंदू सेन्य सुरक्षा दल बनाने की जगह हिंदुओं द्वारा स्वयं संगठित होकर उसे रोकने के पक्षपाती थे। हिंदुओं के संगठित होने से उन पर आक्रमण की प्रवृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हिंदू-मुस्लिम समस्या के प्रति गांधीजी, डा. हेडगेवर एवं डा. मुंजे के दृष्टिकोणों को इस प्रकार रखा जा सकता है—

गांधीजी मुस्लिम अलगाववाद एवं आगादी के प्रति उनकी ठटस्थिता को उनके प्रति अति उदार एवं समझौतावादी आचरण के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे तो डा. मुंजे एवं हिंदू महासभा नेता बहुमतवाद एवं हिंदू उग्रता को उसका समाधान मानते थे। इन दोनों से हटकर डा. हेडगेवर ने इस चुनियादी प्रश्न पर नीलिक समाधान प्रस्तुत किया। उनका मत था कि हिंदुओं का सकारात्मक संगठन, उनके बीच सामाजिक विरोधाभासों का अंत और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण की भावना ही मुस्लिम मानसिकता को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र रास्ता है।

गांधीवाद का मर्म

डा. हेडगेवर गांधीवाद को सिर्फ एक विचारधारा न मानकर सार्वजनिक जीवन जीने वालों के लिए एक पवित्र दृष्टिकोण मानते थे। यह विडंबना ही है कि किसी व्यक्ति को 'वाट' के दायरे में मधेटकर उसके अपर्णक 'गर्भकांडी' हो जाते हैं।

डा. हेडगेवर का मत था कि गांधीजी के मूल आदर्शों को अपनाने की जगह सोग सिफ़ वाह्य आचरण में गांधीवादी कहलाना चाहते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद पूरे देश की तरह ही मध्यप्रांत में कांग्रेस के भौतर हताशा का वातावरण था। मध्यप्रांत में तिलकवादी सोग-असहयोग आंदोलन के पश्च में भी नहीं थे। जब डा. हेडगेवर एक साल को सजा पूरी करके जेल से बाहर आए तब नागपुर में आंदोलन समाप्त होने के बाद 2 अक्टूबर 1922 को गांधीजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। डा. हेडगेवर कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बुलाए गए थे। इससे मध्यप्रांत के गांधीवादियों में उनको छावि एवं लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था :

"यह एक पवित्र दिन है। आज के दिन महात्मा गांधी के गुणों को सुनने एवं उन पर विचार-विमर्श करने का दिन है। गांधी जयंती विशेषकर उन लोगों के लिए, जो अपने आप को गांधीजी का समर्थक कहते हैं, विशेष महत्व की है।"

उन्होंने आगे सरल किंतु कठोर सत्य का उद्घाटन किया :

"महात्मा गांधी का सबसे बड़ा गुण उनके द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए महान त्याग करने की क्षमता है। गांधीजी उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जिनके पास दोहरा व्यक्तित्व होता है; जो लोग लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को बात तो करते हैं, परंतु कार्य उसके अनुसार नहीं करते। महात्मा गांधी की लक्ष्य सूझी नाले तब तक सफलतापूर्वक मिलित तक नहीं पहुंच सकती जब तक लोग 'महात्मा गांधी की जय' बोलते हुए उनके कार्यक्रमों के समर्थन में अपने हाथों को तो उठाते हैं परंतु व्यावहारिक जीवन में उनके आदर्शों की खिल्ली उढ़ते हैं और ऐसो-आराम का जीवन जीते हैं।"

उनका आगे का भाषण महात्मा गांधी के 'अहिंसा' एवं 'शांति' के संदर्भों की व्याख्या थी। उन्होंने इस पर ग्रकाप्त ढालते हुए कहा कि गांधीजी के अनुसार 'शांति' एवं 'अहिंसा' का लाप्त्य 'असहाय' होना नहीं है। उन्होंने कहा—“शांति की अवधारणा उन लोगों के लिए महत्वहीन एवं निष्प्रभावी रहती है, जो कमज़ोर होते हैं। यह सार्थक तभी होता है जब आप अपने विरोधियों के समान मजबूत हो जाएंगे। अगर आप मही अशों में महात्मा गांधी के समर्थक हैं तो अपना

अपने घर-परिवार को छोड़कर राष्ट्र के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

ब्यवहार एवं सिद्धांतों में एकरूपता एक सञ्जनीतिक कार्यकर्ता का अवधारणक गुण होता है। डा. हेडगेवार दोहरे चरित्र के नेताओं को पसंद नहीं करते थे और सार्वजनिक रूप से उन्हें कभी-कभी लम्जित भी कर देते थे। ऐसी ही एक घटना 15 जनवरी 1927 को है। नागपुर के टाइनहॉल में मध्यप्रांत कांग्रेस विधानमंडल यारी द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई थी। मोरोपंथ अभ्यंकर सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रांतीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और प्रांतीय सरकार में मंत्री नारायण राव केलकर भी मंच पर थे। वह जैसे ही भाषण देने खड़े हुए, डा. हेडगेवार ने उनसे पूछा— "क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? यदि हैं, तो आपके सिर पर गांधी टोपी की जगह विदेशी टोपी क्यों है?"

गांधी टोपी तत्कालीन राजनीतिक परिवेश में भारतीय राष्ट्रीयता को प्रतिबिंधित करने वाला एक संकेत बन गई थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित था। 'महाराष्ट्र' ने इस पर लिखा था: "1906-7 में 'वंदे मातरम्' की घोषणा से साम्राज्यवादी चिढ़ते थे तो अब गांधी टोपी के प्रयोग से। न्यायाधीश गांधी टोपी के प्रयोग को अवमानना की दृष्टि से देखते थे।" डा. हेडगेवार ने उस राजनीतिक चरित्र पर आक्रमण किया था, जो दोहरे मापदंड के अनुसार जीवन जीता था।

खादी का प्रयोग

खादी का प्रयोग गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का अभिन्न अंग था। डा. हेडगेवार असहयोग अंदोलन के दौरान खादी के वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे। जब वह जेल से छूटकर बाहर आए तब उनके लिए आयोजित स्वागत समारोहों में उन्हें खादी के वस्त्र एवं चरखा सम्मान के रूप में दिया गया। काटेल, वाणी, चांदा एवं अन्य सभाओं में उन्होंने खादी के वस्त्रों के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था: 'खादी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक तो है ही, यह हजारों लोगों को रोजगार भी देती है।'

1. सितम्बर, 16 जनवरी 1927

2. महाराष्ट्र, 29 जुलाई 1922, पृ. 11

उनके दबाव में ही नागपुर कांग्रेस समिति ने खादी प्रचार के लिए अलग से धन दिया था। 'बंग पैट्रियट' ने इस पटना पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'गांधीजी ने अपना पूरा जोर खादी एवं चारखे के प्रचार में लगाया है।... कांग्रेस के बहुत-से लोग खादी एवं चारखे का प्रयोग तो नहीं ही करते हैं, नागपुर कांग्रेस समिति ने अपने एक मंत्री द्वारा इस्तीफे की घमकी के बाद ही इसके प्रचार के लिए कुछ धन का आवंटन किया है।'

फरवरी 1934 में डा. हेडगेवार ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रश्न पर नागपुर में प्रमुख स्वयंसेवकों की तीन दिनों की बैठक आयोजित की थी। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि 'हमें, जहां तक हो सके, खादी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इतनी मात्रा में सूत का उत्पादन नहीं हो पाता है कि हम सभी की आवश्यकता पूरी हो सके। अतः देशभक्त नागरिकों को स्वदेशी मिलों एवं चुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते समय हम इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि स्वदेशी टोपी के नीचे का मस्तिष्क भी स्वदेशी हो।'

तीन दिनों तक विचार-विमर्श के बाद संघ ने स्वदेशी के प्रश्न पर बहली हुई परिस्थिति में अपनी नीति निश्चित की। डा. हेडगेवार ने खादी को 'स्वदेशी एवं स्वराज का मूलक' घोषित किया। उनकी यह घोषणा संघ के स्वयंसेवकों के लिए मंत्र के समान थी। उन्होंने स्वदेशी अधियान को पूरे प्रांत में गहन रूप से खलाने के लिए संघ के निर्णय को सामने रखा और हिदायत दी कि 'देशभक्तों को खादी पहनने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जरूरतों के लिए स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए अधिक मै अधिक तैयार करना चाहिए। ऐसा में खादी का उत्पादन इतना नहीं होता है कि हर किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः भारतीय मिलों में बने अथवा चुनकरों द्वारा तैयार कपड़ों के प्रयोग को भी स्वदेशी अधियान का हिस्सा बना लेना चाहिए।'

संघ ने महात्मा गांधी के इस रचनात्मक कार्यक्रम को किसी व्यक्ति अध्यक्षित रूप से अधिकारी का कार्यक्रम न मानकर पूरे देश का कार्यक्रम माना। संघ के स्वेच्छा से इस अधियान में जुटने से सविनय अवज्ञा औदोलन के बाद प्रांत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आई चुप्पी खत्म होने लगी। एक बार फिर हलचल मचने लगी। स्वदेशी अधियान पर गुप्तचर विभाग की पांचकांग रिपोर्ट में कहा गया कि आर. एस. एस. 'खादी की विक्री एवं विदेशी वस्तुओं के

बहिष्कार के लिए कार्यरत है।' और सरकार ने संघ के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया।

हरिजन यात्रा और संघ

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने सामाजिक प्रश्नों को उपेक्षित नहीं होने दिया। यही कारण है कि छुआळू मिटाने के लक्ष्य को उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बना दिया। सविनय अवज्ञा औदोलन के बाद तो उन्होंने विधिवाली शांति का दौरा इसी उद्देश्य से किया था। लगभग पूरे एक वर्ष तक उनका व्यापक छुआळू निवारण पर ही केंद्रित था। उन्होंने अपने अधियान का श्रीगणेश बर्धी के गम्ब मंदिर में भगवान के दर्शन करके 17 नवंबर 1933 से किया और इसका समापन आगस्त 1934 में हुआ। इस दौरान उन्होंने 12,500 मील की यात्रा तथा की और लोगों से इस हेतु आठ लाख रुपये इकट्ठे किए। उनका यह अधियान 'हरिजन यात्रा' के नाम से प्रसिद्ध है।

हरिजन यात्रा को कांग्रेस ने अपनाया तो था परंतु संगठन में कोई उत्साह नहीं था। संगठन के सभी बड़े मेता इससे संकेतिक रूप से ही जुड़े थे। हरिजन यात्रा से पूर्व गांधीजी को इस सत्य का भाष्यात्कार हो चुका था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अंतःकरण रचनात्मक कार्यक्रमों से नहीं जुड़ा है। उन्होंने लिखा था कि 'अगर पूरी तरह से कांग्रेस पर इसके लिए निर्भरता रहेगी तो हिंदू धर्म में बड़ा सुधार नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं कि सभी भारतीय कांग्रेसी नहीं हैं, न ही सभी हिंदू कांग्रेस के सदस्य हैं।' उनको 'हरिजन यात्रा' ने संदर्भितिक एवं व्यावहारिक स्तर पर हिंदू समाज की समरसता के प्रश्न को महत्वपूर्ण विषय बना दिया। विधिवाली संगठनों ने अपने सामाजिक अध्यार एवं दर्मन के अनुसार इसका समर्थन अद्यता विरोध किया। डा. भीमराव अंबेडकर इसे दिखावटी एवं सतड़ी काम मानते थे अतः उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। दूसरी ओर हिंदू समाज के पुरातन पर्यायों ने भी इसे 'भर्म' पर आक्रमण बताया। इन लोगों ने गांधीजी को कई स्थानों पर काले झांडे भी दिखाए। दुर्भाग्य से हिंदू महासभा के कई प्रमुख नेताओं ने इस यात्रा के प्रति अपनी आपत्तियां सार्वजनिक रूप से व्यक्त की थीं। इनमें भाई परमानंद भी थे।

डा. हेडोवर ने हरिजन यात्रा के सामाजिक महत्व का मूल्यांकन करते हुए कहा था कि 'सामाजिक समरसता के लिए किए जाने वाले सभी कार्य हिंदू

समाज को बलशरणी बनाते हैं और ऐसे सभी प्रयत्नों को हरसंघ्य सहायता दी जानी चाहिए।' उन्होंने हरिजनों की शेष समाज में एकात्मता को 'पवित्र राष्ट्रीय कार्य' एवं हर हिंदू का 'नैतिक एवं पवित्र दायित्व' माना। 'कम्युनल एवार्ड' के विरोध और संयुक्त मतदाता प्रणाली के समर्थन में संघ सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर रहा था। डा. हेडगेवार हिंदू महासभा के नेताओं का उपयोग 'कम्युनल एवार्ड' के विरुद्ध जन जागरण के लिए कर रहे थे। उनमें से एक भाई परमानंद ने, जो गांधीजी की विचारधारा में पूरी तरह अमहमत थे, एक सभा में उनकी हरिजन यात्रा का भी विरोध किया। गुप्तचर विभाग की पाकिस्तान रिपोर्ट में इसे डा. हेडगेवार एवं संघ का विचार इसलिए बता दिया गया कि सभा के आयोजन के पीछे डा. हेडगेवार थे। परंतु यह बात कितनी गलत थी, यह निम्न तथ्यों से पता चलता है।

हरिजन यात्रा से पूर्व इसको तैयारी के लिए नागपुर में 5 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी को सभा हुई थी। इस यात्रा के लिए घांच लोगों की स्वागत समिति बनाई गई थी, जिसमें संघ के केंद्रीय पदाधिकारी मातृद राव जोग भी थे। जोग पर संघ में 'सेनापति स्वयंसेवकों को शस्त्र एवं शारीरिक प्रशिक्षण' की जिम्मेदारी थी। स्वागत समिति के मद्दम के नाते भी उन्हें सभा के लिए प्रचार करने और सभा में अनुशासन बनाए रखने का कार्य सीधा गया था। नागपुर सभा को सफल बनाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने बैठक पर राष्ट्रीय धून बंजाई और उन्हें सलामी दी। जोग के अतिरिक्त संघ के दूसरे प्रमुख कार्यकर्ता एवं 'महाराष्ट्र' के संपादक ओगले ने गांधीजी का माल्यार्पण किया। नागपुर की सभा संज्ञा, अनुशासन एवं व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही सफल रही थी।

मध्यप्रांत में जहां-जहां संघ का प्रभाव क्षेत्र था, वहां-वहां गांधीजी की यात्रा को स्वयंसेवकों का सहयोग मिला। उदाहरणार्थ, प्रांत में गोंदिया नामक स्थान पर पहुंचने पर 'संघ ने बैठक की धून बजाकर स्वयंसेवकों की सलामी से उनका स्वागत किया।' गोंदिया में कांग्रेस ने संघ का सक्रिय सहयोग लिया था। इसका एक कारण यह भी था कि स्थानीय कांग्रेस संगठन में संघ के स्वयंसेवक भी थे। प्रांत में जरूर कुछ स्थानों पर संघ एवं कांग्रेस के बीच स्थानीय स्तर पर विद्यमान कटूता के कारण संघ का सहयोग या तो आयोजकों ने नहीं लिया या स्वयंसेवकों ने तटस्थिता दिखाई।

यात्रा के बाद गांधीजी को यह अनुभव हुआ कि कांग्रेस औपचारिक रूप से इस सामाजिक क्रांति से तो जुड़ी हुई है परंतु इसके कार्यकर्ता इसे आत्मसंतान नहीं कर पा रहे हैं।

संघ का प्रत्यक्ष अवलोकन

संघ की शाखाओं एवं प्रशिक्षण शिविरों को रहस्यपर्य रूप में प्रस्तुत करने का कार्य शिफ़े ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही नहीं कर रहा था, बल्कि देश के भीतर भी संघ से सेढ़ातिक रूप से असहमत अनेक राजनीतिक व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा इसकी आलोचना होती थी। इनमें से किसी को भी शास्त्र की संरचना एवं इसके बैचों के कार्यक्रमों की जानकारी नहीं थी। उन्हें इसके प्रत्यक्ष अनुभव का कोई अवसर नहीं मिला था। महात्मा गांधी इस ब्रिणों के राजनीतिज्ञों से एकदम भिन्न थे। वह संघ के बारे में प्रत्यक्ष जानने और इसके संस्थापक से मिलने के लिए उत्सुक थे। गांधीजी का बैद्र वर्धा था और नागपुर के बाद वर्धा में संघ का सर्वाधिक प्रभावशाली संगठन बन चुका था। महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम के निकट ही संघ का वार्षिक फौटकालीन शिविर दिसंबर 1934 में लगने चाला था। एक पख्तगाड़ा पहले से स्वयंसेपक शिविर की रैयारी कर रहे थे। गांधीजी ने सूक्ष्मता से उनको प्रतिबद्धता, आपसी प्रेम और सहयोग की भावना और अनुशासन को परखा। उनके मन में कैप देखने की इच्छा और भी प्रबल हो गई और उन्होंने अपने सहयोगी महादेव देसाई के सामने यह इच्छा प्रकट की। देसाई ने वर्धा में संघ के नेता एवं मध्यप्रांत कांग्रेस के पूर्व महामंत्री आपाजी बोशी को पत्र भेजकर लिखा कि 'यद्यपि गांधीजी बहुत व्यस्त हैं फिर भी कुछ ममय निकालकर वह आपके कैप में आना चाहते हैं। कृपया तिथि एवं समय सूचित करने का कष्ट करें।'

आपाजी ने गांधीजी के आश्रम में जाकर उन्हें अपनी सुविधानुसार कैप में आने का निमंत्रण दिया। गांधीजी 25 दिसंबर 1934 को नमनालाल बजाज, बीरा बेन, महादेव देसाई एवं अन्य आश्रमवासियों के साथ कैप में आए थे।

इस तथ्य को भी शूट बताकर यह कहा जाता रहा है कि संघ सम्मान प्राप्त करने के लिए गांधीजी के नाम का दुरुपयोग करता है। आश्चर्य तो यह है कि मध्यप्रांत के कांग्रेसी नेता ब्रिजलाल बियानी द्वारा निर्वाचित ममाचार-पत्र ने भी

एक लेख लिखकर इसे झुठे प्रधन की संज्ञा दी थी।¹ यह संघ विरोधी मानसिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महात्मा गांधी ने 1939 में संघ के साक्षात्कार की पुष्टि स्वयं ही संघ की सधा में भी की थी। 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में संघ के कैप में उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित किया था। 'हिंदुस्तन टाइम्स' ने उनके भाषण को रिपोर्ट में लिखा है- 'गांधीजी ने कहा कि वह वर्षों पूर्व वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैप में गए थे। तब संघ के संस्थापक डा. हेडगेवर जीवित थे। स्वर्गीय जगनालाल बजाज उन्हें कैप में ले गए थे और गांधीजी उनके (स्वयंसेवकों के) अनुशासन एवं उनके बीच छुआळत की भावना विल्कूल न होने और उनकी सादगी से प्रभावित हुए थे।'²

25 दिसंबर 1934 की सुबह उह बजे गांधीजी कैप आए। तब उन्होंने स्वयंसेवकों की तरह 'भगवा ध्वज' को संघ की रीति से प्रणाम किया। परे ही एवं अन्य गतिविधियों देखने के बाद उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने उनसे संघ के सामाजिक दर्शन, उद्देश्य और अनुशासन के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे।

एक स्वयंसेवक से उन्होंने पूछा कि 'संघ के कैप में राम और कृष्ण की तस्वीरें लगी हैं। वह तुम लोग शंका? और गणपति को भगवान नहीं मानते हो?' यह स्वयंसेवक का परिपक्व उत्तर मुनकर आश्वर्यविकास रह गए कि 'हम राष्ट्र के नायकों की तस्वीर लगाते हैं, भगवानों की नहीं।' वह यह जानकर भी चकित थे कि स्वयंसेवक अपने ही त्वर्च से कैप में आए थे।

तब गांधीजी ने स्वयंसेवकों की जातियों को जानने का प्रयास किया। उन्हें तब और भी आश्चर्य मिलता रहा कि कैप में ब्राह्मण, गैर-ब्राह्मण एवं राधाकृष्ण असूत (महार) सभी जातियों के स्वयंसेवक साथ-साथ रहते, खाते और खेलते थे। एक स्वयंसेवक ने उनसे कहा कि 'हम न तो किसी को जाति जानते हैं और न ही जानने की इच्छा रखते हैं। हमारे तो एक ही जाति है, वह है—हिंदू।'

चार महीने पूर्व ही उन्होंने अपनी हरिजन यात्रा पूरी की थी। अतः इस

1. मातृभूमि, 23 जून 1939, चौ. चौ. आयाचिता का लेख 'स. स्वयंसेवक संघायागृह गष्ट तेज होने आश्वर्य', पृ. 5

2. द. हिंदुस्तान टाइम्स, 17 सितंबर, 1947, पृ. 2

उत्तर की सकारात्मक भावना देखकर संघ के प्रति उनको जिज्ञासा तो शांत हो गई, पर इसके संस्थापक के बारे में जानने और उनसे मिलने की उत्सुकता अब गई।

डा. हेडगेवार 26 दिसंबर को (कैप के समाप्तन समारोह में) बर्धा आए तो उन्हें गांधीजी के आने का समाचार दिया गया। उसी दिन वह दो साधियों के साथ गांधीजी से मिलने गए। रात्रि के साले आठ बजे गांधीजी से उनके मिलने का समय आपाजी ने पहले ही निश्चित कर रखा था। दो राष्ट्रनायकों के बीच का संवाद यक्ष-युधिष्ठिर संवाद की तरह था। संवाद के कुछ अंश इस प्रकार हैं :

महात्मा गांधी : आपको तो पता चल हो गया होगा कि मैं कैप में गया था।

हेडगेवार : यह हमारे लिए सीधारा की बात है कि आप शिविर में आए। आपके कार्यक्रम की मुझे जानकारी नहीं थी, अन्यथा मैं भी उपस्थित रहता।

महात्मा गांधी : एक दृष्टि से यह अच्छा ही तुआ कि आप नहीं थे। मैंने खूलकर स्वयंसेवकों से बात की और सभी बातों को जानने का प्रयास किया।

फिर महात्मा गांधी ने संघ की विश्व संबंधी जानकारी चाही। उनका अनुमान था कि संघ को धनाद्य लोगों से सहायता मिलती होगी। जमनालाल बजाज का नाम चंदा देने वालों में प्रसिद्ध था। यह जानकर कि संघ आज तक बजाज या उनके जैसे धनाद्यों से सहायता न लेकर 'गुरु दक्षिणा' के द्वारा धन संग्रह करता है, वह हेरान रह गए। डाक्टर हेडगेवार को कांग्रेसी पृष्ठभूमि को जानकर उन्होंने पूछा कि 'कांग्रेस में आपके प्रयत्न सफल बयों नहीं हुए? क्या पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिली?'

हेडगेवार : पैसे की बात नहीं थी। कांग्रेस की बनोरचना एक राजनीतिक संगठन की है। राजनीति में स्वयंसेवकों के बारे में धारणा मेज-कुर्सी उठाने वाले, दारियों बिछाने वाले मजदूरों को है। इस धारणा से गृह का उत्थान करने वाले थे: मूर्त कार्यकर्ता कैसे उत्पन्न होंगे?

महात्मा गांधी : आपको स्वयंसेवकों को क्या अवधारणा है?

डा. हेडगेवार : संगठन में नेता और कार्यकर्ता—ये दो बर्ग नहीं होने

जाहिए। संघ में सभी स्वयंसेवक हैं। आत्मप्रेरणा से जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र के कार्य को महत्व देता है तब उसकी भूमिका दरी एवं मेज उठाने वाले को नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में नीचे के पश्चर को तरह ही जाती है। साधारण जीवन जीते हुए वह असाधारण कार्य करता है। अंतःकरण को एकता एवं आत्मविश्वास के कारण ही अल्प धन एवं संकटों के बीच संघ नए-नए स्वयंसेवकों का निर्माण कर पाता है।

महात्मा गांधी : कल मैंने विभिन्न जातियों के स्वयंसेवकों को साथ-साथ सब काम करते हुए देखा। यह सब आपने कैसे कर दिखाया?

डा. हेडगेवर : उनकी चेतना में राष्ट्रीयता का भाव एवं हिंदू होने का अभिमान जाग्रत करने के कारण ही वे सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए हैं।

यह जानकर कि डा. हेडगेवर ने व्यवसाय एवं विवाह दोनों से अपने आप को मुक्त रखकर अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता एवं हिंदू संगठन हेतु लगा दिया है, महात्मा गांधी ग्रस्त हुए। अपने वर्षों के मार्वर्जनिक जीवन में एक कर्मठ, कुशल एवं समर्पित व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने डा. हेडगेवर को संघ कार्य की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। संघ के प्रति उनके मन में बनी छवि के कारण ही देश-विभाजन के बाद सरकार हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच परस्पर सांप्रदायिकता एवं अन्याय, अत्याचार के आरोपी-प्रत्यारोपी के बीच वह बेहिचक संघ के कैप में गए और उन्होंने इतज को प्रणाम किया एवं स्वयंसेवकों के साथ प्रार्थना भी की।

इसीलिए गांधीजी की हत्या के बाद जब संघ पर प्रतिबंध लगा तब उनके द्वारा स्थापित पत्र 'हरिजन' ने प्रतिबंध वापसी को नाम की थी। पत्र ने सरकार के इस कदम को गांधीजी की भावनाओं एवं आदर्शों के विपरीत बताया था। वह संपादकीय एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

डा. हेडगेवर ने महात्मा गांधी को ब्रेट पुरुष एवं ग्रान्ट निर्माता के रूप में आदर एवं सम्मान दिया था और उन्हीं की प्रेरणा से संघ ने गांधीजी को 'प्रातः स्मरणीय' की सूची में सम्मिलित किया है। एक बार एक साथकरवाई एवं एक गांधीजी के बीच विवाद हुआ कि साथकर एवं गांधीजी में ब्रेट कौन है, तब हेडगेवर ने कहा था कि 'यह बाद गेसा ही है जैसे गुलाब ब्रेट है या भोजन।'

जैसे गुलाब मोरगा के समान नहीं, वैसे मोरगा भी गुलाब के समान नहीं। यह सत्य होते हुए भी सौंदर्य, सुगंध, कोमलता—तीनों आधारों पर दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह विवाद हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक-दूसरे के फूल को कुचल छालने को जगह अपनी-अपनी मानसिक रचना के अनुसार अलग-अलग फूलों का आनंद लेना चाहिए।'

मुस्लिम तुष्टीकरण एवं भारतीय राष्ट्रीयता को परिभाषित करने में डा. हेडगेवार एवं महात्मा गांधी के बीच व्यष्ट मतभेद थे। लेकिन इन मतभेदों को डा. हेडगेवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी होने में रुकावट नहीं बनने दिया।

नागपुर एवं महाठी मध्यप्रांत में गांधीवाद का समर्थन आधार सुरु से कमज़ोर था। काप्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन के कारण भले ही तिलकवादियों का संगठन पर से वर्चस्व समाप्त हो गया था, परंतु तिलकवादियों ने कभी भी गांधीवादी नेताओं के पैर नहीं चमने दिए। प्रांत की राजनीतिक गतिविधियों के उद्योगों में भी तिलकवादी ही थे।

डा. हेडगेवार ने राष्ट्रीय संग्राम के लिए इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना एवं गांधीवादी आंदोलन को वह सतत समर्थन देते रहे। दोनों के बीच ईचारिक मतभेद के साथ-साथ हिंदू समाज में सुधार के प्रश्नों पर एक-दूसरे के प्रति सम्मान स्पष्ट झलकता है।

कर्मयोगी

सा-

भाजिक, राष्ट्रीय, लैंकिङ एवं अलौकिक विषयों का प्रतिपादन करने वाले और समाज एवं राष्ट्र को संगठित करके समर्थ बनाने का प्रयास करने वाले चिंतकों, मुधारकों एवं नेताओं का श्रेष्ठ वर्ग हर समाज व राष्ट्र में पाया जाता है। भारत में ऐसे व्यक्तियों की लोबी मूच्छी है। परंतु 'रव' की सर्वे अध्यो में मिठाकर याणी एवं कर्म से व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में पूर्ण रूप से साधेक एकमुण्डा स्थापित करने वाले, राष्ट्र के साभक दुर्लभ होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, भगतसिंह जैसे अनेक व्यक्तियों को इस दुर्लभ श्रेष्ठी में रखा जा सकता है। परंतु ऐसे राष्ट्र-साधकों की परंपरा स्थापित करने वाले प्रेरणा-पुरुषों की दुर्लभतम क्षणी में डा. हेडगेवर हैं। उनकी प्रेरणा जितनी उनके इक्यावन माल के छोटे जीवन में प्रभावी थी, उनसे अधिक प्रभावी उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी है। उनके जीवन के जीवन प्रसंगों, उनकी राष्ट्र-साधना के जीवन-घृत और ल्याग की असीम सामर्थ्य से प्रेरित होकर लोग व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित के लिए कार्यरत हैं।

उनके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में कोई फ़र्क नहीं था। संघ की स्थापना में पूर्व ही वह व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन के परंपरागत गैति-रियाओं, अपेक्षाओं और बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। 1925 तक वह नागपुर के सामाजिक जीवन में पूरी तरह बिलीन हो चुके थे और अगले पंद्रह वर्षों में उनका 'परिवार' नागपुर की सीमा पार करके पूरा तिंदूस्तान बन गया। 1940 में जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके द्वारा स्थापित संगठन—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—देशब्यापी बन चुका था। भारत के प्रायः सभी प्रांतों एवं बड़े शहरों में मंध की शाखाएँ थीं। मध्यप्रांत एवं इसके बाहर के नेताओं के लिए मंध के अनुशासित एवं प्रशिक्षित स्वयंसेवक आकर्षण का केंद्र थे। स्वयं महात्मा गांधी, बिठुल भाई पटेल, जयकर, चीर सावरकर, सुभाष चंद्र शोस जैसे शोटी के नेताओं के मन पर संघ की ढाप पड़ चुकी थी। परंतु इस मंगठन के मुख्यमांग और जन्मदाता का स्वयं का व्यवहार एवं संपूर्ण जीवन एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि राताब्दियों में कोई व्यक्ति प्रकृति एवं

ईश्वर के संभवतः विशेष प्रयोजन से जन्म लेता है। उनके जीवन के प्रसंगों से ही उनकी राह-साधना की दृष्टि को समझा जा सकता है।

व्यक्ति-पूजा

सार्वजनिक जीवन में व्यक्तित्वों का टक्कर, सिद्धांतों में मतभेद के कारण परस्पर कटुता का भाव और निरंकुश नेतृत्व करने की चेष्टा के अनेक उदाहरण स्वतंत्रता के पूर्व एवं बाद के भारतीय सामाजिक-राजनीतिक जीवन में भरे पड़े हैं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद एवं उम्मेद कांग्रेस में आई दरार की घटना का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। साधारणतया संघ के आलोचकों द्वारा डा. हेडगेवर को 'संघ का कमांडर', 'डिक्टेटर', 'फ्यूरर' करार दिया जाता रहा है। परंतु लालतिकता इसमें कितनी भिज्व है, इसे देखकर बीदिक जगत में व्यात सेद्धार्तिक प्रदूषण का अंदाज लगाया जा सकता है। संघ की स्थापना के हीन वर्ष बाद 1928 की गुरु पूर्णिमा के दिन से संघ में गुरु-पूजा की परंपरा शुरू हुई। डा. हेडगेवर के निकट के स्वयंसेवकों का भी यही अनुमान था कि डा. हेडगेवर की 'गुरु' के रूप में पूजा की जाएगी। कुछ का अनुमान था कि उत्पत्ति शिवाजी अथवा उनके गुण समर्थ रामदास की आदर्श मानकर पूजा की जाएगी। परंतु डा. हेडगेवर ने व्यक्ति-पूजा का निषेध किया। उन्होंने प्रथम गुरु शृंखणा के अवसर पर कहा :

"संघ ने अपने गुरु को जगह पर किसी व्यक्ति विशेष को मान न देते हुए परम पवित्र भगवा ध्वज को ही सम्मानित किया है। इसका कारण है कि व्यक्ति कितना भी महान व्याप्ति न हो, फिर भी वह कभी भी स्थिर व पूर्ण नहीं रह सकता। अतएव व्यक्ति विशेष को गुरु के स्थान पर स्थानकर अपनी स्थिति शास्यास्पद बनाने की अपेक्षा इतिहास, परंपरा एवं राष्ट्रीयता का समन्वित प्रतिविवेच भगवा ध्वज हमारे गुरु के रूप में सम्मानित है। इससे मिलने वाली स्मृति किसी भी मनुष्य से मिलने वाली स्मृति की अपेक्षा ब्रेक्ष है।"

न्याय वर्षों के बाद पूजा में हिंदू युवक परिषद के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने नई पीढ़ी को मान शब्दों में संदेश दिया कि 'कभी भी किसी नेता का आंख मृदकर अनुसरण न करें। स्वतंत्रतापूर्वक सोच-समझकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।' उन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक

जीवन में व्यक्ति-पूजा को प्रचलित परंपरा से संघ को पूरी तरह से अलिप्त रखा। जगजाहिर है कि आत्मप्रबन्धना, प्रशंसा और प्रसिद्धि से बचना किसी सफल संगठनकर्ता के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है। डा. हेडगेवार ने कभी भी संघ को अपनी प्रसिद्ध एवं प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। वह 'व्यक्ति-पूजा' को प्रचलित परंपरा को हिंदू समाज को सबसे बड़ी बुराई मानते थे। वह इसे समाज के पतन का कारण भी मानते थे। उन्होंने कहा— "व्यक्तिवाद ने गान्धीवाद के भाव को विस्थापित कर दिया है। संघ इसी व्यक्तिवाद को मिटाकर शुद्ध गान्धीवाद स्थापित करना चाहता है।"¹

व्यक्ति-पूजा का निषेध संघ संस्कृति का अंग बन गया है। इसका प्रधाण तब मिला जब डा. हेडगेवार की मृत्यु हुई। संघ के प्रति सहानुभूति रखने वाले हिन्दूत्पत्तादी नेता सार्जेट मंजीव कामथ की प्रतिक्रिया थी कि 'डा. हेडगेवार के महिलाओं ने उत्तम के बिना संघ का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।' ऐसी आशंका एवं अनुमान संघ के प्रति सहानुभूति रखने वाले एवं विरोधियों—दोनों प्रकार के लोगों का था। परंतु डा. हेडगेवार ने किस स्वरूप परंपरा की नीति रखी थी, उसी का परिणाम था कि संघ पहले की तरह कार्य करता रहा। उनकी मृत्यु के दो महीने बाद महाराष्ट्र के लोकप्रिय अंग्रेजी दैनिक 'मराठा' के प्रधम पृष्ठ पर पहले बड़े समाचार का शीर्षक था—'Dr. Hedgewar's Sangh Still Growing Strong.'²

उनके दूसरे मासिक ब्राह्म के अवसर पर नए सर्वंघचालक माध्यम सशाश्वत गोलचालकर का भाग्य इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 22 अगस्त 1940 को नागपुर में आयोजित सभा में कहा :

"संघ के जन्मदाता हेडगेवार का हमारे बीच न होना हमारे मन को सदैव कठोरता है। सेकिन उनकी अनुपस्थिति से हमारे बीच किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए व्योंगि संघ कभी भी व्यक्ति-पूजा का समर्थक नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।"³

संगठन के संस्थापक द्वारा ऐसी प्रेरणा सिर्फ सैद्धांतिक आग्रह से ही नहीं

1. काल, 23 जून 1940.

2. द. मराठा, 23 अगस्त 1940, पृ. 1.

3. द. मराठा, 23 अगस्त 1940, पृ. 1.

मिली बल्कि व्याख्यातिक रूप से उन्होंने इसे हर क्षण तर दिन अपनी अंतिम सीमा तक जीवन बताया। उनके जीवनकाल में उनको कोई छोटी या बड़ी जीवनी नहीं ढापी जा सकी। वह इस तरह के सभी प्रयासों को कठोरता से हतोत्साहित करते रहे। मध्याह्न के एक लेखक दामोदर पंत भट ने डा. हेडगेवार को पत्र भेजकर उनके जीवन के संबंध में जानकारी एवं तस्वीरें भेजने का बार-बार आश्राह किया। अंत में डा. हेडगेवार ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा—

'आपके मन में मेरे एवं संघ के लिए जो प्रेम एवं अगाधर है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभासी हूँ। आपकी इच्छा मेरा जीवन चरित्र प्रकाशित करने की है। परंतु मुझे नहीं सकता कि मैं इतना महान हूँ या मेरे जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जिनको प्रकाशित किया जाए। उसी प्रकार मेरे अध्यया संघ के कार्यक्रमों को तस्वीर भी उपलब्ध नहीं है। संक्षेप में, मैं यही कहूँगा कि जीवन चरित्रों की शृंखला में मेरा चरित्र तनिक भी दपयुक्त नहीं बैठता। आपके द्वारा ऐसा न जरूर से मैं उपकृत होऊँगा।'

यह एवं 1935 में लिखा गया था। तब तक संघ गणवेश में डा. हेडगेवार की कोई तस्वीर सचमुच नहीं थी। संघ के एक संघधालाक काशीनाथराव लिमये के हठ के बाद 2 मई 1935 को संगली में संघ गणवेश में डा. हेडगेवार की तस्वीर ली गई। वह इसी शर्त पर राजी हुए कि तस्वीर का निर्गेटिव (फिल्म) नहीं कर दिया जाएगा और तस्वीर का प्राप्त नहीं किया जाएगा।

इसी प्रकार नासिक के शिक्षाविद एवं संघ के नेता गम गोसांवी ने नवंबर 1935 में यह लिखकर डा. हेडगेवार से संघ पर गोसांवी द्वारा दिए गए भाषणों के संकलन हेतु प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया। इसे भी उन्होंने अस्वीकृत बत दिया। उन्होंने लिखा था कि 'संगठन शास्त्र में अहम्मन्यता, आत्मस्तुति अथवा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का विलक्षण स्थान नहीं रह सकता। व्यक्तित्व के टट्टू को जबर्दस्ती आगे बढ़ाने से संगठन नहीं खड़ा हो सकेगा।'

डा. हेडगेवार की प्रसिद्धि-पराइमुख्यता का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण है। मई 1936 में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन जगदागृह आश्र शंकराचार्य की जयंती नासिक में मनाई गई थी। यद्यपि इस कार्यक्रम से संघ का कोई संबंध नहीं था तथापि इस अवसर पर भी डा. हेडगेवार के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व की सराहना हुई और नासिक के शंकराचार्य विद्याशालकर भारती स्थामी ने, जो डा. कुर्तकोट

के नाम से अपने प्रगतिशील विचारों के लिए विख्यात थे, डा. हेडगेवर को 'राष्ट्रसेनाधि' की उपाधि से विभूषित किया। यह समाचार जैसे ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ और डा. हेडगेवर को वधाई पत्र आने शुरू हुए तो उन्होंने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। वह ऐसी उपाधियों को जूठी जान का प्रदर्शन करने लाता एवं विडंबनकारी मानते थे। उन्होंने पत्र लिखकर सूचित किया कि इसका किसी भी तरह न तो उनके लिए प्रयोग किया जाए, न ही इसका प्रचार किया जाए। उन्होंने लिखा—

'डा. कुर्चकोटि द्वारा दो हुई उपाधि हम स्त्रीयों के लिए असंगत हैं। यह बात भ्यान में रखते हुए सूचना जारी करें कि हममें से कोई भी और कभी भी इस उपाधि का उपयोग न करें। समाचार-पत्रों में भी इसके प्रचार को रोकना चाहिए।'

संघ के कार्यक्रमों की सूचना एवं समाचार स्थानीय अनुवारों में छपते तो थे, परंतु उन्होंने संगठन अधिकारी संगठन के नेताओं को प्रचार माध्यमों की सवारी करने से हमेशा रोका। अनावश्यक प्रचार और ऐसी प्रवृत्ति के विकास को वह सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए चरित्र-दोष मानते थे। ऐसे ही प्रचार-प्रमाण की लालसा से संगठन जमीन से मिटकर लेटरपैड पर एवं बड़े धरनों में सिपटकर रह जाता है। संघ की शाखाओं में निम्न पंक्तियाँ गई जाती थीं—

खृत-पत्र में नाम छपेगा,
पहनूंगा स्वागत समुहार।
छोड़ चलो यह छुद भावना,
हिंदु गढ़ के तारपहार॥
कंकड़-पत्थर बन-बन हमको,
राष्ट्र-नीव को भरना है।
ज्ञात तेज के, क्षात्र तेज के,
अमर पुजारी बनना है॥

जब कभी भी संघ के किसी स्वयंसेवक में यह प्रवृत्ति जाने-अनजाने प्रकट होती थी, वह अविलंब दर्शे रोकने के लिए कदम उठाते थे। यह नैतिक प्रेरणा एवं दबाव पत्र के रूपों के रूप में उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचता था। ऐसा ही एक पत्र उद्धरणीय है। उन्होंने 11 दिसंबर 1936 को उमाकौत अहफटे एवं

वसंतराव औक जो लिखे गए पत्र में दिल्ली में संघ की स्थापना, संगठन एवं उसके विभिन्न पक्षों को चर्चा करते हुए अंत में यह भी लिखा—

'आपके दिल्ली पहुंचने का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक भेद का कार्य करने वाले हो, ऐसा समाचार किसी को भी गलती से ब्यां न हो, समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ, यह बात संगठन की दृष्टि से ठीक नहीं हुई। इस प्रकार से प्रसिद्ध हुई तो कार्य के आधार में अनेक प्रकार की बाधाएँ खड़ी होती हैं। अतः अपने कार्यरेख में प्रचार न करते हुए लोगों के सामने दृश्य स्वरूप में कार्य आया तो स्वयंसेव ही उम्रका प्रचार होता है और वह संगठन के लिए हितकारक होता है, यह बात वहाँ के लोगों को समझाकर, फिर यह गलती न हो, इसकी चिंता कीजिए।'

सामाजिकता

सार्वजनिक जीवन में मतभेद, प्रतिरूपिता एवं टकराव अस्वाभाविक नहीं है। सेनानीक वाद-विवाद उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। डा. हेडगेवर का मत था कि बेवजह निरर्थक विवाद से संगठन को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। वह इस संदर्भ में संघर्ष गमदास के वाक्य से उद्घृत करते थे—'तुटे वाद संवाद तो हितकारी।' इसका अर्थ है—वही संवाद लाभदायक है जो रचनात्मक एवं पूर्वाग्रह मुक्त होकर किया जाए।

सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन के कार्यों में आरोप-प्रत्यारोप और आलोचनाओं के सामने डा. हेडगेवर स्वयं अविचलित रहते थे। 1937 में वह बनारस गए थे। तब वहाँ के समाजवादी गुट के लोगों ने उन्हें 'लघु फासीवादी नेता' कहते हुए संघ के खिलाफ पर्वानिकाला। वह इससे न विचलित हुए, न ही उत्तेजित। उन्होंने कहा था कि 'आने वाला समय और संघ का भावी रूप बताएगा कि संघ जनतात्रिक है अथवा फासीवादी।' ऐसे पूर्वाग्रह, जवाब देने से भी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे रुद्रिवादी आलोचकों की वह उपेक्षा करते रहे। उन्होंने 30 अक्टूबर 1937 को काशीनाथराव लिम्बे जो लिखे पत्र में लिखा था—

'मेरे वहाँ (बनारस) जाने के एक दिन पूर्व वहाँ की हिंदू युनिवर्सिटी के

1. डा. हेडगेवर : पत्रकाप व्यक्ति दर्तन; संचादक ; नांद पालकर; अर्थना उक्काल, इंदौर; 1989; पृष्ठ 74.

कुछ लोगों ने एक पत्रक प्रकाशित करके उसका वितरण किया था। पत्रक से हम ज्ञानित होंगे और हमारे कार्य में बाधा डापड़ होगी, ऐसा वे सोचते थे। वहाँ पहुंचते ही संघ के लोगों ने सोशलिस्टों द्वारा प्रसुत पत्रक मुझे दिखाया। अपनी हमेशा की नीति के अनुसार उस पत्र को अनदेखा और उपेक्षित करने के लिए मैंने अपने सब लोगों से कहा। येरा यह विचार सब लोगों को पसंद आया।'

वह संघ के सदस्यों को ऐसी ही सलाह दिया करते थे। संघ के प्रसार के साथ-साथ समाचार-पत्रों एवं राजनीतिक सभाओं में अनेक तरह की अटकले लगाई जाती थीं। महाराष्ट्र के कई पत्रों - 'नवधुम', 'मातृभूमि', 'बंदे मातरम्' आदि में संघ संबंधी अनेक मनगढ़त आते छपनी शुरू हो गई थीं। उद्याहरणार्थ, 11 अगस्त 1938 को पश्चिमी महाराष्ट्र के एक समाचार-पत्र में एक मनगढ़त खबर छपी थी कि 'चांदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस बॉर्किंग कमिटी का नियेष करने के लिए आमलभा का आयोजन किया है।' डा. हेडगेवर स्वभाषण: ऐसी खबरों की उपेक्षा करने का निर्देश दिया करते थे। 12 नवंबर 1937 को काशीनाथराव लिम्बे को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि 'समाचार पत्रों में या सार्वजनिक सभाओं में, संघ के बारे में दुह हेतु से प्रेरित अलोचना या किसी भी प्रकार के निंदा व्यंजक प्रताप कभी भी किसी के द्वारा करने पर उसको उत्तर-प्रत्युत्तर देने के झंझट में संघ का कोई भी सदस्य कभी न उलझे।' उसी पत्र में डा. हेडगेवर आगे लिखते हैं कि 'आपके क्षेत्र के समाचारपत्रों में संघ के विरोध में निर्मित किया गया वैचारिक व्यंदिर हम सबके लिए बहुत मनोरंजन का विषय रहा। इस तरह के वैचारिक व्यंदिर से हमारे मन-मस्तिष्क पर कभी भी, किन्तु मात्र भी असर नहीं होता है।'

डा. हेडगेवर उस वैचारिक संघर्ष से सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन में कदूला नहीं आने देना चाहते थे। उभी तो मध्यग्रांत में फारवर्ड ब्लॉक के नेता रामभाऊ नईकर के याथ उम्रके संबंध मिश्रका थे। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। वैचारिक भिन्नता से सामाजिक एवं मानवीय संबंधों पर असर नहीं होना चहिए, यह मान्यता डा. हेडगेवर के व्यक्तित्व का अधिक अंग थी। असहयोग औदौलन के दौरान काणगढ़ में साथ रहने वाले मध्यग्रांत के राष्ट्रवादी नेता कर्मचार पाठक ने कहा था कि 'मराठिनां के बातची में डाक्टर जी के साथ उदासीनता का व्यवहार करता था, परंतु उन्होंने सदा स्वेच्छा का संबंध बनाए रखा। वह महिलाओं को कभी इतना तीव्र नहीं होने देते थे कि मित्रता दृट जाए।'

यह संघ के स्वयंसेवकों से अग्रह करते थे कि कांग्रेस अधिका मोशलिस्टों द्वारा संघ कार्य के विरोध का जवाब नम्रतापूर्वक दें। संघ का विरोध करने वाले अधिका मतभित्ति रखने वाले लोगों को वह संघ के कार्यक्रमों में सम्मानित करता के रूप में आमंत्रित किया करते थे। संघ से सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जलग होकर कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक बने इसके प्रथम सरकार्यधार (महामार्शिव) चालाजी हुदार को संघ की शाखा एवं जिक्षा वर्गों (आ.टी.सी.) में छुलाया गया। इसी प्रकार सेवा दल के संरथापक एन. एच. हड्डीकर को भी संघ के ट्रेनिंग केंप में आने का निमंत्रण भेजा था।

अलिंगत पूर्वाग्रह से गाढ़ीय एवं मामाजिक कार्यों में योगदान देने से नहीं रुकना चाहिए— इस विचार को मानने वाले विरले होते हैं। अक्टूबर 1928 में नागपुर में लोकमान्य तिलक की मृत्यु का अनावरण हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रांत में कांग्रेस के नेता मोरुभाऊ अध्यक्षर ने किया था। डा. हेडगेवार के संबंध में उनके मन में धारणा थीं हुई थी कि वह उनके प्रतिद्वंद्वी डा. चौ. एस. मुंजे के समर्थक हैं। अतः डा. हेडगेवार को आमंत्रित नहीं किया गया। परंतु जिस व्यक्ति ने अहं को अपने जन्म के माथ ही मिटा दिया हो, उस पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ता? डा. हेडगेवार के लिए तिलक की मृत्यु का अनावरण एक महत्व का विषय था। वह स्वयंसेवकों के साथ उस कार्यक्रम में गए और कांग्रेस के नेता डा. अंसारी को 'गाँड़ आफ ऑनर' भी दिया।

इसमें भी बढ़िया एक उदाहरण है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने सन् 1937 में विटर्प का प्रवास किया था। उस पूरे प्रवास में डा. हेडगेवार उनके साथ रहे तथा उनके प्रवास की सफलता के लिए प्रबलगील रहे। अपने प्रवास के अंतिम पहुँच पर उन्होंने आमसभा में संघ की भूरि-भूरि प्रशंसा की और निवास पर अने के बाद हाक्टर साहब से पूछा कि 'मैं भी संघ का स्वयंसेवक हो जाऊ?' हाक्टर साहब ने कहा कि 'आपने सभा में संघ कार्य की जो मराहना की, वही पर्याप्त है। यही स्नेह बना रहे।'

दूसरे वर्ष सन् 1938 में वीर सावरकर जी का नागपुर प्रवास हुआ। उस समय संघ का शिविर भी लगा था। संघ के स्वयंसेवकों ने सावरकर जी की सभा को भाफल बनाने में पूरा योगदान दिया। उनका नागपुर विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी अत्यंत सफल रहा। उनके नागपुर प्रवास के संबंध में समाचार-पत्रों ने लिपा—'He came, he saw and he conquered.' किंतु संघ के

शिविर में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए और सावरकर संघ की आलोचना करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि 'लाठी-बाठी चलाने और पेरेड करते बैठने में क्या रखा है? समाज में जाकर जाग्रति उत्पन्न करनी चाहिए।' सुनने वाले स्वयंसेवकों को बहुत बुरा लगा, किंतु डाक्टर साहब ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। समाचार-पत्रों को भी सावरकर जी के भाषण का भावात्मक अंश ही पहुंचाया।

शिविर के स्वयंसेवकों में स्वातंत्र्यवीर सावरकर के भाषण की जी प्रतिक्रिया हुई, उसे दूर करके उनका ध्यान भूल-कार्य की ओर लगाने हेतु डाक्टर साहब का 'ब्रियोदास चार्चिंक भिंडावलोकन' नाम का मुश्रिमिट भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने संघ स्थापना से लेकर तब तक हुई संघकार्य की प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने संघ के बारे में जो विपरीत टिप्पणी की थी, उसके संबंध में वह भीन हो रहे। इस बात से सावरकर जी अनभिज्ञ नहीं रहे।

अगले बर्ष पुषे के संघ शिक्षा वर्ग में, जब डाक्टर साहब का वहाँ बास्तव्य था, सावरकर जी मूर्खी से पृष्ठे आए। स्टेशन पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पूछा कि वह कहाँ जाएंगे तो मावरकर जी ने कहा कि संघ के बारे में जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने पूछा कि संघ से तो कोई लेने नहीं आया? सावरकर जी का उत्तर था कि अपने घर जाने के लिए भी लिवाने को आवश्यकता होती है क्या? मावरकर जी वर्ग स्थान पर पहुंचे। डाक्टर साहब को जब यह पता लगा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि 'आज हम संघके सौभाग्य से तात्पुराव सावरकर हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें।'

मावरकर जी ने अपने भाषण में जो कहा, वह इस बात का साक्ष्य है कि डाक्टर साहब अपने सौभाग्य स्वभाव के द्वारा कैसे लोगों का मन जीत लेते थे। मावरकर जी ने कहा कि 'हम लोगों का कार्य तो उम्म पूर्वलाभार वर्षों जैसा है जो थोड़े समय में ही जलपतावन उत्पन्न करके अंत में वह जाती है। किंतु डाक्टर साहब का कार्य उस किसान जैसा है जो उस पानी को रोककर उस विधायक कार्य में लगाता है। आप सब लोगों को डाक्टर हेडगेवार के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए।'

1. कृष्ण श्री मुर्त्युन द्वारा साझाकार, 25 दिसंबर 2002

डा. हेडगेवार साध्वीजनिक जीवन में भावों के प्रयोग एवं अवहार में संयम रखते थे। समर्थ रामदास के 'दासबोध' की निपुणिति उन्हियों को उन्होंने अपनी दायरी में 1930 में उद्धृत किया था:

'बोलण्यासारखें चालणे । स्वयं करूरीन बोलणे ।'
 (जैसा कहें वैसा करें, प्रथम करें, तब बोलें)
 'क्रिये विण शब्दज्ञान । तोचि श्वानाचे वरम ।'
 (करनो के बिना कथनो कुत्ते की के जैसी महत्वहीन व अप्रभावी हैं।)
 'ठायी ठायी ज्ञेध ध्यावा । मग ग्रामी प्रवेश करा ।'
 (जांचने के बाद ही ग्राम में प्रवेश (कार्यारंभ) करना चाहिए।)
 'कहें विण फल नहीं । कहें विण राज्य नहीं ।
 केल्या विण होत नहीं साध्य जन्मी ।'
 (कष्ट बिना फल नहीं, कष्ट बिना राज्य नहीं,
 किए बिना जग में कुछ भी साध्य नहीं होता।)

कर्मकांड

डा. हेडगेवार हिंदू जीवन पद्धति में उदार एवं सुधारक प्रवृत्ति का निरंतर समावेश चाहते थे। व्यक्ति अपने जीवन में आचार-व्यवहार के लिए स्वतंत्र हो, परंतु कर्मकांडी होना समाज की प्रगति के लिए बाधक है। उन्हें परंपरावाद का पहला एवं सतत मुकाबला अपने ही घर में करना पड़ा था। उनके बड़े भाई सौलालाम पंत का हिंदू जाति व्यवस्था व कर्मकांड में अटूट विश्वास था। दोनों भाइयों में कई बार बहस हो जाती थी। विचारों में भिन्नता तो थी, पर सहजता में कभी नहीं थी। वे कभी-कभी एक ही चरण से काम चलता रहते थे।

वह मानते थे कि अपनी-अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, परंतु उसे धोषने का प्रयास समाज के भोतर की सकारात्मक बहुलता को समाज कर देता है। अपनी समझ, सोच और विचार को पूरे समाज की समझ एवं सोच नहीं मानना चाहिए। इस संदर्भ में वह एक गोचक कहानी सुनाया करते थे :

'एक राजा ने अपने नाई से पूछा कि राज्य की हालत कैसी है? नाई ने उसर दिया कि लोग संपन्न हैं और हर किसी के पास आठ-दस लोले सोना भी बना है। राजा अमित ही मरा क्षेत्रिक राज्य में लगातार अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तब उसने अपने मंत्री से सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया।

मंत्री ने जामूम को महायता से पता लगाया कि नाई के पास आठ-दस तोले सोना चमा है। फिर राजा के आदेश पर गुप्तचरों ने नाई के पर से सोना चुरा लिया। अगली बार जब नाई हजामत बनाने आया तब राजा ने अपने पहले पृष्ठे गए प्रश्न को फिर दुहराया। तब नाई का जवाब था कि राज्य को हालत को चोरों ने एकदम ख़राब कर रखा है। लोग सर्वत्र चोरी से परेशान और दुखी हैं।

संघ की शाखाओं में आधिक दिनों में हनुमान की मूर्ति होती थी। आर्यसमाजी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, अतः इस मूर्ति को हटा दिया गया। इसी प्रकार प्रार्थना के अंत में 'समर्थ रामदास की जय' कहा जाता था। इसे भी यह बानकर हटा दिया गया कि रामदास महाराष्ट्र के बाहर संभवतः स्वीकार्य नहीं हो सकते। अतः संघ ने हिंदू संगठन में किसी भी प्रकार की रीति-नीति को नहीं थोका था।

डा. हेड्लेर स्वयं अस्तिक थे परंतु वह नियमित घंटिर जाने वालों में नहीं थे। उनके एक मित्र प्रह्लाद पंत फडणवीस ने उनसे कहा--"इतनी उम्र हो गई, पर तुम संध्या, पूजा, नाम स्मरण आदि कुछ भी नहीं करते!"

इस पर कर्मपथ पर अचल हिमालय की तरह छढ़े डा. हेड्लेर का उत्तर था— "आपका कहना तो ठीक है, परंतु कल इस बात को लेकर यदि यगराज के सामने मुझे ख़ड़ा भी किया गया तो वह भी मेरा क्या करेगा? मैंने अपने जीवन में स्वयं के लिए कुछ भी नहीं किया।"

सार्वजनिक जीवन में शुद्ध मन से, सच्चे हृदय से समाज सेवा ही चास्तविक पूजा होती है। डा. हेड्लेर भी समाज देवता—राष्ट्र देवता की पूजा करते थे। उन्होंने 4 मार्च 1929 को अपनी डायरी में समर्थ रामदास के संबंध में लिखा था-- 'श्री समर्थ को स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। अपनी कृति का अहंकार स्वयं को न चिपक जाए, इसका ध्यान रखकर उन्होंने संपूर्ण जीवन स्वधर्मी चांधवों की स्थिति के चिंतन एवं आत्मोन्नति का मार्ग खोजने में लगा दिया।'

डा. हेड्लेर के जीवन वर्षी आर्थिक दशा बैसी ही थी, जैसी माता-पिता की मृत्यु के पश्चात थी। उन्होंने भी सारा जीवन राष्ट्रोन्नति का साधन ढूँढ़ने एवं सबल मार्ग बनाने में होम कर दिया। इसी त्याग एवं कर्म प्रधानता के बराबर कई लोगों ने उन्हें समर्थ रामदास के अवतार के रूप में मान लिया था।

परंतु इस भारणा को बल नहीं मिला क्योंकि वह स्वयं अवगाहनाद के दुरुपयोग पर सदैव आपसि ठड़ते रहे थे। उत्रपति शिवाजी को भगवान शंकर का अवतार मानने एवं लोकमान्य तिलक को चतुर्भुज अवतार के रूप में चिह्नित करने पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपसि व्यक्त की थी। उन्होंने इस पर टीका करते हुए कहा था कि 'निस्संदेह, इस तरह महान विभूतियों को देवताओं की वेणी में ढकेलने को मुझ की बलिहारी है। महान विभूतियों को देखने भर की देर है कि उनके देवालय में अविलंब पहुंचा दिया जाता है। वहाँ उनकी पूजा तो बढ़े मनोभव से होती है; किंतु हम उनके गुणों के अनुशीलन से कोइं दूर भागते हैं। लापर्य यह है कि इस तरह कर्तव्यों के प्रति दायित्व से किनारा करने की कला हम हिंदुओं ने बड़ी खूबी के साथ साधी है।'

वह पूजा-पाठ को गलत नहीं मानते थे, परंतु भाव एवं कर्म विहीन पूजा-पाठ तो कर्मकांड बन जाता है। तभी तो उन्होंने धर्मग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हिंदुओं द्वारा समाज एवं राष्ट्र के प्रति विमुख रहने को समाज के पतन के कारणों में एक माना। इस प्रकार के कर्मकांड को भालोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि 'नेताओं के भाषणों से अवश्य पता चलता है कि हिंदुस्थान देश अमर है। किंतु क्या सचमुच वैसा है? निरी अंधश्रद्धा से काम मत लो। बिना कोई विशेष कर्म किए हिंदुस्थान को अमर बना पाना असंभव है। बिना प्रयत्न के, व्यक्ति के लिए एक छोटे-से घर-बार को चलाना असंभव है, मिर यह तो गष्ट का काम है।'

कर्मयोग पर बल देते हुए वह आगे कहते हैं— "किसी फल की प्राप्ति का मूल कारण प्रयत्न ही हुआ करता है। बिना प्रयत्न के सिद्धि कहाँ? जो सञ्जन यह कहते दिखाई देते हैं कि हम तो ईश्वर का भजन-पूजन करते हैं, हमें वह अवश्य सफलता देगा; उन सञ्जनों को मैं आयोहनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे मुझे ऐसा एक भी उदाहरण चलाएँ जहाँ किसी मनुष्य के केवल पूजा-पाठ करने से सी रूपये उसके पैरों पर आ टपके हों।"

डा. हेडगेवार सदैव कर्मपथ पर चलते रहे। एक बार जेल जीवन में किसी ने उनकी हस्तरेखा पढ़नी चाही तो उन्होंने हंसी-ठटोली में इसकी उपेक्षा कर दी। उनका ग्रिय वाक्य था— 'स्वयमेव मुर्गेंद्रता।' भागवान अकर्मण्यता का दूसरा नाम है। वह कहते थे कि अंग्रेजी का वह वाक्य— 'God helps those who help themselves'—कर्मपथ पर अग्रसर लोगों के लिए है। जाति, संप्रदाय,

कंच-नींध, व्यक्तिवाद आदि विभाजक प्रवृत्तियों से ग्रस्त हिंदू समाज पर उस व्यक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने मन की गीढ़ा को इस प्रकार व्यक्त किया था :

"भगवान हमारी सहायता कर्यों करें? उन्हें हम पर दया कर्यों आनी चाहिए? हम लोग अपनों कोइन-सी सहायता कर रहे हैं कि भगवान हमें बचाने के लिए आएं? कुछ भी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि 'परित्राणाय साधून्' के लिए अवतार लेंगे। किंतु किन साधुओं के लिए? साधु विस्को कहा जा सकता है? भगवान तो अवतार लेते हैं उन दुष्टों को मारने के लिए जिन्हें न तो समाज या राष्ट्र की परवाह है, न ही धर्म या संस्कृति की; और जिन्हें निर व्यक्तिगत स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता। हिंदू समाज में तो इन सभी व्यक्तिगत दुरुणों से भेरे हुए लोग पाए जाते हैं, जिन्हें यथार्थ में दृष्ट कहना चाहिए। साधु तो वे हैं जो धर्म, राष्ट्र व जन कल्याण का भाव सखते हुए सदा कर्तव्य में त्यागपूर्वक दश रहते हैं।"

व्यक्तिगत आचारण, धार्मिक परंपराओं, मामाजिक चेतना इत्यादि प्रश्नों पर दा. हेडगेवर का स्पष्ट एवं प्रगतिशील मत था। उन्होंने अपने विचारों के लिए समाज एवं राष्ट्र के संगठन के लिए पश्चिम की ओर मुँह नहीं किया। सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में वह व्यक्तियों के चाहित्र का परिष्कार आवश्यक मानते थे। वह आन्यवादी तो नहीं थे परंतु आशाचादी अवश्य थे। उन्होंने चाचाराय (गणेश दामोदर) सावरकर की लिखा था - 'Wait, watch, pray and hope'। इसी प्रकार उनको जीवनदृष्टि में सकारात्मकता का भाव सदैव परिलक्षित होता था। एक बार एक लस्ट्रीर के ऊपर जब उन्होंने यह लिखा देखा कि 'Teach me how to die,' तो उन्होंने उसे काटकर लिखा - 'Teach me how to live'।

सामाजिक दर्शन

डाक्टर हेडोवार ने हिंदू संगठन के कार्य को दो विशेषणों से अलंकृत किया था। पहला—संघ-कार्य ईश्वरीय कार्य है, और दूसरा—यह राष्ट्रीय कार्य है। दूसरे शब्दों में, डा. हेडोवार की हिंदू संगठन की अवधारणा दो भागों को समाख्य करती है—प्रथमतः, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक गतिविधियों का लक्ष्य राष्ट्र को सबलता है और इसके प्रति प्रतिबद्धता आध्यात्मिक चेतना एवं क्रियाशीलता के ममता है; द्वितीयतः, उनके द्वारा हिंदू संगठन की यह सांकेतिक व्याख्या पूर्व के हिंदू संगठनकर्ताओं के दृष्टिकोण से आधारभूत भिन्नता रखती है। हिंदू संगठन के कार्य को राष्ट्रीय जगरण का कार्य समझना संघ का अधिकार है। इस प्रकार संगठन कार्य को अनवरत, स्वाभाविक और सकारात्मक रूप मिला। डा. हेडोवार मानते थे कि मनुष्यों को संस्कारित करना, उनमें समर्पित का भाव जगाना और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना एक आध्यात्मिक कार्य है।

संघ से पूर्व की एवं इसकी समकालीन हिंदू संस्थाओं का साक्ष्य एकोगी था। इसका एक वर्ग, यथा—जात-पात तोड़क मङ्गल, आर्य समाज इत्यादि सामाजिक जीवन में यारिकार एवं भार्यिक चेतना के विकास का यक्षधर था तो हिंदू महासभा जैसे संगठन हिंदू राजनीतिक चेतना के विकास के यक्षधर थे। पहली श्रेणी के संगठन सामाजिक-भार्यिक चेतना से राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति देखते थे तो दूसरी श्रेणी के संगठन राजनीतिक एकता के लिए सामाजिक समानता को आवश्यक समझते थे। संघ का दृष्टिकोण ममप्रतावादी था। डा. हेडोवार हिंदू संगठन की तो वात करते थे, परंतु उन्होंने हिंदू चेतना का आधार समुदाय को न बनाकर ऊँचित को बनाया; अर्थात् उनका लक्ष्य था—प्रथेक हिंदू में एक ऊँचित के नाते नवीन संस्कार भरना। और यही ऊँचित हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य आयामों को सम्पूर्ण रूप से देखता है। यही कारण है कि वाह्य रूप से भले ही संघ अन्य हिंदू संगठनों की तरह प्रतीत होता है, परंतु सामाजिक जीवन पर इसकी छाप और इसका

बहुता सामाजिक आधार डा. हेडगेवर की रचनात्मक गांधीय हिंदू जीवन पढ़ति की कल्पना का ही मूर्त रूप है।

डा. हेडगेवर ने हिंदू संगठन के लक्ष्य की ओर इंगित करते हुए मई 1940 में पूना के संघ शिविर में कहा था कि 'आज हमें यह समझना होगा कि हिंदुस्थान एक राष्ट्र है और हिंदू एक समाज है। हम सब इसके अंग हैं और समाज का प्रत्येक अंग राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र रूपी इस विराट स्वरूप के सभी अंगों को इसकी पूर्णता के लिए कार्य करना चाहिए।'

डा. हेडगेवर ने हिंदुस्थान की राष्ट्रीयता को सांप्रदायिक चेतना अथवा औपनिवेशिक शासन विरोधी भाव के क्षणिक एवं अस्थायी संचार के रूप में न देखकर राष्ट्र के भीतर के ऐतिहासिक समाज के अंदर से प्रस्फुटित होने वाले सकारात्मक एवं स्थायी भाव के रूप में देखा था। एक सबल राष्ट्र का आधार अस्त्र-शस्त्र नहीं, बल्कि लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना और राष्ट्र के सम्पन्न की रक्षा में सर्वस्व न्योद्यावर कर देने की आत्मशक्ति में विहित रहता है। 30 अप्रैल 1938 को महाराष्ट्र हिंदू युवक परिषद के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि 'यह कहा जाता है कि हमारे पास शस्त्र नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, किर हम क्या करें? हम कमज़ोर हैं इसीलिए हम स्वतंत्रता लो चैठ। यह रोने वाली कार्य-कारण मीमांसा कितनी ठीक है, इसका विचार कोजिए.... आज हम कमज़ोर हैं और हमें आत्मविश्वास की कमी है। इसका एकमात्र कारण सामूहिक चिंतन और संस्था का अभाव है।... राष्ट्र की प्रत्येक गतिविधि के साथ हमारे शरीर में भी समरूप गतिविधि होनी चाहिए। मैं और राष्ट्र दोनों एक ही हैं, ऐसा समझकर जो राष्ट्र से तन्मय हो, वही सच्चा राष्ट्रसेवक है।'¹ डा. हेडगेवर 'राष्ट्रसेवक' के इसी मापदंड से तत्कालीन सांप्रदायिक प्रश्न को देखते थे।

विघटनकारी मनोवृत्ति

उनके अनुसार सांप्रदायिकता को राजनीति राष्ट्र को कमज़ोर एवं विघटित करने का माध्यम है। सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रीय राजनीति में समझौते पर प्रहार करते हुए उन्होंने 'स्वातंत्र्य' में लिखा था-

1. काल, 23 जून 1940

2. केसरी, 2 जुलाई 1940, गृह 5

'जब से स्वराज्य के लिए जबदंस्त संघर्ष शुरू हुआ है, हिंदू एवं मुसलम के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नेताओं ने पहले अनेक तरह से मतभेद करने की असफल कोशिश की। तब उन्होंने लोन-टेक (Give and Take) के आधार पर बंगाल समझौता किया। इस समझौते का क्या महत्व है? इसका तात्पर्य है—मुसलमानों को विशेष सुविधा देकर उनका सहयोग प्राप्त करना।... इस पर गहराई से सोचने पर स्थिति अत्यंत ही दुखदण्डी प्रतीत होती है। या स्वराज्य सिर्फ हिंदुओं के मतलब का है? बास्तव में यह देश के सभी लोगों के लिए महत्व का है। तब फिर मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए विशेष सुविधा हासिल करने की पूर्व शर्तें क्यों रखते हैं?"

डा. हेडगेवर का निष्कर्ष था कि हिंदुओं में राष्ट्रीयता के आधार पर संगठन के निर्माण में राष्ट्र विरोधी एवं सांप्रदायिक प्रवृत्ति का अंत हो जाएगा। उन्होंने 1919 में नागपुर में राष्ट्रीय उत्सव मंडल की स्थापना की थी। इसने हिंदू उत्सवों में किनारील होकर राष्ट्रीयता के भाव का संचार किया। संगठन का उद्देश्य था—'लोगों में देशभक्ति की भावना जाग्रत करके उन्हें जातीय एवं संप्रदायों की चेतना में ऊपर डाना।' मंडल ने हिंदुओं के उत्सवों के दौरान मुसलम विरोधी नारे लगाने से थेकने में यफलता हासिल की। डा. हेडगेवर की सहायता मात्र लोगों की कार्यसमिति करती थी।¹

मध्यप्रांत में गणेश की प्रतिमा के विसर्जन एवं हिंदू उत्सवों में बाजे के प्रयोग पर मुसलमानों की आपत्तियां होती थीं, जो जब-तब दंगे का स्वरूप ले लेती थीं। सितंबर-अक्टूबर 1923 में गणेश की प्रतिमा को लेकर जब दंगा हुआ तब प्रतीय कांग्रेस समिति ने शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए एक उपसंगठित का गठन किया, जिसमें डा. हेडगेवर, डा. मुजे, डा. पराजपे और जी. ए. ओगले थे। एक छिलाफत उपसमिति भी बनी थी जिसमें मैफसल कबीर, आविद अली, डा. हेडगेवर, डा. एम. आर. शोलकर, विश्वनाथराव केलकर आदि लोग शामिल थे।²

नागपुर में सांप्रदायिकता की ममत्य का मुख्य कारण धार्मिक दबंगता एवं

1. स्वतंत्रता, 30 जून 1924

2. यागराष, 10 मई 1925, पृ. 5

3. मुजे प्राइवेट पेपर्स, काठल नं. 13, 1923-28

हर था और औपनिवेशिक प्रशासन मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करता था। 30 अक्टूबर 1923 को नागपुर के जिलाधीश ने दिंडी जुलूस पर रोक लगा दी। दिंडी जुलूस हिंदुओं द्वारा अक्टूबर-नवंबर माह में भजन मंडलों के रूप में निकाला जाता था। सरकारी आदेश के विरुद्ध हिंदुओं में तीव्र रोष था। इसका प्रतिकार करने के लिए नागपुर में सत्याग्रह किया गया, जिसे दिंडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक चले इस सत्याग्रह में हजारों स्त्री-वर्षीय हुए। इसमें गजा लक्ष्मणराव भोसले, डा. खोलकर, डा. भुजे, डा. हेडगेवार, ना. भा. खरे आदि प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। ढाई सौ लोग गिरफ्तार हुए। डा. हेडगेवार ने 8 नवंबर को सत्याग्रह किया था।¹ अंत में स्थानीय प्रशासन को छुकना पड़ा। 12 नवंबर 1923 को प्रशासन ने शांति स्थापना के लिए एक समिति बनाई, जिसमें डा. हेडगेवार भी थे।

हिंदू-मुस्लिम दोनों में कभी नहीं आई। सिर्फ नवंबर माह में ही दो बार दंगा भड़का। डा. हेडगेवार के साहसी कदम ने 19 नवंबर के दंगे को फैलने से रोका था²

इसी तरह का एक विवाद पूना में 1937 में उत्फ़न हुआ था। मुसलमानों की आपत्तियों को मानते हुए सरकार ने वहां के गोन्यामारुति मंदिर का पंथा बजाने पर 24 अप्रैल से 14 मई तक प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही किसी भी प्रकार के बाजे के प्रयोग पर भी प्रतिबंध था। डा. हेडगेवार को प्रशासन की तुष्टीकरण की नीति एवं मुस्लिम समुदाय के असहिष्णु व्यवहार पर दुख था। पूना में संघ का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। वहां के स्थानीय हिंदू नेताओं की संघ में अपेक्षा थी कि इस प्रतिबंध के खिलाफ होने वाले सत्याग्रह में संघ चढ़-चढ़कर भाग ले। लेकिन डा. हेडगेवार का स्पष्ट मत था कि हिंदू समाज संकट आने पर ही जागता है इसीलिए ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। समाज को जलत जाग्रत रहने की आवश्यकता है। स्थानीय हिंदू नेता उनकी दुष्टि को समझ पाने में असमर्थ थे। हेडगेवार ने संघ का प्रशिक्षण वर्ग पूरा होने के बाद स्वयं सत्याग्रह में 13 मई को भाग लिया। वह गिरफ्तार भी हुए। कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। न्यायालय में उनके स्थान पर एन. जी. अभ्यकर उपस्थित हुए। न्यायालय

1. महाराष्ट्र, 17 नवंबर 1923, पृ. 2

2. महाराष्ट्र, 21 नवंबर 1923, पृ. 4

ने इसकी अनुमति दे दी। 17 मई को नवलपालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया और उन्हें 25 रुपये के जुर्माने की सजा दी। वह ऐसी घटनाओं को राष्ट्रीय परंपरा के विपरीत मानते थे। उन्हें विश्वास था कि हिंदू संगठन की उपस्थिति मात्र से इस प्रकार की मनोवृत्ति एवं प्रशासनिक घड़बंद्र—दोनों को विफल किया जा सकता है।

उनकी मान्यता उनके आपने अनुभवों एवं सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि 'संघ किसी से द्वेष नहीं करता है। यह सिर्फ हिंदुओं को संगठित करने वा कार्य करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण करना है। फिर इसे जब सांप्रदायिक कहा जाता है तो मुझे पोर आश्चर्य होता है।'" डा. हेडगेवर का विश्वास था कि हिंदू समाज में व्याप्त अनेकता एवं संकीर्ण चृतियों के कारण ही देश की स्थापित जीवन-पद्धति एवं धार्मिक सहिष्णुता का तिरस्कार सांप्रदायिक लक्तों द्वारा हो रहा है। इसीलिए हिंदू जुलूसों, गौ-शोभा यात्रा, धर्म-परिवर्तन की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अपने वैश्वक दृष्टिकोण के अनुकूल ही वह संघ के संगठन का विस्तार कर रहे थे एवं स्थानीय हिंदू नेताओं की सोच एवं संघ से उनकी अपेक्षाओं के कारण उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1926-27 में भव्यप्रांत में संघ की भूमिका इसका उदाहरण है। डा. हेडगेवर सांप्रदायिकता के इस विरोधे माहौल में सकारात्मक भूमिका निभाते रहे। उनकी विश्वसनीयता भी बहुती गई। उनके हस्तक्षेप के कारण ही गणेश-प्रतिमा के विसर्जन के सवाल पर सितंबर 1926 में दो बार दंगा टल गया था¹। एक साल बाद मितंबर 1927 में नागपुर में भीषण दंगा हुआ, जिसमें 20 लोग मरे गए और 131 घायल हुए। इस दंगे के दौरान प्रतिदिन पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ। दंगे के कारण पर प्रकाश डालते हुए सरकार की पाठिक रिपोर्ट में कहा गया था कि 'दंगे का तत्कालीन कारण मुसलमानों का जुलूस था। इसका जायोजन यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया था कि जुलूस निकालना सिर्फ हिंदुओं का एकाधिकार नहीं है। वहाँपि नागपुर में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं फिर भी वे अपने को अधिक पुरुषार्थी एवं दबंग मानते आए हैं।'²

1. कैमरी, 7 अप्रैल 1933

2. पुरे पैपर्स, डायरी, 7 अग्स्ट 22 मिसिंबर 1926

3. भव्यप्रांत के मितंबर के पहले भाग की चाकिक रिपोर्ट, 32/27 पैरा (1)

इस अवसर पर स्वास्थीय हिंदू नेताओं की अपेक्षा थी कि संघ के स्वयंसेवक मुसलमानों का प्रतिकार करने के लिए आक्रामक रूप से अपनाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। डा. हेडगेवार ने स्वयंसेवकों को मंबेदनशील स्थानों पर हंगा रोकने के लिए लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि दंगे पर जलदी नियंत्रण खाया जा सका।

हिंदुओं में ज्ञाप्त अनुशासनहीनता एवं धार्मिक उत्सवों के दौरान अव्यवस्था को दूर करने के लिए डा. हेडगेवार ने 1926 से संघ के स्वयंसेवकों का उपयोग किया। रामटेक के रामनवमी मेले को मुच्चाक रूप देने के लिए नागपुर से दो सौ स्वयंसेवकों को भेजा गया। इस अव्यवस्था से मुस्लिम एवं हिंदू—दोनों तरफ के अराजक तत्व डा. हेडगेवार से क्रोधित हुए। नागपुर एवं उसके आस-पास की मुस्लिम सांप्रदायिक लाकर्तों में डा. हेडगेवार प्रणीत संघ के अनुशासित संगठन से क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्हें यह लगाने लगा कि अब वे पर्व, त्यैहारों के दौरान मनमानी, छेड़छाड़ या लूटपाट नहीं कर पाएंगे। इसी बीच स्वामी ब्रह्मानंद की हत्या ने ऐसे तत्वों को मध्यप्रांत में भी ग्रोत्साहित कर दिया।

इसी क्रम में डा. हेडगेवार को एक धमकी भरा पत्र मिला। इसमें लिखा था कि “आपने रामटेक में मुसलमानों से शारात की है: खाल रखना, एक धर्म के अंदर तुम मुरीद सरीखे काटे जाओगे . . .”

4 जून को उन्हें इसी तरह का एक और पत्र मिला तथा नागपुर में उन पर आक्रमण की अनेक अफवाहें उड़ती रहीं। लेकिन वह न तो उत्तेजित हुए, न ही स्वयंसेवकों में सांप्रदायिक अथवा प्रतिक्रियावादी मानसिकता का विकास होने दिया। वह इन सब बातों को सतही मानकर टालते रहे। उन्होंने धमकी के संबंध में पुलिस तक को सूचना नहीं दी। तब डा. मुंजे ने पुलिस तक शिकायत पहुंचाई थी? १

राष्ट्रीय उत्सव मंडल की तर्ज पर संघ के स्वयंसेवकों ने गणपति उत्सवों में अव्यवस्था का काम देखकर सभी अवांछित तत्वों से समाज को बचाना शुरू कर दिया।² डा. हेडगेवार ने 1926 में कम्बुनल एवार्ड जिरोधी सम्मेलन में, जो

1. महाराष्ट्र, 25 मई 1927

2. मुंजे पैपर, 10 मई 1927, राष्ट्रीय अधिलेश्वार, नई दिल्ली

3. मध्यप्रांत के सिलेबर 1932 के दूसरे भाग की पांचिक रिपोर्ट, F.L/P&J/1/2440

कलकत्ता में हुआ था, भाग लिया था। संघ ने 'कम्युनल एवाई' के विरोध एवं संयुक्त मतदाता प्रणाली के समर्थन में मध्यप्रांत में सभा एवं रैलियों का आयोजन किया। परंतु इन रैलियों में 'बांटो और राज करो' की औपचारिक नीति के खिलाफ भाषण किए गए और उसे मुसलमान विरोधी रैली नहीं बताया दिया गया।¹

डा. हेडगेवार की सोच कितनी सकारात्मक थी, इसका अनुमान 1934 की एक घटना से लगाया जा सकता है। 1932 के अंत में सरकारी कर्मचारियों को संघ में जाने पर मध्यप्रांत की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। एक साल बाद इस प्रतिबंध का दायरा बढ़ाकर उसमें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों को शामिल किया गया। दूसरे प्रतिबंध से संघ का संगठन प्रभावित होता और संघ के लिए इसके विरुद्ध संघर्ष करना उसके जीवन-मरण का प्रश्न था। उस समय स्थानीय स्वशासन के मंत्री एम.वाई. शरीफ थे, जो सांप्रदायिक चरित्र के लिए कुछवाल थे। डा. मुंजे ने 15 जनवरी 1934 को लिखा कि 'मुस्लिम मंत्री ने संघ की जड़ पर आक्रमण किया है।'² परंतु डा. हेडगेवार ने इस दृष्टिकोण में सच्चाहौं होते हुए भी इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने पत्रों तथा नेताओं के साथ बैठकों में इसका जिक्र तक नहीं किया।

डा. हेडगेवार के राष्ट्रीय एवं सकारात्मक संगठनात्मक दृष्टिकोण के कारण ही संघ की विस्तार की प्रक्रिया से मध्यप्रांत अथवा देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक प्रश्न नहीं खड़ा हुआ।

आगे के वर्षों में संघ ने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को अराष्ट्रीय पोषित करते हुए 'पाकिस्तान विरोधी दिवस' के कार्यक्रमों में भाग लिया। डा. हेडगेवार हिंदुस्थान को एक प्राचीन राष्ट्र मानते थे। वह मानते थे कि राष्ट्र के भीतर अलग-अलग पंथों के लोग रहते हैं परंतु 'राष्ट्र धर्मशाला नहीं होता है जिसमें जब जो चहा, आकर रह लिया और चला गया।'³ वह आगे कहते हैं कि राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग 'एक विचार, एक जाचार, एक सभ्यता एवं एक ही परंपरा के अभिभावी होते हैं।' लीग का द्विराष्ट्रवाद धर्मपंथ के आधार पर अलग-अलग राष्ट्रीयताओं का प्रतिपादन कर रहा था।

1. मध्यप्रांत की पांचिक रिपोर्ट आस्त 1934 का दूसरा भाग, F.I.P&J/12/62.

2. कलारी, 2 नुलार्य 1939, पृ. 5.

डा. हेडगेवार ने पांचिक बहुलता के प्रश्न पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि अन्य पंथों को उपस्थिति पर हिंदूस्थान में कभी भी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। वह कहते हैं :

'यदि दूसरे प्रेम एवं सहानुभूति से इस भूमि में बसना चाहें तो अवश्य बस सकते हैं। हमने उन्हें कभी मना नहीं किया है, और न करेंगे। पारसी समाज के उदाहरण से हिंदुओं की उदारता का उपयुक्त परिचय मिलता है।'

अस्पृश्यता

डा. हेडगेवार हिंदू समाज के भीतर व्याप्त सामाजिक दोषों, खंडित एवं सामंती मानसिकता को मामाजिक एवं गण्डीय अवनति का मूल कारण मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन सामाजिक प्रश्नों पर महात्मा गांधी एवं डा. भीमराव अंबेडकर दोनों ने अपना ध्यान केंद्रित किया था। डा. हेडगेवार कहते थे कि 'हिंदुओं में सामाजिकता के भाव का अभाव है।' संघ में प्रवेश के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। परंतु विभिन्न जातियों के लोग संगठन की संरचना, कार्यपद्धति और गण्डीयता के भाव यें जाति एवं अस्पृश्यता को मन एवं विवेक दोनों से त्याग देते। परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्रचार-प्रसार पर आधारित नहीं थी, बल्कि सहजता एवं शांति के साथ मामाजिक क्रांति खल रही थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब ब्राह्मण एवं अस्पृश्य स्वयंसेवकों के साथ-साथ रहने, खाने-पीने एवं मत्तिविधियां करने पर परंपरावादी परिवार से आने वालों को आणतियां हुईं परंतु वे संस्था के अनीपचारिक सांस्कृतिक प्रवाह में जल्दी ही घुल-मिल गए। ब्रालामाहव देवरस ने अपने संस्मरण में लिखा है कि डा. हेडगेवार समानता के भाव को अनुरासन का हिस्सा मानकर नहीं थोपते थे। वह मानते थे कि इसका प्रवाह स्वेच्छा से होना चाहिए, तभी वह टिकाऊ हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि संघ के पहले प्रशिक्षण शिविर में कुछ स्वयंसेवकों ने जब महार जाति के स्वयंसेवकों के साथ भोजन करने में हिचकिचाहट दिखाई तो उन्हें अलग पंक्ति में बैठने दिया गया और डा. हेडगेवार ने सिफ़े इतना कहा कि 'हमारी परंपरा साथ भोजन करने को है।' अगले दिन से परंपरावादी परिवारों से आने वाले वे स्वयंसेवक भी सबके साथ बैठकर भोजन करने लगे।

एस.एच. देशपांडे ने अपने संघ जीवन का अनुभव लिखते हुए इसके सामाजिक दर्शन पर प्रकाश इस प्रकार ढालता है—'हमारी शाखा का मुख्य शिक्षक गैर-ब्राह्मण था। परंतु उसके मराठी ओलने के कारण हमें इसका अनुग्रह तक

नहीं हुआ। जब मैं उसके घर गया तब मुझे पता चला कि वह सदाशिव है। उसका भाई सीताराम भी संघ में सक्रिय था।"

डा. हेडगेवार ने अस्पृश्यता, जात-पात के प्रश्न पर कभी भी समझौता नहीं किया। वह समग्रतावादी थे। जो होर्स पिछड़े हैं, अस्पृश्य हैं, उनका भी बराबर का हक है। इसी ठोस मान्यता के कारण जातिवाद के आधार पर मध्यप्रांत के राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण में वह और संघ के अन्य नेता खुलकर इन लोगों से लड़ रहे थे। सधी में 1940 में संघ की 84 शाखाएं थीं जिनमें से 70 शाखाएं गैर-चाहाण आबादी वाले क्षेत्रों में थीं¹ जब कभी भी पुरातनपंथी अधिवा यथास्थितिवादी ताकरें संघ के सामने खड़ी हुईं, डा. हेडगेवार ने वेङ्गिङ्गाक उसका प्रतिकार किया। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के एक मंदिर में अगस्त 1937 में संघ का कार्यक्रम था। मंदिर के पुरोहितों ने हरिजन स्वयंसेवकों के प्रवेश पर आपत्ति उठाई तो डा. हेडगेवार ने उन्हें फटकारते हुए कार्यक्रम का स्थान बदल दिया। महादेव शास्त्री दिवेकर ने 'केसरी' में लिखा है कि 'संघ में ब्राह्मणों, गैर-चाहाणों एवं अस्पृश्यों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। वे एक साथ खेलते, खाते और ध्वज प्रणाम करते हैं'²

डा. भीमराव अंबेडकर संघ के शिविर में 1938 में पूना में आए थे। उन्होंने महार स्वयंसेवकों के साथ सम्मान एवं समानता का भाव देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि 'मैंने इस तरह से अस्पृश्यता समाप्त करने का कार्य पहले कभी नहीं देखा।'

इसी प्रकार की दिव्याणी महात्मा गांधी ने 1934 में बधी शिविर देखने के बाद की थी।

डा. अंबेडकर के प्रति डा. हेडगेवार के मन में सम्मान का भाव था। यही कारण है कि डा. अंबेडकर को संघ ने प्रातःसमरणीय नामों में शामिल किया है। डा. हेडगेवार एवं डा. अंबेडकर के बीच तुलना करते हुए कुप्प. सी. सुदर्शन ने लिखा है कि 'डा. अंबेडकर हिंदू समाज की मानसिकता में जो झंगति चहते थे वही डाक्टर हेडगेवार जी का ईप्सित था। डा. हेडगेवार ऊच-नीच, छुआछूत

1. एस.एच. देशपांडे, भाई डेन इन द अर.एस.एस. क्वेस्ट, बैब्ट, अगस्त 1975, पृ. 19

2. केसरी, 24 जुलाई 1940

3. केसरी, 5 जुलाई 1940, पृ. 13

आदि की भावनाओं से मुक्त जिस एकरस और संगठित समाज-जीवन को रचना चाहते थे, वही डा. अंबेडकर को भी अभीष्ट थी।¹

सुदर्शन जी आगे सिखते हैं कि 'समाज को बुराई दूर करने के लिए यदि डा. अंबेडकर ने रुद्धियों पर कठोर प्रहार का मार्ग अपनाया, अपने लोगों को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए अपनी रुचि के विपरीत राजनीति का माध्यम चुना, तो डा. हेड्डेवार ने अतींत में जो श्रेष्ठ, उदात्त एवं कल्याणकारी व्यापक आधार पर हिंदुत्व नाम उज्ज्वल रूप सामने रखते हुए समाज के मन को विशाल, सर्वसमावेशक और रुद्धिमुक्त बनाने पर जोर दिया। एतदर्थं उन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया।'

डा. हेड्डेवार सामाजिक तीर पर अम्यृश्यता का नियेध करते रहे। वह पूना के न्यू इंगलिश हाईस्कूल में अम्यृश्यों के साथ सहभोज के आयोजकों में से एक थे। 23 अक्टूबर 1932 को इसी स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साहसपूर्ण दृग से अम्यृश्यता का मुकाबला करें²।

संवेदनशीलता

डा. हेड्डेवार का संवेदनशील व्यक्तित्व उनके सामाजिक दर्शन में प्रतिविवित होता है। वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कठोरों के निवारण हेतु अपनी सुविधा एवं व्यस्तता का तण्डिक भी गुणाल नहीं रखते थे। अपने कलकत्ता प्रवास-काल के दौरान उन्होंने दामोदर नदी की बाढ़ में धोड़ियों की सहायता में गमकृष्ण मिशन के जल्दी के साथ दिन-रात काम किया था। बढ़ क्रांतिकारियों की शारीरिक सेवा-सुविधा करने में वह आनंद का अनुभव करते थे। कलकत्ता में वह श्यामसुंदर चक्रवर्ती की सहायता करते रहे। पुराने क्रांतिकारी साधी भाकुली कावरे जब बीमार पड़े तब वह एक डाक्टर के साथ जाकर तीन दिनों तक उनके गांव में रहे थे।

अनाथ बच्चों की समस्या के प्रति वह चिंतित थे। उन्होंने प्रश्न किया कि 'हमें अनाथाश्रम बच्चों खोलना पड़ता है? हम ऐसी परिस्थिति बच्चों नहीं पैदा करते

1. कृष्ण. सौ. सुदर्शन, समाज रेणा के निदानकर्ता दो डाक्टर, लंचवन्य, 23 अक्टूबर 1988, पृ. 9-10.

2. हितवाद, 27 अक्टूबर 1932.

है कि कोई भी आलक अनाथ महसूस न कर सके।' अपने वाल्यकाल में मातृ-पिता को खो देने के बाद डा. हेडगेवार को यह अनुभव हुआ था कि मातृ-पिता का साथ उठाने के बाद बच्चों की क्या मानसिक दशा होती है। अतः समाज को कुटुंब स्वरूप में परिवर्तित करके इस समस्या का निदान किया जा सकता है।

वह अनाथालय को अस्थायी विकल्प मानते थे। उसकी व्यावश्यकता महसूस करने के बाद ही उन्होंने नागपुर नासिक, बंबई के अनाथालयों के संचालन में योगदान दिया था। 1922 में उन्होंने नागपुर में अनाथ विद्यागृह को स्थापना की थी। जी. वी. देशमुख लिखते हैं—'यह सभी सामाजिक बुराइयों, यथा—अस्मृश्यता, जातिवाद आदि से मुक्त था। महात्मा गांधी, सर शंकरन नायर, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाजपत राय जैसे नेता विद्यागृह देखने आए थे। इस तरह डा. हेडगेवार इन नेताओं के प्रशंसन-पात्र बन गए। डा. हेडगेवार ने यूरोप के लोगों को नागपुर में समाज सेवा करने से चिंतित कर दिया।' उनका नासिक के अनाथ विद्यागृह से भी सक्रिय संबंध था।¹

महिला अधिकार

डा. हेडगेवार महिलाओं के साथ सामंती एवं परंपरावादी व्यवहार से आजीवन लड़ते रहे। वह महिलाओं को दया का पात्र नहीं, बल्कि समानता एवं सम्मान का हकंदार मानते थे। अपने व्यावहारिक जीवन में उन्होंने जो कदम उठाए थे, वे एक क्रांतिकारी सुधारक के लिए ही संभव थे। वह बाल विवाह के विरोधी एवं विधवा विवाह के समर्थक तो थे ही, उन्होंने 'बेमेल विवाह' का भी विरोध किया। तत्कालीन मरमाज में कम उम्र की लड़कियों के साथ अधिक उम्र के दूल्हे के विवाह की कुप्रथा थी। एक बार जब उन्हें ऐसे बेमेल विवाह की सूचना मिली तब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जाकर बलपूर्वक उसे रोका और उस लड़की की शादी समान उम्र के लड़के से कराई। इसी प्रकार प्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार गजाननराव माफखोलकर ने अपनी आत्मकथा में यह रहस्योदयाटन किया कि डा. हेडगेवार के प्रयास से ही उनके प्रेम-विवाह में आई अड़चनें दूर हो गई थीं। उन्होंने महिलाओं के लिए 'रमणी' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति करते हुए 'देवी' शब्द के प्रयोग पर बल दिया था।

1. कालममुद्रातील रने, वीन प्रकाशन, नागपुर, न्. 152-53

2. कैमरी, 13 जनवरी 1939

वह महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका के प्रशंसक थे। तभी तो संघ की शाखाओं एवं शिविरों में महिला नेताओं को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाता था। असिंहल भारतीय महिला परिषद ने संघ के सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण का समर्थन किया था। इसकी अध्यक्षा राजकुमारी अमृत कुंवर एवं अन्य सदस्य, जिनमें राज्य विधानसभा की उपसभापति अनसूया बाई काले भी थीं, नागपुर के संघ शिविर में 28 दिसंबर 1937 को आए थे।¹ यह कोई पहली घटना नहीं थी। इसके पहले भी सार्वजनिक जीवन में कार्यरत महिला नेताओं एवं समाजसेवियों को आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस की नेता कमलाबाई ने 21 नवंबर 1938 को कौंकण में संघ की शाखा में अपना भाषण दिया था। इसी प्रकार पार्वतीबाई चिटण्वीस 9 दिसंबर 1934 को संघ की नागपुर शाखा के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि थीं। मध्यप्रांत विधानसभा की मनोनीत सदस्या रमाबाई तांबे संघ के प्रशंसकों में थीं।

डा. हेडगेवार महिलाओं की मामाचिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक भूमिका के प्रति फिल्मे जागरूक थे, इसका पता इस बाहर से चलता है कि देश के सर्वाधिक पुराने महिला संगठनों में से एक—राष्ट्र सेविका समिति—के वह प्रेरणा स्रोत थे। संघ से प्रभावित महिला कार्यकर्ताओं में उन्होंने आत्मविश्वास एवं हिम्मत पैदा करके उन्हें स्वतंत्र संगठन की नींव रखने के लिए प्रेरित किया था। मध्यप्रांत में दो महिला संगठनों—राष्ट्र सेविका समिति (वर्धा) और राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ (भंडारा) —की स्थापना 1935-36 में हुई थी। डा. हेडगेवार के प्रवास से अक्टूबर 1936 में दोनों संगठनों का विलय हो गया। समिति द्वारा महिलाओं को सैद्धांतिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

आर्थिक दृष्टिकोण

डा. हेडगेवार का आर्थिक दृष्टिकोण उनके जीवन में मबसे अधिक दिखाई पड़ता रहा। उन्होंने आर्थिक प्रश्नों पर शब्दों से तो बहुत कुछ व्यक्त नहीं किया, किंतु उनके व्यक्तित्व एवं संघ को कार्यपाद्धति से कुछ निष्कर्षों पर पांचांचा जा सकता है।

1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पूंजीवाद को अमानवीय एवं सामाजिकादी चरित्र वाली व्यवस्था की संज्ञा दी थी। आर्थिक समानता पर उनका

1. यजाराष्ट्र, 2 जनवरी 1938, प. 10

कितना आग्रह था, यह उनके द्वारा 'स्वातंत्र्य' के संपादन के दीरान दिखाई पड़ता है। 1924 में नागपुर के एंप्रेस मिल के मजदूरों ने बोनस, कार्य की समय सीमा, बेतन वृद्धि आदि उश्नों पर हड्डताल की, तब 'स्वातंत्र्य' ने मुखर होकर उसका समर्थन किया था। इसके कारण समाजार-पत्र की विज्ञापन मिलना भी बंद हो गया। परंतु डा. हेडगेवर पूँजीवादी शोषण के खिलाफ मजदूर आदीलन के प्रवक्ता बने रहे।

वह मार्क्सवादी विचारधारा के वर्ग संघर्ष के भी प्रतिपादक नहीं थे। वस्तुतः वह 'वाद' के दायरे में बटे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अख्यायहारिक मानते थे। व्यामधं एवं दक्षिणांश के विभाजन पर चोट करते हुए उन्होंने मजदूर नेता रामभाऊ रुईकर के समक्ष टिप्पणी की थी—“I am a poor capitalist and you are a rich proletariat.”

प्रसंग था कि एक मजदूर नेता के व्याख्यान के लिए रुईकर जी ने डा. हेडगेवर को भी आमंत्रित किया था। किंतु उसके लिए टिकट लेना आवश्यक था। अकिञ्चन डा. हेडगेवर के पास पैसे न होने से वह नहीं जा सके। बाद में मिलने पर जब रामभाऊ रुईकर ने न आने का कारण पूछा तब उन्होंने उपर्युक्त टिप्पणी की थी।

उन्होंने स्वयं अपने पूरे जीवन में आवश्यकता विहीनता की स्थिति को बनाए रखा। अधिक संभवतः उनके लिए सफल एवं मुख्य जीवन का आधार नहीं थी। जीवन भर वह तृतीय श्रेणी में यात्रा करते रहे। उनके फैलते यश एवं प्रतिष्ठा के कारण उनके परिवार पर आधिक बोझ भी पड़ा। अपने टूटे हुए पर में वह सातांगी के साथ रहते थे। कभी-कभी तो जलावन की लकड़ी छाटते थे और कभी अभ्यागत को चाय पीने का आग्रह करने के बाद घर में दूध, घीनी का अभाव पाते थे।

बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद उन्हें समाज के धनाद्य लोगों का संरक्षण भी मिलने लगता है। वे उनके व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। डा. हेडगेवर ने इससे अपने आप को सफलतापूर्वक बचाए रखा। उनका यह अद्वितीय रूप उनके दुर्लभतम चरित्र को दृष्टिकोण से उन्हें कुछ जर्मों देने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मोथे तुकरा

दिया था। सिंटो के नामामाहब टालादुले एक धनी व्यक्ति थे और डा. हेडगेवर को उनके क्रांतिकारी दिनों से ही जानते थे। 1926 में उन्होंने आमाजी जोशी के साथ मिलकर उन पर आर्थिक बोझ से मुक्त होने के लिए दबाव ढाला। टालादुले ने उनसे कहा कि 'सरकत सर्वजनिक कामों में लगे रहने के कारण आपको घर की ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं मिला और इसके कारण आर्थिक चिंता सदैव आपके पीछे छापा की भाँति लगी रहती है।' इस पर डा. हेडगेवर ने सहजता से कहा - "जब उत्तरश्यकता होगी तब मांग लूँगा। अभी कोई आवश्यकता नहीं है।"

आगे के आठ वर्षों तक उनकी गरीबी ज्यों को ल्यों बनी रही। उनकी भाभी रमाबाई को घर चलाने में घोर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसका रहस्योदयाटन 1935 में तब हुआ जब हेडगेवर के परम मित्र विश्वनाथराव केलकर को आभास हुआ कि उन्हें निमंत्रण के बाबजूद डा. हेडगेवर चाय इसलिए नहीं पिला पाए क्योंकि घर में अपेक्षित सामग्री ही नहीं थी। उन्होंने गुरु गोलवलाकर से कहा कि आप लोग अपने नेता की चिंता क्यों नहीं करते? तब गुरु जी का उत्तर था कि 'एकादशी का पैट शिवरात्रि कैसे भरे?' तब केलकर जी ने गुरु जी के माध्यम से आर्थिक सहायता की पेशकश करनी चाही, किंतु गुरु जी ने कहा कि वह इसमें उन्हें जाकर दें। इसका साहम उन्हें नहीं हुआ और डाक्टर साहब को स्थिति यथावत बनी रही।

1935 से स्वयंसेवकों ने प्रत्येक वर्ष पांच-छह सौ रुपये की ब्रदानिधि उन्हें भेट करनी शुरू की, परंतु वह इस धन को संघ की गुरु दक्षिणा में दे दिया करते थे। उनके घर की दीवार जब गिर गई, तब नागपुर के बाल स्वयंसेवकों ने धनराशि इकट्ठी करके घर की मरम्मत हेतु उन्हें कुछ पैसे समर्पित किए थे। 'केमरी' ने अपने संपादकीय में लिखा था कि धन की कमी से वह कभी भी निराश नहीं हुए, थे।

गरीबी का उपहास न हो, इस बात का ध्यान वह रखते थे। तभी तो उन्होंने एक गरीब स्वयंसेवक की भयंदा रखने के लिए चाय न पीने का अपना प्रत तोड़ दिया था। उन्होंने कहा - "आखिर उस स्वयंसेवक के पास मत्कार के लिए

और क्या है? यदि इसे हम अस्वीकार कर देंगे, तो उसकी भावना आहत होगी।"

उनके इसी व्यक्तित्व का असर संघ पर पड़ा। उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में संगठनों पर धन के प्रभाव को देखा था। संघ को उन्होंने मानव लज्जा पर आधारित किया, न कि धन की बैसाखी पर। उन्होंने संघ कार्य के लिए 1928 से गुरु दक्षिणा की परिपरा शुरू की। स्वयंसेवक अपनी क्षमता एवं ब्रह्मा के आधार पर वर्ष में एक बार भगवा घ्यज के सामने दक्षिणा के रूप में धन अर्पित करता है। ऐसा बहरे समय अमरी-गरीबी का एहसास न हो, इसलिए धन को गुणदान के रूप में दिया जाता है। आरंभिक दिनों में संघ के प्रभाव से जो, डॉ. बिहला से लेकर पं. मदन मोहन मालवीय तक संघ को आर्थिक सहायता देने के लिए स्वयं तत्पर हुए परंतु डा. हेडगेवर ने कृतज्ञता के साथ मना कर दिया। संघ के पास शाश्वता के लिए स्थान, कार्यालय एवं प्रबालकों को दूसरे प्रांतों में भेजने के लिए सदैव धन का अभाव रहा तो दूसरी ओर धनदाता दान व चंदा देने के लिए आतुर थे। परंतु व्यक्तिगत जीवन की तरह ही डा. हेडगेवर का संघ भी आश्रयकर्ता विहीनता के चरित्र के साथ अपना यश फैलाता गया। इसकी उथम गुरु दक्षिणा में चौरासी रूपये कुछ पैसे मिले थे। तभी तो पं. मदन मोहन मालवीय ने संघ के स्वयंसेवकों को नागपुर में संबोधित करते हुए कहा था— "अन्य संस्थाओं के पास बहु-बड़ी इमारतें एवं धन का भंडार है लेकिन मैं खुश हूँ कि संघ के पास मानवशक्ति का धिपुल भंडार है।"

डा. हेडगेवर गुरु दक्षिणा अध्यवा सहानुभूतिपूर्वक मिलने वाले धन का बारीको से हिसाब रखा करते थे। सार्वजनिक रूप से जमा पैसा उनके लिए अनमोल था। इस व्यार्थिक मनोवृत्ति का प्रभाव संघ के सामाजिक आधार पर भी पड़ा और मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोग संघ से जुहते गए। यही कारण है कि संघ को मजदूर आंदोलन में प्रवेश करने में तनिक भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ।

डा. हेडगेवर का जीवन दर्शन मकारात्मक जीवन मूल्यों, प्रशंसितवादी सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण एवं सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर आधारित है।

तत्त्वरूपी हेडगेवार

कि सो व्यक्ति के जीवन की साधकता उसकी लंबी आयु में न होकर उसके कर्तृत्व में होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समता, दृष्टि और कल्पना के अनुसार कर्मपथ पर अग्रसर होता है। वह अपने व्यक्तित्व से जब सकारात्मक रूप से समाज, राष्ट्र एवं सभ्यता के प्रवाह को प्रभावित करता है तब वह इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों उसका मूल्यांकन करती है और उससे प्रेरणा लेती है। डा. हेडगेवार ने भी अपने कर्म, विचार, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों से भारतीय राष्ट्र, इसकी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को एक नए वैचारिक एवं संगठन के सूत्र में अभिष्यक्त किया जिसे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दिया।

1925 से लेकर 1940 तक उनका जीवन संगठन को प्रभावी बनाने एवं वैचारिक अधिष्ठान को स्थापित करने में अनवरत लगा रहा। संघ कार्य और राष्ट्र हित के बीच उन्होंने जीवंत संबंध स्थापित किया था। अतः संघ स्थापना के बाद भी वह राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करते रहे।

इन पंद्रह वर्षों में सिद्धांत, संगठन एवं आदर्शवाद—जीनों का वाहक उनका तन, मन और विवेक था। सिद्धांत एवं आदर्शवाद में शरीर और आत्मा का संबंध होता है। सिद्धांत अलमा है तो आदर्शवाद शरीर है। आदर्शवाद के भीतर रहकर ही सिद्धांत मूर्त रूप में प्रभावी होता है और बिना सेद्धांतिक चेतना के आदर्शवाद एक व्यक्तिगत जीवन का सीमित साधन बनकर रह जाता है। डा. हेडगेवार का जीवन सेद्धांतिक चेतना एवं आदर्शवादी मूल्यों पर आधारित था। यही कारण है कि बाहर से देखने पर उनका सिद्धांत एवं कार्य समकालीन संगठनों एवं हिंदुत्व के प्रतिवादों के समान ही प्रतीत होता है। 'हिंदू राष्ट्र', 'हिंदू संगठन', 'सामाजिक समरसता'—इन सबका प्रयोग हिंदू महासभा एवं अन्य संगठनों द्वारा भी होता था, परंतु डा. हेडगेवार की दृष्टि राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने की थी और इसी को उन्होंने 'हिंदू राष्ट्र' की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शक्तिवाली द्वारा अभिष्यक्त किया था। उनका लक्ष्य राष्ट्रीयता को स्थायी एवं चिरंतन भाव प्रदान करना था।

इसी भंकल्प एवं साधना को उन्होंने संगठन निर्माण की जटिल एवं कठिन प्रक्रिया में चलका किया था। राष्ट्र के सभी अवयवों में सबसे महत्वपूर्ण और नीचत घटक व्यक्ति होता है। वही राष्ट्रीय परंपरा, पहचान, इतिहास और संस्कृति का बाहक होता है। अतः दा. हेडगेवर ने सिद्धांत एवं आदर्शवाद के प्रभावी संयोग से हेडगेवरों का समूह तैयार किया और ऐसा करते-करते उनका नश्वर शरीर इकायावन वर्ष की आयु में होम हो गया। राम गोस्वामी ने उनकी पृत्यु के बाद अपनी श्रद्धांजलि में कहा था:

'डॉक्टर हेडगेवर अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण महान थे। महानता शारीरिक शक्ति में न होकर नैतिक शक्ति में होती है। और उनके पास नैतिक शक्ति का भंडार था। उनका निःस्वार्थ जीवन अद्वितीय है। उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। संपूर्ण हिंदुस्थान ही उनका घर था। वह प्रचार एवं प्रसिद्धि से दूर रहते थे।'

कर्मपथ पर प्रतिबद्धता के साथ अप्रसर संन्यासी के ममान जीते हुए उन्होंने कभी भी अपने दीर्घायु होने की कामना नहीं की, न ही कभी वह अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हुए। उनके लिए तो राष्ट्र का स्वास्थ्य एवं संगठन का दीर्घायु होना—ये दो प्रश्न ही महत्व के थे। 1924 में उन्हें न्यूज़ेलिया हुआ था। उन दिनों वह नागपुर के सावंजनिक जीवन में खेल-कूट से लेकर राजनीतिक गतिविधियों में ढूबे रहते थे। लेकिन पहली बार नवंबर 1932 में वह गंभीर रूप से अस्थरथ हुए। 1930 में एक वर्ष के कारावास ने उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। उन्हें दा. हरदास के धनतोली स्थित घर में ही रखा गया। परंतु दो महीने का चिकित्सा नाम के लिए था। वहाँ से भी वह संघ कार्य की योजना को कार्य-रूप देते रहे। दा. हरदास ने कहा कि 'दा. हेडगेवर के स्वास्थ्य की अनियमितता का कारण उनकी कार्य-व्यस्तता है।'

संघ कार्य करते हुए वह अपने शरीर को तिल-तिल कर जलाते रहे। 1935 से वह कमर दर्द से पीड़ित थे। परंतु संघ कार्य की गति में रुकावट न आए, इसलिए वह इसे छिपाते रहे। अप्रैल 1935 में जब वह संघ के कार्यक्रम में मांगली गढ़ तथ अस्थरथ पीड़ा थी। वह स्वयं लिखते हैं कि 'मैंने कमर की पीड़ा को किसी न किसी प्रकार महन कर, लोगों को पता न लगे, इस प्रकार के भाव से स्टेशन पर उत्तरकर लोगों का अधिवादन स्वीकार किया। स्टेशन से जाते ही संघ स्थान पर परेंड का कार्यक्रम था। जैसे-जैसे उस कार्यक्रम को भी

पूर्वनियोजित पद्धति से पूरा किया। परंतु इस परिश्रम से कमर का दर्द बहुत बढ़ गया।'

उन्हें सांगली में रुकना पड़ा। परंतु विश्राम करना तो वह जानते ही नहीं थे। चिल्सर पर लेटे-लेटे भी वह संघ कार्य में लिप्त रहे। इसीलिए उनकी बीमारी को स्वयंसेवकों ने 'बोलती बीमारी' नाम दिया था।

नवंबर 1936 में उन्हें खांसी एवं ज्वर था। इसके बावजूद उन्होंने 13 नवंबर से दस दिनों तक काटोल ताल्लुका का व्यापक दैरा किया था। प्रवास में यात्रा के दौरान भी उन्हें आगम नहीं मिलता था। उनकी बहुती प्रसिद्ध इसका कारण थी। उन्होंने आबाजी हेडगेवर को 16 अक्टूबर 1935 को लिखा था कि 'कल रात्रि आपसे विदा लेकर हमारा प्रवास प्रारंभ हुआ। मार्ग में जहाँ-जहाँ शाखा है—अधिकांश स्थानों पर तो शाखा है ही—उन सब स्थानों पर संघ के लोग हमसे मिलने के लिए आए, इस कारण नीद छुण मात्र के लिए भी न हो सकी।'

डा. हेडगेवर साधारणतया रात्रि को एक-दो बजे के आमपास ही सोते थे और प्रातःकाल चिल्सर छोड़ देते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर चुरा असर पड़ता रहा।

11 मार्च 1937 को उन्होंने बालाजी हुद्दार को भेजे पत्र में लिखा था कि 'मेरा स्वास्थ्य जैसा चाहिए, उतना अच्छा नहीं रहता—यह सत्य है, किंतु यह दोष मेरी प्रकृति का नहीं है। अनेकानेक कामों में व्यस्तता और उससे होने वाले कष्टों का विवार किया तो कहना पड़ेगा कि जैसा स्वास्थ्य चल रहा है वही अच्छा है। गठ चार मास से संघ कार्याधीन मेरा प्रवास चल रहा है। हर रोज भिन्न-भिन्न नगरों में निवास होता है और रात्रि के दो बजे से पूर्व विश्राम के लिए अवकाश नहीं मिलता है।'

7 दिसंबर 1939 को वह प्राकृतिक चिकित्सा हेतु बिहार के गाजगुह गए। उनके साथ आपाजी जोशी सहित संघ के कुछ अन्य सहयोगी कार्यकर्ता भी थे। वहाँ से वापस आने के बाद वह 1 मई से 15 मई 1940 तक पूना के संघ शिविर में रहे। 16 मई को वह नागपुर वापस आए। नागपुर में एक महीने का संघ शिक्षा कर्ता लगा हुआ था। संघ के लिए यह काफी महत्व की बात थी। पूरे देश से चुने हुए स्वयंसेवक प्रशिक्षण के लिए वहाँ उपस्थित थे। दुर्भाग्य में डा. हेडगेवर 16 मई से बीमार पड़े। वह अपने शारीरिक कष्ट से जितनी पीड़ि

महसूस कर रहे थे, उससे कहाँ अधिक जिज्ञा चर्चा से अनुपस्थित रहने से। उन्होंने चिकित्सकों से अपने आग्रह को बार-बार दोहराया, परंतु उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अंततः उनकी ज्याकुलता को देखते हुए संघ के अधिकारियों एवं चिकित्सकों ने तीन बार में शिविर में जाने की अनुमति दी। 16 मई, 2 जून और 9 जून को वह वहाँ गए, किंतु मिर्क 9 जून को ही वह बोल पाए। अदम्य इच्छाशक्ति और देशभक्ति के असामी भाव का विहूल संयोग उनके भाषण में था। यह उनके जीवन का अंतिम भाषण था। वह देश को स्वांत्र होते अपनी आंखों के सामने तो नहीं देख पाए, किंतु जिस हिंदू राष्ट्र के विराट, ददात एवं सन्नातन रूप की कल्पना उन्होंने 1925 में की थी, उसका एक लघु रूप 9 जून को उनके सामने था। उन्होंने अपने भाषण में कहा :

'आप तो जानते ही हो कि गत 24 दिन से मैं राण शीमा पर पड़ा हूँ। संघ की दृष्टि से यह वर्ष बड़े सौभाग्य का है। आज अपने सामने मैं हिंदू राष्ट्र को छोटी-सी प्रतिमा देख रहा हूँ।'

फिर सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 'मेरा आपसे कुछ भी परिचय न होते हुए भी ऐसी कौन-सी बात है कि जिसके कारण मेरा हृदय आपको ओर और आपका मेरी ओर ढौढ़ पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ही इतनी प्रभावशालिनी है कि जिन स्वयंसेवकों का आपस में परिचय तक नहीं है, वे भी एक-दूसरे को पहचान लेते हैं।'

फिर उन्होंने संघ के कार्य के वास्तविक स्वरूप पर प्रभावशाली विचार प्रकट किए :

'आज आप अपने स्थान चापस जा रहे हैं। मैं आपको ऐसे विदाई देता हूँ। यह अबसर विशेष का है, फिर भी दुख का नहीं। जिस कार्य को संफल करने के निश्चय से आप यहाँ आए हैं, उसी कार्य की पूर्ति के लिए आप अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं। प्रतिज्ञ कर लो कि जब तक तन में प्राण हैं, संघ को नहीं भूलूँगा। किसी भी मोह से आपको विचलित नहीं होना चाहिए।... यह बात ध्यान में रखिए कि केवल संघ का कार्यक्रम लौक दंग से करने या प्रतिदिन नियमित रूप से संघ स्थान पर उपस्थित रहने से ही संघ का कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें तो आमेतु हिमालय पर्वत फैले हुए इस विराट हिंदू समाज को संगठित करना है। मलबा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र तो संघ से बाहर चमने वाला हिंदू जगत् ही है। संघ केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं; संघ के बाहर जो लोग हैं,

उनके लिए हमारा यह कठोर हो जाता है कि उन लोगों को हम गाष्ट्र को उत्तराति का सच्चा मार्ग बताएँ और यह मार्ग केवल संगठन का है।'

इस जिविर में देश भर में 1500 स्थानप्रेषक उपस्थित हैं। डा. हेडेवार ने अपनी विचारोक्ति में साफ कर दिया कि गणवेश, परेड, खेल-कूद एवं विभिन्न शास्त्रीय कार्यक्रमों के रूप में दिखने वाला संगठन अद्वैतनिक संगठन अथवा हिंदू संगठक बल न होकर एक वैचारिक अंदोलन है, जिसका लक्ष्य संपूर्ण राष्ट्र को उद्देश्यपूर्ण, मूल्याधिष्ठित एवं वैभवसंपन्न बनाने के लिए संगठित करना है। उन्होंने संघ के कार्य को राष्ट्र सभा, अधिकांश अथवा हिंदू बहुमत या गाष्ट्र के किसी एक आयाम तक सीमित नहीं किया, प्रत्युत संपूर्ण गाष्ट्र, संपूर्ण समाज और गाष्ट्र के सभी गीण विकास को उसका कार्यक्षेत्र बना दिया। उन्होंने संघ एवं हिंदू राष्ट्र के बीच पूर्ण एकलूपता का आदर्श संघ निर्धारित किया और संगठन के आदर्श को गाष्ट्र के भूत, वर्तमान एवं भविष्य को यात्रा के साथ जोड़ दिया। उनका विचार यह कि किसी एक उपलब्धि अथवा उद्देश्य की पूर्ति से संघ के संगठन कार्य में विराम नहीं लगना चाहिए। संघ संगठन यात्रा के समाज और गाष्ट्र के जीवन से जोड़कर उन्होंने संघ कार्य को जीवन का एकमात्र कार्य बनाने का आशह किया था।

अंतिम संदेश के बाद उनके स्वामीय में लगातार गिरावट आती रही। अपनी मृत्यु शैया पर भी वह आशा के केंद्र बने रहे। उभी तो दो गाष्ट्रीय नेता—डा. श्यामा प्रसाद मुख्याली तथा सुभाष चंद्र बोस उनके दर्शन करने, दिशा एवं सहयोग प्राप्त करने की आशा से उन तक खिंचे आए थे। 21 मई को डा. मुख्याली जब उनसे मिलने पहुंचे तो डा. हेडेवार के शरीर का तापमान 103 डिग्री था। डा. मुख्याली ने बंगाल में राज्य पोषित मुस्लिम आक्रामकता से बचाने के लिए 'हिंदू राशा दल' बनाने का प्रस्ताव रखा तब डा. हेडेवार ने उनसे जो बात कही, वह उनके सकारात्मक, गाष्ट्रीय एवं मन, हृदय एवं विचारों में पूर्ण मंतुलन की घोषक है। उन्होंने कहा कि 'बंगाल या गंगाबां में उत्तान हुई तथा स्थान-स्थान पर बीच-बीच में हिंदुओं को दृष्टि से पैदा होने वाली विकट परिस्थिति का मूल कारण अपने समाज की विधिवत अवस्था है। इस स्थिति को स्थायी रूप से दूर किए जिन कहीं न कहीं हिंदुओं के विरुद्ध इस प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। इन पर क्षणिक प्रतिक्रियात्मक एवं आंशिक उपाय-योजना करने से परिस्थिति को स्थायी रूप से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए तो देश भर के हिंदुओं के मन में स्थानित भाव उत्पन्न करना एवं एक गाष्ट्रीयता के संस्कार

से हिंदुओं के मनों को प्रभावी बनाना आवश्यक है। हिंदुओं में परस्पर प्रेम तथा राष्ट्र की दृष्टि से जीवन के शिखर पर आरुद्ध होने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न करना ही राष्ट्रोत्थान का विधायक एवं स्थायी मार्ग है तथा संघ उसी का अनुसरण कर रहा है।'

ठीक एक महीने बाद 20 जून को सुभाष चंद्र बोस उनसे मिले आए थे। तब डाक्टर हेडगेवार के जीवन की आगा प्रादः समाप्त हो चुकी थी। 15 जून से तीन दिनों तक मेरो अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रहने के बाद उन्हें 18 जून से बाबासाहब घटाटे के सिविल लाइस के बंगले पर ले जाया गया था। डा. हेडगेवार को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था और उन्होंने 15 जून को संघ के कार्यकर्ता यादवराय जोशी से एक प्रश्न किया कि 'संघ के वरिष्ठ अधिकारी के दिवंगत होने पर क्या आप उनका अंतिम संस्कार सैनिक पद्धति में करेंगे?'

जोशी की आंखें भर आईं और वह प्रश्न को ठाल गए। यह पिता-पुत्र के संबंध से भी अधिक मधुर संबंध का एक दृश्य था। उनकी मृत्यु के बाद किसी गलत परंपरा का जन्म न हो, इसके लिए डा. हेडगेवार चिंतित थे। संघ में सैन्य प्रशिक्षण के लाल्हा रूप के कारण उन्हें संशय था कि उनका अंतिम संस्कार सैन्य रीति से किया जा सकता है। तब डा. हेडगेवार ने अपनी राय जाहिर की—'संघ एक विशाल कुटुंब है। यह कोई सैनिक संगठन नहीं। अतः कुटुंब के सदस्य के मरने के बाद वैसे अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही मादा एवं साधारण पद्धति से होना चाहिए।'

वह अंतिम सांस तक मिलाते एवं आदर्शों का पालन पूरी दृढ़ता से करते रहे। उनके व्यक्तित्व की विशालता एवं आदर्श ब्रत से तो एक बार मृत्यु के देवता भी मिहर गए हींगे। मृत्यु उनका पोछा कर रही थी, परंतु यह कमंवीर अपनी गति और प्रकृति के अनुसार ही जीवन जी रहा था। 19 जून को उन्होंने बंबई के एक बीमार स्वयंसेवक को पत्र लिखकर उसको सफल शल्य चिकित्सा पर आनंद प्रकट किया था। 19 जून को रात्रि चिकित्सकों और संघ के कार्यकर्ताओं ने जागकर चिंताई। सबको चिंता बढ़ती जा रही थी। यह विश्वास नहीं हो रहा था कि डा. हेडगेवार उनके बीच से चले जाएंगे। 20 जून को उनकी हालत और बिंगड़ गई। उस हृदयद्रावक बातावरण में भी वह हिमालय की तरह अटल थे। उस हिंदू गाट् द्रष्टा के लिए अपने जीवन-मरण का प्रश्न महत्वपूर्ण

नहीं था। उनके नेत्र, यानस और हृदय पटल पर तो राष्ट्र पर्व-गढ़ोत्थान के साधन संघ का चित्र ही अंकित था। तभी तो 20 जून को चिकित्सकों से खोड़ा समय भाँगकर वह विचारमण हो गए, फिर गोलबलकर जी को बुलाकर संघ के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सामने बाले—“आगे संघ का संपूर्ण कार्य आप सम्हालिए।”

इस भाषा को सुनकर गोलबलकर जी अत्यंत शोक-चिह्नित हो गए। चिकित्सक संघर पंचवर करने का सही अवसर दूँठ रहे थे। डा. हेडनेवर की बहुती बैचैनी से पूरा बातावरण शोक की गहराई में डूबता जा रहा था। 20 जून को रात के 11 बजे से उनका बुखार तेज हो गया। उनके चेहरे पर मंभीरता एवं उत्प्रता जा भाव दिखाई पड़ रहा था। रात लाई बजे से वह बेहोश हो गए और 21 जून को 9 बजकर 27 मिनट पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वह ज्येष्ठ बड़ी द्वितीया का दिन था।

उनकी मृत्यु का समाचार विद्युत गति में सर्वत्र फैल गया। पूरे प्रांत एवं प्रांत के बाहर के लोग नागपुर आने लगे। दिन-भर हजारों स्त्री-पुरुष, आबालवृद्ध उनके दर्शन करते रहे। 21 जून को भागी वर्ष के बावजूद लोगों का आगा नहीं रुका।

साथ यांच बजे उनकी शवद्यात्रा निकली, जिसमें हजारों नर-मारी शामिल थे। ‘हितवाद’ ने शवद्यात्रा पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि ‘यह नागपुर की अब तक की सबसे प्रभावी शवद्यात्रा थी। भारी वर्षा के बावजूद इसमें हजारों लोग मामिलित हुए। शहर के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें शामिल थे। यात्रा साथ यांच बजे निकली। रास्ते-भर कूलों की वर्षा की जा रही थी। जैसे-जैसे यह जागे बहुती गई, लोगों की मंछ्या भी बहुती गई और रेशमबाग मैदान पहुंचने में इसे चार घंटे लग गए।’ इसमें संत यांचलेशंखकर महाराज, गणगतराव चुटी, डा. चोलकर, डा. परांजपे, रामभाऊ रुईकर, सेठ पूनमचंद, बीर हरकरे, बालाजी हुदाप, अलेकर, ना. भा. खोर, ओंगले सहित कांगीस, सोशलिस्ट, फरवर्ड ब्लॉक, मनदूर बांदोलन आदि से जुड़े सभी कार्यकर्ता शामिल थे।

‘हितवाद’ ने अपने संपादकीय में लिखा था कि ‘डा. हेडनेवर से अधिक कुशल संगठनकर्ता का देश में मिलना दुर्लभ होगा।’

1. हितवाद, 23 जून 1940, पृष्ठ 1

2. हितवाद, 23 जून 1940, ‘स्वर्णपि डा. हेडनेवर’

पूना से प्रकाशित 'मराठा' ने उन्हें 'हिंदू राष्ट्र की मरीच' की संज्ञा दी। इसने लिखा कि 'हम "निःस्वार्थ" शब्द का प्रयोग करते हैं। डा. हेडगेवर का जीवन इसे वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है। ... अपने तीर-तरीकों एवं निःस्वार्थ जीवन के द्वारा वह मराठा संत-कवि-नेता रामदास के समान थे।"

'महाराष्ट्र' ने अपने संपादकीय में उनकी तुलना लोकमान्य तिळक से की?

'केसरी' ने उनके जीवन एवं कृतित्व के बारे में ये शब्द लिखे— 'विनप्रता' जो नेताओं में दुर्लभ होती है, उनमें कृट-कृट कर भरी हुई थी। राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने परिवार एवं उल्लङ्घन भविष्य का त्याग कर दिया। उनमें त्याग करने की असीम प्रवृत्ति थी। संघ राजलंगिंठी से मद्रास, कराची से कलकत्ता तक फैल गया। यद्यपि हिंदू राष्ट्र की तुलना में संघ का रूप बहुत छोटा है, फिर भी यह राष्ट्रीय एकता को रोढ़ है। इसके ग्रभाव एवं शक्ति को देखकर ही गांधीजी ने इसे भारत की मर्वोत्तम बंगठित जनसङ्ग कहकर प्रशंसा की थी।¹

इसी प्रकार दूसरे मराठी समाचार-पत्र 'काल' ने 'भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अनवरत प्रयास' को एक मिसाल बताया।

डा. हेडगेवर को लोकप्रियता का अनुमान इसी भात से लगाया जा सकता है कि मध्यप्रांत एवं महाराष्ट्र के प्रायः सभी गांव एवं शहरों, स्कूल एवं कालेजों, स्थानीय निकाय की निर्वाचित संस्थाओं में 'हेडगेवर दिवस' मनाया गया और उन्हें अद्वितीय दी गई। बंबई के शिवाजी नगर की हरिजन बस्ती में 22 जून 1940 को शोकसभा में हरिजन कार्यकर्ताओं ने उन्हें हरिजनों में आत्मविश्वास पैदा करने वाले मर्सीहा की संज्ञा दी। यहां तक कि संघ के पोर आलोचक पत्र 'मातृभूमि' की संपादक प्रमिला ओक ने संपादकीय में लिखा—

'उनके विचारों से भिन्नता तो हो सकती है, परंतु उनके त्याग करने की

1. द मराठा, 28 जून 1940

2. महाराष्ट्र 23 जून 1940

3. केसरी, 23 जून 1940, पृ. 3

4. काल, 24 जून 1940

5. काल, 11 जुलाई 1940

क्षमता, अधिकारीता दृढ़ निश्चय और दुर्लभ संगठन कीशत जैसे गुणों की प्रशंसा करने से हम बच नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया।¹

अपने जीवन की यही ब्रेष्टता, वैचारिक पवित्रता और राष्ट्र समर्पण को भावना उन्होंने राष्ट्र को अपेक्षित कर दी। वह राष्ट्रीय चेतना, स्वच्छ निर्मल सार्वजनिक जीवन, देशभक्ति और लोक संग्रह जैसे गुणों के मापदंड बन गए। उनकी मृत्यु ने उन्हें नश्वर शरीर से अलग कर दिया, परंतु उनके विचार पूर्त होकर संघ शक्ति के रूप में समाज एवं राष्ट्र जीवन का अभिन्न अंग हो गए हैं।

स्वामी विवेकानंद के समान उनके द्वारा अल्प जीवन में किया गया कार्य राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों एवं कार्यों को महसा एवं सार्थकता भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में एक वैकल्पिक अधिष्ठान बनकर उत्तरोत्तर प्रभावकारी सिद्ध हो रही है।

किसी स्वप्नदृष्टि के जीवन एवं विचारों की सार्थकता उसके द्वारा भविष्य को पीढ़ियों एवं राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने की क्षमता में निहित होती है। ऐसे व्यक्तित्वों का मूल्यांकन हमेशा अझूरा ही रहता है और इतिहास के घटनाक्रम में ही उनको पूर्णता और प्रबलता स्थापित होती है। डा. हेडगेवर ऐसे ही महापुरुषों की ब्रेणी में आते हैं। और सावरकर की श्रद्धांजलि के ये शब्द अत्यंत सार्थक लगते हैं : 'Hedgewar is dead—long live Hedgewar'.

1. माहभूमि, 25 जून 1960, प. 6

आधुनिक भारत के निर्माता

BUILDERS OF MODERN INDIA

अ
न
भू
र्त
ी

डा. केशव चलिराम हेडगेवार भारतीय संस्कृति के परम उपासक थे। वह कर्मठ, सत्यनिष्ठ और राष्ट्रवादी होने के साथ-साथ एक स्वतंत्रचेता भी थे। उन्होंने हिंदुओं में नई चेतना जाग्रत् करने का उल्लेखनीय कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इस पुस्तक में उनके व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया है तथा उनके संबंध में ऐसी जानकारियां भी दी गई हैं जो अभी तक अल्पज्ञत थीं।

पुस्तक के लेखक राकेश सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज में राजनीति शास्त्र के व्याख्याता हैं। इसके अलावा वह स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

आवुनक मारताथ रात्पकार
आधुनिक भारतवर निर्माता
आधुनिक-भारतस्य निर्माताः

नव-भारत दे निर्माता

प्रकाशन विभाग



सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ISBN : 81-230-1076-1

मूल्य : 95.00 रुपये

નવ ભારત નર્ગુણલુ
جديٰ هندوستان کے معمار